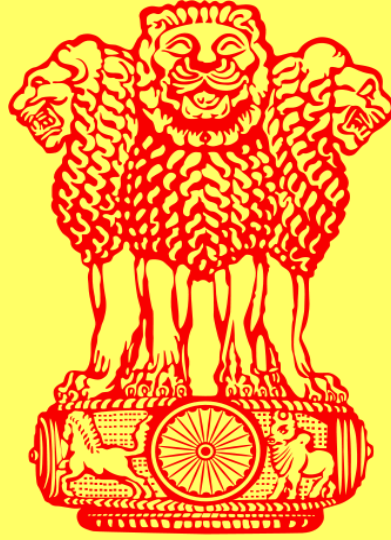




सत्यमेव जयते

कार्यालय प्रधान महालेखाकार
(लेखा एवं हकदारी)
राजस्थान, जयपुर



राजस्थान राज्य के कोषालयों के कार्यों की वार्षिक समीक्षा
प्रतिवेदन
वर्ष 2024-25

The emblem of the Government of Karnataka is a golden sculpture. It features a central lion standing on a base. The base is decorated with a large wheel in the center and two deer on either side. The lion has a large, ornate mane and a crown. The entire emblem is set against a black background.

कार्यालय प्रधान महालेखाकार
(लेखा एवं हकदारी)
राजस्थान, जयपुर

राजस्थान राज्य के कोषालयों के कार्यों की
वार्षिक समीक्षा प्रतिवेदन
वर्ष 2024-25

विवरण सूची

विवरण	पृष्ठ संख्या
(i) प्रस्तावना	I
(ii) अदावेदारी	II
(iii) समग्र दृष्टि	III
(iii) भाग प्रथम – परिचय	1
(iv) भाग द्वितीय– कोषालयों द्वारा प्रेषित लेखों के संकलन और जाँच के दौरान पाई गई त्रुटियाँ एवं अन्य कमियां	6
(v) भाग तृतीय – कोषालयों एवं उप कोषालयों के निरीक्षण के दौरान पाई गई त्रुटियाँ और कमियाँ	12
(vi) भाग चतुर्थ – सूचना प्रौद्योगिकी नियंत्रण एवं सुरक्षा से संबंधित पाई गई कमियां	31

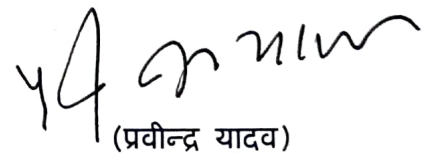
प्रस्तावना

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 149 में दिये गये प्रावधान के अनुसार राज्य सरकार के लेखों का संकलन सम्बन्धी कार्य किए जाने का उत्तरदायित्व भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का है, उनकी ओर से राजस्थान के लेखों के संकलन कार्य के लिए प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हक.) राजस्थान, जयपुर उत्तरदायी है। राज्य के समस्त कोषालय अपने ऑनलाईन मासिक लेखे, समस्त लेन देनों के आवश्यक चालानों व वाऊचरों सहित (सॉफ्ट प्रति में) प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हक.) राजस्थान, जयपुर को प्रेषित करते हैं। इसके अतिरिक्त, प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हक.) राजस्थान, जयपुर द्वारा प्रति वर्ष समस्त कोषालयों (चयनित उपकोषालयों सहित) का निरीक्षण नियमित रूप से किया जाता रहा है। कोषालय शासकीय लेखा प्रणाली के मुख्य अंग है तथा वे शासकीय राजस्व की प्राप्ति एवं भुगतान करने के साथ ही शासकीय खर्चों पर नियंत्रण रखने में प्रभावी भूमिका निभाते हैं। कोषालयों/उपकोषालयों की कार्य प्रणाली पर प्रति वर्ष इस कार्यालय द्वारा वार्षिक समीक्षा प्रतिवेदन तैयार किया जाता है।

वर्ष 2024-25 के इस वार्षिक समीक्षा प्रतिवेदन में राजस्थान में कार्यरत कोषालयों की उन महत्वपूर्ण कमियों का सारांशीकरण किया गया है जो इस कार्यालय में लेखों के संकलन व स्थानीय निरीक्षणों के दौरान जानकारी में आयी थी। कोषालयों के निरीक्षण के दौरान जो कमियां परिलक्षित हुई थीं, उन्हें सम्बंधित जिला कलेक्टरों/कोषाधिकारियों, निदेशक एवं पदेन संयुक्त शासन सचिव, निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर तथा शासन सचिव वित्त विभाग एवं मुख्य शासन सचिव, राजस्थान सरकार के ध्यान में ला दिया गया है। विगत वर्षों के दौरान पाई गई मुख्य अनियमितताएं/त्रुटियों का तुलनात्मक विवरण विभिन्न चार्ट में दर्शाया गया है।

कोषालयों की दक्षतापूर्ण कार्य प्रणाली राज्य के उपयुक्त वित्तीय प्रबंधन में महत्वपूर्ण योगदान प्रदान करती है। इस प्रकाशन का उद्देश्य कोषालयों की कार्य प्रणाली में सुधार और इसके परिणामस्वरूप राज्य के वित्तीय प्रशासन की सहायता करना है। मैं सभी अधिकारियों व कर्मचारियों को, जिन्होंने इस प्रक्रिया में योगदान दिया है, धन्यवाद देता हूँ।

दिनांक: ०९.०७.२०२५



(प्रवीन्द्र यादव)

प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हक.)

राजस्थान, जयपुर

अदावेदारी

यह वार्षिक समीक्षा प्रतिवेदन राजस्थान राज्य के कोषालयों/उपकोषालयों द्वारा उपलब्ध कराए गए अभिलेखों/सूचनाओं सहित कई स्रोतों से एकत्र किये गए साक्ष्यों पर आधारित है। तथ्यों और आंकड़ों में कोई भी त्रुटि या चूक सुधार के अधीन है। तथ्यों, आंकड़ों और निष्कर्षों की गलत प्रस्तुति के कारण इस वार्षिक समीक्षा प्रतिवेदन के किसी भी उपयोगकर्ता को होने वाली किसी भी हानि या क्षति के लिए प्रधान महालेखाकार (लेखा व हक.) कार्यालय जिम्मेदार नहीं होगा।

समग्र – दृष्टि

अनुच्छेद संख्या	विवरण	पृष्ठ संख्या
1.1	कोषागार की भूमिका	1
1.2	संगठनात्मक सेट अप	1
1.3	कोषालयों में स्वीकृत ,कार्यरत अधिकारियों / कर्मचारियों की संख्या	2
1.4	कम्प्यूटरीकरण	3
1.5	भुगतान वाउचरों का मासिक विवरण	4
2.1	मासिक लेखों का विलम्ब से प्रस्तुतीकरण	6
2.2	मासिक लेखों में अशुद्धियां	7
2.3	लेखा शीर्ष 8782-102 “लोक निर्माण प्रेषण” एवं लेखा शीर्ष 8782-103 “वन लेखा प्रेषण” के बकाया चैक्स एवं चालानों के समायोजन का अभाव	7
2.4	लेखा शीर्ष “8675- रिजर्व बैंक जमा” (राज्य) में बकाया रहे अंतरों के निराकरण का अभाव	8
2.5	आहरण व संवितरण अधिकारियों द्वारा आहरित संक्षिप्त आकस्मिक व्यय बिलों के विस्तृत आकस्मिक व्यय बिल प्रस्तुत करने का अभाव राशि ₹ 29.79 करोड़	8
2.6.1	निजी निक्षेप खातों में भुगतान की आवश्यकता से अधिक धन जमा रखना	9
2.6.2	निजी निक्षेप खातों के लिए प्रधान महालेखाकार कार्यालय में संधारित वृहद पुस्तिका एवं कोषालयों द्वारा प्रेषित प्लस- माईनस मीमों के अन्तिम शेषों के मध्य उत्पन्न धनात्मक अन्तर राशि ₹ 53.82 करोड़ व ऋणात्मक अन्तर राशि ₹ 2.84 करोड़ के निराकरण का अभाव	11
3.1	वर्ष के दौरान निरीक्षण किए गए कोषालय एवं उप कोषालय	12
3.2.1	बकाया निरीक्षण प्रतिवेदन और आक्षेप	12
3.2.2	प्रथम अनुपालना प्रतिवेदन प्राप्त न होना / विलम्ब से प्राप्त होना	12
3.3.1	उपदान (ग्रेच्युटी) की राशि में से प्राधिकृति में दर्शाई गई कटौती / वसूली नहीं करने से अधिक भुगतान राशि ₹ 5.22 लाख	13
3.3.2	कार्मिक की मृत्यु पर मृत्यु उपदान राशि का निर्धारित राशि से अधिक भुगतान राशि ₹ 2.24 लाख	13
3.3.3	पारिवारिक पेंशनर को बढ़ी हुई दर से अनियमित भुगतान करने के कारण अधिक भुगतान राशि ₹ 177.86 लाख	14
3.3.4	मूल पेंशन पर अतिरिक्त पेंशन एवं अतिरिक्त भत्ता (Additional Pension & Additional Allowance on Original Pension) के भुगतान संबंधी पाई गई कमियां / अनियमितताएं	14
3.3.4.1	नियमानुसार देय तिथि से पूर्व अतिरिक्त पेंशन/ भत्ते लागू कर अधिक भुगतान ₹3.33 लाख	15
3.3.4.2	पेंशन पोर्टल एवं पी.पी.ओ. में जन्म तिथि दर्ज नहीं होने के उपरान्त अतिरिक्त पेंशन का अनियमित भुगतान ₹ 4.86 लाख	16

3.3.5	सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने में पाई गई कमियां / अनियमितताएं	16
3.3.5.1	सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुरूप जारी संशोधित अधिकृति की राशि से अधिक भुगतान राशि ₹ 9.56 लाख	17
3.3.5.2	सातवें वेतन आयोग के अनुसार पेंशन पुनरीक्षित नहीं करना	17
3.3.6	पारिवारिक पेंशनरों को राजकीय सेवा में रहते पेंशन पर देय मंहगाई राहत का अनियमित भुगतान राशि ₹ 5.22 लाख	17
3.3.7	सार्वजनिक बैंको से सिविल पेंशन पत्रावलियां प्राप्त / संग्रहित करने का अभाव	18
3.3.8.1	पेंशन के रूपान्तरण मूल्य के भुगतान की तिथि / रूपान्तरण भुगतान आदेश जारी की तिथि के तीन माह बाद से घटी दर की बजाय मूल पेंशन दर से रूपांतरण के रूप में पेंशनरों को अधिक भुगतान ₹ 11.68 लाख	19
3.3.8.2	पेंशन के रूपान्तरण के बाद संबंधित पेंशनरों से पुनर्भरण की तिथि तक मासिक कटौती नहीं करने/कम किये जाने के कारण अधिक भुगतान राशि ₹ 10.23 लाख	19
3.3.9	अवधि पार हुए उपदान भुगतान आदेशों का नवीनीकरण कराये बिना ही संबंधित पेंशनरों को अनियमित भुगतान करना ₹ 71,429/-	20
3.3.10	आश्रित पुत्र की आयु 25 वर्ष पूर्ण होने के उपरान्त भी पेंशन बंद नहीं करने के कारण अधिक भुगतान राशि ₹ 6.03 लाख	20
3.4.1	व्यपगत शेषों की सूची प्रस्तुत करने का अभाव	21
3.5.1	निजी निक्षेप खाता धारकों से 31 मार्च को शेष रही राशि के सहमति-प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं करना	21
3.5.2	कोषालय द्वारा संधारित लेजर एवं निजी निक्षेप खाता धारक संस्था की पासबुक के शेषों के उत्पन्न धनात्मक व ऋणात्मक अन्तरों के निराकरण का अभाव	22
3.5.3	निष्क्रिय निजी निक्षेप खातों को बंद किये जाने का अभाव	22
3.5.4.1	नेशनल पेंशन स्कीम (न्यू पेंशन स्कीम) के लिये संधारित निजी निक्षेप खाते में जमा राशि को ट्रस्टी बैंक में जमा करवाकर रिकार्ड कीपिंग एजेंसी नेशनल सिक्युरिटी डिपोजिटरी लिमिटेड (NSDL) को डेटा प्रेषित करने का अभाव ₹ 14.30 करोड़	23
3.5.5.2	निजी निक्षेप खाता संख्या 471 से राशियों का आहरण कर भारतीय जीवन बीमा निगम को संबंधित कार्मिकों के खातों में जमा करने हेतु प्रेषित करने का अभाव ₹ 67.35 करोड़	23
3.6.1	कोषालय बांसवाड़ा के स्ट्रॉंग रूम से राशि ₹ 5,23,88,511/- के मूल्य के स्टाम्प की कमी/गबन का पाया जाना।	24
3.6.2	अनुपयोगी / कम प्राप्त / कटे-फटे / अप्रचलित / मिसप्रिंट मुद्रांको के निस्तारण का अभाव राशि ₹ 96.77 लाख	25
3.7.1	भवन निर्माण ऋण के लिए खोले गये निजी निक्षेप खाता सं. 473 में जमा राशि का निस्तारण / समायोजन नहीं करना राशि ₹ 54.85 लाख	25
3.7.2	दिनांक 31.03.2004 के पश्चात एच.डी.एफ.सी. बैंक एवं एस.बी.बी.जे. (वर्तमान में एस.बी.आई) से राज्य सरकार के कार्मिकों को स्वीकृत कराये गये भवन ऋणों की मासिक कटौतियों से प्राप्त राशि बैंक खातों में जमा कराने का अभाव ₹ 2.05 करोड़	26

3.7.3	दीर्घकालीन ऋणों के लिए वृहद पुस्तिका के संधारण का अभाव/अपूर्ण संधारण	27
3.7.4	ऋणी कार्मिकों से प्राप्त आवेदनों का समय पर निस्तारण कर अदेयता प्रमाण- पत्र जारी नहीं करना	27
3.8.1	विभागीय अधिकारियों द्वारा कोषालय के सुरक्षित कक्ष में जमा करवाई गई बहुमूल्य वस्तुओं/सील्ड पैकिटों को संबंधित अधिकारियों को लौटाने का अभाव	28
3.8.2	सोने व चाँदी के आईटमों के निस्तारण का अभाव	29
3.9.1	खंडीय कार्यालयों द्वारा नियमानुसार लेबर सेस, रॉयल्टी, DMFT की कटौती अथवा अल्पावधि खनन रियायत पत्र प्राप्त नहीं करना क्रय निर्माण सामग्री की कीमत राशि ₹ 79.68 करोड़	29
3.9.2	निदेशक एवं पदेन संयुक्त शासन सचिव कोष एवं लेखा द्वारा कोष एवं उप कोष कार्यालयों के निरीक्षण के लक्ष्यों की प्राप्ति का अभाव	30
4.1	कम्प्यूटरीकृत वातावरण में राजकोष से किये गये दोहरे भुगतान की अनियमितताएं	31
4.1.1	एफ.वी.सी (परिपूर्ण अन्य व्यय) बिलों का दोहरे भुगतान राशि ₹ 2.15 लाख	31
4.1.2	पेंशनरों को मासिक दोहरे भुगतान राशि ₹ 1.21 लाख	32
4.1.3	कार्मिकों के वेतन का दोहरा भुगतान राशि ₹ 8.43 लाख	32
4.2	आई.एफ.एम.एस. 3.0 सिस्टम सुदृढ़ नहीं होने के कारण वेतन का अनियमित अग्रिम भुगतान राशि ₹ 126.50 लाख	32
4.3	कार्मिकों के वेतन एवं पेंशनरों को पेंशन राशियों के मरणोपरांत अनियमित भुगतान की अनियमितताएं	33
4.3.1	आई.एफ.एम.एस. के अंतर्गत पे मैनेजर मोड्यूल पर ऑटो सेलेरी डिसबर्समेंट सिस्टम द्वारा कर्मचारी के मरणोपरांत भी वेतन बिल बनाया जाना एवं अनियमित भुगतान किया जाना राशि ₹ 0.87 लाख	33
4.3.2	आई.एफ.एम.एस. के अंतर्गत IFPMS मोड्यूल पर सिस्टम द्वारा पेंशनर के मरणोपरांत अनियमित भुगतान किया जाना राशि ₹ 18.44 लाख	34
4.4	आई.एफ.एम.एस. के अंतर्गत पे मैनेजर मोड्यूल पर ऑटो सेलेरी डिसबर्समेंट सिस्टम द्वारा महंगाई भत्ते का 100 % की गलत दर प्रभारित करने के कारण अधिक भुगतान किया जाना राशि ₹ 5.02 लाख	34
4.5	आई.एफ.एम.एस. के अन्तर्गत पे-मैनेजर द्वारा पूर्व के माहों की बकाया सेलेरी बनाते समय चालू समय के मूल वेतन एवं भत्तों की दरें लिये जाने से अधिक भुगतान राशि ₹ 2.28 लाख	35
4.6	जी.पी.एफ. खाता में न्यूनतम मासिक अंशदान कटौती की निर्धारित राशि से कम राशि जमा करना ₹ 10.10 लाख	36
4.7	एस.आई.पी.एफ. खाता में न्यूनतम मासिक अंशदान कटौती की निर्धारित राशि को IFMS सिस्टम में कार्मिक के मासिक मूल वेतन से मैपिंग नहीं करने के कारण मासिक अंशदान पेटे कम कटौती करना राशि ₹ 6.65 लाख	36
4.8	राजस्थान सरकार स्वास्थ्य स्कीम निधि में न्यूनतम मासिक अंशदान कटौती की निर्धारित राशि को IFMS सिस्टम में कार्मिक के मासिक मूल वेतन से मैपिंग नहीं करने के कारण मासिक अंशदान पेटे कम कटौती करना राशि ₹ 1.12 लाख	37

4.9	कर्मचारी के मासिक वेतन बिल बनाते समय शहरी क्षतिपूर्ति भत्ते की राशि को IFMS सिस्टम में कार्मिक के मासिक मूल वेतन से मैपिंग नहीं करने के कारण अधिक भुगतान राशि ₹ 24,160/-	38
4.10	पे-मैनेजर द्वारा राजकीय कार्यालयों के विद्युत व्यय के गत वित्तीय वर्ष के ऑटो एफ.वी.सी. बिल तैयार कर राजकोष पर स्वतः ही डीडीओ के प्रमाणन के बिना अगले वित्तीय वर्ष में ऑटो फॉरवर्ड होने से विद्युत बिलों के दोहरे भुगतान राशि ₹ 16.31 लाख	39
4.11	ऑटो सेलेरी सिस्टम सुदृढ़ नहीं होने के कारण कार्मिकों को मकान किराया भत्ता के रूप में अनियमित अधिक भुगतान ₹ 0.64 लाख	39
निष्कर्ष		40

कोषालयों के कार्यों की वार्षिक समीक्षा प्रतिवेदन 2024-25

भाग-1

1. परिचय

1.1 कोषागार की भूमिका

राजस्थान राज्य के समस्त कोषालय, निदेशक एवं पदेन संयुक्त शासन सचिव, कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर के प्रशासकीय नियंत्रण के अधीन कार्यरत हैं। समीक्षा वर्ष 2024-25 के प्रारम्भ की अवधि (दिनांक 01.04.2024 से 15.01.2025 तक की अवधि) के दौरान राज्य में कुल 56 कोषालय (खजाना) एवं 240 उप कोषालय (उप खजाना) राजस्थान सरकार के अधीन क्रियाशील रहे, जिनका विवरण [परिशिष्ट संख्या -1](#) में दर्शाया गया है।

किन्तु राजस्थान सरकार के वित्त (कोष एवं लेखा विभाग) की अधिसूचना क्रमांक: एफ.5/ बजट/ कोष सृजन/ 2023/6132-43/ दिनांक 15.01.2025 द्वारा पूर्व में जारी नवीन कोषालयों के गठन की अधिसूचना दिनांक 12.08.2023 में शामिल 07 कोषालयों (कोषालय अनूपगढ़, दूदू, गंगापुरसिटी, केकड़ी, नीमकाथाना, सांचौर और शाहपुरा) को निरस्त कर पुनः उप कोषालय बना दिया गया एवं इनके अधीनस्थ उप कोषालयों सहित सभी को पुनः पूर्व के मूल कोषालयों में शामिल कर दिये जाने से वर्तमान (दिनांक 15.01.2025 के बाद) में राजस्थान राज्य में केवल 49 कोषालय एवं उनके अधीनस्थ 248 उप कोषालय कार्यरत रख दिये गये, जिनका विवरण [परिशिष्ट संख्या -2](#) में दर्शाया गया है। इन सभी कोषालयों/ उप कोषालयों में वर्ष के दौरान कुल 33,337 आहरण-संवितरण अधिकारियों के प्राप्ति एवं भुगतान सम्बन्धी लेन-देन हेतु राजकीय लेखे खुले हुए रहे, जिसका कोषालय वार विवरण [परिशिष्ट संख्या -3](#) में दर्शाया गया है।

वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान 03 जिला मुख्यालयों (जयपुर, जोधपुर व उदयपुर) पर कार्यरत मुख्य कोषालयों के अलावा 07 अतिरिक्त कोषालय कार्यरत है, जिसका विवरण [परिशिष्ट संख्या -4](#) में दर्शाया गया है।

इस कार्यालय द्वारा संशोधित वार्षिक कार्य योजना के अनुसार वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान राज्य के 54 कोषालयों एवं 50 उप कोषालयों व निदेशक, कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर अर्थात् कुल 105 ईकाईयों का निरीक्षण हेतु चयन किया गया था एवं इन सभी चयनित ईकाईयों के निरीक्षण कार्य को दिनांक 31 मार्च 2025 तक पूर्ण करा लिया गया, जिसका विस्तृत विवरण [परिशिष्ट संख्या-5](#) में दर्शाया गया है।

1.2 संगठनात्मक सेट अप

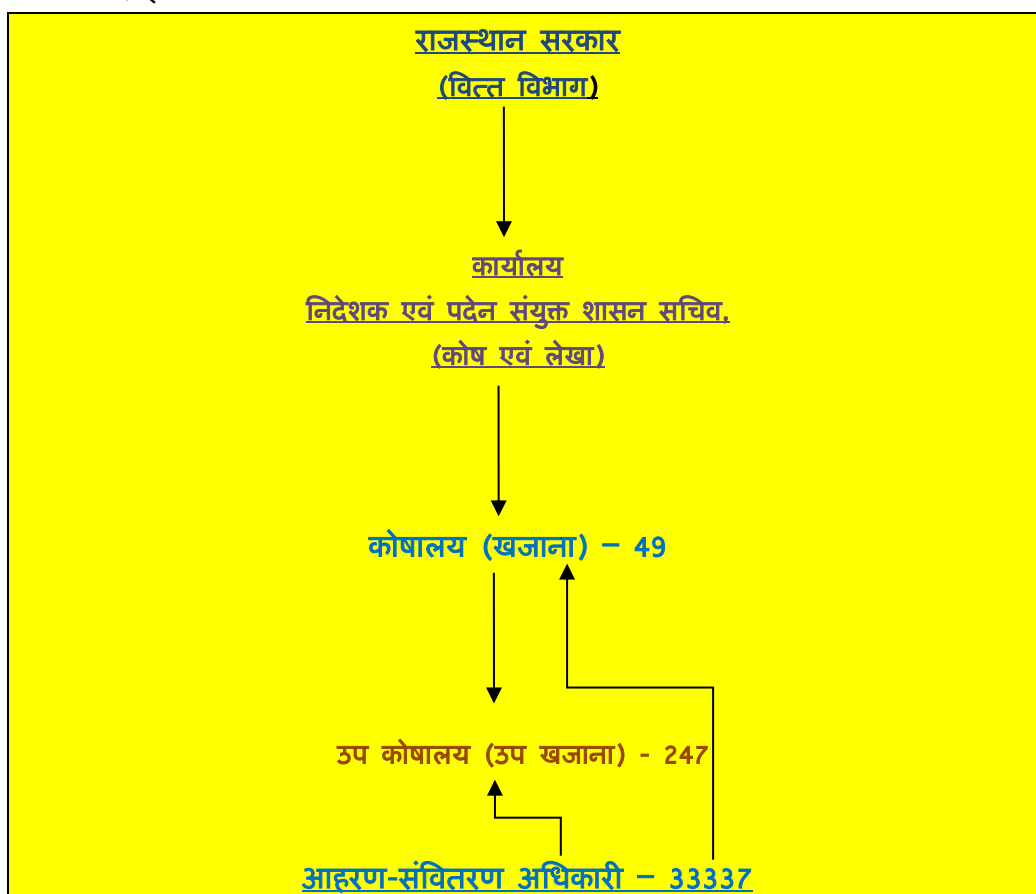
राजस्थान राज्य में निदेशक एवं पदेन संयुक्त शासन सचिव, निदेशालय, कोष एवं लेखा, वित्त विभाग के अधीन राज्य सरकार के वित्तीय लेखांकन तथा नियंत्रण के लिए उत्तरदायी है। निदेशालय द्वारा इस प्रक्रिया के अन्तर्गत कोषालयों (ई-कोषालय, जयपुर व भुगतान एवं लेखाधिकारी, नई दिल्ली तथा साईबर कोषालय सहित) एवं उप कोषालयों पर तकनीकी एवं वित्तीय नियंत्रण रखना, वित्तीय प्रबंधन प्रणाली का संचालन करना, वित्त विभाग को मार्गोपाय स्थिति की नवीनतम जानकारी उपलब्ध कराना इत्यादि प्रमुख कार्य किये जाते हैं।

प्रत्येक कोषाधिकारी कोषालय के संचालन के लिए कलक्टर के साथ संयुक्त रूप से रोकड़, मुद्रांक आदि और अन्य राजकीय सम्पत्ति की सुरक्षित अभिरक्षा के लिए उत्तरदायी है साथ ही कोषाधिकारी के रूप में उसके कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए वह अन्य कार्यालयों/ विभागों से

आहरण व संवितरण अधिकारी की पदीय हैसियत में व्यवहार (राजकीय लेन-देन) करने तथा निदेशालय, कोष एवं लेखा के प्रति कोष के लेखों को नियमों में वर्णित और समय-समय पर जारी निर्देशों के अनुरूप कठोरता पूर्वक संधारित कर प्रधान महालेखाकार कार्यालय को प्रेषित करने तथा समस्त प्रारम्भिक अभिलेखों, वाउचर्स की शुद्धता व कोषालय में होने वाले सारे संव्यवहारों की सटीकता व निरंतरता के लिए उत्तरदायी होता है।

प्रायः प्रत्येक तहसील मुख्यालय पर सभी निहित शक्तियों के साथ एक उप कोषालय होता है। उप कोषालय राजस्थान लेखा सेवा के अधीनस्थ सहायक लेखाधिकारी के प्रभार में होता है। उप कोषाधिकारी कर्तव्यों, उचित आचरण और नियमों की पालना के लिए संबंधित कोषाधिकारी के प्रति उत्तरदायी होता है। उप कोषाधिकारी उप कोषालय से संबंधित उन समस्त कर्तव्यों के लिए उत्तरदायी होता है, जो कि कोषाधिकारी द्वारा कोषालय संचालन के लिए अपेक्षित हैं।

वर्तमान में वित्त विभाग, राजस्थान सरकार के अधीन कार्यरत निदेशालय (कोष एवं लेखा) का संगठनात्मक सेट अप व कोषालयों/ उप कोषालयों पर प्रशासकीय नियंत्रण एक नजर में निम्न प्रकार है:-



1.3 कोषालयों में स्वीकृत, कार्यरत व कम्प्यूटर में प्रशिक्षित अधिकारियों / कर्मचारियों की स्थिति का विवरण

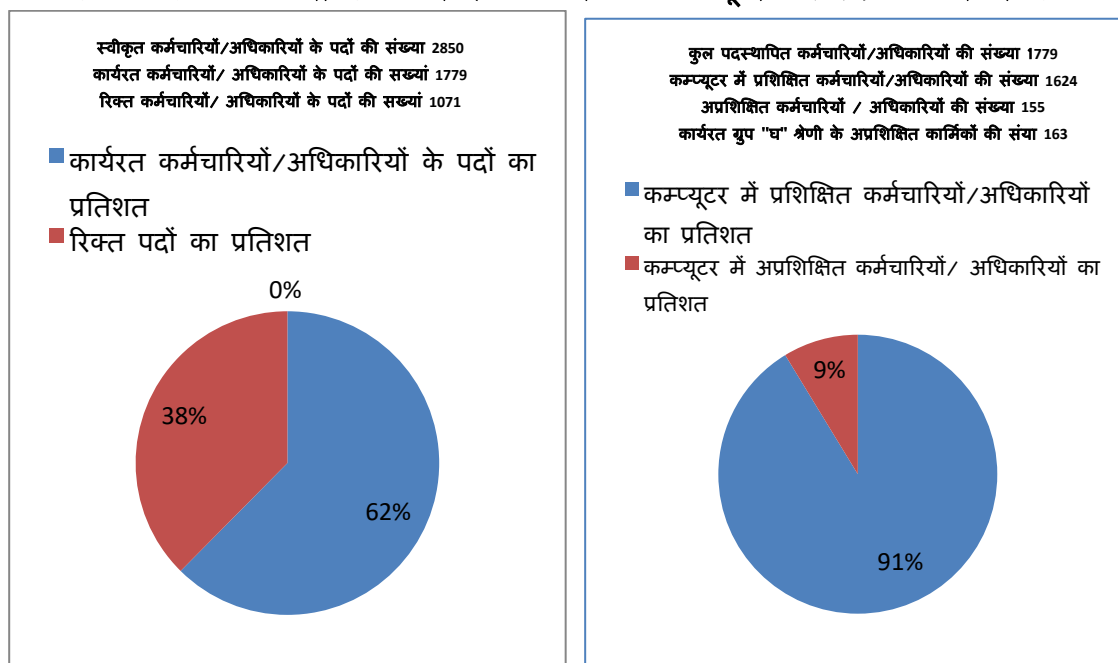
1.3.1 राजस्थान राज्य स्थित कोषालयों व उप कोषालयों में कुल स्वीकृत 2850 पदों के विरुद्ध वर्ष 2024-25 के दौरान केवल 1779 पदों (163 ग्रुप 'घ' सम्मिलित है) पर ही कर्मचारी / अधिकारी कार्यरत रहे ।

1.3.2 इन कार्यरत 1779 कार्मिकों में से 1355 कार्मिकों को एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (IFMS) में प्रशिक्षण प्राप्त था एवं शेष 424 कार्मिकों में से 261 कार्मिक IFMS में अप्रशिक्षित रहते हुए भी कोषालयों/उप कोषालयों में पदस्थापित थे तथा 163 कार्मिक गुप "घ" श्रेणी के पद पर पदस्थापित होने के कारण उनके लिये एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (IFMS) में प्रशिक्षित होना आवश्यक नहीं था।

राजस्थान राज्य के कोषालयों/उप कोषालयों में अधिकारियों/कर्मचारियों के स्वीकृत पदों की संख्या, वास्तविक रूप से कार्यरत/पदस्थापित अधिकारियों/कर्मचारियों की संख्या एवं कार्मिकों के रिक्त रहे पदों की संख्या तथा उनमें से कम्प्यूटर में प्रशिक्षित/अप्रशिक्षित कार्मिकों की संख्या का विस्तृत विवरण [परिशिष्ट संख्या -6](#) में दर्शाया गया है तथा एक नजर में स्थिति की जानकारी नीचे [चार्ट संख्या 1](#) में प्रदर्शित है :-

(चार्ट संख्या 1)

कोषालयों व उप कोषालयों में कार्यरत अधिकारियों/ कर्मचारियों की कम्प्यूटर में प्रशिक्षण की स्थिति एक नजर में



1.4 कम्प्यूटरीकरण

राजस्थान सरकार के द्वारा वर्ष 2024-25 के दौरान कोषालयों/उप कोषालयों की स्थिति में दिनांक 15.01.2025 को किये गये परिवर्तन के कारण क्रियाशील रहे कोषालयों/उप कोषालयों की संख्या सम्पूर्ण वित्तीय वर्ष में एक समान की बजाय अलग-अलग रहीं। राज्य में दिनांक 15.01.2025 तक कुल 56 कोषालय व 240 उप कोषालय कार्यरत रहे एवं इसके बाद 07 कोषालयों को निरस्त कर पुनः उप कोषालय बनाने से केवल 49 कोषालय व 247 उप कोषालयों को क्रियाशील रखा गया। कार्यरत रहे कोषालयों/उप कोषालयों के नाम व संख्या का अवधि वार विवरण [परिशिष्ट संख्या-1](#) एवं [परिशिष्ट संख्या -2](#) में दर्शाया गया है।

राज्य के उप कोषाधिकारियों के द्वारा निष्पादित किये जाने वाले दैनिक लेन-देनों के कम्प्यूटीकृत लेखों को संबंधित कोषाधिकारी के कार्यालय में ऑनलाईन प्रस्तुत किया जाता है तथा कोषाधिकारी द्वारा स्वयं के कार्यालय में निष्पादित किये गये दैनिक लेन-देनों व अधीनस्थ उप कोषालयों से प्राप्त दैनिक लेन-देनों के लेखों से बजट शीर्ष वार कम्प्यूटीकृत मासिक लेखा तैयार करवाकर प्रधान महालेखाकार (लेखा व हकदारी) के कार्यालय को आई.एम. सर्वर पर ऑनलाईन प्रस्तुत किया जाता है।

इस प्रकार एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (IFMS) के अन्तर्गत NIC द्वारा विकसित किये गये विभिन्न Modules के माध्यम से राजकीय लेन-देन की प्रक्रिया का निष्पादन करते हुए राज्य के सभी कोषालयों के द्वारा प्रधान महालेखाकार (लेखा व हकदारी) कार्यालय के अन्तर्गत संधारित वाउचर लेवल कम्पाइलेशन (VLC) में आई.एम. सर्वर पर कम्प्यूटीकृत मासिक लेखे ऑनलाईन प्रस्तुत किये जाते हैं।

1.5 भुगतान वाउचरों का मासिक विवरण

राज्य सरकार के विभिन्न विभागों/ कार्यालयों के कुल 33,337 आहरण-संवितरण अधिकारियों के द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान राज्य के विभिन्न कोषालयों व अधीनस्थ उप कोषालयों के माध्यम से राजकीय लेन-देनों के कार्यों का निष्पादन किया गया एवं कोषाधिकारियों के द्वारा भेजे गये मासिक लेखाओं के साथ में कुल 42,47,584 व्यय (भुगतान) वाउचरों को संलग्न कर आई.एम. सर्वर पर प्रधान महालेखाकार (लेखा व हक.) कार्यालय को उपलब्ध कराया गया, जिनका श्रेणी वार एवं माह वार विवरण एक नजर में निम्नलिखित है:-

(श्रेणी वार एवं माह वार वाउचरों की संख्या)

Category of Vouchers	April 2024	May 2024	June 2024	July 2024	August 2024	Sept. 2024	Oct. 2024	Nov. 2024	Dec. 2024	Jan. 2025	Feb. 2025	March 2025	Grand Total
1 : Salary Bill	149313	220260	174900	160894	170644	158501	409614	104190	212140	180107	175756	180019	2296338
11 : Advance Contingency Bill (A.C Bill)	178	68	30	17	36	25	37	68	28	26	22	26	561
112 : Railway Warrants	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	2
13 : Grant-in-aid Bill	189	16	21	58	133	274	748	437	9704	17973	20634	80875	131062
18 : Debit of Suspense A/C	0	0	2	0	0	2	0	1	1	0	0	2	8
2 : Wages	139	423	229	106	68	26	8	0	0	1	0	1	1001
20 : Book Transfers	205	388	340	287	687	446	457	274	968	1101	1140	2860	9153
21 : PD Account Cheques	0	3	0	4	0	0	0	3	0	1	3	1	15
222 : csc	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	3
23 : Pension Bill	7857	13030	11838	11731	10191	11719	18696	13815	11513	12158	9611	6919	139078
3 : Minus Expenditure	2463	3867	3123	3409	3155	3258	3390	3028	3102	3505	4486	5241	42027
301 : Nill Payment Voucher	19	234	440	327	1303	402	671	232	0	0	0	0	3628
302 : Grant-in-aid	19	116	12	17	218	18	62	107	9	10	0	0	588

Category of Vouchers	April 2024	May 2024	June 2024	July 2024	August 2024	Sept. 2024	Oct. 2024	Nov. 2024	Dec. 2024	Jan. 2025	Feb. 2025	March 2025	Grand Total
313 : Grant_in_aid (UC not required)	1083	1932	3458	6475	7699	7069	8592	4752	246	2071	2431	1	45809
32 : Receipt Adjustment	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
36 : Works Department Vouchers	68707	24370	23935	15799	80323	23585	55214	20185	27318	36335	36371	77488	489630
37 : PRI Bills	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
4 : Travelling Allowance Bill	10890	4329	5962	3230	14441	8240	10917	5688	2669	8160	9357	11336	95219
40 : EKuber Refund	10	175	441	561	341	620	734	642	725	647	1409	1869	8174
5 : Medical Bill	220	229	124	101	353	221	217	234	213	142	231	464	2749
6 : Fully vouched Contingent Bill	58799	73236	67006	57930	74197	90833	91258	69407	82329	72289	108515	136738	982537
Grand Total	300091	342676	291861	260946	363791	305242	600615	223063	350965	334526	369967	503841	4247584

भाग- 2

2. कोषालयों द्वारा प्रेषित लेखों के संकलन और जाँच के दौरान पाई गई त्रुटियाँ एवं अन्य कमियाँ

2.1 मासिक लेखों का विलम्ब से प्रस्तुतीकरण

राजस्थान कोषागार नियमावली 2012 के नियम 209 में वर्णित प्रावधानानुसार प्रत्येक कोषाधिकारी द्वारा किये गये राजकीय लेन-देनों के मासिक लेखाओं को तैयार कर निर्धारित तिथि तक प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हक.) कार्यालय को प्रस्तुत किये जाने चाहिए।

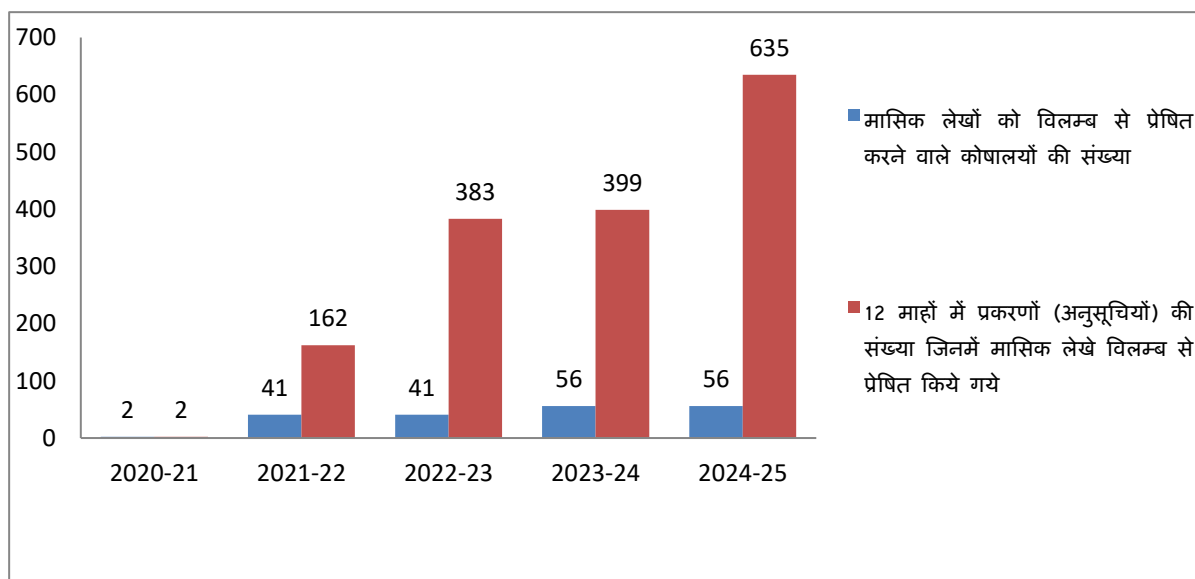
शासन सचिव , वित्त (बजट) विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जारी आदेश क्रमांक: एफ.5(थ-75) डीटीए/ आईएफएमएस/कोषालय/1436-1491 दिनांक 31.05.2024 के माध्यम से समस्त कोषाधिकारियों को निर्देशित किया गया था, कि कोषालयों के दैनिक लेखों की जांच करने, नियमित रूप से लेखा संकलन कार्य में आ रही तकनीकी कठिनाईयों से निदेशालय कोष एवं लेखा तथा एनआईसी को अवगत कराने एवं नियमित रूप से दैनिक लेखा (T+3 के आधार पर) व मासिक लेखों की प्रथम सूची उसी माह की 15 तारीख तक एवं द्वितीय सूची आगामी माह की 05 तारीख तक प्रेषित किये जाने हेतु कोषाधिकारी व्यक्तिशः उत्तरदायी है।

मासिक लेखों के विलम्ब से प्रस्तुत करने के कारण प्रधान महालेखाकार कार्यालय के स्तर पर किये जाने वाले लेखा-संकलन कार्य में विलम्ब की संभावना रहती है ।

राज्य में वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान राजकीय लेन-देनों हेतु अधिकृत सभी 56 कोषालयों के द्वारा विभिन्न माहों के मासिक लेखों की 326 प्रथम अनुसूचियाँ एवं 309 द्वितीय अनुसूचियों (कुल 635 अनुसूचियों) को प्रधान महालेखाकार कार्यालय को विलम्ब से प्रस्तुत किया गया, जिसका विस्तृत विवरण [परिशिष्ट संख्या -7](#) में दर्शाया गया है। इस संबंध में विगत पांच वर्षों की स्थिति की जानकारी एक नजर में नीचे [चार्ट संख्या-2](#) में प्रदर्शित है।

(चार्ट संख्या - 2)

कोषालयों द्वारा मासिक लेखों को विलम्ब से प्रस्तुत करने का विगत पाँच वर्षों का तुलनात्मक विवरण



उपरोक्त चार्ट संख्या-2 से यह स्पष्ट होता है कि कोषाधिकारियों द्वारा इस कार्यालय को प्रति माह प्रेषित की जाने वाली मासिक लेखों की प्रथम व द्वितीय अनुसूचियों को समय पर प्रस्तुत करने की पालना को गंभीरता से नहीं लिया गया एवं लेखाओं के प्रस्तुतीकरण से संबंधित विलम्ब के प्रकरणों की विगत 05 (पांच) वर्षों से निरंतर बढ़ोत्तरी हो रही है। यदि किसी प्रकार की

तकनीकी समस्या के कारण लेखे आई.एम.सर्वर या एन.आई.सी. के विकसित अन्य सिस्टम पर विलम्ब से प्रदर्शित हो रहे हों तो उक्त समस्या का सक्षम तकनीकी अधिकारी के स्तर से स्थाई समाधान कराया जाना अपेक्षित है।

प्रकरण निदेशक एवं पदेन संयुक्त शासन सचिव, कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर के ध्यान में लाया जाता है कि वे समस्त कोषाधिकारियों को, मासिक लेखों की दोनों अनुसूचियों को इस कार्यालय में प्रतिमाह निर्धारित समय पर भिजवाने हेतु निर्देशित करवाएं।

2.2 मासिक लेखों में अशुद्धियां

वर्ष 2024-25 के दौरान कोषालयों द्वारा गलत मैपिंग व मानवीय भूल के कारण गलत मद में वर्गीकृत किया गया, चालान मद 8443-108 में जमा होने के बजाय मद 8443-109 में जमा हो गया, डेबिट मद में कार्यालय का गलत नाम अंकित हो गया तथा डिवीजन द्वारा गलत हेड में राशि को डेबिट किया गया जिस कारण टी.ई. भेजकर सुधार करवाया गया। जिसके फलस्वरूप लेखाओं में किये गये गलत शीर्ष के वर्गीकरण को सही शीर्ष में वर्गीकृत करने हेतु कुल 337 हिसाब शोधन पत्र (टी.वाई.65) प्राप्त हुए, जिनका विस्तृत विवरण **परिशिष्ट संख्या-8** में दर्शाया गया है।

अतः निदेशक एवं पदेन संयुक्त शासन सचिव, कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर को लेख है कि ई-वातावरण में राज्य के कोषालयों के द्वारा प्रेषित मासिक लेखाओं में उपरोक्तानुसार हुई त्रुटियों की भावी रोक-थाम व नियंत्रित करने के लिए शासकीय लेन-देन के लिए विकसित IFMS में संचालित विभिन्न मोड्यूल्स की कार्य प्रणाली में परिपक्व सटीकता एवं सुदृढ़ चैक लागू किये जाने की अभी और आवश्यकता है।

2.3 लेखा शीर्ष 8782-102 “लोक निर्माण प्रेषण” एवं लेखा शीर्ष 8782-103 “वन लेखा प्रेषण” के खण्डीय कार्यालयों के द्वारा समाशोधन हेतु बकाया रहे चैकों एवं चालानों को प्रधान महालेखाकार कार्यालय में प्रस्तुत नहीं करना

राजस्थान राज्य में निर्माण कार्यों के निष्पादन के लिए संचालित विभिन्न खण्डीय कार्यालयों के द्वारा किये गये व्ययों से संबंधित मासिक लेखाओं को माह मार्च 2016 तक इस कार्यालय को सीधे ही प्रस्तुत किया जा रहा था, किंतु विशेष सचिव, राजस्थान सरकार वित्त (बजट) के द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक : एफ 1(3) एफडी/जीएफ एण्ड एआर/ 2014 दिनांक 18.03.2016 के माध्यम से उक्त प्रक्रिया में बदलाव करते हुए माह 04/2016 से इन निर्माण खण्डों के मासिक लेखों को संबंधित कोषालय के मासिक लेखाओं में सम्मिलित करने की नई व्यवस्था लागू की गई थी।

मुख्य लेखा शीर्ष 8782-102 “लोक निर्माण प्रेषण” के अन्तर्गत माह 03/2016 तक के मासिक लेखों में लोक निर्माण विभाग के विभिन्न 428 खण्डीय कार्यालयों द्वारा शीर्ष 8782-102-01 के अन्तर्गत सम्मिलित किये गये चालानों में से धनात्मक राशि ₹ 143.99 करोड़ व ऋणात्मक राशि ₹ 130.68 करोड़ के बकाया रहे चालानों को आवश्यक समाशोधन के लिए इस कार्यालय को प्रस्तुत नहीं किया गया। साथ ही 434 खण्डीय कार्यालयों के द्वारा शीर्ष 8782-102-02 के अन्तर्गत सम्मिलित किये गये चैकों में से धनात्मक राशि ₹ 210.75 करोड़ व ऋणात्मक राशि ₹ 170.45 करोड़ के बकाया रहे चैकों को भी आवश्यक समाशोधन के लिए इस कार्यालय को प्रस्तुत नहीं किया गया।

राज्य में वन विभाग के अधीन संचालित खण्डीय कार्यालयों के लिए भी उपरोक्त व्यवस्था लागू की गई थी। मुख्य लेखा शीर्ष 8782-103 “वन लेखा प्रेषण” के अन्तर्गत विभिन्न खण्डीय

कार्यालयों के लेखों में सम्मिलित किये गये गये चालानों एवं चैकों में से लेखा शीर्ष 8782-103-01 के अन्तर्गत 69 खण्डीय कार्यालयों के द्वारा धनात्मक राशि ₹ 3.30 करोड़ व ऋणात्मक राशि ₹ 3.24 करोड़ के चालानों को तथा लेखा शीर्ष 8782-103-02 के अन्तर्गत 53 खण्डीय कार्यालयों के द्वारा धनात्मक राशि ₹ 0.85 करोड़ व ऋणात्मक राशि ₹ 0.85 करोड़ के चैकों को माह 03/2025 के लेखे संवरण होने तक इस कार्यालय को आवश्यक समाशोधन हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया।

इस प्रकार माह 03/2016 तक के (माह 04/2016 से पूर्व के) मासिक लेखाओं से संबंधित समाशोधन के अभाव में उपरोक्तानुसार बकाया दर्शाई गई धनात्मक व ऋणात्मक राशियों के चालानों एवं चैकों को माह 03/2025 के लेखे संवरण होने तक विगत 09 वर्ष व्यतीत हो जाने के उपरांत भी इस कार्यालय को प्राप्त नहीं हुए।

प्रकरण निदेशक एवं पदेन संयुक्त शासन सचिव, कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर के ध्यान में लाया जाता है कि संबंधित कोषाधिकारियों को, खण्डीय कार्यालयों से सम्पर्क कर बकाया चैक्स व चालानों का समायोजन यथाशीघ्र कराने हेतु निर्देशित करें।

2.4 लेखा शीर्ष “8675- रिजर्व बैंक जमा” (राज्य) में बकाया रहे अंतरों के निराकरण का अभाव

मुख्य लेखा शीर्ष “8675- रिजर्व बैंक जमा (राज्य लेन-देन)” के अन्तर्गत सरकारी लेन देन करने वाली एजेंसी बैंकों से संबंधित माह 03/2025 तक के राज्य लेन-देन के लेखों के अन्तर्गत विभिन्न माहों के 03 प्रकरणों में कुल राशि ₹ 2,53,921.66 नामें (Dr.) के अन्तर उत्पन्न हो गये थे, जिनका भारतीय रिजर्व बैंक से प्राप्त होने वाले आवश्यक समायोजन अथवा कोषाधिकारी से प्राप्त होने वाले संशोधित आर.बी.डी. मानचित्र टी.वाई.65 सहित के अभाव में निराकरण नहीं किया जा सका। इन आर.बी.डी. अन्तरों का विस्तृत विवरण निम्नलिखित है:-

क्र. सं.	कोषालय का नाम	माह	एजेंसी बैंक व शाखा का नाम	बैंक के अनुसार आंकड़े (As per RBI)	कोषालय के आंकड़े	अंतर ₹
1	भरतपुर	Aug-24	PNB बुसावर	452461.00 Cr.	451293.00 Dr.	1168.00 Dr.
2	जयपुर (पेंशन)	Nov-24	SBI चांदी की टकसाल, आमेर रोड	15240607.34 Dr.	15258149.00 Cr.	17541.66 Dr.
3	सलूमबर	Mar-25	SBI सलूमबर	257118.00 Cr.	21906.00 Dr.	235212.00 Dr.
योग राशि ₹						2,53,921.66 Dr.

अतः निदेशक एवं पदेन संयुक्त शासन सचिव, कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर उपरोक्त रिजर्व बैंक जमा शीर्ष के अन्तरों के समायोजन/ निराकरण के लिए संबंधित एजेंसी बैंक व कोषाधिकारियों को आवश्यक निर्देश जारी करवाएं।

2.5 आहरण व संवितरण अधिकारियों द्वारा आहरित संक्षिप्त आकस्मिक व्यय बिलों के विस्तृत आकस्मिक व्यय बिल प्रस्तुत करने का अभाव राशि ₹ 29.79 करोड़

राजस्थान सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमावली भाग-1 के नियम 220 में वर्णित विभागों, कार्यालयों द्वारा नियम 219(iii)(a) के परिशिष्ट “ए” में वर्णित अधिकारियों को प्रदत्त वित्तीय सीमा में कार्य हेतु संक्षिप्त आकस्मिक व्यय बिलों (ए.सी. बिल) द्वारा राजकोष से धन राशि का आहरण किया जा सकता है जिसके विस्तृत आकस्मिक व्यय बिल (डी.सी. बिल) सामान्यतः एक माह, परन्तु किसी भी मामले में तीन माह से अधिक नहीं, की अवधि में कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा व हक.) राजस्थान, जयपुर को प्रस्तुत कर देने चाहिए। प्रत्येक माह की 10 तारीख के पश्चात् आहरण हेतु प्रस्तुत किए जाने वाले प्रथम ए.सी. बिल के साथ इस आशय का

प्रमाण-पत्र संलग्न किया जाना चाहिये कि पिछले माह में उठाये गये ए.सी. बिलों के डी.सी. बिल अमुक तारीख को कार्यालय, प्रधान महालेखाकार (लेखा व हक.) राजस्थान, जयपुर को प्रस्तुत कर दिए गए हैं।

इस कार्यालय द्वारा प्रतिमाह की जाने वाली निगरानी के अनुसार पाया गया कि 05 कोषालयों संबंधित विभिन्न विभागों के आहरण एवं संवितरण अधिकारियों के द्वारा माह मार्च 2025 तक आहरित किये गये 17 ए.सी. बिलों (अलवर-01, शासन सचिवालय (जयपुर)-08, जालौर-01, जोधपुर (शहर)-01, एवं उदयपुर (शहर)-06=17) की राशि ₹ 29,79,39,225/- के डी.सी. बिल इस कार्यालय को आवश्यक समायोजनार्थ प्रस्तुत नहीं किये गये थे, जिनका वर्ष वार विवरण निम्नानुसार है:-

माह 03/2025 के अंत में ए.सी. बिलों के विरुद्ध बकाया रहे डी.सी. बिलों का वर्ष वार व मुख्य शीर्ष वार विवरण				
क्र.सं.	वित्तीय वर्ष	मुख्य शीर्ष	बकाया आइटम	राशि ₹
1	1990-91	2202	1	30,000.00
2	2012-13	2245	1	1,03,50,000.00
3	2016-17	2051	1	2,00,000.00
4	2022-23	4210	1	10,08,05,681.00
5	2023-24	2051	6	57,88,600.00
6	2024-25	2250	4	18,00,00,000.00
7	2024-25	2013	1	25,000.00
8	2024-25	2204	1	2,53,312.00
9	2024-25	2210	1	4,86,632.00
कुल योग ₹			17	29,79,39,225.00

अतः निदेशक एवं पदेन संयुक्त शासन सचिव, कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर के ध्यान में लाया जाता है कि वे लम्बे समय से बकाया चल रहे ए.सी. बिलों की पहचान करने व उनके समायोजन हेतु डी.सी. बिल शीघ्र प्रस्तुत करने के लिए राज्य स्तर पर सीधी निगरानी की व्यवस्था करवाएं।

2.6.1 निजी निक्षेप खातों में भुगतान की आवश्यकता से अधिक धन जमा रखना

राजस्थान सामान्य एवं वित्तीय लेखा नियमावली के नियम 8 के अनुसार खजाने से पैसे निकालने के सामान्य सिद्धांतः

- (1) जब तक कि किसी कानून, नियम या आदेश द्वारा स्पष्ट रूप से अधिकृत न किया जाए जो कानून की शक्ति रखता हो, पैसे को वित्त विभाग की सहमति के बिना सरकार के खाते से किसी अन्य जगह निवेश या जमा करने के लिए नहीं हटाया जाएगा।
- (2) धन केवल तत्काल भुगतान की आवश्यकता के लिए निकाला जाएगा और किसी नियम के तहत या किसी सक्षम प्राधिकारी के सामान्य या विशेष आदेश द्वारा अधिकृत व्यय या भुगतान के लिए।
- (3) बजट ग्रांट की समाप्ति से बचने के लिए धन निकालने और ऐसे पैसे को *सार्वजनिक खाता या बैंक में जमा करने की प्रथा निषिद्ध है।*

राज्य सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान राज्य की संचित निधि से नियमानुसार राजस्व शीर्ष के माध्यम से राशि ₹ 21693.97 करोड़ तथा पूंजीगत शीर्ष के माध्यम से राशि ₹ 5253.00 करोड़ एवं ऋण/ अग्रिम शीर्ष के माध्यम से राशि ₹ 210.69 करोड़ अर्थात कुल राशि ₹

27157.66 करोड़ व्यय के रूप में आहरित की गई। राज्य सरकार द्वारा आहरित उक्त राशि को मुख्य बजट शीर्ष 8443-00-106-00-00 के अन्तर्गत कोषालयवार संधारित कराये जा रहे विभिन्न निजी निक्षेप खातों में से 829 निजी निक्षेप खातों में जमा / हस्तांतरण किया गया, जिसका विस्तृत विवरण **परिशिष्ट -9** में दर्शाया गया है।

मुख्य बजट शीर्ष 8443-00-106-00-00 के अन्तर्गत कोषालयवार संधारित किये जाने वाले निजी निक्षेप खातों में संचित निधि से राज्य सरकार द्वारा हस्तांतरण की गई उपरोक्त राशियों के अलावा संबंधित खाता धारक प्रशासकों के स्तर पर प्रति माह प्राप्त होने वाली विभागीय प्राप्ति की राशियां भी नियमानुसार संग्रहण व जमा की जाती है।

निजी निक्षेप खातों में जमा राशियों में से प्रत्येक खाता धारक प्रशासक द्वारा प्रति माह प्राप्त किये जाने वाले राजकीय दावों के अनुसार PRI पे-मैनेजर मोड्यूल में बिल तैयार कर संबंधित कोषालय के माध्यम से ऑटो भुगतान किये जाते हैं।

निजी निक्षेप खाता वार मासिक प्राप्ति एवं मासिक व्यय की सहायता से धन-ऋण ज्ञापन (प्लस-माईनस मीमों) तैयार कर संबंधित कोषाधिकारी द्वारा मासिक लेखे के साथ IM सर्वर पर इस कार्यालय (प्रधान महालेखाकार कार्यालय) को उपलब्ध कराये जाते हैं। इन धन-ऋण ज्ञापनों में कोषाधिकारी के द्वारा खाता वार पिछले माह के अंतिम शेष को चालू माह के प्रारम्भिक शेष में सम्मिलित करते हुए माह के दौरान हुई प्राप्ति को मिलाकर कुल प्राप्ति की राशि दर्शाई जाती है और माह के दौरान व्यय की गई राशियों को कम करने के बाद बचत रही राशि को संबंधित माह के अंतिम शेष के रूप में दर्शाने की सतत प्रक्रिया अपनाई जाती है।

राज्य के कोषाधिकारियों से निजी निक्षेप खातों के लेन-देनों के हिसाब के लिए इस कार्यालय को प्राप्त हुए उपरोक्त धन-ऋण ज्ञापनों की समीक्षा के दौरान पाया गया कि संचित निधि से मद वार / उद्देश्य वार प्राप्त हुई धन राशियों व विभागीय आय श्रोतों से मद वार संग्रहण की गई धन राशियों तथा मद वार व्यय की गई राशियों के आधार पर आय-व्यय का कोषाधिकारी एवं खाता धारक संस्था के प्रशासक के द्वारा कोई पृथक-पृथक हिसाब नहीं रखा गया। जिसके फलस्वरूप यह ज्ञात किया जाना संभव नहीं हो सका कि निजी निक्षेप खाते में संचित निधि से जमा कराई गई कुल राशि में से मद वार कितनी-कितनी राशियों का व्यय किया गया और मद वार बचत राशि कितनी-कितनी रहीं। जो कि उपरोक्त सामान्य एवं वित्तीय लेखा नियम के विपरीत निजी निक्षेप खाते में निषेद्ध रूप से जमा रखी गई।

अतः निदेशक एवं पदेन संयुक्त शासन सचिव, कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर के ध्यान में लाया जाता है कि लेखा शीर्ष 8443-00-106-00-00 के अन्तर्गत कोषालय वार संधारित निजी निक्षेप खातों में वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान संचित निधि से जमा (हस्तांतरण) कराई गई राशि और व्यय की गई राशि तथा दिनांक 31.03.2025 को प्राप्त खाता वार अन्तिम शेष की राशि में सम्मिलित संचित निधि की अनावश्यक मद वार बचत रखी गई राशि की संबंधित खाता धारकों से गणना करवाने के लिए कोषाधिकारियों को आवश्यक निर्देश जारी करवाएं एवं वस्तुस्थिति से इस कार्यालय को अवगत करवाएं।

2.6.2 निजी निक्षेप खातों के लिए प्रधान महालेखाकार कार्यालय में संधारित वृहद पुस्तिका एवं कोषालयों द्वारा प्रेषित प्लस- माईनस मीमों के अन्तिम शेषों के मध्य उत्पन्न धनात्मक अन्तर राशि ₹ 53.82 करोड़ व ऋणात्मक अन्तर राशि ₹ 2.84 करोड़ के निराकरण का अभाव

कार्यालय, महालेखाकार (लेखा व हक.) राजस्थान, जयपुर द्वारा निजी निक्षेप खातों की संधारित वृहद पुस्तिका व कोषालयों द्वारा प्रेषित धन ऋण ज्ञापन (Plus-Minus Memo) में दर्शाये गये आंकड़ों के मध्य माह मार्च 2025 तक के लेखों की समाप्ति के बाद 40 कोषालयों के 186 निजी निक्षेप खातों के अन्तर्गत राशि ₹ 53,81,96,877.20 के (+) धनात्मक एवं राशि ₹ 2,84,20,334.36 के (-) ऋणात्मक अंतर प्रकट हो रहे थे, जिनका कोषालय वार व खाता वार विवरण *परिशिष्ट संख्या -10* में दर्शाया गया है। संबंधित कोषाधिकारियों के द्वारा महालेखाकार कार्यालय की पुस्तकों के शेषों से अंक मिलान नहीं किये जाने के कारण इन अन्तरों का निराकरण नहीं किया जा सका।

अतः निदेशक एवं पदेन संयुक्त शासन सचिव, कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर कोषालयों को निर्देश जारी करें कि वे अपने प्रतिनिधि को आवश्यक अभिलेखों सहित इस कार्यालय में प्रत्येक माह अंक मिलान हेतु भिजवायें जिससे अंतरों का निराकरण हो सके ।

भाग- 3

3. कोषालयों एवं उप कोषालयों के निरीक्षण के दौरान पाई गई त्रुटियाँ और कमियाँ

3.1 वर्ष के दौरान निरीक्षण किए गए कोषालय एवं उप कोषालय

समीक्षा वर्ष 2024-25 के दौरान *परिशिष्ट संख्या -5* में वर्णित राजस्थान राज्य के 54 कोषालयों तथा 50 उप कोषालयों तथा निदेशालय, कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण किये गये कोषालयों एवं उप कोषालयों के अभिलेखों की नमूना जाँच के दौरान पायी गई मुख्य त्रुटियों/कमियों का विवरण आगामी पैराओं में दर्शाया गया है।

3.2 बकाया निरीक्षण प्रतिवेदन, आक्षेप तथा विलम्ब से प्राप्त अनुपालना

3.2.1 बकाया निरीक्षण प्रतिवेदन और आक्षेप :-

दिनांक 31 मार्च 2025 तक निस्तारण पंजिका के अनुसार बकाया निरीक्षण प्रतिवेदनों एवं आक्षेपों की स्थिति निम्न प्रकार थी:-

विवरण	निरीक्षण प्रतिवेदन	आक्षेप
प्रारम्भिक शेष (1.04.2024) वर्ष 2010-11 से बकाया	221	1114
नये सम्मिलित (वर्ष 2024-25)	43+1*=44	666
योग	265	1780
निपटान / निस्तारण (वर्ष 2024-25)	135	821
अन्तिम शेष (31.03.2025)	130	959

(*निदेशालय, कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर का निरीक्षण प्रतिवेदन सम्मिलित है)

उपरोक्त बकाया 130 निरीक्षण प्रतिवेदनों एवं 959 आक्षेपों में से 5 निरीक्षण प्रतिवेदन तथा 5 आक्षेप वर्ष 2011-12 से 2019-20 तक की अवधि के न्यायालय में विचाराधीन होने के कारण लंबित है।

3.2.2 प्रथम अनुपालना प्रतिवेदन प्राप्त न होना / विलम्ब से प्राप्त होना

वित्त (आर.एण्ड ए.आई.) विभाग, राजस्थान, जयपुर के पत्र संख्या एफ.5(27)/आर.एण्ड ए.आई./79 दिनांक 10.6.80 के द्वारा सभी कोषाधिकारियों को दिये गये निर्देशानुसार निरीक्षण प्रतिवेदन की प्रथम अनुपालना दो माह में कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हक.) राजस्थान, जयपुर को प्रस्तुत की जानी चाहिए।

समीक्षा वर्ष 2024-25 के दौरान अनुमोदित प्लान के अनुसार निरीक्षण किये गये सभी चयनित 54 कोषालयों एवं निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर को निरीक्षण प्रतिवेदन निर्धारित समय सीमा में जारी कर दिये गये थे, किन्तु इनमें से केवल 08 कोषालयों के द्वारा ही समय पर प्रथम अनुपालना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया एवं 23 कोषालयों के द्वारा माह जून, 2025 तक प्रथम अनुपालना प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया तथा शेष 24 कोषालयों के द्वारा 01 दिन से 06 माह 17 दिन तक के विलम्ब से प्रथम अनुपालना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया था, जिसका विवरण *परिशिष्ट संख्या -11* में दर्शाया गया है।

अतः निदेशक एवं पदेन संयुक्त शासन सचिव, कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर सभी कोषाधिकारियों को निर्देश प्रदान करें कि वे निरीक्षण प्रतिवेदनों की प्रथम अनुपालना सहित बकाया आक्षेपों की ठोस पालना समय पर भिजवाएं।

3.3 सिविल पेंशन

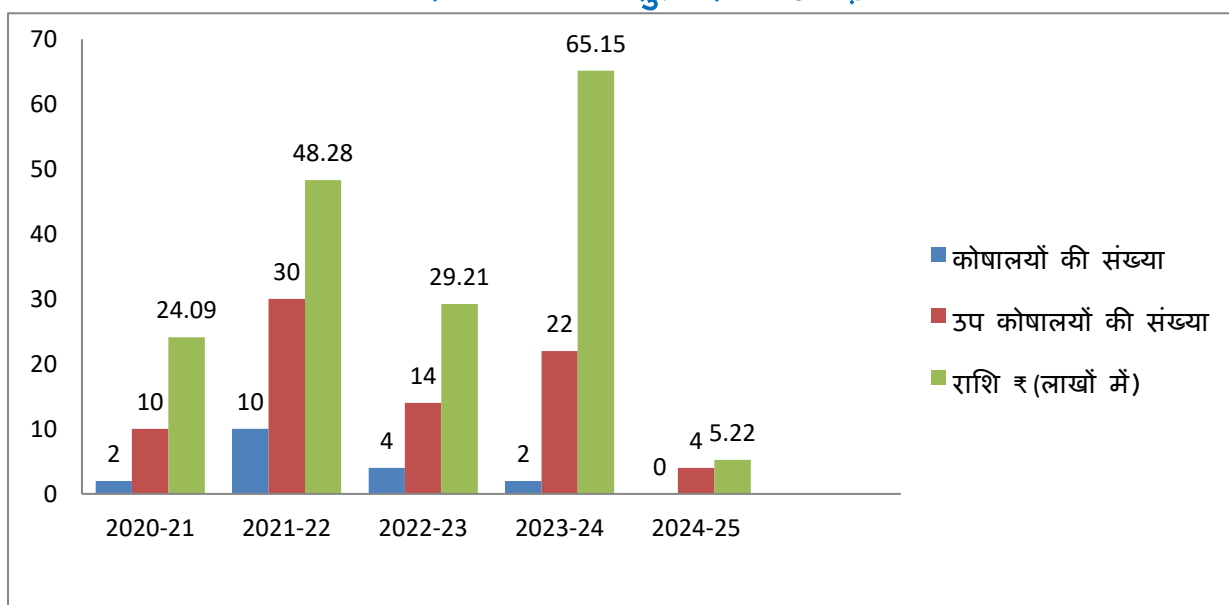
3.3.1 उपदान (ग्रेच्युटी) की राशि में से प्राधिकृति में दर्शाई गई कटौती / वसूली नहीं करने से अधिक भुगतान राशि ₹ 5.22 लाख

राजस्थान कोषागार नियमावली 2012 के नियम 190 (2) के अनुसार पेंशनर को उपदान भुगतान आदेश की स्वीकृति सकल राशि के साथ दर्शायी गयी विभागीय कटौती की वसूली करने के बाद ही उपदान की शुद्ध राशि का भुगतान किया जाना चाहिये।

राज्य के 04 उप कोषालयों के द्वारा संधारित उपदान (ग्रेच्युटी) भुगतान आदेशों की पत्रावलियों के निरीक्षण के दौरान पाया गया कि 14 पेंशनरों को भुगतान योग्य सकल उपदान राशि में से ₹ 5,21,594/- की कटौती कर निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग, राजस्थान, जयपुर एवं उसके अधीनस्थ क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा जारी उपदान भुगतान आदेश (GPO) में उल्लेखित बजट शीर्ष के माध्यम से राजकोष में जमा नहीं की गई और इन पेंशनरों को अधिक भुगतान कर दिया गया। पेंशनरों को किये गये अधिक भुगतान का विवरण **परिशिष्ट संख्या-12** में दर्शाया गया है व एक नजर में जानकारी **चार्ट संख्या-3** में दर्शायी गई है।

(चार्ट संख्या 3)

उपदान भुगतान आदेशों में दर्शायी गयी कटौती की वसूली नहीं करने से अधिक भुगतान के विगत पाँच वर्षों के तुलनात्मक आंकड़े



अतः निदेशक एवं पदेन संयुक्त शासन सचिव, कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर, समस्त कोषाधिकारियों को, उपदान भुगतान आदेश में दर्शायी गई विभागीय कटौती की राशि को उपदान राशि के भुगतान के लिए तैयार किये जाने वाले बिल से ही वसूली कर शुद्ध राशि का भुगतान किये जाने के निर्देश जारी करवाएं।

3.3.2 कार्मिक की मृत्यु पर मृत्यु उपदान राशि का निर्धारित राशि से अधिक भुगतान राशि ₹ 2.24 लाख

राजस्थान सिविल सेवा पेशन नियम 1996 के नियम 55(1)(ख) के अनुसार सरकारी कर्मचारी की मृत्यु पर 5 वर्ष या अधिक किन्तु 11 वर्ष से कम सेवा करने पर मासिक परिलब्धियों का 12 गुना मृत्यु उपदान राशि का भुगतान किया जायेगा।

कोषालय इंगरपुर के निरीक्षण के दौरान पाया गया कि श्री संदीप पाटीदार (एफ.पी.पी.ओ.संख्या 8103440 (R)SF) का 11 वर्ष की सेवा होने से पूर्व दिनांक 08/12/2020 को असामयिक निधन हो गया एवं स्व. श्री पाटीदार के निधन के समय उनका मूल मासिक वेतन ₹ 20,800/- प्रति माह था तथा मंहगाई राहत दर 17% की दर से ₹ 3,536/- देय थी। इस प्रकार श्री पाटीदार के निधन के समय उनकी कुल अन्तिम माह की परिलब्धियां ₹ 24,336/- (20800 + 3536) रहें।

मृतक उक्त कार्मिक की आश्रित पत्नी श्रीमती सध्या पाटीदार को नियमानुसार मृत्यु उपदान के रूप में राशि ₹ 2,92,032/- ($24336 \times 12 = 292032$) भुगतान करने योग्य थी, किन्तु उक्त पारिवारिक पेंशनर को मृत्यु उपदान के रूप में कोषाधिकारी के द्वारा कुल राशि ₹ 5,15,840/- का भुगतान किये जाने से मृत्यु उपदान के रूप में नियम विपरीत राशि ₹ 2,23,808/- ($515840 - 292032 = 223808$) का अधिक भुगतान कर दिया गया।

अतः निदेशक एवं पदेन संयुक्त शासन सचिव, निदेशालय, कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर को लेख है कि पारिवारिक पेंशनर को मृत्यु उपदान के रूप में उपरोक्तानुसार किये गये अधिक भुगतान की वसूली के लिए कोषाधिकारी इंगरपुर को आवश्यक निर्देश जारी करवाएं।

3.3.3 पारिवारिक पेंशनर को बढ़ी हुई दर से अनियमित भुगतान करने के कारण अधिक भुगतान राशि ₹ 177.76 लाख

राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) नियम 1996 के नियम 62 (क) एवं (ख) के अनुसार कार्मिक की सेवानिवृत्ति के बाद मृत्यु हो जाने पर उसके आश्रित को बढ़ी हुई दर से पारिवारिक पेंशन का भुगतान उस तारीख तक किया जायेगा, जिसको कि मृत सरकारी कर्मचारी यदि जीवित होता तो 67 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेता या मृत्यु की दिनांक से 07 वर्ष तक, इनमें से जो भी पहले हो तब तक किया जायेगा।

निरीक्षण के दौरान पाया गया कि 1 कोषालयों के द्वारा 73 पारिवारिक पेंशनरों को उपरोक्त नियमानुसार निर्धारित देय तिथि के बाद भी बढ़ी हुई दर से पेंशन को अनियमित रूप से चालू रख कर पारिवारिक पेंशन एवं उस पर मंहगाई राहत के रूप में राशि ₹ 1,77,75,719/- का अधिक भुगतान कर दिया गया, जिसका विवरण [परिशिष्ट संख्या-13](#) में दर्शाया गया है।

अतः निदेशक एवं पदेन संयुक्त शासन सचिव, कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर, को लेख है कि नियमानुसार निर्धारित देय तिथि के बाद बढ़ी हुई दर से पारिवारिक पेंशन पेटे किये गये अनियमित अधिक भुगतान की परिशिष्ट में वर्णित पेंशनरों से वसूली करने के लिए संबंधित कोषाधिकारियों को आवश्यक निर्देश जारी करवाएं।

3.3.4 मूल पेंशन पर अतिरिक्त पेंशन एवं अतिरिक्त भत्ता (Additional Pension & Additional Allownce on Original Pension) के भुगतान संबंधी पाई गई कमियां / अनियमितताएं

राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) नियम 1996 के नियम 54 (ए) के अनुसार पेंशनर्स / पारिवारिक पेंशनर्स के क्रमशः 80, 85, 90 एवं 100 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर उनको मूल पेंशन / पारिवारिक पेंशन पर क्रमशः 20%, 30%, 50% एवं 100% की दर से अतिरिक्त पेंशन का भुगतान किया जाना चाहिये।

राजस्थान सिविल सेवाएँ (पेंशन) (संशोधित) नियम 2023 के नियम 54(बी) के अनुसार माह अप्रैल 2023 से पेंशनर /पारिवारिक पेंशनर्स को 75 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर एवं 80 वर्ष की आयु होने तक 10% अतिरिक्त भत्ते के रूप में भुगतान किया जाना चाहिये, जिस पर महंगाई राहत का भुगतान देय नहीं होगा। इन्हीं आदेशों के क्रम में राज्य सरकार के द्वारा जारी अन्य आदेश के अनुसार अप्रैल 2024 से 70 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर एवं 75 वर्ष की आयु होने तक 5% अतिरिक्त भत्ते के रूप में भुगतान किया जाना चाहिये, जिस पर महंगाई राहत का भुगतान देय नहीं होगा। कोषालयों के निरीक्षण के दौरान अतिरिक्त पेंशन/भत्ता के भुगतान से संबंधित पाई गई अनियमितताएं निम्न प्रकार हैं:-

3.3.4.1 नियमानुसार देय तिथि से पूर्व अतिरिक्त पेंशन/भत्ते का अधिक भुगतान ₹ 3.33 लाख

पेंशन पत्रावलियों के निरीक्षण के दौरान पाया गया कि उपरोक्त नियमानुसार निर्धारित आयु सीमा पूर्ण किये बिना ही 04 कोषालयों के द्वारा 06 पेंशनरों को अतिरिक्त पेंशन/भत्ते के रूप में राशि ₹ 3,33,373/- का अनियमित अधिक भुगतान किया गया, जिसका विवरण निम्नानुसार है:-

क्र.स.	कोषालय का नाम	पेंशनर का नाम व पी.पी.ओ. संख्या	जन्म तिथि	मूल पेंशन पर अतिरिक्त पेंशन देय होने की तिथी	मूल पेंशन की मासिक दर राशि ₹	दी गई अतिरिक्त पेंशन/ भत्ता की दर (प्रतिशत)	दी गई अतिरिक्त पेंशन की अवधि व दर प्रतिशत	अदेय अतिरिक्त पेंशन/ भत्ता का अधिक भुगतान मय महंगाई राहत राशि ₹
1.	बीकानेर	श्रीमती सरला 600122 (R)	1950	2030	13200	20	09/2023 से 05/2024	35216
2.	प्रतापगढ़	मगन कंवर 39245 (R)	01.07.1943	01.07.2023	2184	20	01.02.2023 से 30.06.2023	15510
3.	सीकर	श्रीमती विमला देवी पी.पी.ओ. सं. 164551 (आर)	01.07.1946	01.07.2026	13590	20	14.08.2022 से 30.06.2023	40331
				01.07.2026	13590	30	01.07.2023 से 31.08.2024	84632
4	भीलवाड़ा	श्री पृथ्वीराज सैन /854924(आर) एसएफ़	01.07.1968	01.07.1948	11070/-	20%	01.02.2022 से 31.10.2024	104911
		श्रीमती सन्तु /857778(आर) एसएफ़	15.12.1969		8850/-	20%	01.06.2023 से 31.10.2024	44790
5.	प्रतापगढ़	श्रीमती भंवर कंवर पी.पी.ओ. सं. 560562(आर)	01.01.1949	01.01.2024	8867/-	10%	01.04.2023 से 31.12.2023	7983
योग ₹								3,33,373

3.3.4.2 पेंशन पोर्टल एवं पी.पी.ओ. में जन्म तिथि दर्ज नहीं होने के उपरान्त अतिरिक्त पेंशन का अनियमित भुगतान ₹ 4.86 लाख

पेंशन पत्रावलियों के निरीक्षण के दौरान पाया गया कि 03 कोषलयों के 05 पेंशनरों के पेंशन भुगतान आदेश (पी.पी.ओ.) एवं पेंशन पोर्टल पर जन्म तिथि दर्ज नहीं की गई। किन्तु बिना जन्म तिथि निर्धारण किये अतिरिक्त पेंशन का लाभ दिये जाने से राशि ₹ 4,86,457/- का अनियमित भुगतान किया गया, जिसका विवरण निम्नानुसार है -

क्र.सं	कोषालय का नाम	पेंशनर का नाम व पी.पी.ओ. संख्या	जन्म तिथि	मूल पेंशन पर अतिरिक्त पेंशन देय होने की तिथी	मासिक पेंशन	दी गई अतिरिक्त पेंशन की दर (प्रतिशत)	दी गई अतिरिक्त पेंशन की अवधि व दर प्रतिशत	अदेय अतिरिक्त पेंशन का अधिक भुगतान मय मंहगाई राहत राशि ₹
1	प्रतापगढ़	श्रीमती अनीसा बेगम 7858 R(SF)	--	--	3450	20%	01.05.2017 से 31.12.2017	5786
					8867	20%	01.01.2018 से 31.08.2020	63984
					9690	20%	01.09.2020 से 31.10.2023	97378
2.	डीडवाना कुचामन	श्रीमती रसल कंवर 114443 R(SF)	--	--	8867	30 %	01/2021 to 10/2023	121208
		श्रीमती बिदामी देवी 120176 (R) SF	--	--	8867	20%	01/2021 to 10/2023	80786
3.	भीलवाड़ा	श्रीमती वृज कंवर /21038 (R) SF	--	--	8867	20%	01.02.2021 से 31.12.2021	24324
		श्रीमती गीता देवी पत्नी स्व. श्री भुवाना 121613 (R) SF	--	--	8867/-	20%	01.04.2018 से 31.12.2021	92991
योग ₹								4,86,457

अतः अरिक्त पेंशन/भत्ते से संबंधित उपरोक्त सभी प्रकरणों के अन्तर्गत निदेशक एवं पदेन संयुक्त शासन सचिव, कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर को लेख है कि पेंशनरों को नियत तिथि से पूर्व अतिरिक्त पेंशन/ भत्ते प्रारम्भ कर किये गये अधिक भुगतान की वसूली कराने के लिए संबंधित कोषाधिकारियों को आवश्यक निर्देश जारी करवाएं।

3.3.5 सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने में पाई गई कमियां / अनियमितताएं

राज्य सरकार द्वारा सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों की अनुपालना में जारी ज्ञापन संख्या एफडी मीमो संख्या -एफ एण्ड 12 (6)एफडी/रूल्स/2017/पीटी-1 दिनांक 06.06.2018 में दिये गये निर्देशानुसार राज्य कर्मचारियों को देय पेंशन/पारिवारिक पेंशन दिनांक 01.01.2016 को नोशनल पेंशन पुनरीक्षित कर दिनांक 01.01.2017 से नगद भुगतान की जानी चाहिये।

3.3.5.1 सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुरूप जारी संशोधित अधिकृति की राशि से अधिक भुगतान राशि ₹ 9.56 लाख

सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों की अनुपालना में पेंशनरों को प्रति माह निर्धारित की गई नोशनल पेंशन से अधिक राशियों का भुगतान का किया गया, जिसका विवरण निम्नानुसार है:-

क्र. सं.	कोषालय/उपकोषालय का नाम	पेंशनर/ पारिवारिक पेंशनर का नाम एवं पी.पी.ओ. सं.	अवधि जिसमें पेंशन मय मंहगाई राहत का अधिक भुगतान किया गया	संशोधित अधिकृति के अनुसार देय मूल मासिक पेंशन राशि ₹	दी गई मासिक पेंशन राशि ₹	प्रति माह मूल पेंशन का अधिक राशि ₹	मूल पेंशन एवं मंहगाई राहत सहित कुल अधिक भुगतान राशि ₹
1	बांसवाडा	श्री जय प्रकाश पांड्या 566510 (आर)	03/21 से 03/23 04/23 से 06/23 07/23 से 12/23 01/24 से 03/24	25500 25500 25500 25500	31250 31250 31250 31250	5750 5750 5750 5750	298055
2	चित्तोड़गढ़	श्रीमती विद्या शर्मा/ 584026 (R)	01-08-2019 से 30-06-2024	31650	34937	3287	254340
	बेगूँ, चित्तोड़गढ़	श्रीमती घीसी बाई 554258 R(SF)	01-01-2017 से 30- 06-2024	8850	11334	2484	275142
3.	शाहपुरा	श्रीमति मीरा देवी 2000014 (आर)एसएफ	08.11.2021 से 30.09.2024	12660	14629	1969	97305
4.	डीडवाना कुचामन	श्रीमती दुलारी देवी पत्नी स्व. श्री राधेश्याम शर्मा 1066332 R(SF)	07.07.2023 से 10/2024	10590	11977	1387	31040
योग राशि ₹							9,55,882

3.3.5.2 सातवें वेतन आयोग के अनुसार पेंशन पुनरीक्षित नहीं करना

कोष कार्यालय बीकानेर द्वारा सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुरूप पेंशन के पुनरीक्षण के लिए प्री.2016 की कार्यवाही नहीं की गई और पेंशनरों को अभी भी 2.57 से गुणा कर सातवें वेतन आयोग के अधीन भुगतान की प्रक्रिया को चालू रखा जा रहा था, जिसका विवरण **परिशिष्ट संख्या-14** में दर्शाया गया है।

अतः निदेशक एवं पदेन संयुक्त शासन सचिव, कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर, को लेख है कि राज्य के विभिन्न कोषालयों में संधारित की जा रही समस्त पेंशन पत्रावलियों से संबंधित लीगेसी डेटा को सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार IFPMS पोर्टल पर अद्यतन कराने, कम/अधिक भुगतानों की वसूली/ भुगतान कराने की कार्यवाही पूर्ण करने के लिए समस्त कोषाधिकारियों को आवश्यक निर्देश जारी करवाएं।

3.3.6 पारिवारिक पेंशनरों को राजकीय सेवा में रहते पेंशन पर देय मंहगाई राहत का अनियमित भुगतान राशि ₹ 5.22 लाख

वित्त विभाग राजस्थान सरकार द्वारा जारी ज्ञापन सं.No.F-12(4)FD/Rules/2008 dated 27.06.2018 में दिये निर्देशानुसार राजस्थान सिविल पेंशन नियम 1996 के नियम 77 के उप-नियम (III) जिसमें वे पारिवारिक पेंशनर जो पुनः रोजगार या रोजगार में हैं उन्हें पारिवारिक

पेंशन पर मंहगाई राहत स्थगित रहेगा को निरस्त कर दिया गया है । यह नियम दिनांक 01.06.2018 से लागू होगा।

निरीक्षण के दौरान पाया गया कि 04 कोषालयों के द्वारा 04 पेंशनरों को नियम विरुद्ध दिनांक 31.05.2018 तक राशि ₹ 5,21,815/- का मंहगाई राहत के रूप में अधिक भुगतान किया गया, जिसका विवरण निम्नानुसार है:-

क्र.सं.	कोषालय/उपकोषालय का नाम	पारिवारिक पेंशनर का नाम एवं पी.पी.ओ. संख्या	अवधि	राशि रु.
1	जयपुर (शहर)	श्रीमती चंदा देवी 106061	02/2014 से 05/2018	205716
2	बीकानेर	श्रीमती अनिता केंवर 2007521	07.02.2018 से 31.05.2018	82799
3	चित्तोड़गढ़	श्रीमती प्रतिभा भारद्वाज पीपीओ संख्या 2007353 (SF)	01.04.2017 से 31.05.2018	160721
4	बूंदी	श्रीमती रेणु वर्मा 2014226(SF)	25.07.2016 से 31.05.2018	72579
योग राशि ₹				521815

अतः निदेशक एवं पदेन संयुक्त शासन सचिव, कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर, को लेख है कि उपरोक्त दर्शाई गई विसंगतियों के अनुसार राज्य के कोषालयों द्वारा संधारित सभी पेंशन पत्रावलियों की जांच एवं वसूली प्रक्रिया अपना कर पेंशन के लीगसी डेटा को अपडेट रखने हेतु समस्त कोषाधिकारियों को आवश्यक निर्देश जारी करवाएं।

3.3.7 सार्वजनिक बैंको से सिविल पेंशन पत्रावलियां प्राप्त / संग्रहित करने का अभाव

निदेशालय पेंशन एवं पेंशनर्स वेलफेयर विभाग राजस्थान जयपुर द्वारा समस्त कोषाधिकारियों के लिए जारी आदेश क्रमांक: निपेवि/पीसी/ई-कुबेर/2020-21/ 1746-1780-के दिनांक 17.12.2021 के अनुसार माह दिसम्बर 2021(भुगतान माह जनवरी 2022) से राज्य सरकार के सिविल/ सिविल पारिवारिक पेंशनरों को पेंशन के भुगतान संबंधी कार्य को सार्वजनिक के बैंकों से अधिग्रहण कर लिया गया और राज्य स्तरीय एकल डी.डी.ओ. के माध्यम से पेंशन भुगतान की नवीन व्यवस्था लागू की गई थी। राजकीय पेंशनरों की पेंशन की पत्रावलियों को सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों से प्राप्त कर संग्रहण व डेटा अद्यतन करने का दायित्व अधिकृत कोषाधिकारियों को सौंपा गया।

कोषालयों के लेखों के निरीक्षण के दौरान पाया गया कि विभिन्न कोषाधिकारियों के द्वारा राज्य सरकार के पेंशनरों की पत्रावलियों को सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों से प्राप्त कर कोषालय के भण्डारण व संग्रहण करने का कार्य पूर्ण नहीं किया गया, जिसका कोषालय वार विवरण निम्न प्रकार है:-

क्र.सं.	कोषालय का नाम	बैंक शाखा का नाम	जिला	कुल पेंशनर पत्रावली संख्या	बैंको से संग्रहण की गई कुल पेंशन पत्रावलिया	बैंको के पास शेष रही पेंशन पत्रावलिया
1	जयपुर (पेंशन)	समस्त बैंक	जयपुर	73575	28298	45277
2	झालावाड	समस्त बैंक	झालावाड	7974	7728	246
3	करौली	समस्त बैंक	करौली	7272	7031	241

4	शाहपुरा	समस्त बैंक	शाहपुरा	1726	1559	167
5	डीडवाना कुचामन	समस्त बैंक	डीडवाना कुचामन	2093	1896	197
6	इंगरपुर	समस्त बैंक	इंगरपुर	4674	3456	1218

अतः निदेशक एवं पदेन संयुक्त शासन सचिव, कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर, को लेख है कि पेंशन के भुगतान हेतु अधिकृत समस्त कोषाधिकारियों को राज्य सरकार के पेंशनरों की भुगतान पत्रावलियों को सार्वजनिक क्षेत्र की बैंकों से प्राप्त कर कोषालय के भण्डारण कक्ष में जमा करने के कार्य को पूर्ण करने हेतु आवश्यक निर्देश जारी करवाएं।

3.3.8 पेंशन के रूपान्तरण संबंधी अनियमितताएं

3.3.8.1 पेंशन के रूपान्तरण मूल्य के भुगतान की तिथि / रूपान्तरण भुगतान आदेश जारी की तिथि के तीन माह बाद से घटी दर की बजाय मूल पेंशन दर से रूपांतरण के रूप में पेंशनरों को अधिक भुगतान ₹ 11.68 लाख

राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन रूपांतरण) नियम 1996 के नियम 6 (1)(iii)(क) के अनुसार यदि पेंशनर किसी कोषागार से अपनी पेंशन प्राप्त कर रहा है, रूपांतरण के कारण पेंशन की राशि में कमी, पेंशन की रूपांतरित राशि प्राप्त करने की तारीख से या निदेशक, पेंशन व पेंशनर्स कल्याण विभाग के द्वारा पेंशन की रूपांतरित राशि के भुगतान हेतु ऑथोरिटी जारी करने के बाद तीन माह की समाप्ति पर, इनमें से जो भी पहले हो, लागू होगी।

कोषालयों / उप कोषालयों के अन्तर्गत पेंशन रूपांतरण आदेश (सी.पी.ओ.) की अधिकृतियों के निरीक्षण के दौरान पाया गया कि पेंशन रूपांतरण आदेश (सी.पी.ओ.) की अधिकृति जारी से तीन माह बाद की तिथि अथवा पेंशन रूपांतरण आदेश (सी.पी.ओ.) की अधिकृति के जरिये स्वीकृत की गई राशि के भुगतान की तिथि, इन दोनों में से जो भी पहले हो, की तिथि से घटी हुई दर से पेंशन भुगतान करने के स्थान पर मूल पेंशन दर (अधिक दर) से भुगतान किये जाने के कारण 04 कोषालयों तथा 12 उप कोषालयों द्वारा 39 पेंशनरों को देय राशि के अतिरिक्त राशि ₹11,68,240/- का अधिक भुगतान किया गया, जिसका विस्तृत विवरण परिशिष्ट संख्या -15 में दर्शाया गया है।

3.3.8.2 पेंशन के रूपान्तरण के बाद संबंधित पेंशनरों से पुनर्भरण की तिथि तक मासिक कटौती नहीं करने/कम किये जाने के कारण अधिक भुगतान राशि ₹ 10.23 लाख

राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) रूपान्तरण नियम 1996 के अन्तर्गत अध्याय V के नियम 29 के अनुसार एक पेंशनर जो सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त हो गया है तथा जिसने पेंशन रूपान्तरण नियमों के अधीन अपनी मूल पेंशन की अधिकतम एक तिहाई (1/3) भाग का रूपान्तरण करा लिया था तथा इन नियमों के प्रभावशील होने की तारीख को या उसके बाद रूपान्तरण की सम्बन्धित तारीख से 14 वर्ष पूर्ण होने की तिथि से अगले माह की पहली तारीख से पेंशन का रेस्टोरेशन किया जायेगा।

किन्तु 9 कोषालयों के द्वारा 19 पेंशनरों से पेंशन के रूपान्तरण की तिथि से 14 वर्ष पूर्ण होने से पूर्व ही रूपांतरण राशि की कटौती बंद कर दिए जाने / रूपांतरण राशि की मासिक कटौतियां पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं किये जाने के कारण विभिन्न पेंशनरों को राशि ₹ 10,23,084/- का अधिक भुगतान किया गया, जिसका विवरण परिशिष्ट -16 में दर्शाया गया है।

अतः इस संबंध में निदेशक, कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर संबंधित पेंशनरों से वसूली के साथ-साथ रूपांतरण पुनर्भरण की कटौती लागू करने व पुनर्भरण पूर्ण होने के बाद कटौती बंद करने की नियत तिथियों का पूर्ण ध्यान रखने के लिए राज्य के पेंशन भुगतान हेतु अधिकृत किये गये सभी कोषाधिकारियों / उप कोषाधिकारियों को आवश्यक निर्देश जारी करवाएं।

3.3.9 अवधि पार हुए उपदान भुगतान आदेशों का नवीनीकरण कराये बिना ही संबंधित पेंशनरों को अनियमित भुगतान करना ₹ 71429/-

राजस्थान कोषागार नियमावली 2012 के नियम 190(4) एवं निदेशालय पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग, राजस्थान जयपुर एवं उसके क्षेत्रीय कार्यालयों के द्वारा जारी किये जाने वाले उपदान भुगतान आदेश में नीचे दर्शाये गये बिन्दुओं में से बिन्दु संख्या 07 के अनुसार उपदान भुगतान आदेश जारी की गई तिथि से 12 माह ही भुगतान हेतु वैध रहता है।

कोषालयों के निरीक्षण के दौरान पाया गया कि उप कोषालय मसूदा (ब्यावर) के द्वारा पेंशनर श्री पारसमल जैन पी.पी.ओ. संख्या 1127111 (आर) के लिए जारी उपदान भुगतान आदेश संख्या 3220674 (आर) दिनांक 16.03.2021 राशि ₹ 71,429/- का अवधि पार हो जाने के उपरांत अनियमित भुगतान किया गया।

अतः निदेशक एवं पदेन संयुक्त शासन सचिव, कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर, अवधि पार हो चुके उपदान भुगतान आदेशों को सक्षम स्तर से नवीनीकरण कराये जाने की पालना के लिए संबंधित सभी कोषाधिकारियों को आवश्यक निर्देश जारी करवाएं।

3.3.10 आश्रित पुत्र की आयु 25 वर्ष पूर्ण होने के उपरान्त भी पेंशन बंद नहीं करने के कारण अधिक भुगतान राशि ₹ 6.03 लाख

राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) नियम 1996 के नियम 67 (ख) एवं पी.पी.ओं. में दर्ज क्र.सं. 10 के अनुसार सरकारी कर्मचारी/अधिकारी के पुत्र को 25 वर्ष की आयु पूर्ण होने, शादी करने एवं रोजगार, जो भी पहले हो, तक पारिवारिक पेंशन देय होती है।

पेंशन पत्रावलियों के निरीक्षण के दौरान पाया गया कि कोषाधिकारी बीकानेर द्वारा 01 प्रकरण में एवं कोषाधिकारी डीग के द्वारा 02 प्रकरणों में सरकारी कर्मचारी/ अधिकारी के आश्रित पुत्र की 25 वर्ष की आयु पूर्ण होने जाने के उपरान्त भी पेंशनरों को मासिक रूप से भुगतान की जा रही पेंशन को नियमानुसार निर्धारित तिथि के बाद बंद नहीं किया गया। जिसके फलस्वरूप इन दोनों कोषालयों द्वारा तीनों पेंशनरों को कुल राशि ₹ 6,03,142/- का अधिक भुगतान कर दिया गया, जिसका विवरण निम्नानुसार है:-

क्रम संख्या	कोषालय का नाम	पारिवारिक पेंशनर का नाम व जन्म तिथि	पी.पी.ओं संख्या	भुगतान की अवधि	पेंशन राशि का अधिक भुगतान
1	बीकानेर	श्री प्रणव आनंद मोदी 25.11.1997	2004167	25.11.2022 से 31.05.2023	99583
2	डीग	श्री घनश्याम 04.07.1997	2011704 (आर)	04.07.2022 से 30.09.2024	463656
		श्री जसमत सिंह 01.07.1999	2004156 (आर)	01.07.2024 से 30.09.2024	39903
योग ₹					6,03,142

अतः निदेशक एवं पदेन संयुक्त शासन सचिव, कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर, मृतक कर्मिकों के आश्रित पुत्रों को 25 वर्ष की आयु के पश्चात किये गये उपरोक्तानुसार अधिक भुगतान की वसूली के लिये संबंधित कोषाधिकारियों को आवश्यक निर्देश जारी करें।

3.4 व्यपगत जमायें

3.4.1 व्यपगत शेषों की सूची प्रस्तुत करने का अभाव

सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमावली भाग प्रथम के नियम 265 के अनुसार राशि ₹100/- तक की जमाएं जो कि एक पूर्ण लेखा वर्ष में अदावी रहने पर या अन्य जमाएं या अन्य शेष जिसमें छात्रों द्वारा जमा कराई गई कौशन राशि सम्मिलित करते हुए तीन पूर्ण लेखा वर्षों में अदावी रहने पर प्रत्येक मार्च लेखे की समाप्ति पर व्यपगत मानी जायेगी और उसे कोषाधिकारी द्वारा उचित खाते के राजस्व में जमा कर दिया जायेगा।

राजस्थान कोषागार नियमावली 2012 के नियम 114 के अनुसार प्रारूप टी.वाई.-7 में व्यपगत जमाओं की विवरण पंजिका, टी.वाई.-8 में जमाओं की प्राप्ति की एक्स्ट्रेक्ट पंजिका, टी.वाई.-9 में जमाओं के पुनर्भुगतान के शिड्यूल की एक्स्ट्रेक्ट पंजिका एवं टी.वाई.-10 में व्यक्तिगत जमाओं की प्राप्ति व जमा की पंजिका का संधारण किया जाना चाहिये।

राजस्थान के कोषालयों के मासिक लेखों में लेखा शीर्ष 8443-00-101- रेवन्यु डिपोजिट, 8443-00-103- सिवियरिटी डिपोजिट एवं 8443-00-104- सिविल कोर्ट डिपोजिट के अन्तर्गत अदावी रही जमा राशियों को प्रति वर्ष मार्च माह के लेखे बंद हो जाने के बाद व्यपगत योग्य राशियों की प्रत्येक कोषाधिकारी द्वारा सूची तैयार कर कार्यालय प्रधानमहालेखाकार (लेखा व हक.) को प्रेषित की जानी चाहिये एवं प्रधानमहालेखाकार कार्यालय की अनुमति उपरांत अदावी शेष की राशियों को उचित 'शीर्ष 0075-विविध सामान्य सेवाएं, 101-अदावाकृत जमाएं, 28- अन्य जमाएं' के अन्तर्गत लेखा हस्तांतरण किया जाना चाहिये ।

निरीक्षण के दौरान पाया गया कि 05 कोषालयों (इंगरपूर, जयपुर (पेंशन), झुन्झुनूं, राजसमंद एवं भुगतान व लेखाधिकारी नई दिल्ली) के द्वारा निक्षेप व उनके प्रतिशोधन पंजिका के लेखों का निर्धारित प्रपत्र में संधारण नहीं किया जा रहा है, जिससे व्यपगत योग्य जमाओं की नियमानुसार सूची तैयार कर इस कार्यालय को प्रेषित नहीं की गई।

अतः निदेशक एवं पदेन संयुक्त शासन सचिव, कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर उपर्युक्त कोषाधिकारियों को व्यपगत जमाओं की सूची तैयार कर अदावी शेषों को नियमानुसार व्यपगत किये जाने की कार्रवाई करने एवं निर्धारित प्रपत्र में जमा पंजिकाओं के संधारण हेतु प्रभावी निर्देश जारी करवाएं ।

3.5 निजी निक्षेप खाते

3.5.1 निजी निक्षेप खाता धारकों से 31 मार्च को शेष रही राशि के सहमति-प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं करना

राजस्थान कोषागार नियमावली, 2012 के नियम 99 के अनुसार कोषाधिकारी द्वारा प्रतिवर्ष अप्रैल माह में 31 मार्च को निजी निक्षेप खाते में शेष रही राशि का सहमति प्रमाण पत्र प्रत्येक निजी निक्षेप खाता के प्रशासक (खाताधारक) से प्राप्त करना चाहिए ।

निरीक्षण के दौरान पाया गया कि राज्य में निजी निक्षेप खातों के संधारण के लिए अधिकृत कुल 47 कोषाधिकारियों द्वारा लेखा शीर्ष 8443-00-106-00 के अन्तर्गत संधारित खातों के सहमति प्रमाण पत्र इस कार्यालय को प्रेषित किये गये, जिसमें से 43 कोषाधिकारियों के

अधीन 458 निजी निक्षेप खाता धारकों के द्वारा सहमति प्रमाण-पत्र तैयार कर संबंधित कोष कार्यालय को प्रस्तुत नहीं किये गए, जिसका खाता वार विवरण **परिशिष्ट संख्या -17** में दर्शाया गया है।

अतः निदेशक एवं पदेन संयुक्त शासन सचिव, कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर को लेख है कि निजी निक्षेप खातों के 31 मार्च को प्राप्त अंतिम शेष के सहमति-प्रमाण पत्रों को प्राप्त करने की कार्यवाही के लिए संबंधित कोषाधिकारियों को निर्देशित करें ।

3.5.2 कोषालय द्वारा संधारित लेजर एवं निजी निक्षेप खाता धारक संस्था की पासबुक के शेषों के उत्पन्न धनात्मक व ऋणात्मक अन्तरों के निराकरण का अभाव

राजस्थान कोषागार नियमावली, 2012 के नियम 99 के अनुसार कोषाधिकारी को प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में निजी निक्षेप खातों के शेषों के मिलान के लिए खाता धारकों से सहमति प्रमाण-पत्र प्राप्त किया जाना चाहिये । अंतर की स्थिति में यथा शीघ्र अंक मिलान कर अन्तर का निराकरण किया जाना चाहिये।

राज्य के 23 कोषालयों में लेखा शीर्ष 8443-00-106-00 के अन्तर्गत संधारित किये जा रहे विभिन्न 49 निजी निक्षेप खातों के प्रशासकों के द्वारा संबंधित कोषाधिकारी को माह मार्च 2025 के शेषों के सत्यापन हेतु प्रस्तुत किये गये सहमति प्रमाण पत्रों का मिलान करने पर पाया गया कि कोषालय के प्लस-माईनस मीमों व प्रशासकों से प्राप्त उक्त सहमति प्रमाण पत्रों में एक समान आंकड़े नहीं दर्शाये गये थे और इन आंकड़ों के मध्य अन्तर उत्पन्न हो रहे थे, जिसका विस्तृत विवरण संलग्न **परिशिष्ट संख्या -18** में दर्शाया गया है।

अतः निदेशक एवं पदेन संयुक्त शासन सचिव, कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर कोषालयों के निजी निक्षेप खातों एवं निजी निक्षेप खाता धारक संस्था की पासबुक के शेषों के मध्य प्रकट हुए अंतरों का अंकमिलान कर अन्तर के शीघ्र निराकरण के लिए संबंधित कोषाधिकारियों को निर्देशित करें ।

3.5.3 निष्क्रिय निजी निक्षेप खातों को बंद किये जाने का अभाव

राजस्थान कोषागार नियमावली 2012 के नियम 98 के अनुसार ऐसे व्यक्तिगत जमा खाते (ब्याज रहित/एकीकृत व्यक्तिगत जमा खाता-ब्याज रहित) से कोई निकासी की अनुमति नहीं दी जाएगी, जिसका संचालन पूरे वित्तीय वर्ष तक नहीं हुआ हो। इस अवधि के बाद ऐसे खाते को सिस्टम द्वारा स्वतः निष्क्रिय (निष्क्रिय) कर दिया जाएगा।

हालांकि, कोषागार अधिकारी ऐसे निष्क्रिय व्यक्तिगत जमा खातों में लेन-देन की अनुमति दे सकता है, जिनके खाताधारकों ने लिखित रूप में/ऑनलाइन सिस्टम के माध्यम से संचालन न करने के लिए उचित कारण बताए हों।

प्रत्येक वर्ष अप्रैल माह के दौरान कोषागार अधिकारी अपने नियंत्रणाधीन कोषागार और उप कोषागारों में संचालन में ऐसे गैर-ब्याज वाले व्यक्तिगत जमा खातों की समीक्षा करेगा, जो पिछले दो वित्तीय वर्षों से लगातार निष्क्रिय रहे हैं। सिस्टम स्वचालित रूप से सिस्टम अलर्ट और अधिसूचना के साथ सूची प्रदर्शित करेगा।

इस कार्यालय द्वारा संधारित वृहद पुस्तिकाओं के अनुसार कोषाधिकारी बीकानेर के द्वारा लेखा शीर्ष 8443-00-106-00-00 के अन्तर्गत जिला प्रबंधन परियोजना (RGAVP) ईकाई, बीकानेर के निजी निक्षेप खाता संख्या 6689 के अन्तर्गत माह मार्च 2022 में अन्तिम लेन-देन किया गया था और उक्त खाता में दिनांक 31 मार्च 2025 को अन्तिम शेष के रूप में ऋणात्मक

(-) शेष राशि ₹ 39,35,000/- जमा होना दर्शाया गया है। कोषाधिकारी बीकानेर के द्वारा उक्त खाता में उपलब्ध ऋणात्मक (-) शेष का निराकरण कर नियमानुसार बंद करने की कार्यवाही नहीं की गई।

अतः निदेशक एवं पदेन संयुक्त शासन सचिव, कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर उक्त अप्रचलित/ निष्क्रिय निजी निक्षेप खाता में उपलब्ध ऋणात्मक (-) शेष का निराकरण एवं नियमानुसार बंद करने के लिए कोषाधिकारी बीकानेर को निर्देशित करें।

3.5.4 डिपोजिटरी निजी निक्षेप खातों में संग्रहित जमाओं से संबंधित अनियमितताएं

3.5.4.1 नेशनल पेंशन प्रणाली (न्यू पेंशन स्कीम) के लिये संधारित निजी निक्षेप खाते में जमा राशि को ट्रस्टी बैंक में जमा करवाकर रिकार्ड कीपिंग एजेंसी नेशनल सिक्युरिटी डिपोजिटरी लिमिटेड (NSDL) को डेटा प्रेषित करने का अभाव ₹ 14.30 करोड़

राजस्थान सरकार, राज्य बीमा एवं प्रावदायी निधि विभाग, राजस्थान, जयपुर के द्वारा जारी नवीन पेंशन अंशदायी योजना (NPS) / भारत सरकार द्वारा दिनांक 01.04.2004 से लागू की गई नेशनल पेंशन प्रणाली (NPS) की कार्य प्रणाली (दिशानिर्देशिका) में दर्शाई गई विस्तृत प्रक्रिया के अनुसार संबंधित जिला अधिकारी के द्वारा कोषालय में संधारित निजी निक्षेप खाते में जमा राशि का विवरण नेशनल सिक्युरिटी डिपोजिटरी लिमिटेड (NSDL) को प्रस्तुत करते हुए राजकीय कार्मिकों के मासिक वेतन से प्राप्त अंशदान की राशि को प्रतिमाह ट्रस्टी बैंक के खाते में जमा कराया जाना चाहिये।

प्रधान महालेखाकार (लेखा व हक.) कार्यालय द्वारा राज्य के विभिन्न कोषाधिकारियों के माध्यम से निजी निक्षेप खातों के लिए प्रति माह धन-ऋण ज्ञापनों (प्लस-माईनस मीमों) प्राप्त किये जाते हैं। जिसके अनुसार नवीन पेंशन अंशदायी योजना के दिशा-निर्देशों की पालना में कार्मिकों के मासिक वेतन बिलों से मासिक अंशदान कटौतियों की प्राप्त राशियों को प्रत्येक जिला कोषालय स्तर पर संधारित यूनिक निजी निक्षेप खाता संख्या 479 में जमा करने और उक्त जमा राशियों को आहरण कर ट्रस्टी बैंक प्रेषण करने कार्य नियमित रूप से किया जाता है।

निजी निक्षेप खाता संख्या 479 के अन्तर्गत दिनांक 31.03.2025 को अन्तिम शेष के रूप में राशि ₹ 14,29,70,575.20 जमा होना पाई गई। इससे संबंधित सभी 44 कोषाधिकारियों द्वारा उक्त खाता से जमा राशियों को आहरण कर ट्रस्टी बैंक के खाते में जमा कराने व उक्त राशि का विवरण नेशनल सिक्युरिटी डिपोजिटरी लिमिटेड (NSDL) को प्रस्तुत करने की कार्यवाही नहीं की गई, जिसका विवरण **परिशिष्ट संख्या -19** में दर्शाया गया है।

अतः निदेशक एवं पदेन संयुक्त शासन सचिव, कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर नवीन पेंशन अंशदायी योजना के निजी निक्षेप खाते में जमा की गई राशि को ट्रस्टी बैंक के अधिकृत खाते में जमा कराने/ उपलब्ध शेषों का नियमानुसार निस्तारण कराने एवं ट्रस्टी बैंक के खाते में जमा कराई जाने वाली राशि का विवरण नेशनल सिक्युरिटी डिपोजिटरी लिमिटेड (NSDL) को प्रेषित करने का कार्य समय पर पूर्ण करने हेतु संबंधित कोषाधिकारियों को निर्देश जारी करवाएं।

3.5.4.2 निजी निक्षेप खाता संख्या 471 से राशियों का आहरण कर भारतीय जीवन बीमा निगम को संबंधित कार्मिकों के खातों में जमा करने हेतु प्रेषित करने का अभाव ₹ 67.35 करोड़

राज्य सरकार के कर्मचारियों/अधिकारियों के वेतन से जीवन बीमा प्रीमियम की कटौती जमा करने हेतु राज्य के प्रत्येक कोषालय द्वारा निजी निक्षेप खाता संख्या 471 खोला गया है।

कार्मिकों के मासिक वेतन से प्राप्त होने वाली प्रीमियम की राशि को उक्त खाता में जमा कराने के बाद प्रतिमाह राशि एकमुश्त आहरण कर भारतीय जीवन बीमा निगम के कार्यालय को प्रेषित करने की कार्यवाही की जाती है और भारतीय जीवन बीमा निगम के द्वारा कोषालय से प्राप्त राशि को पॉलिसी धारक कार्मिकवार खोले गये खातों में जमा कर ली जाती है।

वित्तीय वर्ष 2024-25 के अन्त में दिनांक 31.03.2024 को दर्शाये गये अन्तिम शेष के अनुसार राज्य के सभी 47 कोषालयों के द्वारा पॉलिसी धारक कार्मिकों के मासिक वेतन से प्रीमियम के रूप में कटौती कर निजी निक्षेप खाता संख्या 471 में जमा की गई राशि में से ₹67,34,68,385.58 के अन्तिम शेष की राशि को एकमुश्त आहरित कर भारतीय जीवन बीमा निगम को भेजा जाना बकाया दर्शाया गया, इससे यह स्पष्ट होता है कि पॉलिसी धारक कार्मिकवार खोले गये खातों में प्रीमियम राशि को निर्धारित समय में जमा नहीं कराया गया, जिसका कोषालयवार विवरण **परिशिष्ट संख्या-20** में दर्शाया गया है।

अतः निदेशक एवं पदेन संयुक्त शासन सचिव, कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर पॉलिसी धारक कार्मिकों के प्रीमियम की राशि भारतीय जीवन बीमा निगम को प्रेषित कराने हेतु संबंधित कोषाधिकारियों को निर्देश जारी करें।

3.6 मुद्रांकों के भण्डारण एवं विक्रय प्रक्रिया से संबंधित अनियमितताएं

3.6.1 कोषालय बांसवाड़ा के स्टॉक रूम से राशि ₹ 52388511/- के मूल्य के स्टाम्प की कमी/गबन का पाया जाना।

निरीक्षण के दौरान संज्ञान में आया है कि कोषालय बांसवाड़ा के स्टॉक रूम में रखे गये मुद्रांकों (Stamps) के भौतिक सत्यापन हेतु स्वयं कोषाधिकारी की अध्यक्षता में दिनांक 29.02.2024 को समिति का गठन किया गया। समिति द्वारा दिनांक 02.03.2024 से दिनांक 11.03.2024 तक मुद्रांकों का भौतिक सत्यापन किया गया। मुद्रांकों के उक्त सत्यापन के दौरान ऑनलाईन दर्ज स्टॉक (भण्डार) एवं भौतिक रूप से उपस्थित (उपलब्ध) मुद्रांकों की संख्या में भिन्नता पाई जाने पर उक्त अन्तर के निराकरण के लिए दिनांक 14.03.2024 को समिति का गठन किया गया। अन्तर निराकरण समिति के द्वारा दिनांक 24.04.2024 को कोषाधिकारी बांसवाड़ा को जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया। निष्कर्ष के तौर पर कोषालय के स्टॉक रूम में राशि ₹5,23,88,511/- के मूल्य के मुद्रांक स्टॉक रूम में कम होना पाये गये।

प्रकरण में कोषाधिकारी बांसवाड़ा के द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 98 दिनांक 30.04.2024 पुलिस थाना बांसवाड़ा में दर्ज कराई जा चुकी है।

प्रकरण में जारी न्यायिक जांच की राज्य सरकार के सक्षम स्तर से सुदृढ़ व तथ्यात्मक पैरवी करवाकर राजकोष को पहुंचाये गये नुकसान की भरपाई व दोषी को दण्डित कराया जाना अपेक्षित है।

अतः निदेशक एवं पदेन संयुक्त शासन सचिव, कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर सीधी निगरानी रखकर उपरोक्त चोरी/ गबन के प्रकरण में सुदृढ़ पैरवी कराया जाने की अपेक्षा की जाती है।

3.6.2 अनुपयोगी / कम प्राप्त / कटे-फटे / अप्रचलित / मिसप्रिंट मुद्रांको के निस्तारण का अभाव राशि ₹ 96.77 लाख

राजस्थान कोषागार नियमावली 2012 नियम 246 के अनुसार कम पाये गये / कटे-फटे / अप्रचलित / मिसप्रिंट मुद्रांको के निस्तारण हेतु रिपोर्ट तैयार करवाकर संबंधित कोषाधिकारी द्वारा महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक, राजस्थान, अजमेर से उनके निस्तारण की कार्यवाई कराई जानी चाहिये।

मुद्रांक संबंधी अभिलेखों के निरीक्षण के दौरान 08 कोषालयों व 01 उप कोषालयों में राशि ₹ 96,77,173.50 के कम प्राप्त / कटे-फटे / मिसप्रिंट / अप्रचलित / अनुपयोगी मुद्रांक पाये गये थे, जिनकी संबंधित कोषाधिकारियों के द्वारा रिपोर्ट तैयार करवाकर महानिरीक्षक पंजीयन एवं मुद्रांक, राजस्थान, अजमेर से निस्तारण कराने की कार्यवाई माह जून, 2025 तक नहीं कराई गई। निस्तारण योग्य मुद्रांकों का कोषालय वार/ उप कोषालय वार विवरण निम्नलिखित है:-

क्र.सं.	कोषालय	कोषालय / उप कोषालय का नाम	कटे-फटे/ मिसप्रिंट/ अनुपयोगी/ कम प्राप्त मुद्रांकों का मूल्य राशि ₹	मुद्रांक की स्थिति जिसके कारण विक्रय नहीं किया जा सकता
1.	अजमेर	अजमेर	1577250	अप्रचलित, कटे / फटे एवं मिसप्रिंट/ कम-अधिक पाये गये
2.	जयपुर (शहर)	जयपुर (शहर)	2247663.50	अप्रचलित, कटे / फटे एवं मिसप्रिंट/ कम-अधिक पाये गये
3.	दौसा	महवा	1000	दो गैर न्यायिक मुद्रांक एक ही नंबर के
4.	बांसवाड़ा	बांसवाड़ा	187335	एनएससी, गैर न्यायिक मुद्रांक एवं न्यायिक मुद्रांको का निस्तारण नहीं किया गया।
5.	उदयपुर (शहर)	उदयपुर (शहर)	474875	अप्रचलित एवं निस्तारण योग्य गैर न्यायिक मुद्रांक
6.	बाड़मेर	बाड़मेर	5000000	कटे / फटे मुद्रांक
7.	धौलपुर	धौलपुर	3000	अमुद्रित एवं कम पाया जाना
8.	डुंगरपुर	डुंगरपुर	5000	डबल मुद्रित / कम-अधिक पाये गये
9.	भीलवाड़ा	भीलवाड़ा	181050	भारतीय गैर न्यायिक मुद्रांक
योग ₹			96,77,173.5	

अतः निदेशक एवं पदेन संयुक्त शासन सचिव, कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर को लेख है कि मुद्रांक भण्डार में कम प्राप्त / कटे-फटे / मिसप्रिंट / अप्रचलित / अनुपयोगी रखे गये मुद्रांकों के नियमानुसार सक्षम स्तर से निस्तारण कराने हेतु संबंधित कोषाधिकारियों को निर्देशित करें।

3.7 राज्य कार्मिकों को स्वीकृत दीर्घकालीन ऋण / अग्रिमों से संबंधित अनियमितताएं

3.7.1 भवन निर्माण ऋण के लिए खोले गये निजी निक्षेप खाता सं. 473 में जमा राशि का निस्तारण / समायोजन नहीं करना राशि ₹ 54.85 लाख

राज्य कर्मचारियों को दिनांक 31.03.2004 से पूर्व के गृह निर्माण हेतु स्वीकृत ऋण के लिये राज्य सरकार एवं स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर (वर्तमान में एस.बी.आई.) के मध्य दिनांक 17.03.2004 को हुए करार एवं वित्त (मार्गोपाय) विभाग के पत्रांक दिनांक 24.04.2004 के अनुसार कटौतियां जमा कराने हेतु मद 8443-00-106-00-00 में निजी निक्षेप खाता खोलने की स्वीकृति जारी की गई। कोषाधिकारियों के स्तर पर उक्त मद में खाता संख्या-473 खोला

जाने तथा प्राप्त कटौतियों की राशि को इस खाते में जमा कर डी.डी. / बैंक चैक द्वारा एस.बी.बी.जे. (वर्तमान में एस.बी.आई.) शाखा शासन सचिवालय, जयपुर को प्रेषित करने के निर्देश दिये गये। कोषाधिकारियों से प्राप्त राशि के विवरण से बैंक शाखा शासन सचिवालय के द्वारा ऋणी कार्मिक के व्यक्तिगत खाते में खतौनी की जानी थी।

एस.बी.बी.जे. शासन सचिवालय, जयपुर द्वारा एक सीमा के बाद ऋणी कार्मिकों के भवन ऋण के लेखा-जोखा को दर्शाने वाले निर्धारित 20 कॉलम प्रपत्र वापिस कर दिये एवं जिन कर्मचारियों के 20 कॉलम प्रपत्र वापिस किये गये उनके कोर बैंकिंग सोल्यूसन (CBS) के अन्तर्गत खाते नहीं खोले गये तथा 27 कोषालयों के अन्तर्गत उन नॉन कोर बैंकिंग सोल्यूसन खाताधारकों की कटौती की राशि ₹ 54,85,789.84/- को कोषालय वार खोले गये निजी निक्षेप खाता संख्या 473 में जमा किये जाने बाद राजकोष को पुनर्भरण नहीं किया गया। उक्त राशि का विवरण **परिशिष्ट संख्या -21** में दर्शाया गया है।

अतः निदेशक एवं पदेन संयुक्त शासन सचिव, कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर सक्षम प्राधिकारी के माध्यम से समस्त कोषालयों के स्तर पर निजी निक्षेप खाता संख्या- 473 में जमा राशि को राजकोष के संबंधित लेखा शीर्ष में जमा कराने के लिए कोषाधिकारियों को आवश्यक निर्देश जारी करवाएं ।

3.7.2 दिनांक 31.03.2004 के पश्चात एच.डी.एफ.सी. बैंक एवं एस.बी.बी.जे. (वर्तमान में एस.बी.आई) से राज्य सरकार के कार्मिकों को स्वीकृत कराये गये भवन ऋणों की मासिक कटौतियों से प्राप्त राशि बैंक खातों में जमा कराने का अभाव ₹ 2.05 करोड़

राज्य कर्मचारियों को दिनांक 31.03.2004 के पश्चात एच.डी.एफ.सी. बैंक से भवन निर्माण ऋण स्वीकृत कराने एवं ऋणी कार्मिकों के मासिक वेतन से बैंक द्वारा निर्धारित किश्तों की कटौती कर कोषालय स्तर पर लेखा शीर्ष 8443-00-106-00-00 में खोले गये निजी निक्षेप खाता संख्या 475 एवं एस.बी.बी.जे. (वर्तमान में एस.बी.आई.) से स्वीकृत कराये गये भवन ऋणों को खाता संख्या 474 में जमा करने तथा इन दोनों निजी निक्षेप खातों से प्रतिमाह राशियों का आहरण कर सम्बद्ध बैंक में ऋणी कार्मिक वार खोले गये बैंक खातों में जमा कराने की व्यवस्था की गई थी।

निजी निक्षेप खाता संख्या 475 व 474 की समीक्षा के दौरान पाया गया कि दिनांक 31.03.2025 को समाप्त वित्तीय वर्ष 2024-25 के अन्त में निजी निक्षेप खाता संख्या 475 के अन्तर्गत 45 कोषालयों में राशि ₹ 1,10,47,253/- व निजी निक्षेप खाता संख्या 474 के अन्तर्गत 22 कोषालयों के द्वारा राशि ₹ 94,56,006.78 जमा होना पाई गई। उक्त राशियों को आहरण कर भारतीय स्टेट बैंक को प्रेषित नहीं किया गया, जिससे बैंक द्वारा ऋणी कार्मिक वार खोले गये खातों में उक्त राशि की खतौनी नहीं की जा सकी।

निजी निक्षेप खाता संख्या 475 व 474 में दिनांक 31.03.2025 को अंतिम शेष के रूप में जमा रही राशियों का विवरण **परिशिष्ट संख्या - 22** में दर्शाया गया है।

अतः निदेशक एवं पदेन संयुक्त शासन सचिव, कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर को लेख है कि उपर्युक्त निजी निक्षेप खातों में जमा राशियों को आहरित कर ऋणी कार्मिकों के संबंधित बैंक खातों में जमा कराने व कोष कार्यालय सिरोही व बूंदी द्वारा जमा राशि से किये गये अधिक आहरण राशि का पुनर्भरण कराने हेतु कोषाधिकारियों को निर्देशित जारी करवाएं।

3.7.3 दीर्घकालीन ऋणों के लिए वृहद् पुस्तिका के संधारण का अभाव/अपूर्ण संधारण

राजकीय अधिकारियों /कर्मचारियों को प्रदान किये गये दीर्घकालीन ऋण (वाहन व भवन ऋण) से संबंधित लेखा प्रणाली की दिशा-निर्देशिका के बिंदु 5.7 के अनुसार वृहद् पुस्तिका का संधारण किया जाना चाहिये तथा बिंदु 5.12 के अनुसार ब्रॉडशीट में मासिक योग लगाकर उसका मिलान कोषालय लेखा से करना चाहिये।

दीर्घकालीन ऋणों से संबंधित अभिलेखों की जांच के दौरान पाया गया कि कोषालय जयपुर(शहर), बीकानेर, बांसवाडा, चित्तोड़गढ़, अजमेर, प्रतापगढ़, भरतपुर तथा करौली के द्वारा राजकीय कर्मचारियों को दिये गये दीर्घकालीन ऋणों के लेखों के रख-रखाव के लिए वृहद् पुस्तिका का परिपूर्ण संधारण नहीं किया गया था एवं न ही ब्रॉडशीटों का मासिक योग लगाकर कोषालय के लेखों से मिलान किया गया था। जिसके फलस्वरूप ऋणी कार्मिक वार स्वीकृत ऋणों के पुनर्भरण पेटे प्राप्त हो चुकी व बकाया राशियों की जानकारी ज्ञात करना आसान नहीं हो पाती है।

अतः निदेशक एवं पदेन संयुक्त शासन सचिव, कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर संबंधित कोषाधिकारियों को दीर्घकालीन ऋणों की वृहद् पुस्तिकाओं का संधारण पूर्ण करवाने हेतु निर्देशित करें।

3.7.4 ऋणी कार्मिकों से प्राप्त आवेदनों का समय पर निस्तारण कर अदेयता प्रमाण- पत्र जारी नहीं करना

दीर्घकालीन ऋणों के लिये जारी लेखा प्रणाली की दिशा-निर्देशिका के बिंदु 9.3 के अनुसार ऋणी कार्मिक की मासिक किश्तों का चुकारा हो जाने के उपरांत अदेयता प्रमाण- पत्र जारी करने की प्रक्रिया दी गई है।

दिनांक 31.03.2004 से पूर्व स्वीकृत किये गये दीर्घकालीन ऋणों से संबंधित ऐसे ऋणी कार्मिकों, जिनकी मासिक किश्तों का चुकारा हो गया है और अदेयता प्रमाण-पत्र प्राप्त करने हेतु उनके द्वारा संबंधित कोषालय में आवेदन पत्र प्रस्तुत किये गये थे, किंतु संबंधित कोषालय द्वारा ऋणी कार्मिकों से प्राप्त आवेदन पत्रों की भलिभांति जांच कर नियमानुसार अदेयता प्रमाण-पत्र जारी करने की प्रक्रिया धीमी होने के कारण निरीक्षण दिनांक तक 13 कोषालयों में प्राप्त हुए 205 आवेदन पत्रों का निस्तारण किया जाना बकाया था, जिनका कोषालय वार विवरण निम्नलिखित है:-

क्र.सं.	कोषालय का नाम	बकाया की तिथि (निरीक्षण दिनांक)	बकाया आवेदन पत्रों की संख्या	ऋण का प्रकार
1.	बीकानेर	13 06 2024	12	भवन ऋण
			02	वाहन ऋण
2	बांसवाडा	25.06.2024	11	भवन ऋण
3.	उदयपुर (ग्रामीण)	30.06.2024	07	भवन ऋण
4.	चित्तोड़गढ़	25.07.2024	12	भवन ऋण
			17	वाहन ऋण
5	झालावाड	10.09.2024	02	भवन ऋण
6	अजमेर	31.07.2024	04	भवन ऋण
			14	वाहन ऋण
7	करौली	18.10.2024	05	भवन ऋण
			02	वाहन ऋण
8	डुंगरपुर	31.10.2024	31	भवन ऋण
			03	वाहन ऋण
9		31.10.2024	14	भवन ऋण

क्र.सं.	कोषालय का नाम	बकाया की तिथि (निरीक्षण दिनांक)	बकाया आवेदन पत्रों की संख्या	ऋण का प्रकार
	भीलवाड़ा		51	वाहन ऋण
10	जोधपुर (ग्रामीण)	26.03.2025	01	वाहन ऋण
11	जयपुर (शहर)	09.05.2024	03	भवन ऋण
			01	वाहन ऋण
12	प्रतापगढ़	12.06.2024	07	भवन ऋण
			01	वाहन ऋण
13	भरतपुर	18.06.2024	04	भवन ऋण
			01	वाहन ऋण
योग			205	

अतः निदेशक एवं पदेन संयुक्त शासन सचिव, कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर इन दीर्घकालीन ऋणों की लेखा प्रणाली की दिशा-निर्देशिका के बिंदु 9.3 की अनुपालना में ऋणी कार्मिकों को नियमानुसार अदेयता प्रमाण-पत्र जारी करने व कार्मिकों से प्राप्त आवेदनों का त्वरित निस्तारण करने के लिए संबंधित कोषाधिकारियों को निर्देशित करवाएं।

3.8 सुरक्षित कक्ष के संचालन व जमा कीमती सामग्री/सील्ड पैकेट्स से संबंधित अनियमितताएं

3.8.1 विभागीय अधिकारियों द्वारा कोषालय के सुरक्षित कक्ष में जमा करवाई गई बहुमूल्य वस्तुओं/सील्ड पैकेटों को संबंधित अधिकारियों को लौटाने का अभाव

राजस्थान कोषागार नियम 2012 के नियम 118 के अनुसार कोषागार में बहुमूल्य सामग्री पर्याप्त सुरक्षा में अभिरक्षित की जायेगी जिसकी चाबियाँ कोषाधिकारी या उसके द्वारा लिखित आदेश से सौंपे गये कार्यभार के दायित्वाधीन अधिकारी के पास रहेगी, जो कि उक्त सामग्री के सुरक्षा संबंधी समस्त नियम एवं तत्समय प्रभावी आदेशों की पालना के प्रति उत्तरदायी होगा। सभी बहुमूल्य सामग्री को सूचीबद्ध कर निर्धारित प्रारूप टी.वाई.-11 में पंजिका का संधारण किया जायेगा। नियम 120 के अनुसार बहुमूल्य सामग्री जमा कराने वाले कार्यालय के प्रमुख द्वारा प्रति वर्ष अप्रैल माह में उक्त सामग्री का वार्षिक भौतिक सत्यापन कर उस पर नई सील लगाई जायेगी। यदि किसी अधिकारी द्वारा लगातार पांच वर्षों तक उसके द्वारा जमा कराये गई बहुमूल्य सामग्री / सील्ड पैकेट्स का भौतिक सत्यापन नहीं किया जाता है तो सक्षम अधिकारी से अनुमति प्राप्त कर उक्त सामग्री मूल विभाग को लौटाई जा सकेगी।

निरीक्षण के दौरान पाया गया कि कोषालय जयपुर (शहर), बीकानेर, चित्तोड़गढ़, भरतपुर, दौसा व डुंगरपुर में संधारित पंजिका में सूचीबद्ध बहुमूल्य वस्तुओं/सील्ड पैकेटों का कई वर्षों से भौतिक सत्यापन नहीं किया गया है, फिर भी इन्हें नियमानुसार संबंधित अधिकारियों को अभी तक नहीं लौटाया गया है।

अतः निदेशक एवं पदेन संयुक्त शासन सचिव, कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर उपर्युक्त कोषालयों के सुरक्षित कक्ष में जमा बहुमूल्य सामग्री/ सील्ड पैकेट्स का वार्षिक भौतिक सत्यापन सुनिश्चित कराने एवं पांच वित्तीय वर्ष से अधिक समय से भौतिक सत्यापन नहीं करने वाले विभागों की जमा सामग्री वापिस लौटाने की कार्यवाई पूर्ण करवाकर पालना सुनिश्चित करवाएं।

3.8.2 सोने व चाँदी के आईटमों के निस्तारण का अभाव

राजस्थान कोषागार नियमावली 2012 के नियम 122 के नीचे दी गई टिप्पणी संख्या 02 के अनुसार कोषालय जयपुर (शहर) को रिजर्व कोषागार घोषित किया गया है। जब्त किये गये या अन्य प्रकार से प्राप्त सोने, चाँदी, हीरे इत्यादि सामान जो कि सामान्य व अपराधिक मामलों में न्यायालय के निर्णय से राजकीय सम्पत्ती घोषित की जा चुकी हो , उनको जमा करने हेतु रिजर्व कोषागार अधिकृत है।

कोषालय जयपुर (शहर) में संधारित अभिलेखानुसार वर्तमान में *रिजर्व कोषागार में 29011.227 ग्राम सोना तथा 972746.876 ग्राम चाँदी रखी हुई है।* वित्त विभाग के निर्देशानुसार बहुमूल्य सामग्री का कोषालय द्वारा दो प्रकार से वर्गीकर किया गया है। पुरा कला महत्व की ऐसी सामग्री जो पुरातत्व विभाग को हस्तांतरित की जानी है तथा ऐसी सामग्री जिसे मुम्बई स्थित भारत सरकार की टकसाल में भेजकर शुद्ध धातु में परिवर्तित कराया जाकर मोनेटाईज कराया जाना है। पुराकला महत्व की सामग्री को छोड़कर शेष सामग्री का कोषालय द्वारा मूल्यांकन तो करवा लिया गया, उक्त सामग्री का माह मई 2025 तक नियमानुसार निस्तारण नहीं कराया गया है।

अतः निदेशक एवं पदेन संयुक्त शासन सचिव, निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान जयपुर को लेख है कि कोषाधिकारी जयपुर (शहर) के सुरक्षित कक्ष में जमा सोने व चाँदी के आईटमों के निस्तारण की कार्यवाही नियमानुसार पूर्ण करवाने के लिए संबंधित अधिकारी को राज्य सरकार के सक्षम स्तर से आवश्यक निर्देश जारी करवाएं ।

3.9 अन्य अनियमिततायें

3.9.1 खंडीय कार्यालयों द्वारा नियमानुसार लेबर सेस, रॉयल्टी, DMFT की कटौती अथवा अल्पावधि खनन रियायत पत्र प्राप्त नहीं करना, क्रय निर्माण सामग्री की कीमत राशि ₹ 79.68 करोड़

राजस्थान लघु खनिज (Minor Mineral) रियायत नियमावली 2017 के नियम 51 के अनुसार खंडीय कार्यालयों द्वारा किये जाने वाले निर्माण कार्यों के लिए संवेदक द्वारा आपूर्ति की गयी निर्माण सामग्री के भुगतान बिलों में से लेबर सेस, रॉयल्टी, DFMT की कटौती की जानी चाहिए अथवा सक्षम प्राधिकारी (खनन अभियंता या सहायक खनन अभियंता) से अल्प अवधि का खनन अनुमति पत्र प्राप्त किया जाना चाहिए ।

इस कार्यालय द्वारा माह मार्च 2025 के दौरान किये गए रिमोट निरीक्षण से सम्बंधित 18 कोषालयों में से कोषालय श्रीगंगानगर को छोड़कर शेष रहे 17 कोषालय (अलवर, बालोतरा, बांरा, चूरू, हनुमानगढ़, जालोर, खैरतल-तिजारा, कोटपुतली-बहरोड़, कोटा, फलोदी, राजसमन्द, पाली, झुंझुनू, सलूमबर, सिरोही, टोंक, सांचोर) के खंडीय कार्यालयों द्वारा आपूर्ति की गयी निर्माण सामग्री की एवज भुगतान की गयी कुल राशि ₹79,68,00,897/- के बिलों का संवेदको (आपूर्तिकर्ताओं) को भुगतान करते समय नियमानुसार लेबर सेस, रॉयल्टी, DMFT की कटौती अथवा अल्प अवधि का खनन अनुमति पत्र प्राप्त नहीं किया गया । जिसका विस्तृत विवरण *परिशिष्ट संख्या - 23* में दर्शाया गया है।

अतः निदेशक एवं पदेन संयुक्त शासन सचिव, निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान जयपुर को लेख है कि खंडीय कार्यालयों द्वारा आपूर्ति की गयी निर्माण सामग्री की एवज भुगतान की गयी राशि के बिलों का संवेदको (आपूर्तिकर्ताओं) को भुगतान करते समय नियमानुसार लेबर सेस, रॉयल्टी, DFMT की कटौती अथवा सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी अल्प अवधि का खनन अनुमति

पत्र बिल के साथ प्राप्त करने के उपरांत ही भुगतान बिल पारित करने के लिए समन्वित कोषाधिकारियों को सख्त निर्देश जारी करवाएं।

3.9.2 निदेशक एवं पदेन संयुक्त शासन सचिव कोष एवं लेखा द्वारा कोष एवं उप कोष कार्यालयों के निरीक्षण के लक्ष्यों की प्राप्ति का अभाव

राजस्थान कोषागार नियमावली 2012 के नियम 250(1) के अनुसार निदेशक एवं पदेन संयुक्त शासन सचिव कोष एवं लेखा राजस्थान, प्रत्येक कोषालय का वर्ष में एक बार एवं उप कोषागार का दो वर्ष में एक बार निरीक्षण किया जाना चाहिये।

निरीक्षण के दौरान पाया गया कि वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान निर्धारित 49 कोषालयों के विरुद्ध केवल 10 कोषालयों (भरतपुर, झुन्झुनूं, जोधपुर(शहर), टोंक, जयपुर(पेंशन), राजसमंद, पाली, सीकर, सिरोही, करौली) एवं 247 उप कोषालयों में से निर्धारित 50 प्रतिशत 123 उप कोषालयों में से केवल 13 उप कोषालयों (वैर, भुसावर, गोगुन्दा, केशोरायपाटन, कोटा(पेंशन), दीगौद, हिण्डौन, रेलमगरा, बस्सी, सोजत, पीपाड़, लालसोट, आबूरोड़) का ही निदेशक एवं पदेन शासन सचिव, निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान जयपुर दिनांक 31 मार्च 2025 तक निरीक्षण कार्य किया गया। इस प्रकार निदेशालय द्वारा निर्धारित लक्ष्यों के विरुद्ध वित्तीय वर्ष के दौरान केवल 20 प्रतिशत कोषालयों एवं 11 प्रतिशत उपकोषालयों का प्रशासनिक निरीक्षण कार्य ही कवर किया गया।

अतः निदेशक एवं पदेन संयुक्त शासन सचिव कोष एवं लेखा राजस्थान, जयपुर से अपेक्षा की जाती है कि कोषालयों / उप कोषालयों के प्रशासनिक निरीक्षण के लिए चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 में आवंटित लक्ष्यों की शत-प्रतिशत पालना सुनिश्चित की जायेगी।

भाग-4

4. सूचना प्रौद्योगिकी नियंत्रण एवं सूचना प्रौद्योगिकी सुरक्षा से संबंधित अनियमितताएँ

4.1 कम्प्यूटरीकृत वातावरण में राजकोष से किये गये दोहरे भुगतान की अनियमितताएं

राजस्थान सरकार वित्त (आर्थिक मामलात) विभाग, जयपुर के परिपत्र क्रमांक : एफ.5(थ-75) कोष/आईएफएमएस/अन्य बिल/5852-6251 दिनांक 12.07.2012 के द्वारा दिनांक 16.08.2012 से सभी प्रकार के एफवीसी बिलों का ऑनलाईन भुगतान किया जा रहा है।

राजस्थान सामान्य एवं वित्तीय लेखा नियम 74A(1) के अनुसार आहरण एवं वितरण अधिकारियों से बिल प्राप्त होने के पश्चात कोषागार कंप्यूटर प्रणाली के माध्यम से प्रत्येक बिल को टोकन संख्या, दिनांक सहित आवंटित की जाएगी। उसके पश्चात सम्बंधित ऑडिटर/लेखाकार द्वारा राजस्थान कोषागार के नियम 2012, 61(2) के अनुसार जाँच कर सही पाए जाने पर बिल को पारित किया जाना चाहिए।

4.1.1 एफ.वी.सी (परिपूर्ण अन्य व्यय) बिलों का दोहरे भुगतान राशि ₹ 2.15 लाख

कोषालय जयपुर (शासन सचिवालय) एवं उप कोषालय कपासन (चित्तौड़गढ़) के निरीक्षण के दौरान पाया गया कि IFMS सिस्टम सुदृढ नहीं होने के कारण विभिन्न फर्मों को निम्नलिखित एफवीसी बिलों के दोहरे भुगतान किये गये :-

कोषालय/उप कोषालय	डीडीओ कार्यालय का नाम/डीडीओ कोड	बिल संख्या व दिनांक	टी.वी. संख्या व दिनांक	राशि	दोहरे भुगतान की राशि ₹
शासन सचिवालय, जयपुर	निदेशालय, संस्कृत शिक्षा विभाग डी.डी.ओ. कोड 958	45198219/29.03.2023	2614/12.04.2023	10580	10580
		45381513/06.04.2023	2762/12.04.2023	10580	
		45383745/06.04.2023	2766/12.04.23	5570	5570
		45200700/29.03.2023	2615/12.04.23	5570	
		44749385/09.03.2023	145965/10.03.23	25708	25708
		44964090/23.03.2023	157827/27.03.23	25708	
	AAO 1 & Law Litigation, Jaipur डी.डी.ओ.कोड 842	45381186/ 06.04.2023	2045/06.04.23	15746	15746
		45116701/ 27.03.2023	2221/10.04.23	15746	
	Chief Chemist PHED, Jaipur डी.डी.ओ.कोड 17791	45362829/05.04.2023	1448/06.04.23	11885	11885
		44930579/21.03.2023	2709/12.04.23	11885	
	Excise Officer Preventive Force, Jaipur डी.डी.ओ.कोड 16440	45365211/ 05.04.2023	1911/06.04.23	116793	116793
		44800237/13.03.2023	2701/12.04.23	116793	
	Judge Industrial Tribunal, Jaipur डी.डी.ओ.कोड 4942	44692797/03.03.2023	2214/10.04.23	19672	19672
		45381620/06.04.2023	2046/06.04.23	19672	
भदेसर (चित्तौड़गढ़)	उप कोष कार्यालय भदेसर डी.डी.ओ.कोड 6669	44030189/01/02/2023	61297/02/02/2023	8701	8701
		43934448/26/01/2023	87003/24/02/2023	8701	
योग ₹				2,14,655	

4.1.2 पेंशनरों को मासिक दोहरे भुगतान राशि ₹ 1.21 लाख

कोषालय नागौर के निरीक्षण के दौरान पाया गया कि पेंशन वितरण के लिए IFMS सिस्टम में विकसित IFPMS मोड्यूल के सुट्ट चेक नहीं होने के कारण निम्नलिखित पेंशनरों को दोहरे भुगतान किये गये :-

क्र.सं.	कोषालय	कोषालय / उप कोषालय का नाम	पेंशनर/पारि. पेंशनरों का नाम व पीपीओ संख्या	माह जिसका दोहरा भुगतान किया गया	भुगतान की जाने वाली राशि	भुगतान की गई राशि	दोहरा भुगतान की गई राशि	कुल अधिक भुगतान की गई राशि
1.	नागौर	नागौर	Vidhya Devi/859567	06/2023 से 07/2023	22962	45924	22962	45924
			Sharda Devi/1107969	06/2023	42896	87271	44375	44375
			Sugan Kanwar/1072929	06/2023 से 07/2023	15507	31014	15507	31014
योग ₹							1,21,313	

4.1.3 कार्मिकों के वेतन का दोहरा भुगतान राशि ₹ 8.43 लाख

कोषालय चित्तौड़गढ़ के निरीक्षण के दौरान पाया गया कि उप कोषालय गंगरार के अधीनस्थ आहरण संवितरण अधिकारी BCMO गंगरार के द्वारा माह फरवरी 2024 के लिए दो बार वेतन बिल बनाकर उप कोषालय गंगरार के माध्यम से 08 कार्मिकों को वेतन के रूप में 843129/- का निम्नानुसार दोहरा भुगतान किया गया:-

निरीक्षित ईकाई का नाम	डी.डी.ओ. का नाम	बिल संख्या व दिनांक	माह	टी.वी. संख्या व दिनांक	राशि ₹	दोहरे भुगतान की राशि ₹
उप कोषालय गंगरार (चित्तौड़गढ़)	B.C.M.O. गंगरार 22723 चित्तौड़गढ़	247490/22.02.2024	02/2024	90966/01.03.2024	843129	8,43,129
		500236096/22.02.24	02/2024	91364/01.03.2024	843129	

अतः निदेशक एवं पदेन संयुक्त शासन सचिव, निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान जयपुर को लेख है कि IFMS सिस्टम की विफलता के कारण उपरोक्तानुसार किये गये दोहरे भुगतानों की राशियों की वसूली एवं पुनरावृत्ति की रोकथाम के लिए सक्षम स्तर से सभी संबंधितों को आवश्यक निर्देश जारी करवाएं।

4.2 आई.एफ.एम.एस. 3.0 सिस्टम सुट्ट नहीं होने के कारण वेतन का अनियमित अग्रिम भुगतान राशि ₹ 126.50 लाख

सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमावली खण्ड प्रथम के अध्याय 8 के नियम 140 (1) के अनुसार सरकारी कर्मचारियों के मासिक वेतन एवं नियत भत्तों के लिए बिल, उस माह की 20 तारीख के पश्चात जिसके लिए वेतन और भत्ते अर्जित किये जाते हैं और अगले माह के पहले दिन भुगतान के लिए देय होंगे, विभाग द्वारा हस्ताक्षरित करके भुगतान के लिए प्रस्तुत किए जायेंगे। (II) इस नियम के प्रयोजनार्थ कार्य दिवस ऐसे दिन को समझा जायेगा जिसको कि कार्यालय जिसमें भुगतान किया जाना है एवं कोषागार या यदि बैंकिंग कोषागार हो तो, बैंक/कोषागार दोनों अपने से संबंधित साधारण कारोबार को संपादित

करने के लिए इस तरह से खुले हो कि उसी दिन राशि का प्रत्याहरण एवं उसका भुगतान व्यवहार्य हो सके ।

आई.एफ.एम.एस. 3.0 पर पारित हुए वाउचरों की नमूना जांच में पाया गया कि कोषालय जयपुर (शासन सचिवालय) एवं नागौर के निरीक्षण के दौरान पाया गया कि दिनांक 24.04.2024 को निर्धारित समय से लगभग 07 दिन पूर्व कार्मिकों को वेतन के रूप में क्रमशः राशि ₹96,14,636/- एवं ₹ 30,35,185/- तथा इन दोनों कोषालयों के द्वारा कुल राशि ₹ 1,26,49,821/- का अग्रिम भुगतान किया गया । जिसका विवरण **परिशिष्ट संख्या 24** में दर्शाया गया है।

उपरोक्तानुसार वेतन का भुगतान अप्रैल माह में करने से अप्रैल माह के लेखों में वेतन मद में दोहरा व्यय दर्ज हो गया क्योंकि मार्च माह के वेतन का भी भुगतान अप्रैल माह में होता है । जिससे न केवल राज्य सरकार के मासिक लेखों के स्थिति पर विपरीत प्रभाव पड़ा अपितु राज्य सरकार की ways and mean's की स्थिति पर भी विपरीत प्रभाव पड़ा। जिसके फलस्वरूप राज्य सरकार खाते में भारतीय रिजर्व बैंक के पास उपलब्ध नकद शेष में राशि ₹ 1,26,49,821/-पर ब्याज की हानि होने के साथ-साथ आई.एफ.एम.एस. 3.0 सिस्टम में चैक एण्ड कंट्रोल का फेल होना भी पाया गया।

अतः उपरोक्तानुसार आई.एफ.एम.एस. 3.0 सिस्टम में चैक एण्ड कंट्रोल के विफल हुए सिस्टम की सुदृढ़ स्थिति कायम करने के लिए निदेशालय कोष एवं लेखा तथा NIC के सक्षम स्तर पर आवश्यक कदम उठाये जाने अपेक्षित है।

4.3 कार्मिकों के वेतन एवं पेंशनरों को पेंशन राशियों के मरणोपरांत अनियमित भुगतान की अनियमितताएं

प्रधान सचिव, वित्त, राजस्थान सरकार, वित्त (ईएडी) विभाग, जयपुर के परिपत्र क्रमांक: एफ5 (थ-75) डीटीए/आईएफएमएस/ पी-1-17 दिनांक 17.06.2021 के द्वारा राजस्थान राज्य के अन्तर्गत दिनांक 1.07.2021 से ऑटो सेलेरी वितरण प्रणाली लागू की गई थी। उक्त परिपत्र के साथ संलग्न परिशिष्ट -बी के बिंदु संख्या 1 के अनुसार नियमानुसार वेतन बिल बनाने और सटीक मास्टर डेटा के संधारण के लिए आहरण एवं संवितरण अधिकारी / निजी निक्षेप खाता धारक को पूर्ण उत्तरदायी बताया गया तथा किसी प्रकार के गलत भुगतान होने पर उसकी तत्काल वसूली अगले माह के वेतन से की जाने की व्यवस्था की गयी थी । उक्त परिशिष्ट के बिन्दु संख्या 8 के अनुसार विभागाध्यक्ष द्वारा स्वचालन मोड से किये गये वेतन भुगतान की मासिक स्थिति की समीक्षा की जायेगी एवं साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि सिस्टम द्वारा सटीक भुगतान किया जा रहा है एवं विभागाध्यक्ष द्वारा इस प्रक्रिया के माध्यम से भुगतान किये गये बिलों के लिए पोस्ट ऑडिट की व्यवस्था भी की जानी थी।

4.3.1 आई.एफ.एम.एस. के अंतर्गत पे मेनेजर मोड्यूल पर ऑटो सेलेरी डिसबर्समेंट सिस्टम द्वारा कर्मचारी के मरणोपरांत भी वेतन बिल बनाया जाना एवं अनियमित भुगतान किया जाना राशि ₹ 0.87 लाख

आई.एफ.एम.एस. पर ऑटो सेलेरी डिसबर्समेंट सिस्टम से पारित हुए बिलों की जांच में पाया गया कि कोषालय नागौर के अधीनस्थ आहरण वितरण अधिकारी – चिकित्सा अधिकारी प्रभारी जिला टी.बी. निवारण केंद्र नागौर , डीडीओ कोड-20581 में कार्यरत कार्मिक श्री राजेश कुमार, वरिष्ठ सहायक की राज्य सेवा में रहते हुए दिनांक 04.09.2022 को मृत्यु हो जाने के कारण उनका नाम राज्य सेवा से विलोपित कर दिया गया एवं माह अक्टूबर 2022 के दौरान उनका सिस्टम द्वारा वेतन बनाया जाना रोक दिया गया परन्तु ऑटो सेलेरी डिसबर्समेंट सिस्टम द्वारा माह नवम्बर 2022 का वेतन बिल बनाते समय उक्त कार्मिक को भी वेतन बिल में शामिल कर लिया गया , जिसके फलस्वरूप सिस्टम द्वारा मृतक श्री

राजेश कुमार के बैंक खाते में माह नवम्बर 2022 के वेतन की राशि को अनियमित हस्तांतरण किया गया है, जिसका विवरण निम्नानुसार है:-

डीडीओ कार्यालय का नाम / डीडीओ कोड	कर्मचारी का नाम/ पदनाम	कर्मचारी की मृत्यु दिनांक	वेतन माह	बिल रेफरेन्स संख्या	वाउचर संख्या/	बिल की सकल राशि	कार्मिक को दी गयी सकल राशि ₹
Medical Officer Incharge Distt. T.B. Clinic, Nagaur/ 20581	Rajesh Kumar/ Sr. Assistant	04-09-22	11/22	42754653	94812/ 07.12.22	1157312	86,583

4.3.2 आई.एफ.एम.एस. के अंतर्गत IFPMS मोड्यूल पर सिस्टम द्वारा पेंशनर के मरणोपरांत अनियमित भुगतान किया जाना राशि ₹ 18.44 लाख

कोषालयों द्वारा संधारित पेंशन पत्रावलियों की नमूना जांच के दौरान पाया गया कि राज्य के 13 कोषालयों के द्वारा 48 पेंशनरों के बैंक खातों में मरणोपरांत राशि ₹ 18,44,013/- का भुगतान हस्तांतरण किया गया, जिसका विस्तृत विवरण **परिशिष्ट संख्या 25** में दर्शाया गया है।

अतः निदेशक एवं पदेन संयुक्त शासन सचिव, निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान जयपुर को लेख है कि संबंधित कोषाधिकारियों के स्तर पर सिस्टम में कार्मिकों के वेतन एवं पेंशन के मरणोपरांत भुगतानों को स्वीकार करने की एन.आई.सी. से जांच करवाने एवं ऐसी पुनरावृत्तियों को रोकने हेतु सक्षम स्तर से आवश्यक निर्देश जारी करवाएं।

4.4 आई.एफ.एम.एस. के अंतर्गत पे मैनेजर मोड्यूल पर ऑटो सेलेरी डिसबर्समेंट सिस्टम द्वारा महंगाई भत्ते का 100 % की गलत दर प्रभारित करने के कारण अधिक भुगतान किया जाना राशि ₹ 5.02 लाख

प्रधान सचिव, वित्त, राजस्थान सरकार, वित्त (ईएडी) विभाग, जयपुर के परिपत्र क्रमांक: एफ5(थ-75) डीटीए/आईएफएमएस/ पी-1-17 दिनांक 17.06.2021 के द्वारा राजस्थान राज्य के अन्तर्गत दिनांक 1.07.2021 से ऑटो सेलेरी वितरण प्रणाली लागू की गई थी। उक्त परिपत्र के साथ संलग्न **परिशिष्ट -बी** के बिंदु संख्या 1 के अनुसार नियमानुसार वेतन बिल बनाने और सटीक मास्टर डाटा के संधारण के लिए आहरण संवितरण अधिकारी / निजी निक्षेप खाता धारक को पूर्ण उत्तरदायी बताया गया तथा किसी प्रकार के गलत भुगतान होने पर उसकी तत्काल वसूली अगले माह के वेतन से की जाने की व्यवस्था की गयी थी। उक्त **परिशिष्ट** के बिन्दु संख्या 8 के अनुसार विभागाध्यक्ष द्वारा स्वचालन मोड से किये गये वेतन भुगतान की मासिक स्थिति की समीक्षा की जायेगी एवं साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि सिस्टम द्वारा सटीक भुगतान किया जा रहा है एवं विभागाध्यक्ष द्वारा इस प्रक्रिया के माध्यम से भुगतान किये गये बिलों के लिए पोस्ट ऑडिट की व्यवस्था भी की जायेगी।

राजस्थान सरकार, वित्त विभाग, जयपुर के आदेश क्रमांक: एफ 6(3) एफ डी नियम 2017 दिनांक 30.03.2022 के अनुसार दिनांक 01.01.2022 से महंगाई भत्ते की दर को 31% से बढ़ाकर 34% किया गया था।

कोषालय नागौर के अधीनस्थ आहरण वितरण अधिकारी – चिकित्सा अधिकारी प्रभारी जिला टी.बी. निवारण केंद्र नागौर, डीडीओ कोड-20581 के बिलों की नमूना जांच के दौरान पाया गया कि आई.एफ.एम.एस. 3.0 के मास्टर डाटा में मैप सही नहीं होने के कारण कुछ अधिकारियों/कर्मचारियों को महंगाई भत्ता 34% की बजाय 100 % की अधिक दर प्रभारित कर राशि ₹ 5,01,968/- का अधिक भुगतान किया गया है, जिसका विवरण निम्नानुसार है-

S.N.	DDO Office/ Code	Employee Name/Post	Employee ID	Month	Voucher No./Date	Basic+ NPA	Payable DA	Given DA	Excess Paid	
1	P.M.O. Govt. Hospital, Nagaur/ 20380	Dr Rajendra Karadiya/	RJJP199518011339	04/22	17874/ 20.05.22	181680	61771	181680	119909	
		Medical Officer		05/22	20729/ 01.06.22	181680	61771	181680	119909	
2		Dr Prahlad Dhaka/	RJNA201128022128	04/22	15690/ 10.05.22	105360	35823	105360	69537	
		Medical Officer		05/22	20406/ 01.06.22	105360	35823	105360	69537	
3		Narendra Bajya/	RJNA201128026090	04/22	17874/ 20.05.22	93240	31702	93240	61538	
		Medical Officer		05/22	20406/ 01.06.22	93240	31702	93240	61538	
Total Excess Amount Paid									5,01,968	

अतः निदेशक कोष एवं लेखा, एन.आई.सी. के सक्षम स्तर से उत्तरदायित्व का निर्धारण करवाने एवं ऐसी पुनरावृत्तियों की रोकथाम के लिए आई.एफ.एम.एस. 3.0 सिस्टम में सुदृढ चेक लागू करवाने तथा अधिक भुगतान की गई राशि की वसूली कराने के लिए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश जारी करवाएं।

4.5 आई.एफ.एम.एस. के अन्तर्गत पे-मैनेजर द्वारा पूर्व के माहों की बकाया सेलेरी बनाते समय चालू समय के मूल वेतन एवं भत्तों की दरें लिये जाने से अधिक भुगतान राशि रु 2.28 लाख

कोषालय नागौर के अन्तर्गत आई.एफ.एम.एस. के राजकोष माड्यूल पर पारित बिलों की ऑनलाईन नमूना जांच करने पर पाया गया कि आहरण वितरण अधिकारी - कार्यालय प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, नागौर, डीडीओ कोड-20380 द्वारा कार्मिक डॉ. मो. मुस्लिम के पूर्व अवधि के बकाया वेतन की स्वीकृति जारी कर वेतन बिल बनाये गये। जिसमें वर्तमान समय के वेतन एवं भत्तों की दरें प्रभारित कर कार्मिक को अधिक किया गया , जिसका विवरण निम्नानुसार है:-

S. N.	DDO Office/ DDO Code	Employee Name/ Designation/ Emp.ID	Month	Due				Drawn				Excess Paid
				Basic	DA	HRA	Total	Basic	DA	HRA	Total	
1	P.M.O., Nagaur /20380	Dr.Moham med Mus lim/ Medical Officer/ RJNA201 1280 24074	05/18	46816	3277	3745	53838	46816	23408	4213	74437	20599
			06/18	63100	4417	5048	72565	75400	34684	6786	116870	44305
			07/18	65000	5850	5200	76050	75400	34684	6786	116870	40820
			08/18	65000	5850	5200	76050	75400	34684	6786	116870	40820
			09/18	65000	5850	5200	76050	75400	34684	6786	116870	40820
			10/18	65000	5850	5200	76050	75400	34684	6786	116870	40820
			Total									2,28,184

अतः निदेशक कोष एवं लेखा, एन.आई.सी. के सक्षम स्तर से उत्तरदायित्व का निर्धारण करवाने एवं ऐसी पुनरावृत्तियों की रोकथाम के लिए आई.एफ.एम.एस. 3.0 सिस्टम में सुदृढ चेक लागू करवाने तथा अधिक भुगतान की गई राशि की वसूली कराने के लिए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश जारी करवाएं।

4.6 जी.पी.एफ. खाता में न्यूनतम मासिक अंशदान कटौती की निर्धारित राशि से कम राशि जमा करना ₹ 10.10 लाख

राजस्थान सरकार, वित्त विभाग के द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक: एफ 2(1) एफ डी नियम 2008 दिनांक 07.02.2018 के अनुसार सातवें वेतन आयोग के तहत दिनांक 01.03.2018 से अधिकारी/कर्मचारी द्वारा प्राप्त वेतन के आधार पर सामान्य भविष्य निधि में मासिक अंशदान निम्नानुसार जमा कराया जाना चाहिए:-

क्र. सं.	पे मेट्रिक्स में वेतन का आहरण	अंशदान की न्यूनतम दर राशि ₹
1.	23100/- तक	1450
2.	23101 से 28500	1625
3.	28501 से 38500	2100
4.	38501 से 51500	2850
5.	51501 से 62000	3575
6.	62001 से 72000	4200
7.	72001 से 80000	4800
8.	80001 से 116000	6150
9.	116001 से 167000	8900
10.	167001 एवं इससे अधिक	10500

कोषालय जयपुर(शहर), दौसा, बीकानेर, जोधपुर(शहर), बांसवाडा, व्यावर, जैसलमेर, वेतन एवं लेखाधिकारी, नई दिल्ली, उदयपुर(ग्रामीण), उदयपुर(शहर), केकड़ी, नीम का थाना, अजमेर, डीग, करौली, शाहपुरा, धौलपुर, भीलवाड़ा, जोधपुर(ग्रामीण) तथा डीडवाना-कुचामन में IFMS के पे-मैनेजर पर ऑनलाईन पारित किये गये वेतन बिलों की जांच में पाया गया कि कार्मिकों के मासिक वेतन से जी.पी.एफ. अंशदान की न्यूनतम कटौती के लिए निर्धारित राशि सिस्टम में मैपिंग (लिंक) नहीं गई है, जिसके फलस्वरूप न्यूनतम से कम राशि की कटौती को भी सिस्टम द्वारा स्वीकार कर जी.पी.एफ. अंशदान के रूप में राशि ₹ 10,09,725/- की कम कटौती की गई, जिसका विवरण **परिशिष्ट संख्या 26** में दर्शाया गया है।

अतः निदेशक एवं पदेन संयुक्त शासन सचिव कोष एवं लेखा राजस्थान, जयपुर को लेख है कि जी.पी.एफ. अंशदान के लिए कार्मिकों के मासिक वेतन से निर्धारित न्यूनतम कटौती की राशि को सिस्टम में मैपिंग करने के लिए IFMS के सक्षम अधिकारियों को निर्देश जारी करवाएं।

4.7 एस.आई.पी.एफ. खाता में न्यूनतम मासिक अंशदान कटौती की निर्धारित राशि को IFMS सिस्टम में कार्मिक के मासिक मूल वेतन से मैपिंग नहीं करने के कारण मासिक अंशदान पेटे कम कटौती करना राशि ₹ 6.65 लाख

राजस्थान सरकार, वित्त (बीमा) विभाग के द्वारा जारी आदेश क्रमांक प.13(21)वित्त/राजस्व/76 पार्ट दिनांक 13.03.2020 के अनुसार सातवें वेतन आयोग के तहत राजस्थान सरकारी कर्मचारी बीमा नियम,

1998 के नियम 11(1)(1) में संदेय प्रीमियम दर दिनांक 01.04.2020 से अधिकारी/कर्मचारी द्वारा प्राप्त वेतन के आधार पर मासिक अंशदान निम्नानुसार जमा कराया जाना चाहिये:-

क्र. सं.	वेतन स्लेब	मासिक प्रीमियम दर
1.	22000 तक	800/-
2.	22001 से 28500	1200/-
3.	28501 से 46500	2200/-
4.	46501 से 72000	3000/-
5.	72000 से अधिक	5000/-
6.	अधिकतम	7000/-

कोषालयों के निरीक्षण के दौरान पाया गया कि आई.एफ.एम.एस. में ऑनलाईन पारित किये गये वेतन बिलों की जांच में पाया गया कि कर्मचारी बीमा अंशदान की न्यूनतम कटौती की राशि को संबंधित कार्मिक के मासिक मूल वेतन से IFMS सिस्टम में मैपिंग (लिंक) नहीं करने के कारण प्रति माह कर्मचारी बीमा अंशदान के रूप में राशि ₹ 6,65,600/- कम कटौती की गई। जिसका विवरण [परिशिष्ट संख्या 27](#) में दर्शाया गया है।

अतः अतः निदेशक एवं पदेन संयुक्त शासन सचिव कोष एवं लेखा राजस्थान, जयपुर को लेख है कि अधीनस्थ आहरण-संवितरण अधिकारियों के उपरोक्त वेतन बिलों की नियमानुसार जांच उपरांत संबंधित कार्मिकों से वसूली की कार्यवाही पूर्ण करवाने एवं पुनरावृत्ति को रोकने के लिए सक्षम स्तर से सभी संबंधित कोषाधिकारियों को आवश्यक निर्देश जारी करवाएं।

4.8 राजस्थान सरकार स्वास्थ्य स्कीम निधि में न्यूनतम मासिक अंशदान कटौती की निर्धारित राशि को IFMS सिस्टम में कार्मिक के मासिक मूल वेतन से मैपिंग नहीं करने के कारण मासिक अंशदान पेटे कम कटौती करना राशि ₹ 1.12 लाख

राजस्थान सरकार, वित्त (बीमा) विभाग के द्वारा जारी आदेश क्रमांक प(5) वित्त/बिमा/2022 पार्ट-II दिनांक 19.04.2022 के अनुसार वित्त विभाग के दिनांक 07.07.2021 एवं 07.09.2021 के समसंख्यक आदेशों के संदर्भ में राज्यपाल यह आदेश देते हैं कि राजस्थान सरकार स्वास्थ्य स्कीम निधि में अभिदाय की दरें निम्नलिखित प्रवर्गों के लिये निम्नानुसार होगी ।

क्र.सं.	सरकारी कर्मचारियों का प्रवर्ग	प्रतिमास अभिदाय (रु.)
1	18000/- रु. तक वेतन मैट्रिक्स में मूल वेतन आहरित करने वाले कर्मचारी	265.00
2	18000/- रु से अधिक किन्तु रु. 33500/- तक वेतन मैट्रिक्स में मूल वेतन आहरित करने वाले कर्मचारी	440.00
3	33500/- रु से अधिक किन्तु रु. 54000/- तक वेतन मैट्रिक्स में मूल वेतन आहरित करने वाले कर्मचारी	658.00
4	54000/- रु से अधिक वेतन मैट्रिक्स में मूल वेतन आहरित करने वाले कर्मचारी	875.00

कोषालयों/उप कोषालयों द्वारा आई.एफ.एम.एस. में ऑनलाईन पारित किये गये वेतन बिलों की जांच में पाया गया कि आर.जी.एच.एस. अंशदान की वेतन मैट्रिक्स में मूल वेतन के अनुसार कटौती की राशि को संबंधित कार्मिक के मासिक मूल वेतन से IFMS सिस्टम में मैपिंग (लिंक) नहीं करने के कारण प्रतिमाह आर.जी.एच.एस. अंशदान के रूप में राशि ₹1,12,318/- की कम कटौती की गई। जिसका विवरण [परिशिष्ट संख्या 28](#) में दर्शाया गया है।

अतः निदेशक एवं पदेन संयुक्त शासन सचिव कोष एवं लेखा राजस्थान, जयपुर को लेख है कि आर.जी.एच.एस. अंशदान के लिए कार्मिकों के मासिक वेतन से निर्धारित न्यूनतम कटौती की राशि को सिस्टम में मैपिंग करने के लिए IFMS के सक्षम अधिकारियों को निर्देश जारी करवाएं।

4.9 कर्मचारी के मासिक वेतन बिल बनाते समय शहरी क्षतिपूर्ति भत्ते की राशि को IFMS सिस्टम में कार्मिक के मासिक मूल वेतन से मैपिंग नहीं करने के कारण अधिक भुगतान राशि ₹24,160/-

राजस्थान सरकार, वित्त विभाग के द्वारा जारी आदेश संख्या एफ. 6(5) एफ.डी (रूल्स)/2017 दिनांक 30.10.2017 की अनुपालना में दिनांक 01.10.2017 से अधिकारियों /कर्मचारियों को निम्न सारणी के अनुसार शहरी क्षतिपूर्ति भत्ता दिया जाना चाहिये:-

Sr. No.	Basic Pay i.e. the pay drawn in the prescribed Levels in the Pay Matrix	Amount of CCA (Rs. Per month)	
		Jaipur (UA)	Ajmer, Bikaner, Jodhpur and Kota
1	Employee drawing Basic pay in the Pay Matrix 23100/-	620/-	320/-
2	Employee drawing Basic pay in the Pay Matrix above 23100/-	1000/-	620/-

कोषालयों के निरीक्षण के दौरान पाया गया कि आई.एफ.एम.एस. में ऑनलाईन पारित किये गये वेतन बिलों की जांच में पाया गया कि निम्न कर्मचारी के वेतन बिल बनाते समय उक्त नियमों के पालन का अभाव पाया गया एवं क्षतिपूर्ति (शहरी) भत्ता का अधिक भुगतान किया गया। जिसका नमूना विवरण निम्नानुसार है:-

क्र. सं.	कोषालय का नाम	आहरण संवितरण अधिकारी का नाम व कोड	कार्मिक का नाम/पद/आई.डी संख्या तथा कम कटौती की अवधि के दौरान प्रतिमाह आहरित मूल वेतन की राशि ₹	आहरित वेतन का माह	नियमानुसार देय क्षतिपूर्ति (शहरी) भत्ता राशि ₹	आहरित क्षतिपूर्ति (शहरी) भत्ता राशि ₹	अंतर राशि ₹	कुल माह	अधिक भुगतान की कुल राशि ₹
1.	जयपुर (शहर)	कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जयपुर (20249)	मुकेश कुमार मीणा, डेन्टल तकनीशियन (आई.डी. संख्या RJA201806000113) 20800/- से 22700/-	फरवरी 2020 से जून 2023	620	1000	380	41	15580
2.	जयपुर (पेंशन)	कोषालय जयपुर (पेंशन)	कमल किशोर सोनी वरिष्ठ सहायक RJJP199617027623	11/2023 से 01/2024	शून्य	1000	1000	03	3000
3	शाहपुरा	कार्यालय जिला परिवहन विभाग शाहपुरा (309041)	राजीव शर्मा, जिला परिवहन अधिकारी (आई.डी. संख्या आरजेआरए 199831020076) 61300/-	अगस्त 2023 से अप्रैल 2024	शून्य	620 प्र.मा.	620	9	5580
योग ₹									24,160

अतः अतः निदेशक एवं पदेन संयुक्त शासन सचिव कोष एवं लेखा राजस्थान, जयपुर को लेख है कि संबंधित आहरण-संवितरण अधिकारी के वेतन बिलों की नियमानुसार जांच उपरांत संबंधित कार्मिक से नियमानुसार वसूली की कार्यवाही पूर्ण करने के लिए संबंधित कोषाधिकारियों को आवश्यक निर्देश जारी करवाएं।

4.10 पे-मैनेजर द्वारा राजकीय कार्यालयों के विद्युत व्यय के गत वित्तीय वर्ष के ऑटो एफ.वी.सी. बिल तैयार कर राजकोष पर स्वतः ही डीडीओ के प्रमाणन के बिना अगले वित्तीय वर्ष में ऑटो फॉरवर्ड होने से विद्युत बिलों के दोहरे भुगतान राशि ₹ 16.31 लाख

राजस्थान सरकार, वित्त (कोष एवं लेखा) विभाग, जयपुर के परिपत्र क्रमांक: एफ.5 (थ-75) डीटीए/आईएफएमएस/ पेमैनेजर/5219-5418 दिनांक 15.06.2022 के द्वारा राजस्थान राज्य के सभी राजकीय विभागों/कार्यालयों के लिए विद्युत व्यय के बिल ऑटो सिस्टम द्वारा आई.एफ.एम.एस. पर प्राप्त होने एवं पे-मैनेजर द्वारा ऑटो एफ.वी.सी. बिल तैयार करने की व्यवस्था दिनांक 15.06.2022 से लागू की गयी है। उक्त परिपत्र के बिन्दु संख्या 7 के अनुसार विद्युत व्यय के बिल भुगतान की अंतिम तिथि से तीन दिन पूर्व बिल ऑटोपास कर दिया जाएगा।

कोषालय नागौर एवं अधीनस्थ उपकोष कार्यालयों के अन्तर्गत आई.एफ.एम.एस. पर पारित एफ.वी.सी. बिलों की ऑनलाईन नमूना जांच करने पर पाया गया कि कुछ डीडीओ के पे मैनेजर पर विद्युत बिलों को ऑटो तैयार कर उपकोष/कोष कार्यालय में फॉरवर्ड किया गया परन्तु बजट के अभाव में या अन्य किसी कारण से निम्न सभी बिल पुनः डीडीओ को लौटा दिये गये, इस प्रकार निम्नलिखित विद्युत व्यय के बिलों को प्रत्येक माह में सिस्टम द्वारा ऑटो जनरेट किया गया परन्तु बजट के अभाव में पारित नहीं हो पाये। माह अप्रैल 2023 में नये वित्तीय वर्ष के लिए बजट की उपलब्धता होने पर स्वतः ही पूर्व के सारे बिल उपकोष कार्यालय को सिस्टम द्वारा ऑटो फॉरवर्ड कर दिये गये जो कि पारित कर दिये गये एवं नये बिल भी बनाकर कोषालय को प्रेषित किये गये जिससे उक्त विद्युत बिलों का दोहरा भुगतान होना पाया गया है, विवरण निम्नानुसार है:-

S.N.	DDO Name/DDO Code	Bill Month	Reference No.	TV No./Date	Paid Amount	Excess Payment
1	Ex. En. PHED Project Div. Nagaur/12306	03/23	44962476	1046/04.04.23	644822	644822
		04/23	45330497	4719/10.04.23	644822	
2	A.E.N. PHED Makrana, Nagaur/15777	03/23	44770267	3897/06.04.23	985899	985899
योग ₹						16,30,721

अतः विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के कार्यालय को राजकोष से किये गये अधिक भुगतान की वसूली / समायोजन करवाने के लिए संबंधित कोषाधिकारियों / आहरण-संवितरण अधिकारियों को सक्षम स्तर से आवश्यक निर्देश जारी करवाएं।

4.11 ऑटो सेलेरी सिस्टम सुदृढ़ नहीं होने के कारण कार्मिकों को मकान किराया भत्ता के रूप में अनियमित अधिक भुगतान ₹ 0.64 लाख

राजस्थान कोषागार नियमावली 2012 के नियम 68(II) एवं (III) के अनुसार कोषाधिकारी / उप कोषाधिकारी की जिम्मेदारी है कि वह आहरण संवितरण अधिकारी से प्राप्त प्रत्येक बिल को पारित करने से पहले उसकी शुद्धता की जांच कर यह सुनिश्चित करेगा कि दावों के भुगतान के लिए प्रस्तुत किया गया बिल नियमानुसार सही है।

वित्त विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जारी आदेश क्रमांक: एफ6(4)/एफ डी नियम 2017/ दिनांक 30.10.2017 के अनुसार राजकीय कार्मिकों के लिए मकान किराया भत्ते की दरें वाई और जेड श्रेणी के शहरों के लिए क्रमशः 16 प्रतिशत और 8 प्रतिशत देय है। साथ ही विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 22.07.2021 के अनुसार जब भी मंहगाई भत्ता 25 प्रतिशत से अधिक होगा तब संशोधित मकान किराया

भत्ता की दरें वाई और जेड श्रेणी के शहरों के लिए क्रमशः 18 प्रतिशत और 9 प्रतिशत देय होगी एवं उक्त दरें दिनांक 21.07.2021 से देय होगी।

कोषालयों/उपकोषालयों के निरीक्षण के दौरान पाया गया कि विभिन्न कोषालयों के अधीनस्थ आहरण संवितरण अधिकारियों के द्वारा कार्मिकों को उपरोक्त राजकीय निर्देशानुसार अनुमत मकान किराया भत्ता की दरों से उच्च दर प्रभारित कर राशि ₹ 63,563/- का अनियमित अधिक भुगतान कर दिया गया, जिसका विवरण **परिशिष्ट संख्या-29** में दर्शाया गया है।

अतः निदेशालय कोष एवं लेखा के स्तर से कार्मिकों को मकान किराया भत्ता के रूप में राजकोष से अअधिक भुगतान की गई राशियों की वसूली व पुनरावृत्ति को रोकने के लिए संबंधित कोषाधिकारियों व NIC के सक्षम अधिकारी को निर्देश जारी करवाएं।

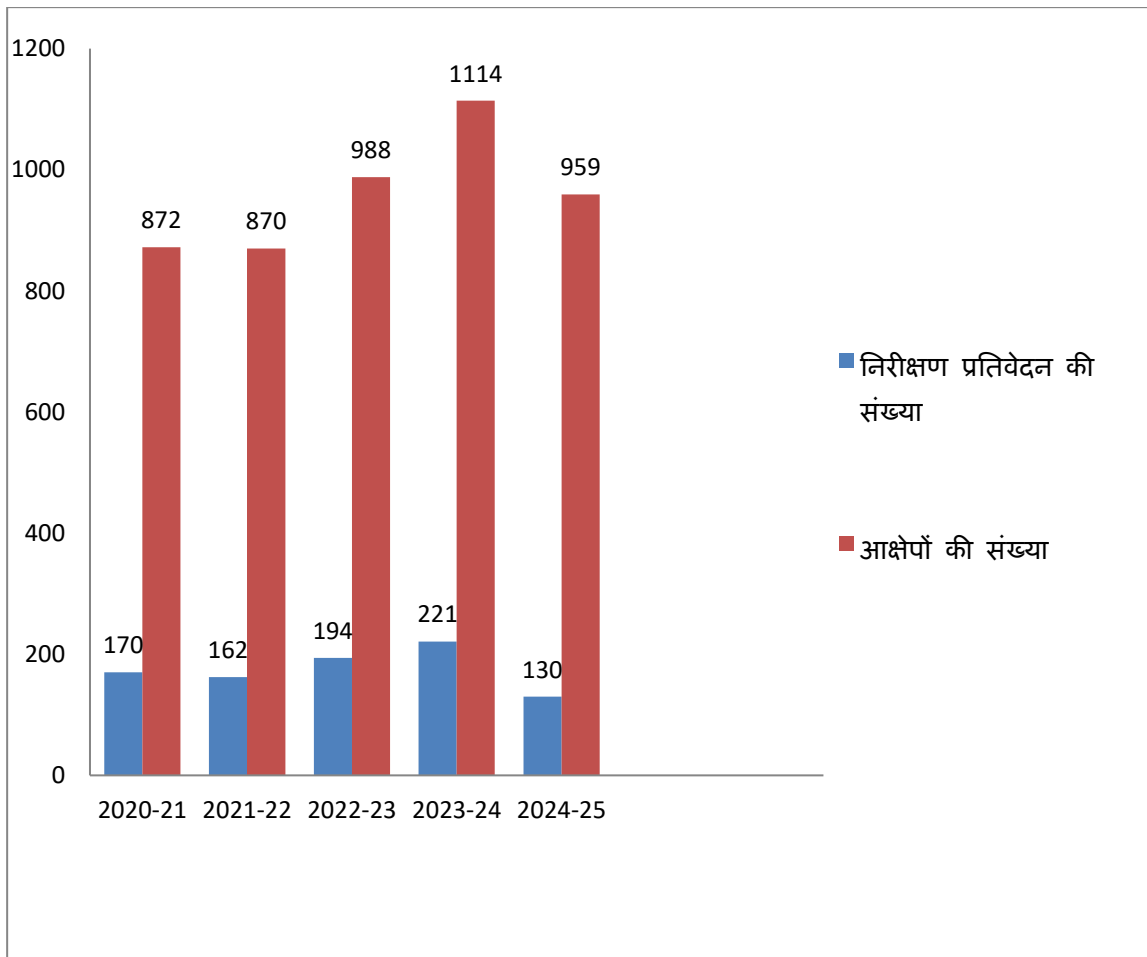
निष्कर्ष:-

1. आहरण संवितरण अधिकारियों द्वारा IFMS के अन्तर्गत पे-मैनेजर/ PRI मोड्यूल में वेतन-भत्ता एवं अन्य दावों के बिल तैयार करते समय भुगतान से सम्बंधित स्वीकृति/ अधीकृति, उप वाउचर एवं अन्य सभी प्रकार के समर्थित दस्तावेज परिपूर्ण रूप से बिल के साथ संलग्न करने के उपरांत सम्बंधित कोषालयों/ उपकोषालयों में प्रस्तुत किया जाना चाहिये एवं कोषाधिकारी / उप कोषाधिकारी के द्वारा भी इसका भलिभांति मिलान के उपरांत ही बिल को पारित किया जाना चाहिये।
2. सिविल पेंशन के मासिक भुगतानों में सटीकता बनाये रखने के लिए IFPMS मोड्यूल में संबंधित कोषाधिकारी द्वारा कम्प्यूटरीकरण करते समय फीड किये गये पेंशनरों के पुराने डेटा को अद्यतन करने के उपरांत ही निदेशक पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग, राजस्थान, जयपुर को भुगतान हेतु मासिक डेटा अग्रेषित किया जाना चाहिये।
3. प्रत्येक कोषाधिकारी को उसके अधीनस्थ उपकोषालयों के निरीक्षण के लक्ष्यों को समय पर पूर्ण किया जाना चाहिए एवं स्वयं के अधीन संचालित सुरक्षित कक्ष में रखे गए कीमती सामान / बहुमूल्य सामग्री की सुरक्षा व मुद्राकों के भौतिक सत्यापन से सम्बंधित नियमों की समय पर पूर्ण पालना की चाहिये।
4. IFMS में विकसित किये गये 3.0 वर्जन एवं ऑटो भुगतान प्रणाली के संचालन के लिए राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किये गए आदेशों/निर्देशों की ऑनलाईन सिस्टम में सुदृढ मैपिंग के साथ-साथ भुगतान की सटीकता को बनाये रखने व गलत भुगतान को रोकने के लिए लागू किये गये चेक/नियंत्रण को और सुदृढ बनाये जाने चाहिये।
5. ई-वातावरण में राज्य के कोषालयों के द्वारा प्रेषित किये जा रहे मासिक लेखाओं में होने वाली त्रुटियों की भावी रोक-थाम व नियंत्रण करने के लिए शासकीय लेन-देन के लिए विकसित IFMS में संचालित विभिन्न मोड्यूल्स की कार्य प्रणाली को और सुदृढ बनाये जाने की आवश्यकता है ।

कोषालयों/ उप कोषालयों के निरीक्षण से संबंधित विगत पांच वर्षों के दौरान बकाया रहे कोष निरीक्षण प्रतिवेदनों एवं आक्षेपों का विवरण एक नजर में [चार्ट संख्या - 4](#) में तथा वर्ष 2024-25 के दौरान गठित किये गये आक्षेपों में से बकाया रहे मुख्य आक्षेपों की प्रवृत्ति का विवरण एक नजर में [चार्ट संख्या- 5](#) में नीचे दर्शाया जा रहा है:-

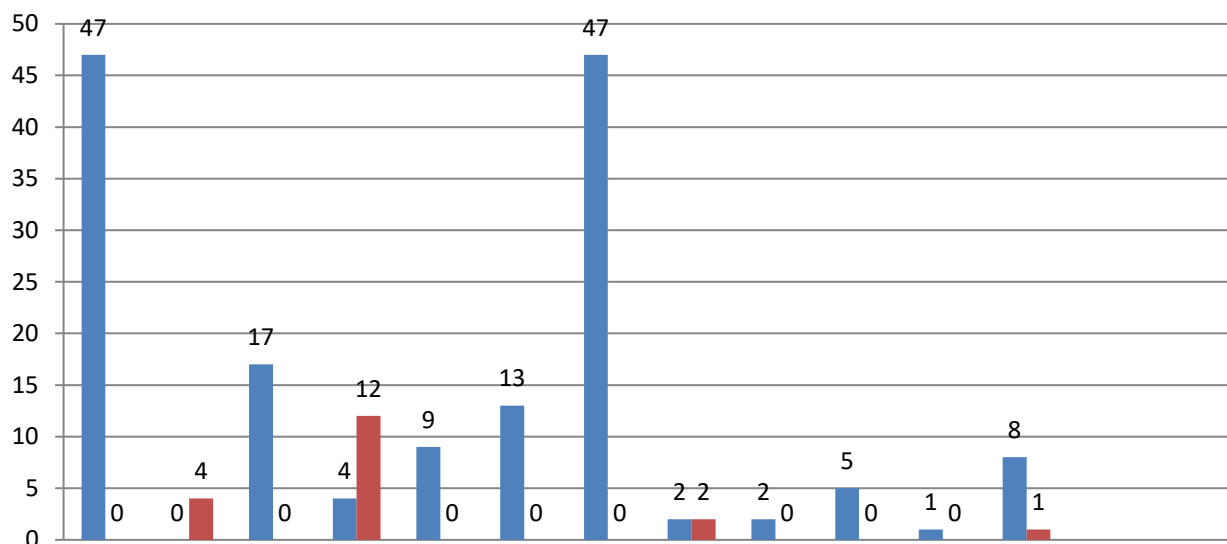
(चार्ट संख्या 4)

[वित्तीय वर्ष के अंत में विगत पाँच वर्षों के बकाया निरीक्षण प्रतिवेदनों एवं आक्षेपों का तुलनात्मक विवरण](#)



(चार्ट संख्या 5)

कोषालयों में वर्ष 2024-25 के दौरान पाये गये मुख्य आक्षेप एक नजर में



प्रथम अनुपालना प्राप्त न होना / विलम्ब से प्राप्त होना
उपदान अधिकृति की कटौतियों की वसूली नहीं करने से अधिक भुगतान ₹ 5.22 लाख

पारिवारिक पेंशनर को बड़ी हुई दर से अनियमित भुगतान करने के कारण अधिक भुगतान राशि ₹ 177.76 लाख

पेंशन के रूपांतरण मूल्य के भुगतान की तिथि / रूपांतरण भुगतान आदेश जारी की तिथि के तीन माह बाद से घटी दर की बजाय मूल पेंशन दर से... पेंशन के रूपांतरण के बाद संबंधित पेंशनरों से पुनर्भरण की तिथि तक मासिक कटौती नहीं करने / कम किये जाने के कारण अधिक भुगतान... कार्मिकों को सेवानिवृत्त होने के उपरांत वेतन एवं पेंशनरों को मरणोपरांत पेंशन का अनियमित अधिक भुगतान ₹ 18.44 लाख

निजी निक्षेप खातों में आवश्यकता से अधिक धन जमा रखना

IFMS के पे-मैनेजर मोड्यूल से भुगतान व्यवस्था द्वारा दोहरे भुगतान ₹ 11.79 लाख

IFMS 3.0 सिस्टम सुदृढ़ नहीं होने के कारण वेतन का अनियमित अग्रिम भुतान राशि ₹ 126.50 लाख

संक्षिप्त आकस्मिक व्यय बिलों के विरुद्ध विस्तृत आकस्मिक व्यय बिल प्रस्तुत नहीं करना ₹ 29.79 करोड़

कोषालय बांसवाड़ा के स्ट्रांग रूम से राशि ₹ 5.24 करोड़ मूल्य के स्टाम्प की कमी / गबन पाया जाना

कम प्राप्त / कटे-फटे एवं अप्रचलित / मिसपिंट मुद्राओं का निस्तारण नहीं करना ₹ 96.77 लाख

■ कोषालयों की संख्या

■ उप कोषालयों की संख्या

परिशिष्ट संख्या - 1

(संदर्भ पैरा संख्या -1.1 व 1.4)

दिनांक 15.01.2025 तक राजस्थान राज्य में कार्यरत रहे कोषालयों एवं उप कोषालयों की सूची

क्र.सं.	जिला	कोषालय का नाम	उप कोषालय का नाम	उप कोषालयों की संख्या
1.	अजमेर	अजमेर	1. किशनगढ़	07
			2. नसीराबाद	
			3. पीसांगन	
			4. अजमेर (पेंशन)	
			5. पुष्कर	
			6. रुपनगढ़	
			7. अराई	
2.	केकड़ी	केकड़ी (क्रमोन्नत)	8. भिनाय	03
			9. सरवाड़	
			10. टोडारायसिंह	
3.	अजमेर	ब्यावर	11. मसूदा	03
			12. जैतारण	
			13. रायपुर	
4.	अलवर	अलवर	14. लक्ष्मणगढ़	07
			15. राजगढ़	
			16. थानागाजी	
			17. रामगढ़	
			18. कटूमर	
			19. अलवर (पेंशन)	
			20. रेणी	
5.	खैरथल-तिजारा	खैरथल (नवसृजित)	21. तिजारा	04
			22. किशनगढ़बास	
			23. कोटकासिम	
			24. मुण्डावर	
6.	कोटपूतली-बहरोड़	कोटपूतली (क्रमोन्नत)	25. विराट नगर	04
			26. बहरोड़	
			27. बानसूर	
			28. नीमराना	
7.	बांसवाड़ा	बांसवाड़ा	29. बागीदौरा	06
			30. कुशलगढ़	
			31. गढी (परतापुर)	
			32. घाटोल	
			33. आनंदपुरी	
			34. सज्जनगढ़	
8.	बाडमेर	बाडमेर	35. चौहटन	06
			36. शिव	
			37. गुढामलानी	
			38. रामसर	
			39. धोरीमन्ना	
			40. सेइवा	
9.	बालोतरा	बालोतरा (नवसृजित)	41. पचपदरा	04
			42. सिवाना	
			43. बायतु	
			44. सिणधरी	

क्र.सं.	जिला	कोषालय का नाम	उप कोषालय का नाम	उप कोषालयों की संख्या
10.	बारां	बारां	45. छबड़ा	07
			46. शाहबाद	
			47. अटरु	
			48. छीपाबड़ौद	
			49. किशनगंज	
			50. मांगरोल	
			51. अन्ता	
11.	बीकानेर	बीकानेर	52. कोलायत	08
			53. लूणकरणसर	
			54. नोखा	
			55. बीकानेर (पेंशन)	
			56. पूगल	
			57. श्रीद्वंरगढ	
12.	बूंदी	बूंदी	58. हिण्डोली	05
			59. नैनवा	
			60. केशौरायपाटन	
			61. इन्द्रगढ	
			62. तालेडा	
13.	भरतपुर	भरतपुर	63. बयाना	06
			64. नदबई	
			65. भरतपुर (पेंशन)	
			66. रुपवास	
			67. वैर	
			68. भुसावर	
14.	डीग	डीग (क्रमोन्नत)	69. कुम्हेर	04
			70. नगर	
			71. कामां	
			72. पहाडी	
15.	भीलवाड़ा	भीलवाड़ा	73. हुरड़ा	07
			74. सहाड़ा (मु. गंगापुर)	
			75. माण्डल	
			76. माण्डलगढ	
			77. आसीन्द	
			78. रायपुर	
			79. बिजौलिया	
16.	शाहपुरा	शाहपुरा (क्रमोन्नत)	80. जहाजपुर	03
			81. कोटडी	
			82. बनेडा	
17.	चित्तौड़गढ	चित्तौड़गढ	83. बेगूं	10
			84. निम्बाहेड़ा	
			85. कपासन	
			86. भदेसर	
			87. गंगरार	
			88. राशमी	
			89. रावतभाटा	
			90. बड़ीसादडी	
			91. इंगला	
			92. भूपालसागर	
18.	चूरु	चूरु	93. रतनगढ	06

क्र.सं.	जिला	कोषालय का नाम	उप कोषालय का नाम	उप कोषालयों की संख्या
			94. सादुलपुर(मु.राजगढ)	
			95. सरदारशहर	
			96. तारानगर	
			97. सुजानगढ	
			98. बीदासर	
19.	दौसा	दौसा	99. बसवा	04
			100. लालसोट	
			101. सिकराय	
			102. महवा	
20.	इंगरपुर	इंगरपुर	103. आसपुर	04
			104. सागवाड़ा	
			105. सीमलवाड़ा	
			106. बिच्छीवाड़ा	
21.	धौलपुर	धौलपुर	107. बाड़ी	04
			108. राजाखेड़ा	
			109. बसेड़ी	
			110. सेपऊ	
22.	श्रीगंगानगर	श्रीगंगानगर	111. श्रीकरणपुर	04
			112. सूरतगढ	
			113. पदमपुर	
			114. सादुल शहर	
23.	अनूपगढ	अनूपगढ (क्रमोन्नत)	115. रायसिंहनगर	03
			116. खाजूवाला	
			117. छत्तरगढ	
			118. श्रीविजयनगर	
			119. घड़साना	
24.	हनुमानगढ	हनुमानगढ	120. नोहर	06
			121. संगरिया	
			122. भादरा	
			123. रावतसर	
			124. पीलीबंगा	
			125. टिब्बी	
25.	जयपुर	जयपुर (शहर)	126. राजस्थान विधानसभा	01
26.	जयपुर	जयपुर (ग्रामीण)	127. आमेर	09
			128. चौमूं	
			129. चाकसू	
			130. शाहपुरा	
			131. जमवारामगढ	
			132. सांभरलेक	
			133. सांगानेर	
			134. बस्सी	
			135. किशनगढ-रेनवाल	
27.	दूद	दूद (क्रमोन्नत)	136. मौजमाबाद	02
			137. फागी	
28.	जयपुर	जयपुर (सचिवालय)	-	0
29.	जयपुर	पेंशन भुगतान अधिकारी, जयपुर	138. उप कोषालय (पेंशन)	01
30.	जैसलमेर	जैसलमेर	139. पोकरण	02
			140. फतेहगढ	

क्र.सं.	जिला	कोषालय का नाम	उप कोषालय का नाम	उप कोषालयों की संख्या
31.	जालौर	जालौर	141. भीनमाल	04
			142. आहोर	
			143. सायला	
			144. जसवंतपुरा	
32.	सांचोर	सांचोर (क्रमोन्नत)	145. रानीवाड़ा	03
			146. बागौड़ा	
			147. चितलवाना	
33.	झालावाड़	झालावाड़	148. अकलेरा	07
			149. पचपहाड़	
			150. गंगधार	
			151. झालरापाटन	
			152. खानपुर	
			153. पिडावा	
			154. मनोहरथाना	
34.	झुन्झुनू	झुन्झुनू	155. चिडावा	06
			156. नवलगढ़	
			157. झुन्झुनू (पेंशन)	
			158. बुहना	
			159. मलसीसर	
			160. सूरजगढ़	
35.	जोधपुर	जोधपुर (शहर)	-	0
36.	जोधपुर	जोधपुर (ग्रामीण)	161. बिलाड़ा	08
			162. औंसियां	
			163. शेरगढ़	
			164. भोपालगढ़	
			165. लूणी	
			166. बावडी	
			167. बालेसर	
			168. पीपाड़ा (शहर)	
37.	फलींदी	फलींदी (क्रमोन्नत)	169. बाप	01
38.	कोटा	कोटा	170. दीगोद	05
			171. सांगोद	
			172. पीपल्दा	
			173. रामगंजमण्डी	
			174. कोटा (पेंशन)	
39.	नागौर	नागौर	175. मेड़ता	07
			176. डेगाना	
			177. जायल	
			178. खींवसर	
			179. नागौर (पेंशन)	
			180. रियाबडी	
40.	डीडवाना-कुचामन	डीडवाना (क्रमोन्नत)	181. मुण्डवा	05
			182. लाडनूं	
			183. परबतसर	
			184. मकराना	
			185. नायां	
41.	प्रतापगढ़	प्रतापगढ़	186. कुचामनसिटी	04
			187. छोटीसादड़ी	
			188. अरनोद	

क्र.सं.	जिला	कोषालय का नाम	उप कोषालय का नाम	उप कोषालयों की संख्या
			189. धरियावद	
			190. पीपलखूँट	
42.	पाली	पाली	191. बाली	07
			192. देसूरी	
			193. सोजत	
			194. खारची	
			195. रोहट	
			196. रानी	
			197. सुमेरपुर	
43.	सवाई माधोपुर	सवाई माधोपुर	198. खण्डार	04
			199. बौली	
			200. चौथ का बरवाडा	
			201. मलारनाईगर	
44.	गंगापुरसिटी	गंगापुरसिटी (क्रमोन्नत)	202. बामनवास	03
			203. नादौती	
			204. टोडाभीम	
45.	करौली	करौली	205. हिण्डौन	04
			206. सपोटरा	
			207. मण्डरायल	
			208. मासलपुर	
46.	सीकर	सीकर	209. दांतारामगढ	05
			210. फतेहपुर	
			211. लक्ष्मणगढ	
			212. सीकर (पेंशन)	
			213. खण्डेला	
47.	नीमकाथाना	नीमकाथाना (क्रमोन्नत)	214. श्रीमाधोपुर	03
			215. उदयपुरवाटी	
			216. खेतड़ी	
48.	सिरोही	सिरोही	217. आबूरोड	04
			218. पिण्डवाड़ा	
			219. रेवदर	
			220. शिवगंज	
49.	टोंक	टोंक	221. देवली	05
			222. मालपुरा	
			223. निवाई	
			224. उनियारा (अलीगढ)	
			225. पीपलू	
50.	उदयपुर	उदयपुर	-	0
51.	उदयपुर	उदयपुर (ग्रामीण)	226. खैरवाड़ा	07
			227. मावली	
			228. वल्लभनगर	
			229. झाड़ोल (फलासिया)	
			230. गोगुन्दा	
			231. कोटड़ा	
			232. ऋषभदेव	
52.	सलूम्बर	सलूम्बर (क्रमोन्नत)	233. सराड़ा	02
			234. लसाड़िया	
53.	राजसमंद	राजसमंद	235. कुम्भलगढ	06
			236. नाथद्वारा	

क्र.सं.	जिला	कोषालय का नाम	उप कोषालय का नाम	उप कोषालयों की संख्या
			237. आमेट	
			238. देवगढ	
			239. रेलमगरा	
			240. भीम	
54.	नई दिल्ली	भुगतान एवं लेखाधिकारी, नई दिल्ली	-	0
55.	जयपुर	ई-कोषालय, जयपुर	-	0
56.	जयपुर	राज्य साईबर कोषालय	-	0
योग				240

परिशिष्ट संख्या - 2

(संदर्भ पैरा संख्या -1.1 व 1.4)

दिनांक 15.01.2025 के बाद राजस्थान राज्य में कार्यरत रहे कोषालयों एवं उप कोषालयों की सूची

क्र.सं.	जिला	कोषालय का नाम	उप कोषालय का नाम	उप कोषालयों की संख्या
1.	अजमेर	अजमेर	1. किशनगढ 2. नसीराबाद 3. पीसांगन 4. अजमेर (पेंशन) 5. पुष्कर 6. रुपनगढ 7. अरांई 8. केकडी 9. भिनाय 10. सरवाड	10
2.	ब्यावर	ब्यावर	11. मसूदा 12. जैतारण 13. रायपुर	03
3.	अलवर	अलवर	14. राजगढ 15. थानागाजी 16. रामगढ 17. कटूमर 18. अलवर (पेंशन) 19. रेणी 20. लक्ष्मणगढ	07
4.	खैरथल-तिजारा	खैरथल	21. किशनगढबास 22. कोटकासिम 23. मुण्डावर 24. तिजारा	04
5.	कोटपूतली-बहरोड	कोटपूतली	25. बहरोड 26. बानसूर 27. नीमराना 28. विराटनगर	04
6.	बांसवाड़ा	बांसवाड़ा	29. कुशलगढ 30. गढी (परतापुर) 31. घाटोल 32. आनंदपुरी 33. सज्जनगढ	06

क्र.सं.	जिला	कोषालय का नाम	उप कोषालय का नाम	उप कोषालयों की संख्या
			34. बागीदौरा	
7.	बाडमेर	बाडमेर	35. शिव	06
			36. गुढामलानी	
			37. रामसर	
			38. धोरीमन्ना	
			39. सेडवा	
			40. चौहटन	
8.	बालोतरा	बालोतरा	41. सिवाना	04
			42. बायतु	
			43. सिणधरी	
			44. पचपदरा	
9.	बारां	बारां	45. शाहबाद	07
			46. अटरु	
			47. छीपाबडौद	
			48. किशनगंज	
			49. मांगरोल	
			50. अन्ता	
			51. छबड़ा	
10.	बीकानेर	बीकानेर	52. लूणकरणसर	08
			53. खाजूवाला	
			54. नोखा	
			55. बीकानेर (पेंशन)	
			56. पूगल	
			57. श्रीडूंगरगढ	
			58. छत्तरगढ	
			59. कोलायत	
11.	बूंदी	बूंदी	60. नैनवा	05
			61. केशोरायपाटन	
			62. इन्द्रगढ	
			63. तालेडा	
			64. हिण्डौली	
12.	भरतपुर	भरतपुर	65. नदबई	06
			66. भरतपुर (पेंशन)	
			67. रुपवास	
			68. वैर	
			69. भुसावर	
			70. बयाना	
13.	डीग	डीग	71. नगर	04
			72. कामां	
			73. पहाडी	
			74. कुम्हेर	
14.	भीलवाड़ा	भीलवाड़ा	75. सहाड़ा (मु. गंगापुर)	11
			76. माण्डल	
			77. माण्डलगढ	
			78. आसीन्द	
			79. रायपुर	
			80. बिजौलिया	
			81. हुरड़ा	

क्र.सं.	जिला	कोषालय का नाम	उप कोषालय का नाम	उप कोषालयों की संख्या
			82. शाहपुरा	
			83. जहाजपुर	
			84. कोटडी	
			85. बनेडा	
15.	चित्तौड़गढ़	चित्तौड़गढ़	86. कपासन	10
			87. भदेसर	
			88. गंगरार	
			89. राशमी	
			90. रावतभाटा	
			91. बड़ीसादडी	
			92. इंगला	
			93. भूपालसागर	
			94. बेगूं	
			95. निम्बाहेडा	
16.	चूरु	चूरु	96. सरदारशहर	06
			97. तारानगर	
			98. सुजानगढ़	
			99. बीदासर	
			100. रतनगढ़	
			101. सादुलपुर(मु.राजगढ़)	
17.	दौसा	दौसा	102. बसवा	04
			103. लालसोट	
			104. सिकराय	
			105. महवा	
18.	इंगरपुर	इंगरपुर	106. आसपुर	04
			107. सागवाड़ा	
			108. सीमलवाड़ा	
			109. बिच्छीवाड़ा	
19.	धौलपुर	धौलपुर	110. बाड़ी	04
			111. राजाखेड़ा	
			112. बसेड़ी	
			113. सेपऊ	
20.	श्रीगंगानगर	श्रीगंगानगर	114. श्रीकरणपुर	08
			115. सूरतगढ़	
			116. पदमपुर	
			117. सादुल शहर	
			118. रायसिंहनगर	
			119. श्रीविजयनगर	
			120. घड़साना	
			121. अनूपगढ़	
21.	हनुमानगढ़	हनुमानगढ़	122. नोहर	06
			123. संगरिया	
			124. भादरा	
			125. रावतसर	
			126. पीलीबंगा	
			127. टिब्बी	
22.	जयपुर	जयपुर (शहर)	128. राजस्थान विधानसभा	01
23.	जयपुर	जयपुर (ग्रामीण)	129. शाहपुरा	12
			130. जमवारामगढ़	

क्र.सं.	जिला	कोषालय का नाम	उप कोषालय का नाम	उप कोषालयों की संख्या
			131. सांभरलेक	
			132. सांगानेर	
			133. बस्सी	
			134. किशनगढ़-रेनवाल	
			135. मौजमाबाद	
			136. फागी	
			137. दूदू	
			138. आमेर	
			139. चौमूं	
			140. चाकम्	
24.	जयपुर	जयपुर (सचिवालय)	-	0
25.	जयपुर	पेंशन भुगतान अधिकारी, जयपुर	141. उप कोषालय (पेंशन)	01
26.	जैसलमेर	जैसलमेर	142. पोकरण	02
			143. फतेहगढ़	
27.	जालौर	जालौर	144. भीनमाल	08
			145. आहोर	
			146. सायला	
			147. जसवंतपुरा	
			148. रानीवाड़ा	
			149. बागौड़ा	
			150. चितलवाना	
			151. सांचोर	
28.	झालावाड़	झालावाड़	152. अकलेरा	07
			153. पचपहाड़	
			154. गंगधार	
			155. झालरापाटन	
			156. खानपुर	
			157. पिडावा	
			158. मनोहरथाना	
29.	झुन्झुनू	झुन्झुनू	159. चिडावा	08
			160. नवलगढ़	
			161. झुन्झुनू (पेंशन)	
			162. बुहाना	
			163. मलसीसर	
			164. सूरजगढ़	
			165. उदयपुरवाटी	
			166. खेतड़ी	
30.	जोधपुर	जोधपुर (शहर)	-	0
31.	जोधपुर	जोधपुर (ग्रामीण)	167. बिलाड़ा	08
			168. औसियां	
			169. शेरगढ़	
			170. भोपालगढ़	
			171. लूणी	
			172. बावडी	
			173. बालेसर	
			174. पीपाड़ (शहर)	
32.	फलीदी	फलीदी (क्रमोन्नत)	175. बाप	01

क्र.सं.	जिला	कोषालय का नाम	उप कोषालय का नाम	उप कोषालयों की संख्या
33.	कोटा	कोटा	176. दीगोद	05
			177. सांगोद	
			178. पीपल्दा	
			179. रामगंजमण्डी	
			180. कोटा (पेंशन)	
34.	नागौर	नागौर	181. मेड़ता	07
			182. डेगाना	
			183. जायल	
			184. खींवर	
			185. नागौर (पेंशन)	
			186. रियाबडी	
			187. मुण्डवा	
35.	डीडवाना-कुचामन	डीडवाना	188. लाडनूं	05
			189. परबतसर	
			190. मकराना	
			191. नावां	
			192. कुचामनसिटी	
36.	प्रतापगढ़	प्रतापगढ़	193. छोटीसादड़ी	04
			194. अरनोद	
			195. धरियावद	
			196. पीपलखूट	
37.	पाली	पाली	197. बाली	07
			198. देसूरी	
			199. सोजत	
			200. खारची	
			201. रोहट	
			202. रानी	
			203. सुमेरपुर	
38.	सवाई माधोपुर	सवाई माधोपुर	204. खण्डार	06
			205. बौली	
			206. चौथ का बरवाडा	
			207. मलारनाईगर	
			208. बामनवास	
			209. गंगापुरसिटी	
39.	करौली	करौली	210. हिण्डीन	06
			211 सपोटरा	
			212. मण्डरायल	
			213. नादौती	
			214. टोडाभीम	
			215. मासलपुर	
40.	सीकर	सीकर	216. दांतरामगढ	07
			217. फतेहपुर	
			218. लक्ष्मणगढ	
			219. सीकर (पेंशन)	
			220. खण्डेला	
			221. श्रीमाधोपुर	
			222. नीमकाथाना	
41.	सिरोही	सिरोही	223. आबूरोड	04

क्र.सं.	जिला	कोषालय का नाम	उप कोषालय का नाम	उप कोषालयों की संख्या
			224. पिण्डवाड़ा	
			225. रेवदर	
			226. शिवगंज	
42.	टोंक	टोंक	227. देवली	06
			228. मालपुरा	
			229. निवाई	
			230. उनियारा (अलीगढ़)	
			231. पीपलू	
			232. टोडारायसिंह	
43.	उदयपुर	उदयपुर	-	0
44.	उदयपुर	उदयपुर (ग्रामीण)	233. खैरवाड़ा	07
			234. मावली	
			235. वल्लभनगर	
			236. झाड़ोल (फलासिया)	
			237. गोगुन्दा	
			238. कोटड़ा	
			239. ऋषभदेव	
45.	सलूमबर	सलूमबर	240. सराड़ा	02
			241. लसाड़िया	
46.	राजसमंद	राजसमंद	242. कुम्भलगढ	06
			243. नाथद्वारा	
			244. आमेट	
			245. देवगढ	
			246. रेलमगरा	
			247. भीम	
47.	नई दिल्ली	भुगतान एवं लेखाधिकारी, नई दिल्ली	-	0
48.	जयपुर	ई-कोषालय, जयपुर	-	0
49.	जयपुर	राज्य साईबर कोषालय	-	0
योग				247

परिशिष्ट संख्या - 3

(संदर्भ पैरा संख्या -1.1)

सम्पूर्ण वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान अधीनस्थ उप कोषालयों सहित कोषालय वार आहरण-संवितरण अधिकारियों की संख्या का विवरण

क्र.सं.	कोषालय का नाम	अधीनस्थ उप कोषालयों सहित कोषालय वार आहरण-संवितरण अधिकारियों की संख्या का विवरण
1.	अजमेर	956
2.	अलवर	815
3.	अनूपगढ़	368
4.	ब्यावर	449
5.	बाड़मेर	949
6.	बालोतरा	562
7.	बारां	588
8.	बांसवाड़ा	820
9.	बीकानेर	1159
10.	बूंदी	519
11.	भरतपुर	687
12.	भीलवाड़ा	1045
13.	चित्तौड़गढ़	767
14.	चूरू	899
15.	दौसा	735
16.	इंगरपुर	716
17.	डीग	400
18.	डीडवाना-कुचामन	611
19.	धौलपुर	546
20.	दूद	166
21.	श्रीगंगानगर	917
22.	गंगापुर सिटी	341
23.	हनुमानगढ़	735
24.	जयपुर (शहर)	1031
25.	जयपुर (ग्रामीण)	1230
26.	जयपुर (सचिवालय)	332
27.	जयपुर (पेंशन)	2
28.	जैसलमेर	518
29.	जालौर	748
30.	जोधपुर (शहर)	611
31.	जोधपुर (ग्रामीण)	656
32.	झालावाड़	629
33.	झुन्झुनू	866
34.	करौली	601
35.	केकड़ी	306
36.	खेरथल-तिजारा	402
37.	कोटपूतली-बहरोड	524
38.	कोटा	776
39.	नागौर	700
40.	नीम का थाना	432
41.	प्रतापगढ़	467
42.	पाली	738

क्र.सं.	कोषालय का नाम	अधीनस्थ उप कोषालयों सहित कोषालय वार आहरण-संवितरण अधिकारियों की संख्या का विवरण
43.	फलोदी	385
44.	राजसमंद	620
45.	सवाई माधोपुर	606
46.	सीकर	1098
47.	सिरोही	478
48.	सलूमबर	289
49.	शाहपुरा	307
50.	सांचोर	340
51.	टोंक	631
52.	उदयपुर (शहर)	480
53.	उदयपुर (ग्रामीण)	710
54.	भुगतान एवं लेखाधिकारी, नई दिल्ली	26
55.	राज्य साईबर कोषालय (स्कीम्स)	47
56.	ई- कोषालय जयपुर	1
योग		33337

परिशिष्ट संख्या-4

(संदर्भ पैरा संख्या -1.1)

राजस्थान राज्य के जिला मुख्यालयों पर कार्यरत कोषालयों के अतिरिक्त अन्य कोषालयों की सूची

क्र.सं.	जिला	मुख्य कोषालय का नाम	क्र.सं.	अतिरिक्त कोषालय
1.	जयपुर	जयपुर (शहर)	1	जयपुर (सचिवालय)
			2	जयपुर (ग्रामीण)
			3	जयपुर (पीपीओ)
			4	ई-कोषालय
			5	राज्य सायबर कोषालय (माह अक्टूबर 2023 से नव सृजित)
2.	जोधपुर	जोधपुर (शहर)	6	जोधपुर (ग्रामीण)
3.	उदयपुर	उदयपुर	7	उदयपुर (ग्रामीण)

परिशिष्ट संख्या - 5

(संदर्भ पैरा संख्या -1.1 एवं 3.1)

वर्ष 2024-25 में निरीक्षण किये गये कोषालयों एवं उप कोषालयों की सूची

क्र.सं.	कोषालय का नाम	क्र.सं.	उप कोषालय का नाम	निरीक्षण की लेखा अवधि
1	अजमेर	-	-	04/2023 से 07/2024
		-	केकड़ी (कोषालय में क्रमोन्नत)	04/2022 से 08/2023 (कोषालय में क्रमोन्नत होने से पूर्व तक)
		1	सरवाड़	01/2021 से 08/2023 (कोषालय अजमेर के अधीन तक)
		2	भिनाय	01/2021 से 08/2023 (कोषालय अजमेर के अधीन तक)
		3	पीसांगन	01/2021 से 07/2024
		4	पुष्कर	01/2021 से 07/2024
		5	रूपनगढ़	01/2021 से 07/2024
2	केकड़ी	-	-	प्रारम्भिक अवधि 09/2023 से 07/2024
3	व्यावर	-	-	04/2023 से 05/2024
		6	मसूदा	02/2021 से 05/2024
4	अलवर	-	-	11/2023 से 2/2025
5	खैरथल-तिजारा	-	-	प्रारम्भिक अवधि 09/2023 से 2/2025
6	बीकानेर	-	-	04/2023 से 04/2024
		7	छत्तरगढ़	04/2023 से 12.08.2023 (कोषालय अनूपगढ़ के अधीन होने तक)
		8	खाजूवाला	05/2022 से 12.08.2023 (कोषालय अनूपगढ़ के अधीन होने तक)
7	बाड़मेर	-	-	09/2023 से 07/2024
		9	बायतु	10/2022 से 12.08.2023 (कोषालय बालोतरा में शामिल किये जाने तक)
		10	सिणधरी	10/2022 से 12.08.2023 (कोषालय बालोतरा में शामिल किये जाने तक)
8	बालोतरा	-	-	प्रारम्भिक अवधि 09/2023 से 2/2025
9	बारां	-	-	03/2024 से 02/2025
10	बांसवाड़ा	-	-	08/2023 से 05/2024
		11	घाटोल	04/2021 से 05/2024
		12	अनन्दपुरी	04/2021 से 05/2024
		13	सज्जनगढ़	04/2021 से 05/2024
		14	कुशलगढ़	04/2021 से 05/2024
11	बूंदी	-	-	12/2023 से 09/2024
12	भीलवाड़ा	-	-	06/2023 से 10/2024
		-	शाहपुरा (क्रमोन्नत व पुनः परिवर्तित उप कोष)	06/2023 से 08/2023 (कोषालय में क्रमोन्नत होने तक)
		15	जहाजपुर	05/2022 से 08/2023 (कोषालय शाहपुरा में सम्मिलित किये जाने तक)
		16	बनेड़ा	05/2022 से 08/2023 (नवीन कोषालय शाहपुरा में सम्मिलित किये जाने तक)
		17	कोटड़ी	06/2022 से 08/2023 (नवीन कोषालय शाहपुरा में सम्मिलित किये जाने तक)
13	शाहपुरा	-	-	प्रारम्भिक अवधि 09/2023 से 09/2024
14	भरतपुर	-	-	09/2023 से 04/2024
		18	कामां	09/2021 से 08/2023
		19	नगर	09/2021 से 08/2023
		20	पहाड़ी	09/2021 से 08/2023
		21	कुम्हेर	09/2021 से 08/2023

क्र.सं.	कोषालय का नाम	क्र.सं.	उप कोषालय का नाम	निरीक्षण की लेखा अवधि
		22	भुसावर	09/2021 से 04/2024
		23	वैर	09/2021 से 04/2024
		24	नदबई	09/2021 से 04/2024
		25	बयाना	09/2021 से 04/2024
		26	रूपवास	09/2021 से 04/2024
15	चित्तौड़गढ़	-	-	06/2023 से 06/2024
		27	गंगरार	04/2021 से 06/2024
		28	बेगूं	04/2021 से 06/2024
		29	भदेसर	07/2021 से 06/2024
16	चूरू	-	-	12/2023 से 02/2025
17	दौसा	-	-	04/2023 से 04/2024
		30	महुआ	10/2020 से 04/2024
		31	सिकराय	10/2020 से 04/2024
18	इंगरपुर	-	-	11/2023 से 10/2024
19	धौलपुर	-	-	12/2023 से 09/2024
		32	बसेड़ी	11/2021 से 09/2024
		33	राजाखेड़ा	11/2021 से 09/2024
20	डीग	-	-	08/2023 से 09/2024
21	श्रीगंगानगर	-	-	11/2023 से 02/2025
22	अनूपगढ़	-	-	09/2023 से 12/2024
23	हनुमानगढ़	-	-	01/2024 से 02/2025
24	जयपुर (शहर)	-	-	07/2023 से 04/2024
25	जयपुर (सचिवालय)	-	-	07/2023 से 04/2024
26	जयपुर (पेंशन)	-	-	06/2023 से 04/2024
27	जयपुर (ग्रामीण)	-	-	09/2023 से 08/2024
28	दूदू	-	-	प्रथम निरीक्षण माह 08/2023 से 04/2024
29	कोटपूतली-बहरोड़	-	-	प्रारम्भिक अवधि 09/2023 से 2/2025
30	जालौर	-	-	01/2024 से 02/2025
31	सांचौर	-	-	प्रारम्भिक अवधि 09/2023 से 2/2025
32	जैसलमेर	-	-	06/2023 से 06/2024
33	जोधपुर शहर	-	-	06/2023 से 06/2024
34	जोधपुर (ग्रामीण)	-	-	11/2023 से 02/2025
35	फलींदी	-	-	प्रारम्भिक अवधि 09/2023 से 2/2025
36	झालावाड़	-	-	09/2023 से 07/2024
		34	अकलेरा	09/2021 से 07/2024
		35	पिड़ावा	09/2021 से 07/2024
		36	गंगधार	09/2021 से 07/2024
37	कोटा	-	-	02/2024 से 02/2025
38	झुन्झुनू	-	-	02/2024 से 02/2025
39	करौली	-	-	12/2023 से 09/2024
		37	सपोटरा	11/2019 से 09/2024
40	नागौर	-	-	05/2023 से 10/2024
		38	लाइनू	05/2022 से 08/2023
		39	नावां	05/2022 से 08/2023
		40	परबतसर	05/2022 से 08/2023
		41	मकराना	05/2022 से 08/2023
		42	कुचामनसिटी	05/2022 से 08/2023
41	डीडवाना-कुचामन	-	-	प्रारम्भिक अवधि 09/2023 से 09/2024
42	पाली	-	-	02/2024 से 02/2025
43	प्रतापगढ़	-	-	08/2023 से 04/2024

क्र.सं.	कोषालय का नाम	क्र.सं.	उप कोषालय का नाम	निरीक्षण की लेखा अवधि
		43	छोटी सादड़ी	09/2021 से 04/2024
		44	पीपलखुंट	09/2021 से 04/2024
		45	धरियावद	09/2021 से 04/2024
		46	अरनोद	09/2021 से 04/2024
44	राजसमंद	-	-	01/2024 से 02/2025
45	सवाई माधोपुर	-	-	12/2023 से 02/2025
		47	चौथ का बरवाड़ा	02/2021 से 10/2024
46	गंगापुरसिटी	-	-	08/2023 से 05/2024
47	सिरोही	-	-	01/2024 से 02/2025
48	सीकर	-	-	05/2023 से 07/2024
		-	नीमकाथाना (क्रमोन्नत एवं पुनः परिवर्तित उप कोष)	04/2023 से 08/2023 (कोषालय में क्रमोन्नत होने से पूर्व तक)
		48	श्रीमाधोपुर	04/2023 से 08/2023
		49	सीकर पेंशन	04/2023 से 07/2024
49	नीमकाथाना	-	-	प्रारम्भिक अवधि 09/2023 से 07/2024
50	टोंक	-	-	02/2024 से 02/2025
51	उदयपुर (शहर)	-	-	04/2023 से 07/2024
52	उदयपुर (ग्रामीण)	-	-	08/2023 से 06/2024
		50	लसाडिया	09/2022 से 08/2023
53	सलूम्बर	-	-	प्रारम्भिक अवधि 09/2023 से 2/2025
54	भुगतान एवं लेखाधिकारी, नई दिल्ली	-	-	09/2023 से 06/2024
55	निदेशालय, कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर	-	-	07/2023 से 04/2024

परिशिष्ट संख्या - 6

(संदर्भ पैरा संख्या - 1.3.2)

राजस्थान राज्य स्थित कोषालयों / उप कोषालयों में कार्यरत कम्प्यूटर प्रशिक्षित अधिकारियों / कर्मचारियों का विवरण

क्र.सं.	कोषालय का नाम	कोषालय / उप कोषालय में अधिकारियों / कर्मचारियों के स्वीकृत पद	कोषालय / उप कोषालय में कार्यरत अधिकारियों / कर्मचारियों की संख्या	प्रशिक्षित अधिकारियों / कर्मचारियों की संख्या	अप्रशिक्षित अधिकारियों / कर्मचारियों की संख्या	आई.एफ.एम. एस. पर अधिकारियों/ कर्मचारियों के प्रशिक्षण की स्थिति	कोषालय से प्राप्त सूचना में सम्मिलित ग्रुप ' ' घ ' श्रेणी के कर्मिकों की संख्या जिनको प्रशिक्षण आवश्यक नहीं है
1.	अजमेर	99	78	75	3	75	09
2.	अलवर	70	40	20	20	33	07
3.	ब्यावर	45	32	30	02	27	01
4.	बाड़मेर	62	33	31	02	31	02
5.	बालोतरा	44	10	09	01	09	01
6.	बारां	61	29	25	04	25	04
7.	बांसवाड़ा	61	45	35	10	35	10
8.	बीकानेर	86	45	43	02	56	13
9.	बूंदी	58	30	28	02	10	02
10.	भरतपुर	78	56	49	07	49	01
11.	भीलवाड़ा	87	50	48	02	40	00

क्र.सं.	कोषालय का नाम	कोषालय / उप कोषालय में अधिकारियों / कर्मचारियों के स्वीकृत पद	कोषालय / उप कोषालय में कार्यरत अधिकारियों / कर्मचारियों की संख्या	प्रशिक्षित अधिकारियों / कर्मचारियों की संख्या	अप्रशिक्षित अधिकारियों / कर्मचारियों की संख्या	आई.एफ.एम. एस. पर अधिकारियों/ कर्मचारियों के प्रशिक्षण की स्थिति	कोषालय से प्राप्त सूचना में सम्मिलित ग्रुप 'घ' श्रेणी के कर्मिकों की संख्या जिनको प्रशिक्षण आवश्यक नहीं है
12.	चितौडगढ	83	36	32	04	32	04
13.	चूरू	66	48	44	04	17	03
14.	दौसा	53	36	35	01	00	09
15.	इंगरपुर	53	30	27	03	26	03
16.	डीग	43	14	12	02	12	02
17.	डीडवाना-कुचामन	51	29	28	01	28	00
18.	धौलपुर	53	30	26	04	26	04
19.	श्रीगंगानगर	82	59	55	04	37	03
20.	हनुमानगढ	65	39	36	03	36	02
21.	जयपुर (शहर)	68	66	61	05	61	05
22.	जयपुर (ग्रामीण)	106	81	72	09	64	00
23.	जयपुर (सचिवालय)	42	36	35	01	35	01
24.	जयपुर (पेंशन)	41	41	41	00	02	00
25.	जैसलमेर	35	13	13	00	13	06
26.	जालौर	65	23	19	04	19	04
27.	जोधपुर (शहर)	41	30	30	00	30	07
28.	जोधपुर (ग्रामीण)	78	49	44	05	09	03
29.	झालावाड़	72	37	34	03	34	03
30.	झुन्झुनू	63	60	60	00	60	00
31.	करौली	44	26	26	00	26	00
32.	खेरथल-तिजारा	45	33	25	08	25	08
33.	कोटपूतली-बहरोड	46	30	28	02	27	02
34.	कोटा	62	39	39	00	39	10
36.	नागौर	71	46	46	00	46	11
37.	प्रतापगढ	53	19	15	04	07	00
38.	पाली	70	50	46	04	04	00
39.	फलोदी	30	12	08	04	00	01
40.	राजसमंद	64	21	18	03	18	03
41.	सवाई माधोपुर	65	46	40	06	30	06
42.	सीकर	73	62	59	03	45	03
43.	सिरोही	55	29	25	04	22	00
44.	सलूम्बर	35	12	11	01	11	01
45.	टांक	65	53	51	02	34	02
46.	उदयपुर (शहर)	40	29	29	00	29	00
47.	उदयपुर (ग्रामीण)	77	34	28	06	28	06
48.	भुगतान एवं लेखाधिकारी, नई दिल्ली	07	05	05	00	05	01
49.	राज्य साईबर कोषालय (स्कीम्स)	21	13	13	00	13	00
50.	ई- कोषालय जयपुर	16	15	15	00	15	00
योग		2850	1779	1624	155	1355	163

नोट : - च.श्रे.क. ग्रुप "घ" के पद पर कार्यरत 163 कर्मिकों के लिये कम्प्युटर में प्रशिक्षण आवश्यक नहीं है।

परिशिष्ट संख्या - 7

(संदर्भ पैरा संख्या - 2.1)

कोषालयों द्वारा मासिक लेखों को विलम्ब से प्रस्तुत करने का विवरण

क्र. स.	कोषालय का नाम	लेखा माह	सूची	लेखे प्राप्ति की नियत दिनांक	लेखे प्राप्त होने की दिनांक	विलम्ब के दिवसों की संख्या
1.	अजमेर	04/2024	प्रथम	17.04.2024	22.04.2024	05
		04/2024	द्वितीय	08.05.2024	13.05.2024	05
		07/2024	प्रथम	17.07.2024	18.07.2024	01
		07/2024	द्वितीय	08.08.2024	10.08.2024	02
		09/2024	प्रथम	15.09.2024	17.09.2024	02
		09/2024	द्वितीय	05.10.2024	07.10.2024	02
		10/2024	प्रथम	15.10.2024	16.10.2024	01
		10/2024	द्वितीय	05.11.2024	06.11.2024	01
		12/2024	प्रथम	15.12.2024	17.12.2024	02
		12/2024	द्वितीय	05.01.2025	06.01.2025	01
		01/2025	प्रथम	15.01.2025	16.01.2025	01
		01/2025	द्वितीय	05.02.2025	06.02.2025	01
		02/2025	द्वितीय	05.03.2025	06.03.2025	01
		03/2025	प्रथम	15.03.2025	17.03.2025	02
2.	अलवर	07/2024	प्रथम	17.07.2024	08.08.2024	22
		09/2024	प्रथम	15.09.2024	17.09.2024	02
		10/2024	प्रथम	15.10.2024	16.10.2024	01
		10/2024	द्वितीय	05.11.2024	06.11.2024	01
		11/2024	द्वितीय	05.12.2024	06.12.2024	01
		12/2024	द्वितीय	05.01.2025	06.01.2025	01
		02/2025	द्वितीय	05.03.2025	06.03.2025	01
		03/2025	द्वितीय	05.04.2025	06.04.2025	01
3.	बांसवाड़ा	04/2024	प्रथम	17.04.2024	18.04.2024	01
		04/2024	द्वितीय	08.05.2024	14.05.2024	06
		05/2024	प्रथम	17.05.2024	20.05.2024	03
		06/2024	प्रथम	17.06.2024	18.06.2024	01
		09/2024	द्वितीय	05.10.2024	08.10.2024	03
		10/2024	प्रथम	15.10.2024	16.10.2024	01
		10/2024	द्वितीय	05.11.2024	06.11.2024	01
		01/2025	द्वितीय	05.02.2025	06.02.2025	01
		03/2025	प्रथम	15.03.2025	18.03.2025	03
4.	बारां	04/2024	द्वितीय	08.05.2024	14.05.2024	06
		06/2024	प्रथम	17.06.2024	18.06.2024	01
		07/2024	प्रथम	17.07.2024	07.08.2024	21
		08/2024	प्रथम	17.08.2024	20.08.2024	03
		10/2024	प्रथम	15.10.2024	16.10.2024	01
		10/2024	द्वितीय	05.11.2024	06.11.2024	01
		11/2024	प्रथम	15.11.2024	18.11.2024	03
		12/2024	प्रथम	15.12.2024	16.12.2024	01
		12/2024	द्वितीय	05.01.2025	06.01.2025	01
		01/2025	प्रथम	15.01.2025	16.01.2025	01
		01/2025	द्वितीय	05.02.2025	06.02.2025	01
		02/2025	प्रथम	15.02.2025	17.02.2025	02
		02/2025	द्वितीय	05.03.2025	06.03.2025	01

क्र. स.	कोषालय का नाम	लेखा माह	सूची	लेखे प्राप्ति की नियत दिनांक	लेखे प्राप्त होने की दिनांक	विलम्ब के दिवसों की संख्या
5.	बाडमेर	04/2024	प्रथम	17.04.2024	24.04.2024	07
		10/2024	प्रथम	15.10.2024	16.10.2024	01
		10/2024	द्वितीय	05.11.2024	06.11.2024	01
		12/2024	प्रथम	15.12.2024	16.12.2024	01
		12/2024	द्वितीय	05.01.2025	06.01.2025	01
		01/2025	प्रथम	15.01.2025	16.01.2025	01
		02/2025	प्रथम	15.02.2025	17.02.2025	02
6.	व्यावर	04/2024	द्वितीय	08.05.2024	14.05.2024	06
		06/2024	प्रथम	17.06.2024	18.06.2024	01
		10/2024	द्वितीय	05.11.2024	06.11.2024	01
		12/2024	प्रथम	15.12.2024	16.12.2024	01
7.	भरतपुर	04/2024	प्रथम	17.04.2024	22.04.2024	05
		04/2024	द्वितीय	08.05.2024	14.05.2024	06
		05/2024	प्रथम	17.05.2024	22.05.2024	05
		06/2024	प्रथम	17.06.2024	18.06.2024	01
		06/2024	द्वितीय	08.07.2024	09.07.2024	01
		07/2024	प्रथम	17.07.2024	08.08.2024	22
		09/2024	प्रथम	15.09.2024	20.09.2024	05
		09/2024	द्वितीय	05.10.2024	07.10.2024	02
		10/2024	प्रथम	15.10.2024	17.10.2024	02
		10/2024	द्वितीय	05.11.2024	06.11.2024	01
		12/2024	प्रथम	15.12.2024	16.12.2024	01
		12/2024	द्वितीय	05.01.2025	06.01.2025	01
		01/2025	प्रथम	15.01.2025	16.01.2025	01
		02/2025	द्वितीय	05.03.2025	06.03.2025	01
8.	भीलवाड़ा	04/2024	प्रथम	17.04.2024	18.04.2024	01
		04/2024	द्वितीय	08.05.2024	14.05.2024	06
		05/2024	प्रथम	17.05.2024	20.05.2024	03
		06/2024	द्वितीय	08.07.2024	11.07.2024	03
		07/2024	प्रथम	17.07.2024	08.08.2024	22
		08/2024	द्वितीय	08.09.2024	09.09.2024	01
		09/2024	द्वितीय	05.10.2024	07.10.2024	02
		10/2024	द्वितीय	05.11.2024	06.11.2024	01
		12/2024	द्वितीय	05.01.2025	06.01.2025	01
		01/2025	प्रथम	15.01.2025	17.01.2025	02
		01/2025	द्वितीय	05.02.2025	06.02.2025	01
		02/2025	प्रथम	15.02.2025	20.02.2025	05
		03/2025	द्वितीय	05.04.2025	06.04.2025	01
9.	बीकानेर	04/2024	प्रथम	17.04.2024	24.04.2024	07
		04/2024	द्वितीय	08.05.2024	13.05.2024	05
		06/2024	प्रथम	17.06.2024	18.06.2024	01
		07/2024	प्रथम	17.07.2024	08.08.2024	22
		09/2024	द्वितीय	05.10.2024	07.10.2024	02
		10/2024	प्रथम	15.10.2024	16.10.2024	01
		10/2024	द्वितीय	05.11.2024	06.11.2024	01
		11/2024	द्वितीय	05.12.2024	06.12.2024	01
		12/2024	प्रथम	15.12.2024	16.12.2024	01
		12/2024	द्वितीय	05.01.2025	06.01.2025	01

क्र. स.	कोषालय का नाम	लेखा माह	सूची	लेखे प्राप्ति की नियत दिनांक	लेखे प्राप्त होने की दिनांक	विलम्ब के दिवसों की संख्या
		01/2025	द्वितीय	05.02.2025	06.02.2025	01
		02/2025	प्रथम	15.02.2025	17.02.2025	02
		02/2025	द्वितीय	05.03.2025	06.03.2025	01
10.	बूंदी	04/2024	प्रथम	17.04.2024	18.04.2024	01
		04/2024	द्वितीय	08.05.2024	09.05.2024	01
		06/2024	प्रथम	17.06.2024	18.06.2024	01
		07/2024	द्वितीय	08.08.2024	09.08.2024	01
		09/2024	प्रथम	15.09.2024	18.09.2024	03
		09/2024	द्वितीय	05.10.2024	07.10.2024	02
		10/2024	प्रथम	15.10.2024	16.10.2024	01
		10/2024	द्वितीय	05.11.2024	06.11.2024	01
		11/2024	प्रथम	15.11.2024	19.11.2024	04
		11/2024	द्वितीय	05.12.2024	06.12.2024	01
		12/2024	प्रथम	15.12.2024	16.12.2024	01
		12/2024	द्वितीय	05.01.2025	06.01.2025	01
		01/2025	प्रथम	15.01.2025	16.01.2025	01
		01/2025	द्वितीय	05.02.2025	06.02.2025	01
		02/2025	द्वितीय	05.03.2025	06.03.2025	01
		03/2025	प्रथम	15.03.2025	19.03.2025	04
		03/2025	द्वितीय	05.04.2025	06.04.2025	01
11.	चित्तोडगढ़	04/2024	द्वितीय	08.05.2024	15.05.2024	07
		06/2024	प्रथम	17.06.2024	18.06.2024	01
		07/2024	प्रथम	17.07.2024	19.07.2024	02
		08/2024	प्रथम	17.08.2024	20.08.2024	03
		10/2024	द्वितीय	05.11.2024	06.11.2024	01
		11/2024	द्वितीय	05.12.2024	06.12.2024	01
		03/2025	प्रथम	15.03.2025	18.03.2025	03
12.	चुरू	04/2024	प्रथम	17.04.2024	22.04.2024	05
		04/2024	द्वितीय	08.05.2024	14.05.2024	06
		08/2024	प्रथम	17.08.2024	20.08.2024	03
		10/2024	प्रथम	15.10.2024	16.10.2024	01
		10/2024	द्वितीय	05.11.2024	06.11.2024	01
		11/2024	प्रथम	15.11.2024	18.11.2024	03
		11/2024	द्वितीय	05.12.2024	06.12.2024	01
		12/2024	प्रथम	15.12.2024	16.12.2024	01
		12/2024	द्वितीय	05.01.2025	06.01.2025	01
		01/2025	प्रथम	15.01.2025	16.01.2025	01
		01/2025	द्वितीय	05.02.2025	06.02.2025	01
		02/2025	प्रथम	15.02.2025	17.02.2025	02
13.	दौसा	04/2024	प्रथम	17.04.2024	18.04.2024	01
		04/2024	द्वितीय	08.05.2024	16.05.2024	08
		05/2024	प्रथम	17.05.2024	22.05.2024	05
		06/2024	प्रथम	17.06.2024	18.06.2024	01
		06/2024	द्वितीय	08.07.2024	11.07.2024	03
		08/2024	प्रथम	17.08.2024	20.08.2024	03
		09/2024	प्रथम	15.09.2024	20.09.2024	05
		09/2024	द्वितीय	05.10.2024	07.10.2024	02
		10/2024	प्रथम	15.10.2024	16.10.2024	01

क्र. स.	कोषालय का नाम	लेखा माह	सूची	लेखे प्राप्ति की नियत दिनांक	लेखे प्राप्त होने की दिनांक	विलम्ब के दिवसों की संख्या
		10/2024	द्वितीय	05.11.2024	06.11.2024	01
		11/2024	प्रथम	15.11.2024	18.11.2024	03
		11/2024	द्वितीय	05.12.2024	06.12.2024	01
		12/2024	प्रथम	15.12.2024	16.12.2024	01
		12/2024	द्वितीय	05.01.2025	06.01.2025	01
		01/2025	प्रथम	15.01.2025	16.01.2025	01
		01/2025	द्वितीय	05.02.2025	06.02.2025	01
		03/2025	प्रथम	15.03.2025	17.03.2025	02
14.	धौलपुर	04/2024	प्रथम	17.04.2024	22.04.2024	05
		06/2024	प्रथम	17.06.2024	19.06.2024	02
		06/2024	द्वितीय	08.07.2024	09.07.2024	01
		07/2024	प्रथम	17.07.2024	08.08.2024	22
		07/2024	द्वितीय	08.08.2024	10.08.2024	02
		08/2024	प्रथम	17.08.2024	20.08.2024	03
		09/2024	प्रथम	15.09.2024	20.09.2024	05
		09/2024	द्वितीय	05.10.2024	07.10.2024	02
		10/2024	द्वितीय	05.11.2024	06.11.2024	01
		11/2024	द्वितीय	05.12.2024	06.12.2024	01
		12/2024	प्रथम	15.12.2024	16.12.2024	01
		12/2024	द्वितीय	05.01.2025	06.01.2025	01
		01/2025	द्वितीय	05.02.2025	06.02.2025	01
		03/2025	प्रथम	15.03.2025	17.03.2025	02
15.	झुंजरपुर	04/2024	प्रथम	17.04.2024	18.04.2024	01
		05/2024	प्रथम	17.05.2024	20.05.2024	03
		09/2024	द्वितीय	05.10.2024	07.10.2024	02
		11/2024	प्रथम	15.11.2024	18.11.2024	03
		12/2024	प्रथम	15.12.2024	16.12.2024	01
		12/2024	द्वितीय	05.01.2025	06.01.2025	01
		02/2025	प्रथम	15.02.2025	18.02.2025	03
16.	गंगानगर	04/2024	प्रथम	17.04.2024	18.04.2024	01
		06/2024	द्वितीय	08.07.2024	09.07.2024	01
		10/2024	प्रथम	15.10.2024	16.10.2024	01
		10/2024	द्वितीय	05.11.2024	06.11.2024	01
		12/2024	द्वितीय	05.01.2025	06.01.2025	01
		01/2025	प्रथम	15.01.2025	17.01.2025	02
		01/2025	द्वितीय	05.02.2025	06.02.2025	01
		03/2025	प्रथम	15.03.2025	18.03.2025	03
		03/2025	द्वितीय	05.04.2025	06.04.2025	01
17.	हनुमानगढ़	04/2024	प्रथम	17.04.2024	18.04.2024	01
		04/2024	द्वितीय	08.05.2024	13.05.2024	05
		06/2024	प्रथम	17.06.2024	18.06.2024	01
		09/2024	प्रथम	15.09.2024	17.09.2024	02
		09/2024	द्वितीय	05.10.2024	07.10.2024	02
		10/2024	प्रथम	15.10.2024	16.10.2024	01
		10/2024	द्वितीय	05.11.2024	06.11.2024	01
		12/2024	प्रथम	15.12.2024	16.12.2024	01
		12/2024	द्वितीय	05.01.2025	06.01.2025	01
		01/2025	प्रथम	15.01.2025	16.01.2025	01

क्र. स.	कोषालय का नाम	लेखा माह	सूची	लेखे प्राप्ति की नियत दिनांक	लेखे प्राप्त होने की दिनांक	विलम्ब के दिवसों की संख्या
		01/2025	द्वितीय	05.02.2025	06.02.2025	01
		02/2025	प्रथम	15.02.2025	17.02.2025	02
		02/2025	द्वितीय	05.03.2025	06.03.2025	01
		03/2025	द्वितीय	05.04.2025	06.04.2025	01
18.	जयपुर शहर	04/2024	प्रथम	17.04.2024	22.04.2024	05
		04/2024	द्वितीय	08.05.2024	15.05.2024	07
		05/2024	प्रथम	17.05.2024	22.05.2024	05
		06/2024	प्रथम	17.06.2024	21.06.2024	04
		07/2024	प्रथम	17.07.2024	08.08.2024	22
		07/2024	द्वितीय	08.08.2024	10.08.2024	02
		08/2024	प्रथम	17.08.2024	20.08.2024	03
		09/2024	प्रथम	15.09.2024	18.09.2024	03
		09/2024	द्वितीय	05.10.2024	08.10.2024	03
		10/2024	प्रथम	15.10.2024	17.10.2024	02
		10/2024	द्वितीय	05.11.2024	06.11.2024	01
		11/2024	द्वितीय	05.12.2024	06.12.2024	01
		12/2024	प्रथम	15.12.2024	16.12.2024	01
		12/2024	द्वितीय	05.01.2025	06.01.2025	01
		01/2025	प्रथम	15.01.2025	17.01.2025	02
		01/2025	द्वितीय	05.02.2025	06.02.2025	01
		02/2025	प्रथम	15.02.2025	17.02.2025	02
		02/2025	द्वितीय	05.03.2025	06.03.2025	01
		03/2025	प्रथम	15.03.2025	20.03.2025	05
19.	जयपुर पेंशन	08/2024	प्रथम	17.08.2024	22.08.2024	05
		09/2024	द्वितीय	05.10.2024	08.10.2024	03
		10/2024	प्रथम	15.10.2024	16.10.2024	01
		10/2024	द्वितीय	05.11.2024	06.11.2024	01
		11/2024	द्वितीय	05.12.2024	06.12.2024	01
		12/2024	द्वितीय	05.01.2025	06.01.2025	01
		01/2025	प्रथम	15.01.2025	16.01.2025	01
		01/2025	द्वितीय	05.02.2025	06.02.2025	01
		02/2025	द्वितीय	05.03.2025	06.03.2025	01
		03/2025	प्रथम	15.03.2025	17.03.2025	02
		03/2025	द्वितीय	05.04.2025	06.04.2025	01
20.	जयपुर ग्रामीण	04/2024	प्रथम	17.04.2024	22.04.2024	05
		04/2024	द्वितीय	08.05.2024	15.05.2024	07
		05/2024	प्रथम	17.05.2024	21.05.2024	04
		06/2024	प्रथम	17.06.2024	18.06.2024	01
		06/2024	द्वितीय	08.07.2024	11.07.2024	03
		07/2024	प्रथम	17.07.2024	08.08.2024	22
		09/2024	प्रथम	15.09.2024	20.09.2024	05
		10/2024	प्रथम	15.10.2024	18.10.2024	03
		10/2024	द्वितीय	05.11.2024	06.11.2024	01
		11/2024	प्रथम	15.11.2024	18.11.2024	03
		12/2024	प्रथम	15.12.2024	16.12.2024	01
		12/2024	द्वितीय	05.01.2025	06.01.2025	01
		01/2025	प्रथम	15.01.2025	17.01.2025	02
		01/2025	द्वितीय	05.02.2025	06.02.2025	01

क्र. स.	कोषालय का नाम	लेखा माह	सूची	लेखे प्राप्ति की नियत दिनांक	लेखे प्राप्त होने की दिनांक	विलम्ब के दिवसों की संख्या
		02/2025	प्रथम	15.02.2025	17.02.2025	02
		02/2025	द्वितीय	05.03.2025	06.03.2025	01
21.	जयपुर सचिवालय	04/2024	प्रथम	17.04.2024	22.04.2024	05
		04/2024	द्वितीय	08.05.2024	14.05.2024	06
		06/2024	द्वितीय	08.07.2024	11.07.2024	03
		07/2024	प्रथम	17.07.2024	10.08.2024	24
		07/2024	द्वितीय	08.08.2024	10.08.2024	02
		08/2024	प्रथम	17.08.2024	21.08.2024	04
		09/2024	प्रथम	15.09.2024	17.09.2024	02
		09/2024	द्वितीय	05.10.2024	07.10.2024	02
		10/2024	प्रथम	15.10.2024	18.10.2024	03
		10/2024	द्वितीय	05.11.2024	06.11.2024	01
		11/2024	प्रथम	15.11.2024	19.11.2024	04
		11/2024	द्वितीय	05.12.2024	06.12.2024	01
		12/2024	प्रथम	15.12.2024	17.12.2024	02
		12/2024	द्वितीय	05.01.2025	06.01.2025	01
		01/2025	प्रथम	15.01.2025	21.01.2025	06
		02/2025	प्रथम	15.02.2025	24.02.2025	09
		02/2025	द्वितीय	05.03.2025	06.03.2025	01
		03/2025	प्रथम	15.03.2025	20.03.2025	05
		03/2025	द्वितीय	05.04.2025	06.04.2025	01
22.	जैसलमेर	04/2024	द्वितीय	08.05.2024	14.05.2024	06
		05/2024	प्रथम	17.05.2024	21.05.2024	04
		06/2024	प्रथम	17.06.2024	18.06.2024	01
		06/2024	द्वितीय	08.07.2024	11.07.2024	03
		07/2024	प्रथम	17.07.2024	08.08.2024	22
		08/2024	प्रथम	17.08.2024	20.08.2024	03
		09/2024	प्रथम	15.09.2024	17.09.2024	02
		09/2024	द्वितीय	05.10.2024	07.10.2024	02
		10/2024	प्रथम	15.10.2024	16.10.2024	01
		10/2024	द्वितीय	05.11.2024	06.11.2024	01
		11/2024	प्रथम	15.11.2024	18.11.2024	03
		12/2024	प्रथम	15.12.2024	16.12.2024	01
		12/2024	द्वितीय	05.01.2025	06.01.2025	01
		01/2025	प्रथम	15.01.2025	17.01.2025	02
		02/2025	द्वितीय	05.03.2025	06.03.2025	01
		03/2025	प्रथम	15.03.2025	17.03.2025	02
		03/2025	द्वितीय	05.04.2025	06.04.2025	01
23.	जालौर	04/2024	प्रथम	17.04.2024	18.04.2024	01
		06/2024	प्रथम	17.06.2024	18.06.2024	01
		07/2024	प्रथम	17.07.2024	19.07.2024	02
		08/2024	प्रथम	17.08.2024	20.08.2024	03
		09/2024	प्रथम	15.09.2024	18.09.2024	03
		09/2024	द्वितीय	05.10.2024	07.10.2024	02
		10/2024	प्रथम	15.10.2024	16.10.2024	01
		10/2024	द्वितीय	05.11.2024	06.11.2024	01
		11/2024	प्रथम	15.11.2024	18.11.2024	03
		11/2024	द्वितीय	05.12.2024	06.12.2024	01

क्र. स.	कोषालय का नाम	लेखा माह	सूची	लेखे प्राप्ति की नियत दिनांक	लेखे प्राप्त होने की दिनांक	विलम्ब के दिवसों की संख्या
		12/2024	प्रथम	15.12.2024	16.12.2024	01
		12/2024	द्वितीय	05.01.2025	06.01.2025	01
		01/2025	प्रथम	15.01.2025	16.01.2025	01
		01/2025	द्वितीय	05.02.2025	06.02.2025	01
		02/2025	प्रथम	15.02.2025	02.03.2025	15
		02/2025	द्वितीय	05.03.2025	06.03.2025	01
		03/2025	प्रथम	15.03.2025	18.03.2025	03
		03/2025	द्वितीय	05.04.2025	06.04.2025	01
24.	झालावाड़	04/2024	द्वितीय	08.05.2024	10.05.2024	02
		06/2024	प्रथम	17.06.2024	18.06.2024	01
		06/2024	द्वितीय	08.07.2024	09.07.2024	01
		07/2024	द्वितीय	08.08.2024	10.08.2024	02
		08/2024	प्रथम	17.08.2024	20.08.2024	03
		09/2024	द्वितीय	05.10.2024	07.10.2024	02
		10/2024	प्रथम	15.10.2024	17.10.2024	02
		10/2024	द्वितीय	05.11.2024	06.11.2024	01
		12/2024	प्रथम	15.12.2024	16.12.2024	01
		12/2024	द्वितीय	05.01.2025	06.01.2025	01
		01/2025	प्रथम	15.01.2025	22.01.2025	07
25.	झुंझुनू	04/2024	प्रथम	17.04.2024	18.04.2024	01
		04/2024	द्वितीय	08.05.2024	14.05.2024	06
		06/2024	प्रथम	17.06.2024	18.06.2024	01
		09/2024	प्रथम	15.09.2024	18.09.2024	03
		09/2024	द्वितीय	05.10.2024	07.10.2024	02
		10/2024	प्रथम	15.10.2024	16.10.2024	01
		10/2024	द्वितीय	05.11.2024	06.11.2024	01
		11/2024	द्वितीय	05.12.2024	06.12.2024	01
		12/2024	प्रथम	15.12.2024	16.12.2024	01
		12/2024	द्वितीय	05.01.2025	06.01.2025	01
		01/2025	प्रथम	15.01.2025	17.01.2025	02
		01/2025	द्वितीय	05.02.2025	06.02.2025	01
		02/2025	प्रथम	15.02.2025	17.02.2025	02
		03/2025	प्रथम	15.03.2025	18.03.2025	03
26.	जोधपुर शहर	04/2024	प्रथम	17.04.2024	30.04.2024	13
		04/2024	द्वितीय	08.05.2024	14.05.2024	06
		06/2024	प्रथम	17.06.2024	18.06.2024	01
		07/2024	प्रथम	17.07.2024	08.08.2024	22
		10/2024	प्रथम	15.10.2024	16.10.2024	01
		10/2024	द्वितीय	05.11.2024	06.11.2024	01
		12/2024	द्वितीय	05.01.2025	06.01.2025	01
		01/2025	प्रथम	15.01.2025	16.01.2025	01
		01/2025	द्वितीय	05.02.2025	06.02.2025	01
		02/2025	प्रथम	15.02.2025	17.02.2025	02
		03/2025	प्रथम	15.03.2025	18.03.2025	03
27.	जोधपुर ग्रामीण	06/2024	प्रथम	17.06.2024	18.06.2024	01
		08/2024	प्रथम	17.08.2024	20.08.2024	03
		09/2024	प्रथम	15.09.2024	18.09.2024	03
		10/2024	प्रथम	15.10.2024	16.10.2024	01

क्र. स.	कोषालय का नाम	लेखा माह	सूची	लेखे प्राप्ति की नियत दिनांक	लेखे प्राप्त होने की दिनांक	विलम्ब के दिवसों की संख्या
		10/2024	द्वितीय	05.11.2024	06.11.2024	01
		11/2024	प्रथम	15.11.2024	18.11.2024	03
		11/2024	द्वितीय	05.12.2024	06.12.2024	01
		12/2024	प्रथम	15.12.2024	16.12.2024	01
		12/2024	द्वितीय	05.01.2025	06.01.2025	01
		01/2025	प्रथम	15.01.2025	16.01.2025	01
		01/2025	द्वितीय	05.02.2025	06.02.2025	01
		02/2025	प्रथम	15.02.2025	17.02.2025	02
		02/2025	द्वितीय	05.03.2025	06.03.2025	01
		03/2025	प्रथम	15.03.2025	18.03.2025	03
		03/2025	द्वितीय	05.04.2025	06.04.2025	01
28.	करौली	04/2024	प्रथम	17.04.2024	18.04.2024	01
		04/2024	द्वितीय	08.05.2024	15.05.2024	07
		06/2024	प्रथम	17.06.2024	18.06.2024	01
		06/2024	द्वितीय	08.07.2024	11.07.2024	03
		07/2024	प्रथम	17.07.2024	08.08.2024	22
		07/2024	द्वितीय	08.08.2024	10.08.2024	02
		08/2024	प्रथम	17.08.2024	20.08.2024	03
		09/2024	प्रथम	15.09.2024	19.09.2024	04
		09/2024	द्वितीय	05.10.2024	07.10.2024	02
		10/2024	प्रथम	15.10.2024	17.10.2024	02
		10/2024	द्वितीय	05.11.2024	06.11.2024	01
		11/2024	प्रथम	15.11.2024	19.11.2024	04
		12/2024	द्वितीय	05.01.2025	06.01.2025	01
		01/2025	प्रथम	15.01.2025	16.01.2025	01
		01/2025	द्वितीय	05.02.2025	06.02.2025	01
		02/2025	प्रथम	15.02.2025	17.02.2025	02
		02/2025	द्वितीय	05.03.2025	06.03.2025	01
		03/2025	प्रथम	15.03.2025	19.03.2025	04
		03/2025	द्वितीय	05.04.2025	06.04.2025	01
29.	कोटा	04/2024	द्वितीय	08.05.2024	15.05.2024	07
		06/2024	प्रथम	17.06.2024	18.06.2024	01
		08/2024	प्रथम	17.08.2024	20.08.2024	03
		09/2024	द्वितीय	05.10.2024	08.10.2024	03
		10/2024	प्रथम	15.10.2024	16.10.2024	01
		10/2024	द्वितीय	05.11.2024	06.11.2024	01
		11/2024	प्रथम	15.11.2024	18.11.2024	03
		12/2024	प्रथम	15.12.2024	16.12.2024	01
		12/2024	द्वितीय	05.01.2025	06.01.2025	01
		01/2025	प्रथम	15.01.2025	16.01.2025	01
		02/2025	प्रथम	15.02.2025	17.02.2025	02
		03/2025	द्वितीय	05.04.2025	06.04.2025	01
30.	नागौर	04/2024	द्वितीय	08.05.2024	14.05.2024	06
		06/2024	प्रथम	17.06.2024	18.06.2024	01
		09/2024	द्वितीय	05.10.2024	07.10.2024	02
		10/2024	प्रथम	15.10.2024	16.10.2024	01
		10/2024	द्वितीय	05.11.2024	06.11.2024	01
		11/2024	प्रथम	15.11.2024	18.11.2024	03

क्र. स.	कोषालय का नाम	लेखा माह	सूची	लेखे प्राप्ति की नियत दिनांक	लेखे प्राप्त होने की दिनांक	विलम्ब के दिवसों की संख्या
		12/2024	प्रथम	15.12.2024	16.12.2024	01
		12/2024	द्वितीय	05.01.2025	06.01.2025	01
		01/2025	प्रथम	15.01.2025	16.01.2025	01
		01/2025	द्वितीय	05.02.2025	06.02.2025	01
31.	पाली	04/2024	द्वितीय	08.05.2024	13.05.2024	05
		10/2024	द्वितीय	05.11.2024	06.11.2024	01
		11/2024	द्वितीय	05.12.2024	06.12.2024	01
		12/2024	प्रथम	15.12.2024	16.12.2024	01
		12/2024	द्वितीय	05.01.2025	06.01.2025	01
		01/2025	प्रथम	15.01.2025	16.01.2025	01
		03/2025	द्वितीय	05.04.2025	06.04.2025	01
32.	प्रतापगढ़	08/2024	प्रथम	17.08.2024	21.08.2024	04
		09/2024	प्रथम	15.09.2024	18.09.2024	03
		09/2024	द्वितीय	05.10.2024	07.10.2024	02
		10/2024	प्रथम	15.10.2024	16.10.2024	01
		10/2024	द्वितीय	05.11.2024	06.11.2024	01
		11/2024	द्वितीय	05.12.2024	06.12.2024	01
		01/2025	प्रथम	15.01.2025	16.01.2025	01
		02/2025	प्रथम	15.02.2025	18.02.2025	03
		03/2025	प्रथम	15.03.2025	18.03.2025	03
		03/2025	द्वितीय	05.04.2025	06.04.2025	01
33.	राजसमन्द	04/2024	प्रथम	17.04.2024	22.04.2024	05
		04/2024	द्वितीय	08.05.2024	14.05.2024	06
		07/2024	द्वितीय	08.08.2024	10.08.2024	02
		08/2024	प्रथम	17.08.2024	20.08.2024	03
		09/2024	प्रथम	15.09.2024	19.09.2024	04
		09/2024	द्वितीय	05.10.2024	07.10.2024	02
		10/2024	प्रथम	15.10.2024	18.10.2024	03
		10/2024	द्वितीय	05.11.2024	06.11.2024	01
		12/2024	प्रथम	15.12.2024	16.12.2024	01
		01/2025	प्रथम	15.01.2025	16.01.2025	01
		03/2025	द्वितीय	05.04.2025	06.04.2025	01
34.	सवाईमाधोपुर	04/2024	प्रथम	17.04.2024	18.04.2024	01
		10/2024	प्रथम	15.10.2024	16.10.2024	01
		10/2024	द्वितीय	05.11.2024	06.11.2024	01
		11/2024	द्वितीय	05.12.2024	06.12.2024	01
		12/2024	द्वितीय	05.01.2025	06.01.2025	01
		01/2025	प्रथम	15.01.2025	16.01.2025	01
		01/2025	द्वितीय	05.02.2025	06.02.2025	01
		02/2025	द्वितीय	05.03.2025	06.03.2025	01
		03/2025	प्रथम	15.03.2025	18.03.2025	03
35.	सीकर	04/2024	प्रथम	17.04.2024	30.04.2024	13
		08/2024	प्रथम	17.08.2024	20.08.2024	03
		10/2024	प्रथम	15.10.2024	16.10.2024	01
		10/2024	द्वितीय	05.11.2024	06.11.2024	01
		12/2024	प्रथम	15.12.2024	16.12.2024	01
		12/2024	द्वितीय	05.01.2025	06.01.2025	01
		01/2025	प्रथम	15.01.2025	16.01.2025	01

क्र. स.	कोषालय का नाम	लेखा माह	सूची	लेखे प्राप्ति की नियत दिनांक	लेखे प्राप्त होने की दिनांक	विलम्ब के दिवसों की संख्या
		01/2025	द्वितीय	05.02.2025	06.02.2025	01
		02/2025	द्वितीय	05.03.2025	06.03.2025	01
		03/2025	प्रथम	15.03.2025	18.03.2025	03
		03/2025	द्वितीय	05.04.2025	06.04.2025	01
36.	सिरोही	04/2024	प्रथम	17.04.2024	18.04.2024	01
		04/2024	द्वितीय	08.05.2024	15.05.2024	07
		06/2024	प्रथम	17.06.2024	18.06.2024	01
		08/2024	प्रथम	17.08.2024	20.08.2024	03
		09/2024	प्रथम	15.09.2024	18.09.2024	03
		09/2024	द्वितीय	05.10.2024	07.10.2024	02
		10/2024	प्रथम	15.10.2024	16.10.2024	01
		10/2024	द्वितीय	05.11.2024	06.11.2024	01
		11/2024	द्वितीय	05.12.2024	06.12.2024	01
		12/2024	प्रथम	15.12.2024	16.12.2024	01
		01/2025	प्रथम	15.01.2025	17.01.2025	02
		01/2025	द्वितीय	05.02.2025	06.02.2025	01
		02/2025	प्रथम	15.02.2025	17.02.2025	02
		02/2025	द्वितीय	05.03.2025	06.03.2025	01
		03/2025	प्रथम	15.03.2025	18.03.2025	03
37.	टोंक	04/2024	प्रथम	17.04.2024	18.04.2024	01
		04/2024	द्वितीय	08.05.2024	14.05.2024	06
		09/2024	प्रथम	15.09.2024	19.09.2024	04
		10/2024	प्रथम	15.10.2024	16.10.2024	01
		10/2024	द्वितीय	05.11.2024	06.11.2024	01
		12/2024	प्रथम	15.12.2024	16.12.2024	01
		12/2024	द्वितीय	05.01.2025	06.01.2025	01
		01/2025	प्रथम	15.01.2025	16.01.2025	01
		01/2025	द्वितीय	05.02.2025	06.02.2025	01
		02/2025	प्रथम	15.02.2025	18.02.2025	03
		02/2025	द्वितीय	05.03.2025	06.03.2025	01
		03/2025	प्रथम	15.03.2025	18.03.2025	03
		03/2025	द्वितीय	05.04.2025	06.04.2025	01
38.	उदयपुर शहर	04/2024	प्रथम	17.04.2024	22.04.2024	05
		04/2024	द्वितीय	08.05.2024	14.05.2024	06
		06/2024	प्रथम	17.06.2024	18.06.2024	01
		07/2024	प्रथम	17.07.2024	08.08.2024	22
		09/2024	द्वितीय	05.10.2024	07.10.2024	02
		10/2024	द्वितीय	05.11.2024	06.11.2024	01
		12/2024	प्रथम	15.12.2024	16.12.2024	01
		12/2024	द्वितीय	05.01.2025	06.01.2025	01
		01/2025	प्रथम	15.01.2025	16.01.2025	01
		01/2025	द्वितीय	05.02.2025	06.02.2025	01
		02/2025	प्रथम	15.02.2025	17.02.2025	02
		02/2025	द्वितीय	05.03.2025	06.03.2025	01
		03/2025	प्रथम	15.03.2025	17.03.2025	02
39.	नई दिल्ली	04/2024	द्वितीय	08.05.2024	09.05.2024	01
		06/2024	द्वितीय	08.07.2024	09.07.2024	01
		07/2024	द्वितीय	08.08.2024	11.08.2024	03

क्र. स.	कोषालय का नाम	लेखा माह	सूची	लेखे प्राप्ति की नियत दिनांक	लेखे प्राप्त होने की दिनांक	विलम्ब के दिवसों की संख्या
		12/2024	द्वितीय	05.01.2025	06.01.2025	01
		02/2025	द्वितीय	05.03.2025	06.03.2025	01
40.	ई-कोषालय	04/2024	प्रथम	17.04.2024	24.04.2024	07
		05/2024	प्रथम	17.05.2024	20.05.2024	03
		06/2024	प्रथम	17.06.2024	24.06.2024	07
		08/2024	द्वितीय	08.09.2024	09.09.2024	01
		09/2024	प्रथम	15.09.2024	19.09.2024	04
		09/2024	द्वितीय	05.10.2024	06.10.2024	01
		11/2024	द्वितीय	05.12.2024	06.12.2024	01
		12/2024	प्रथम	15.12.2024	16.12.2024	01
		12/2024	द्वितीय	05.01.2025	07.01.2025	02
		01/2025	द्वितीय	05.02.2025	06.02.2025	01
		02/2025	द्वितीय	05.03.2025	06.03.2025	01
		03/2025	द्वितीय	05.04.2025	06.04.2025	01
41.	उदयपुर ग्रामीण	04/2024	द्वितीय	08.05.2024	14.05.2024	06
		08/2024	प्रथम	17.08.2024	20.08.2024	03
		10/2024	प्रथम	15.10.2024	16.10.2024	01
		10/2024	द्वितीय	05.11.2024	06.11.2024	01
		01/2025	प्रथम	15.01.2025	16.01.2025	01
		02/2025	द्वितीय	05.03.2025	06.03.2025	01
42.	अनुपगढ	09/2024	द्वितीय	05.10.2024	07.10.2024	02
		10/2024	प्रथम	15.10.2024	16.10.2024	01
		10/2024	द्वितीय	05.11.2024	06.11.2024	01
		12/2024	द्वितीय	05.01.2025	06.01.2025	01
		01/2025	प्रथम	15.01.2025	22.01.2025	07
		01/2025	द्वितीय	05.02.2025	06.02.2025	01
		02/2025	प्रथम	15.02.2025	02.03.2025	15
		02/2025	द्वितीय	05.03.2025	06.03.2025	01
43.	बालोतरा	04/2024	द्वितीय	08.05.2024	14.05.2024	06
		06/2024	प्रथम	17.06.2024	18.06.2024	01
		10/2024	प्रथम	15.10.2024	16.10.2024	01
		10/2024	द्वितीय	05.11.2024	06.11.2024	01
		11/2024	द्वितीय	05.12.2024	06.12.2024	01
		12/2024	प्रथम	15.12.2024	17.12.2024	02
		12/2024	द्वितीय	05.01.2025	06.01.2025	01
		01/2025	प्रथम	15.01.2025	21.01.2025	06
		02/2025	प्रथम	15.02.2025	17.02.2025	02
		02/2025	द्वितीय	05.03.2025	06.03.2025	01
		03/2025	द्वितीय	05.04.2025	06.04.2025	01
44.	केकड़ी	04/2024	द्वितीय	08.05.2024	14.05.2024	06
		09/2024	द्वितीय	05.10.2024	07.10.2024	02
		10/2024	प्रथम	15.10.2024	16.10.2024	01
		10/2024	द्वितीय	05.11.2024	06.11.2024	01
		11/2024	प्रथम	15.11.2024	18.11.2024	03
		11/2024	द्वितीय	05.12.2024	06.12.2024	01
		12/2024	प्रथम	15.12.2024	16.12.2024	01
		01/2025	प्रथम	15.01.2025	17.01.2025	02
		01/2025	द्वितीय	05.02.2025	06.02.2025	01

क्र. स.	कोषालय का नाम	लेखा माह	सूची	लेखे प्राप्ति की नियत दिनांक	लेखे प्राप्त होने की दिनांक	विलम्ब के दिवसों की संख्या
		02/2025	प्रथम	15.02.2025	17.02.2025	02
45.	डीग	04/2024	प्रथम	17.04.2024	22.04.2024	05
		04/2024	द्वितीय	08.05.2024	15.05.2024	07
		09/2024	द्वितीय	05.10.2024	08.10.2024	03
		10/2024	प्रथम	15.10.2024	16.10.2024	01
		10/2024	द्वितीय	05.11.2024	06.11.2024	01
		11/2024	द्वितीय	05.12.2024	06.12.2024	01
		01/2025	प्रथम	15.01.2025	16.01.2025	01
		01/2025	द्वितीय	05.02.2025	06.02.2025	01
		02/2025	द्वितीय	05.03.2025	06.03.2025	01
46.	डीडवाना-कुचामन	04/2024	प्रथम	17.04.2024	18.04.2024	01
		04/2024	द्वितीय	08.05.2024	15.05.2024	07
		05/2024	प्रथम	17.05.2024	22.05.2024	05
		06/2024	प्रथम	17.06.2024	18.06.2024	01
		09/2024	द्वितीय	05.10.2024	07.10.2024	02
		10/2024	द्वितीय	05.11.2024	06.11.2024	01
		01/2025	प्रथम	15.01.2025	16.01.2025	01
		01/2025	द्वितीय	05.02.2025	06.02.2025	01
47.	दूदू	04/2024	प्रथम	17.04.2024	22.04.2024	05
		06/2024	प्रथम	17.06.2024	18.06.2024	01
		07/2024	द्वितीय	08.08.2024	10.08.2024	02
		09/2024	प्रथम	15.09.2024	18.09.2024	03
		11/2024	प्रथम	15.11.2024	18.11.2024	03
		12/2024	द्वितीय	05.01.2025	06.01.2025	01
		01/2025	द्वितीय	05.02.2025	06.02.2025	01
48.	गंगापुर सिटी	04/2024	प्रथम	17.04.2024	30.04.2024	13
		08/2024	प्रथम	17.08.2024	22.08.2024	05
		10/2024	प्रथम	15.10.2024	17.10.2024	02
		10/2024	द्वितीय	05.11.2024	06.11.2024	01
		12/2024	प्रथम	15.12.2024	16.12.2024	01
		12/2024	द्वितीय	05.01.2025	06.01.2025	01
		01/2025	प्रथम	15.01.2025	16.01.2025	01
		01/2025	द्वितीय	05.02.2025	06.02.2025	01
49.	फलोदी	04/2024	द्वितीय	08.05.2024	14.05.2024	06
		05/2024	प्रथम	17.05.2024	20.05.2024	03
		06/2024	प्रथम	17.06.2024	18.06.2024	01
		06/2024	द्वितीय	08.07.2024	09.07.2024	01
		07/2024	द्वितीय	08.08.2024	10.08.2024	02
		09/2024	प्रथम	15.09.2024	18.09.2024	03
		10/2024	प्रथम	15.10.2024	16.10.2024	01
		10/2024	द्वितीय	05.11.2024	06.11.2024	01
		11/2024	प्रथम	15.11.2024	19.11.2024	04
		11/2024	द्वितीय	05.12.2024	06.12.2024	01
		12/2024	द्वितीय	05.01.2025	06.01.2025	01
		01/2025	प्रथम	15.01.2025	17.01.2025	02
		01/2025	द्वितीय	05.02.2025	06.02.2025	01
		02/2025	द्वितीय	05.03.2025	06.03.2025	01
		03/2025	द्वितीय	05.04.2025	06.04.2025	01

क्र. स.	कोषालय का नाम	लेखा माह	सूची	लेखे प्राप्ति की नियत दिनांक	लेखे प्राप्त होने की दिनांक	विलम्ब के दिवसों की संख्या
50.	खैरथल-तिजारा	10/2024	द्वितीय	05.11.2024	06.11.2024	01
51.	कोटपुतली-बहरोड़	04/2024	प्रथम	17.04.2024	22.04.2024	05
		04/2024	द्वितीय	08.05.2024	14.05.2024	06
		06/2024	प्रथम	17.06.2024	18.06.2024	01
		06/2024	द्वितीय	08.07.2024	09.07.2024	01
		08/2024	प्रथम	17.08.2024	21.08.2024	04
		09/2024	प्रथम	15.09.2024	18.09.2024	03
		09/2024	द्वितीय	05.10.2024	08.10.2024	03
		10/2024	प्रथम	15.10.2024	16.10.2024	01
		10/2024	द्वितीय	05.11.2024	06.11.2024	01
		11/2024	प्रथम	15.11.2024	19.11.2024	04
		12/2024	प्रथम	15.12.2024	16.12.2024	01
		12/2024	द्वितीय	05.01.2025	06.01.2025	01
		01/2025	प्रथम	15.01.2025	17.01.2025	02
		02/2025	द्वितीय	05.03.2025	06.03.2025	01
52.	नीम का थाना	10/2024	द्वितीय	05.11.2024	06.11.2024	01
		01/2025	प्रथम	15.01.2025	16.01.2025	01
		01/2025	द्वितीय	05.02.2025	06.02.2025	01
		02/2025	प्रथम	15.02.2025	28.02.2025	13
53.	सलुम्बर	07/2024	द्वितीय	08.08.2024	10.08.2024	02
		10/2024	द्वितीय	05.11.2024	06.11.2024	01
		12/2024	प्रथम	15.12.2024	16.12.2024	01
		02/2025	द्वितीय	05.03.2025	06.03.2025	01
54.	सांचोर	04/2024	प्रथम	17.04.2024	18.04.2024	01
		04/2024	द्वितीय	08.05.2024	14.05.2024	06
		06/2024	प्रथम	17.06.2024	18.06.2024	01
		07/2024	प्रथम	17.07.2024	02.08.2024	15
		07/2024	द्वितीय	08.08.2024	10.08.2024	02
		08/2024	प्रथम	17.08.2024	20.08.2024	03
		09/2024	द्वितीय	05.10.2024	07.10.2024	02
		10/2024	प्रथम	15.10.2024	17.10.2024	02
		10/2024	द्वितीय	05.11.2024	06.11.2024	01
		11/2024	प्रथम	15.11.2024	18.11.2024	03
		11/2024	द्वितीय	05.12.2024	06.12.2024	01
		12/2024	द्वितीय	05.01.2025	06.01.2025	01
		01/2025	प्रथम	15.01.2025	20.01.2025	05
		01/2025	द्वितीय	05.02.2025	06.02.2025	01
		02/2025	प्रथम	15.02.2025	04.03.2025	17
		02/2025	द्वितीय	05.03.2025	06.03.2025	01
55.	शाहपुरा	04/2024	द्वितीय	08.05.2024	14.05.2024	06
		05/2024	प्रथम	17.05.2024	20.05.2024	03
		06/2024	द्वितीय	08.07.2024	09.07.2024	01
		07/2024	प्रथम	17.07.2024	09.08.2024	23
		07/2024	द्वितीय	08.08.2024	09.08.2024	01
		08/2024	प्रथम	17.08.2024	20.08.2024	03
		08/2024	द्वितीय	08.09.2024	09.09.2024	01
		10/2024	प्रथम	15.10.2024	16.10.2024	01
		10/2024	द्वितीय	05.11.2024	07.11.2024	02

क्र. स.	कोषालय का नाम	लेखा माह	सूची	लेखे प्राप्ति की नियत दिनांक	लेखे प्राप्त होने की दिनांक	विलम्ब के दिवसों की संख्या
		11/2024	प्रथम	15.11.2024	18.11.2024	03
		12/2024	द्वितीय	05.01.2025	06.01.2025	01
		01/2025	प्रथम	15.01.2025	16.01.2025	01
		01/2025	द्वितीय	05.02.2025	06.02.2025	01
56.	साइबर स्टेट	04/2024	प्रथम	17.04.2024	30.04.2024	13
		04/2024	द्वितीय	08.05.2024	15.05.2024	07
		05/2024	प्रथम	17.05.2024	20.05.2024	03
		07/2024	प्रथम	17.07.2024	30.07.2024	13
		07/2024	द्वितीय	08.08.2024	10.08.2024	02
		10/2024	द्वितीय	05.11.2024	06.11.2024	01
		11/2024	द्वितीय	05.12.2024	06.12.2024	01
		12/2024	द्वितीय	05.01.2025	06.01.2025	01
		01/2025	द्वितीय	05.02.2025	06.02.2025	01
		02/2025	द्वितीय	05.03.2025	06.03.2025	01
		03/2025	द्वितीय	05.04.2025	06.04.2025	01
प्रधान महालेखाकार (लेखा व हक.) कार्यालय को विलम्ब से प्राप्त हुई मासिक लेखाओं की प्रथम अनुसूचियों की संख्या						326
प्रधान महालेखाकार (लेखा व हक.) कार्यालय को विलम्ब से प्राप्त हुई मासिक लेखाओं की द्वितीय अनुसूचियों की संख्या						309
प्रधान महालेखाकार (लेखा व हक.) कार्यालय को विलम्ब से प्राप्त हुई मासिक लेखाओं की प्रथम एवं द्वितीय अनुसूचियों की संख्या का कुल योग						635

परिशिष्ट संख्या - 8

(संदर्भ पैरा संख्या -2.4)

कोषालयों से प्राप्त हिसाब शोधन पत्रों की संख्या का विवरण

क्र.सं.	कोषालय का नाम	कुल प्राप्त संशोधन के प्रकरणों (टी.वाई-65) की संख्या	निस्तारण हेतु लिये गये प्रकरणों (टी.वाई-65) की संख्या	अन्य वांछित विवरण के अभाव में लौटाये गये प्रकरणों (टी.वाई-65) की संख्या	लेखाओं के संशोधन में सम्मिलित किये गये प्रकरणों (टी.वाई-65) की संख्या	समायोजित राशि ₹	
						प्राप्ति	भुगतान
1	अजमेर	2	2	0	2	2425	10168
2	अलवर	7	7	0	7	35814	134697
3	बांरा	12	12	0	12	0	294516
4	भीलवाडा	32	32	0	32	0	120841
5	बीकानेर	4	4	0	4	5300	268495
6	दौसा	15	15	0	15	170385	789346
7	धौलपुर	3	3	0	3	19402	273467
8	श्रीगंगानगर	2	2	0	2	0	68075
9	जयपुर (शहर)	28	28	0	28	4256175	979439
10	जोधपुर (शहर)	7	7	0	7	3325680	3384339
11	कोटा	1	1	0	1	36800000	0
12	पाली	1	1	0	1	0	77432
13	सीकर	11	11	0	11	346124	363624
14	टोंक	1	1	0	1	0	78089
15	उदयपुर	3	3	0	3	0	21181
16	ई ट्रेजरी	124	119	5	119	1043141939	25418886
17	जयपुर (पेंशन)	1	1	0	1	0	59249
18	PAO New Delhi	5	5	0	5	30249	25773
19	चूरू	2	2	0	2	10172	78426

क्र.सं.	कोषालय का नाम	कुल प्राप्त संशोधन के प्रकरणों (टी.वाई-65) की संख्या	निस्तारण हेतु लिये गये प्रकरणों (टी.वाई-65) की संख्या	अन्य वांछित विवरण के अभाव में लौटाये गये प्रकरणों (टी.वाई-65) की संख्या	लेखाओं के संशोधन में सम्मिलित किये गये प्रकरणों (टी.वाई-65) की संख्या	समायोजित राशि ₹	
						प्राप्तियां	भुगतान
20	सिरोही	34	33	1	33	145430	67200
21	भरतपुर	1	1	0	1	17480	0
22	झुंझलु	3	3	0	3	34831	12700
23	जैसलमेर	1	1	0	1	15000	0
24	झालावाड	1	1	0	1	2194126	2194126
25	उदयपुर (ग्रामीण)	3	3	0	3	74092	74092
26	बाड़मेर	5	5	0	5	6057948	6057948
27	जयपुर (ग्रामीण)	2	2	0	2	134062	134062
28	बालोतरा	1	1	0	1	11010	11010
29	सचिवालय	24	24	0	24	151023	3075291
30	डीडवाना - कुचामन	1	1	0	1	0	400000
कुल		337	331	6	331	1096978667	44472472

नोट:- त्रुटिपूर्ण वर्गीकरण के कारण निम्न प्रकार है:-

1. कोषालय द्वारा खर्च गलत मद में वर्गीकृत किया गया (गलत Mapping एवं मानवीय भूल के कारण) ।
2. उक्त चालान मद 8443-108 में जमा होने के बजाय मद 8443-109 में जमा हो गया ।
3. डेबिट मद में कार्यालय का नाम उप वन संरक्षक उत्तर जयपुर अंकित हो गया था जबकि सही कार्यालय उप वन संरक्षक मिडिल जयपुर है ।
4. डिवीज़न द्वारा गलत हेड में राशि को डेबिट किया गया जिस कारण टी.ई. भेजकर सुधार करवाया गया।

परिशिष्ट संख्या - 9

(संदर्भ पैरा संख्या -2.6.1)

राज्य की समेकित निधि से आहरण कर राशियों को निजी निक्षेप खातों में हस्तांतरण करने का विवरण

(amount in crores)

Total Number of PD Accounts in which amount received from Consolidated Fund of State	Total Amount Received from Revenue Expenditure Major Head	Total Amount Received from Capital Expenditure Major Head	Total Amount Received through Loan Heads	Total
829	21693.97	5253.00	210.69	27157.66
Object Head Wise breakup of Receipts in 829 PD Accounts (full Figure in rupees)				
Object Head Name	Revenue Exp.	Capital Exp.		
01-Salary	3151000.00			0.00
04-Medical Expenses	30000000000.00			0.00
05-Office Expenses	11260900.00			0.00
08-Professional and Special Services	11388008.00			0.00
12-GIA	101663695835.00			0.00
13-Scholarship and Stipend	25119000.00			0.00
16-Minor Works	0.00			338626000.00
17-Major Works	0.00			17019728500.00

18-Machinery and Equipments / Tools and Plans (METP)	139901000.00	2260483000.00
21-Maintenance and Repairs	567956000.00	0.00
23-Interest / Dividends	3467868435.00	0.00
29-Training, Tours and Conference Expenses	108000000.00	0.00
30-Functions and Exhibitions	6475000.00	0.00
41-Contractual Expenses	119032729.00	0.00
42-Incentive and Honorarium Expenses	43560000.00	0.00
43-Employees and Labour Welfare Expenses	1500000000.00	0.00
48-Award and Compensation	0.00	1393300000.00
57-Expenses on Specific Services by the Departments	9415585000.00	0.00
62-Computerisation and Related communication Expenses	1200558087.00	1315570000.00
72-Modernisation , Strengthening, Renovation and Upgradation Expenses	0.00	776905000.00
73-Share Capital	0.00	10450000000.00
74-Expenses on Construction of Roads and Bridges	0.00	18975428000.00
91-Subsidy	238500000.00	0.00
92-Grant in aid(sal)	65655491000.00	0.00
93-Grant in aid	2762199000.00	0.00
Total	216939740994	52530040500

परिशिष्ट संख्या- 10

(संदर्भ पैरा संख्या -2.6.2)

निजी निक्षेप खातों के लिये महालेखाकार व कोषालय द्वारा संधारित की जाने वाली पुस्तकों के आंकड़ों के मध्य उत्पन्न हुए अंतरों का कोषालय वार व खातावार विवरण

क्र. सं	कोषालय का नाम	क्र. सं	खाता संख्या	संस्था का नाम	महालेखाकार के अनुसार शेष राशि रु.	कोषालय के अनुसार शेष राशि रु.	(+) धनात्मक अंतर राशि रु.	(-) ऋणात्मक अंतर राशि रु.
1	AJMER	1.	430	SR,D,E,O,CUM,BLOCK ELE, EDU, OFFICER ARRAI	29791900.75	29789360.75	0	2540
		2.	431	SR,DUPTY D,E,O, CUM BLOCK ELE,EDU,OFFICER KEKARI	29129422	29129422.67	0.67	0
		3.	474	HOUSE BUILDING ADVANCE	14469	0	0	14469
		4.	6253	CHAIRMAN,AJMER DISTRICT MINERAL FOUNDATION TRUST A	270347436	270346102	0	1334
2	ALWAR	5.	473	HBA LOANS (OLD 31.3.04)	5464	0	0	5464
		6.	5032	CHAIRMAN PUNCH NIRAYA SHULK	71643	69493	0	2150
		7.	54	DY. COMMANDENT HOME GUARD	3387576.33	3383210.33	0	4366
		8.	6256	DIST. MINERAL FOUNDATION TRUST FUND ALWAR	197468133	197520996	52863	0
		9.	6683	DISTRICT PROJECT MANAGEMENT UNIT (RGAVP) ALWAR	174733	264733	90000	0
		10.	81	SR, DY,D,E,O CUM BLOCK EDU, OFFI,BANSUR	1007825	16899.28	0	990925.72
		11.	84	SR, DY, EDU, OF, CUM BLOCK PRIM, EDU, OFF, KOTKASIL	114114	114114.9	0.95	0
		12.	90	SR, DY, EDU, OF, CUM BLOCK PRIM, EDU, OFF,RAINI	20379315.63	21370240.63	990925	0
3	BANSWARA	13.	473	HBA OLD (31.3.04)	381223.2	30000.2	0	351223
		14.	477	NEW MCA OBC	0	0.41	0.41	0
		15.	4998	HOME DEFENCE TRANING CENTER ,	1612107.5	1606030.5	0	6077.00
4	BEAWAR	16.	6718	PRINICPAL GOVT COLLEGE MASUDA AJMER	1767693	1752693	0	15000
5	BHARTPUR	17.	471	LIFE INSU, CORP.OF INDIA	8951400.58	8946059.58	0	5341.00
		18.	473	H.B.A. (OLD 31.3.04)	37802.06	5000	0	32802.06

क्र. सं	कोषालय का नाम	क्र. सं	खाता संख्या	संस्था का नाम	महालेखाकार के अनुसार शेष राशि रु.	कोषालय के अनुसार शेष राशि रु.	(+) धनात्मक अंतर राशि रु.	(-) ऋणात्मक अंतर राशि रु.
		19.	6226	DISTRICT MINERAL FOUNDATION TRUST FUND BHARATPUR	31624975.46	33186975.46	1562000	0
		20.	6871	GOVT. COLLEGE VAIR BHARATPUR	1326263	1318138	0	8125
6	BHILWARA	21.	3197	SUPDT. I.T.I. GULABPURA	605188	603117	0	2071
		22.	473	H.B.A., LOANS (OLD 31.3.04)	441387.18	428152.18	0	13235
		23.	475	H.B.A., H.D.F.C.	128903	126256	0	2647
		24.	6161	COMMISSIONER EMPLOYEE COMPENSATION(RAJSAMAND), LA BU	6662528	7111800	449272	0
7	BIKANER	25.	3297	PRI. GOVT. LAW COLLEGE	5235368	5505368	270000.00	0
		26.	3302	GRIHA RAXXA TRAINING CENTER	2273266	2223850	0	49416
		27.	473	H.B.A. LOANS (OLD 31.3.04)	634793	602136	0	32657
		28.	475	H.B.A., H.D.F.C.	141447	91754	0	49693
		29.	5828	PRI. GOVT. COLLEGE LUNKARANSAR	3551858.6	3765831.6	213973	0
		30.	6220	DISTRICT MINERAL FOUNDATION TRUST (DMFT)	265959140	531799771.9	265840632	0
		31.	6493	SWAMI VIVEKANAND GOVT. MODEL SCHOOL SRIDUNGARGARH BIKANER	34745176	34760466	15290	0
		32.	6689	DISTRICT PROJECT MANAGEMENT UNIT (RGAVP) BIKANER	-3935000	0	3935000	0
		33.	765	SR. DY. EDU. OFF. / BLOCK PRIM. EDU. OFFICE LKRS	26092457	25973957	0	118500
		34.	766	SR. DY. DEO / BLOCK ED. OFFICE SRIDUNGARGARH	14247361	14266603	19242	0
8	CHITORGARH	35.	473	H.B.A. LONS (OLD 31.3.04)	45257	0	0	45257
		36.	6514	SWAMI VIVEKANAND GOVT. MODEL SCHOOL BEGU CHITORGARH	33240247.4	32987209.4	0	253038
		37.	6691	DISTRICT PROJECT MANAGEMENT UNIT (RGAVP) CHITTORGARDH	2870260	2690260	0	180000
9	CHURU	38.	2857	PRI. GOVT. COLLEGE SUJANGARH	7319066	7329238	10172	0
		39.	2866	I.T.I	1324750	1323250	0	1500

क्र. सं	कोषालय का नाम	क्र. सं	खाता संख्या	संस्था का नाम	महालेखाकार के अनुसार शेष राशि रु.	कोषालय के अनुसार शेष राशि रु.	(+) धनात्मक अंतर राशि रु.	(-) ऋणात्मक अंतर राशि रु.
		40.	2915	ADDL. D.E.O/BLOCK PRI.EDU. OFFICER	24040544.05	24036794.05	0	3750
		41.	2921	SR. DY-D.E.O/BLOCK PRI.EDU OFFICER TARANAGAR	22346400	21507810	0	838590
		42.	471	LIFE INSU. CORP.OF INDIA	10249653.8	10273733.8	24080	0
		43.	473	H.B.A.LOANS (OLD 31.3.04)	2664.3	0.3	0	2664
		44.	5660	SAMBHAGIYA SANS	0	0.83	0.83	0
		45.	6229	DISTRICT MINERAL FOUNDATION TRUST FUND	51259831	51249265	0	10566
10	DAUSA	46.	3019	DEPUTY DIR,AGRICULTURE(EXT.)	1711433	1750182	38749.00	0
		47.	3056	GOVT. COLLEGE LALSOT	6132491	6122251	0	10240
		48.	3061	AD. D.E.O. CUM B.E.E.O.	12271525.29	17460899.94	5189374.65	0
		49.	3063	SR. DY. D.E.O. CUM B.E.E.O. LALSOT	26972128.87	26975728.87	3600.00	0
		50.	471	LIFE INSU. CORP.OF INDIA	19359195.37	19404669.37	45474.00	0
		51.	473	H.B.A.LOANS (OLD 31.3.04)	126746	1425	0	125321
		52.	5914	GOVT.GIRLS COLLAGE LALSOT	2987743	2985943	0	1800
		53.	6237	DISTRICT MINERAL FOUNDATION TRUST FUND (DMFT)	54673883.4	54636921.4	0	36962
11	DHOLPUR	54.	473	H.B.A.LOANS (OLD 31.3.04)	306867.62	281539.62	0	25328
		55.	6232	DISTT.MINERAL FOUNDATION TRUST FUND (DMFT)	69087010	69014434	0	72576
		56.	6649	GOVT. ITI SAIPAU	117000	68000	0	49000
12	DUNGARPUR	57.	2493	DY. CONSERVATOR FOREST (DFO)DPR	15964766.57	15914766.57	0	50000
		58.	2495	PROJECT OFFICER, TAD DPR	61418974	61118974	0	300000
		59.	2549	HOME GUARD TRAINING CENTER	577916.35	576264.35	0	1652
		60.	471	LIFE INSU.CORP.O INDIA	41409129.84	41659331.84	250202.00	0
		61.	473	H.B.A.LOANS (OLD 31.3.04)	474075.07	40429.07	0	433646
		62.	479	NEW PENSION SCHEME (NPS)	124951	140683	15732.00	0

क्र. सं	कोषालय का नाम	क्र. सं	खाता संख्या	संस्था का नाम	महालेखाकार के अनुसार शेष राशि रु.	कोषालय के अनुसार शेष राशि रु.	(+) धनात्मक अंतर राशि रु.	(-) ऋणात्मक अंतर राशि रु.
		63.	6244	DISTRICT MINERAL FOUNDATION TRUST FUND (DMFT)	1401495	1384810	0	16685
		64.	6418	DISTT. PROJECT COORDINATOR, SARVA SHIKSHA ABHIYAN, (SSA)	99132000	99660000	528000.00	0
13	GANGANAGAR	65.	1290	CH.BABA HARDWARI NATH MEMORIAL TRUST, 2ML	71754	107531	35777.00	0
		66.	1308	LAND AQUISITION OFFICER, (S,D,M,)S.KARANPUR,	8031017.8	8031017	0	0.80
		67.	1863	BABA MUVASI NAATH MEM. TRUST,	20684	31026	10342.00	0
		68.	2023	SUPDT.DISTRICT JAIL	6175050	6157840	0	17210
		69.	2033	COMDT.HOME GUARD WELFARE FUND,	2290364	2124904	0	165460
		70.	2037	ADD.DY. D.E.O. CUM B.E.E.O	34190869	34550869	360000	0
		71.	471	LIFE INSU.CORP.OF INDIA	21902773.5	21899799.5	0	2974
		72.	473	H.B.A.LOANS (OLD 31.3.04)	208388	13848	0	194540
		73.	475	H.B.A. H.D..FC.	64967	64767	0	200
		74.	6261	DISTRICT MINERAL FOUNDATION TURST FUND (DMFT) SRIG	23396882	23396282	0	600
		75.	6435	DIST.PRO.COORDINATOR	29930671	29920671	0	10000
		76.	6712	DISTRICT PROJECT MANAGEMENT UNIT (RGAVP) SHRIGANGANAGAR	1061534	1046534	0	15000
14	HANUMANGARH	77.	3861	ASSTT. COMM. DEVESTHAN	8399624	8199624	0	200000
15	JAIPUR CITY	78.	19071	PRINCIPAL GOVT.AYURVED YOGA & PRAKARTIK CHIKITSA EKIKRIT MAHAVIDHYALAY PRATAP NAGAR JAIPUR	3182916	3037925	0	144991
		79.	3484	CHAIRMAN KEDI KALYAN FUND CENTRAL JAIL	18420047.64	18001645.64	0	418402
		80.	3490	COMMI. MORKMANS COMP.ACT	33668471.31	33126691.31	0	541780
		81.	3680	ASST.COMM,II DEVSTHAN DEPTT	152916	151308	0	1608
		82.	471	LIFE INSU. CORP.OF INDIA	50063188.18	48984028	0	1079160.18

क्र. सं	कोषालय का नाम	क्र. सं	खाता संख्या	संस्था का नाम	महालेखाकार के अनुसार शेष राशि रु.	कोषालय के अनुसार शेष राशि रु.	(+) धनात्मक अंतर राशि रु.	(-) ऋणात्मक अंतर राशि रु.
		83.	473	H.B.A. LOANS (OLD 31.3.04)	410861	12000.8	0	398860.2
		84.	474	H.B.A. S.B.B.J.	74589	14406	0	60183
		85.	475	H.B.A. H.D.F.C.	1694954	263974	0	1430980
		86.	543	COMMOISSIONER DEVASTHAN DEPTT.	516528.64	512238.64	0	4290
		87.	6123	D E O (ELM EDU) JAIPUR	461262229	461244421	0	17808
		88.	6399	DISTRICT MINERAL FOUNDATION TRUST FUND (DMFT) JAIPUR (CITY)	5414646	5410101	0	4545
		89.	6604	RAJASTHAN SCHEDULED CASTES FINANCE AND DEVELOPMENT CORPORATION JAIPUR	4451636.04	4441636.04	0	10000
16	JAIPUR PPO	90.	473	H.B.A. LOANS	-1057157	4350	1061507.00	0
17	JAIPUR RURAL	91.	471	LIFE INSU. CORP.OF INDIA	12738364.54	12745242.54	6878.00	0
		92.	475	H.B.A. H.D.F.,C	495595	481682	0	13913
		93.	4900	S.D./D.E.O.CUM.B.E.E.O.BASSI	32648520.48	32377315.48	0	271205
		94.	4905	S.D./D.E.O. CUM B.E.E.O. JAWARAMGARH	25585231.12	19434556.12	0	6150675
		95.	6248	DISTRICT MINERAL FOUNDATION TRUST FUND (DMFT), JAI	104795666.7	104803541.7	7875	0
18	JAIPUR SECTT.	96.	18692	RGHS	270222170	314761811	44539641	0
		97.	18794	DIRECTOR SWACHH BHARAT MISSION (RURAL)	422309242	422311023	1781	0
		98.	18820	PANCHAYATI RAJ DEPARTMENT	1697989246	1707445201	9455955	0
		99.	3792	DIR.&PRO. DIR.URBAN POVERTY ERADICATION PROGRAMME	1862285587	1862280257	0	5330
		100.	3882	SECY.RAJ. SHIKSHA KARMI BOARD	3678	0	0	3678
		101.	3988	DIR.SARVA SHIKSHA ABHIYAN	2171518707	2172483537	964830	0
		102.	471	LIFE INSU. CORP OF INDIA	3336891	3347962	11071	0
		103.	473	H.B.A. LOANS (OLD 31.3.04)	1554397	1560897	6500	0
		104.	474	H.B.A. S.B.B.J.	3231715	3231713	0	2

क्र. सं	कोषालय का नाम	क्र. सं	खाता संख्या	संस्था का नाम	महालेखाकार के अनुसार शेष राशि रु.	कोषालय के अनुसार शेष राशि रु.	(+) धनात्मक अंतर राशि रु.	(-) ऋणात्मक अंतर राशि रु.
		105.	6078	HOME GUARD DEPARTMENT	33260352	33261622	1270	0
		106.	6330	RAJ.MEDICAL EDU.SOCITY	2220999579	2401515901	180516322	0
		107.	6354	ADD.DIST.PRO.CO.	9674214.92	9497874.92	0	176340
19	JAISALMER	108.	4427	COMM.RAJ.HOME GUARD&CIVIL DEFENCE WELFARE FUND	4365503	4373827	8324.00	0
		109.	4488	COMM.(S.P.)HOME GUARD TRAINING CENTER,	1425071	1409636	0	15435
		110.	6217	DISTRICT MINERAL FOUNDATION TRUST FUND (DMFT)	392501493.9	392501534.9	41	0
20	JALORE	111.	1208	S.D.D.E.O.CUM.B.E.E.O. SAYALA	28132386.1	28115486.1	0	16900.00
21	JHALAWAR	112.	473	H.B.A. LOANS (OLD 31.3.04)	94755.57	121575.57	26820	0
		113.	6264	JHALAWAR DISTRICT MINERAL FOUNDATION TRUST FUND	34947031	34957031	10000	0
22	JHUNJHUNU	114.	473	H.B.A .LOANS (OLD 31.3.04)	168389	0	0	168389
		115.	6251	DISTRICT MINERAL FOUNDATION TRUST FUND (DMFT) JHUN	613170026	613142260	0	27766
		116.	6605	RAJASTHAN SCHEDULED CASTES FINANCE AND DEVELOPMENT CORPORATION JHUNJHUNU	2918069	2921459	3390	0
23	JODHPUR CITY	117.	5642	DIV. SANSKRIT EDU. OFFICER	0	0.7	0.7	0
		118.	5850	FINANCIAL COMP. AGRICULTUR UNI.	665562511	665559231	0	3280
24	JODHPUR RURAL	119.	4529	SR.DEPTY D.E.O.SHERGARH	29343127.83	28789879.83	0	553248
		120.	471	LIFE INSU.CORP.OF INDIA	7792743	6977786	0	814957
		121.	5870	GOVT.COLLEGE BALEGAR	2721205	2421205	0	300000
		122.	6227	JODHPUR DISTRICT MINERAL FOUNDATION TRUST FUND	67258056.32	66877871.32	0	380185
25	KARALI	123.	4373	ADDL..D.E.O.CUM.B.E.E.O.	19832152.87	19832151.87	0	1.00
		124.	5731	PARIYOJAN PRACH PRI,GOVT,COLLAGE NATHOTI	1489740	1489740.6	0.60	0
		125.	6243	DISTRICT MINERAL FOUNDATION TRUST FUND (DMFT)	3597665	3597111	0	554

क्र. सं	कोषालय का नाम	क्र. सं	खाता संख्या	संस्था का नाम	महालेखाकार के अनुसार शेष राशि रु.	कोषालय के अनुसार शेष राशि रु.	(+) धनात्मक अंतर राशि रु.	(-) ऋणात्मक अंतर राशि रु.
		126.	6613	RAJASTHAN SCHEDULED CASTES FINANCE AND DEVELOPMENT CORPORATION KARALI	4327269	4322413	0	4856
		127.	6703	DISTRICT PROJECT MANAGEMENT UNIT (RGAVP) KARALI	949633	693633	0	256000
26	KOTA	128.	2317	ASSISTANT COMMISSIONER DEVSTHAN	13108070	13097438	0	10632
		129.	2328	D.C.F. WILD ANIMAL	9366948.1	9314542.7	0	52405.4
		130.	2331	PRI.&CONTROLLER MEDICAL COLLEGE	168934003	168933906	0	97
		131.	471	LIFE INSU. CORP.OF INDIA	23097631	23096600	0	1031
		132.	473	H.B.A .LOANS (OLD 31.3.04)	236974.92	257946.92	20972	0
		133.	474	H.B.A. S.B.B.J.	137	0	0	137
		134.	475	H.B.A. H.D.F.C.	362178	341206	0	20972
		135.	5852	AGRICULTUR UNIVERSITY	290641671	290640021	0	1650
27	NAGAU	136.	18403	UPVAN SANRAKSHAK NAGUAR	723554	137570	0	585984
		137.	2579	PRI,GOVT,GIRLS COLLEGE	539334	614334	75000.00	0
		138.	2598	EX.ENGINEER P.H.E.D. DEEDVANA	-448522	0	448522.00	0
		139.	2660	SR,DY. D.E.O. CUM B.E.E.O. MERTA CITY	27427034.15	27387743.15	0	39291.00
		140.	2665	SR,DY,D.E.O.CUM B.E.E.O. KUCHAMANCITY	217924.91	196201.91	0	21723.00
		141.	471	LIFE INSU.CORP.OF INDIA	21623682.36	21620055.36	0	3627.00
		142.	473	H.B.A.LOANS (OLD 31.3.04)	0	0.78	0.78	0
		143.	475	H.B.A. H.D.F.C.	169544	170932	1388	0
		144.	6240	DISTRICT MINERAL FOUNDATION TRUST FUND	234023500.6	234698344.6	674844	0
		145.	6362	ADD.DIST.PRO.CO.	6174841.12	5471621.12	0	703220.00
		146.	6566	SWAMI VIVEKANAND GOVT. MODEL SCHOOL MOONDWA NAGAU	17432569	17428594	0	3975.00
28	PALI	147.	1847	COMANDENT(S.P)& DY COMA . HOME GUARD T.C.	5171688	5166791	0	4897

क्र. सं	कोषालय का नाम	क्र. सं	खाता संख्या	संस्था का नाम	महालेखाकार के अनुसार शेष राशि रु.	कोषालय के अनुसार शेष राशि रु.	(+) धनात्मक अंतर राशि रु.	(-) ऋणात्मक अंतर राशि रु.
		148.	471	LIFE INSU. CORP. OF INDIA	11242585	11240290	0	2295
		149.	473	H.B.A .(OLD 31.3.04)	104394	15140	0	89254
		150.	6731	GOVT. COLLAGE RAIPUR PALI	692830	0	0	692830
29	PARTAPGARH	151.	471	LIFE INSU. CORP. OF INDIA	12534833	12577813	42980.00	0
30	RAJSAMAND	152.	4202	DY. CONSERVATOR OF FOREST	21949536	21959996	10460	0
		153.	471	LIFE INSU. CORP. OF INDIA	13586600	13071744	0	514856
		154.	473	H.B.A .LOANS (OLD 31.3.04)	1244169	507165	0	737004
		155.	475	H.B.A., H.D.F.C.	4619245	4592918	0	26327
		156.	5561	SR. DY DEO CUM B.E.E.O. AMET	23858993.13	23869083.13	10090	0
		157.	6234	DISTRICT MINERAL FOUNDATION TRUST	474290349.5	473833986.5	0	456363
		158.	6708	DISTRICT PROJECT MANAGEMENT UNIT (RGAVP) RAJSAMAND	11065	56065	45000	0
31	SAWAI MADHOPUR	159.	1715	SR. DY. CUM. B.E.O. BAMANWAS	30731949	30731949.16	0.16	0
		160.	471	LIFE INSU. CORP. OF INDIA	5955941	6009041	53100	0
		161.	474	H.B.A., S.B.B.J.	2522579.32	2526622.32	4043	0
		162.	6252	DISTRICT MINERAL FOUNDATION TRUST (DMFT) SWM	36491469	36514939	23470	0
		163.	6366	ADD. DIST. PRO. CO.	0	0.46	0.46	0
		164.	6585	SWAMI VIVEKANAND GOVT. MODEL SCHOOL BAMANVAS SAWAI MADHOPUR	19039840	19039840.38	0.38	0
32	SIKAR	165.	1587	PROJ. MANAGER S.C. DEV. COOP.	2799672	2769672	0	30000
		166.	471	LIFE INSU. CORP. OF INDIA	15082176	15074925	0	7251
		167.	473	H.B.A. LOANS (OLD 31.3.04)	382914	380500	0	2414
		168.	589	B.E.E.O. DHOD	32905085.85	42247293.85	9342208	0
33	SIROHI	169.	471	LIFE INSU. CORP. OF INDIA	6113271	6148371	35100.00	0
		170.	473	H.B.A. LOANS (OLD 31.3.04)	1089033	1	0	1089032

क्र. सं	कोषालय का नाम	क्र. सं	खाता संख्या	संस्था का नाम	महालेखाकार के अनुसार शेष राशि रु.	कोषालय के अनुसार शेष राशि रु.	(+) धनात्मक अंतर राशि रु.	(-) ऋणात्मक अंतर राशि रु.
		171.	4757	SR. DY. D.E.O. CUM. B.E.O.PR. ED. OF. PINDWARA	61803363.86	61750179.86	0	53184
		172.	4804	MANAG.DIR.MADHAV NGR. SAHKARI BANK LIMITED	223260	157160	0	66100
34	TONK	173.	4304	SR.DY.D.E.O.CUM B.E.E.O. TODARASIN	25508135	20553607	0	4954528.00
		174.	6590	SWAMI VIVEKANAND GOVT. MODEL SCHOOL TODARASINGH TONK	31567662	31567662.05	0.05	0
35	UDAIPUR CITY	175.	473	H.B.A.LOANS (OLD 31.3.04)	156514	124914	0	31600
		176.	6400	DISTRICT MINERAL FOUNDATION TRUST FUND (DMFT) UDAIPUR (CITY)	236074930	236025010	0	49920
		177.	6714	DISTRICT PROJECT MANAGEMENT UNIT (RGAVP) UDAIPUR(CITY)	1013040	908040	0	105000
36	NEW DELHI	178.	471	LIFE INSU. CORP. OF INDIA	1580209	1594612	14403.00	0
37	UDAIPUR RURAL	179.	6599	SWAMI VIVEKANAND GOVT. MODEL SCHOOL SARADA UDAIPUR	0	0.42	0.42	0
		180.	976	S.D.,D.E.O. CUM B.E.E.O. SALUMBER	42242	42242.58	0.58	0
		181.	977	S.D.,D.E.O. CUM. B.E.E.O. SARADA	1897	1897.61	0.61	0
		182.	984	ASSTT.COMN.DEV.DEPTT RISHABDAV	5239801.5	5239729.5	0	72
38	DEEG	183.	477	MOTOR CONVANCE LOAN	658.00	0.00	0	658.00
39	GANGAPUR CITY	184.	6587	SWAMI VIVEKANAND GOVT. MODEL SCHOOL GANGAPURCITY SAWAI MADHOPUR	13588	0	0	13588
40	KHERTHAL-TIJARA	185.	475	H.B.A., H.D.F.C.	10500	10000	0	500
		186.	84	CHIEF BLOCK EDUCATION OFFICER-KOTKASIM	4059211	14881595.93	10822384.93	0
योग					14891918067	15401694610	538196877.20	28420334.36

परिशिष्ट संख्या – 11

(संदर्भ पैरा संख्या – 3.2.2)

निरीक्षण प्रतिवेदन जारी होने की तिथि से निर्धारित अवधि (2 माह) के बाद प्रथम अनुपालना रिपोर्ट विलम्ब से प्रेषित करने वाले / प्रेषित नहीं करने वाले वाले कोषालयों का विवरण

क्र.सं.	कोषालय का नाम	निरीक्षण की लेखा अवधि	निरीक्षण प्रतिवेदन जारी करने की दिनांक	प्रथम अनुपालना प्राप्ति के लिये नियत दिनांक	प्रथम अनुपालना प्राप्ति की दिनांक	विलम्ब अवधि	
						माह	दिवस
1	अजमेर	04/2023 से 07/2024	16.10.2024	16.12.2024	06.01.2025	0	20
2	केकड़ी	प्रारम्भिक अवधि 09/2023 से 07/2024	03.09.2024	03.11.2024	20.05.2025	6	17
3	ब्यावर	04/2023 से 05/2024	18.07.2024	18.09.2024	23.09.2024	0	5
4	अलवर	11/2023 से 2/2025	15.05.2025	15.07.2025	अप्राप्त	अप्राप्त	अप्राप्त
5	खैरथल-तिजारा	प्रारम्भिक अवधि 09/2023 से 2/2025	15.05.2025	15.07.2025	अप्राप्त	अप्राप्त	अप्राप्त
6	बीकानेर	04/2023 से 04/2024	04.07.2024	04.09.2024	22.10.2024	01	18
7	बाड़मेर	09/2023 से 07/2024	03.10.2024	03.12.2024	27.11.2024	0	0
8	बालोतरा	प्रारम्भिक अवधि 09/2023 से 2/2025	15.05.2025	15.07.2025	17.06.2025	0	0
9	बारां	03/2024 से 02/2025	15.05.2025	15.07.2025	अप्राप्त	अप्राप्त	अप्राप्त
10	बांसवाड़ा	08/2023 से 05/2024	18.07.2024	18.09.2024	18.11.2024	02	0
11	बूंदी	12/2023 से 09/2024	07.11.2024	07.01.2025	14.02.2025	1	7
12	भीलवाड़ा	06/2023 से 10/2024	04.12.2024	04.02.2025	26.05.2025	3	22
13	शाहपुरा	प्रारम्भिक अवधि 09/2023 से 09/2024	29.10.2024	29.12.2024	30.12.2024 (बिना जिला कलेक्टर)	0	01
14	भरतपुर	09/2023 से 04/2024	18.07.2024	18.09.2024	25.10.2024	01	07
15	चित्तौड़गढ़	06/2023 से 06/2024	23.08.2024	23.10.2024	14.10.2024	0	0
16	चूरू	12/2023 से 02/2025	15.05.2025	15.07.2025	अप्राप्त	अप्राप्त	अप्राप्त
17	दौसा	04/2023 से 04/2024	14.06.2024	14.08.2024	अप्राप्त	अप्राप्त	अप्राप्त
18	झुंजरपुर	11/2023 से 10/2024	04.12.2024	04.01.2025	10.02.2025	0	06
19	धौलपुर	11/2023 से 09/2024	03.12.2024	03.02.2025	08.05.2025 (बिना जिला कलेक्टर)	03	05

क्र.सं.	कोषालय का नाम	निरीक्षण की लेखा अवधि	निरीक्षण प्रतिवेदन जारी करने की दिनांक	प्रथम अनुपालना प्राप्ति के लिये नियत दिनांक	प्रथम अनुपालना प्राप्ति की दिनांक	विलम्ब अवधि	
						माह	दिवस
20	डीग	08/2023 से 09/2024	04.11.2024	04.01.2025	13.03.2025	02	09
21	श्रीगंगानगर	11/2023 से 02/2025	15.05.2025	15.07.2025	अप्राप्त	अप्राप्त	अप्राप्त
22	अनूपगढ़	09/2023 से 12/2024	21.02.2025	21.04.2025	अप्राप्त	अप्राप्त	अप्राप्त
23	हनुमानगढ़	01/2024 से 02/2025	15.05.2025	15.07.2025	अप्राप्त	अप्राप्त	अप्राप्त
24	जयपुर (शहर)	07/2023 से 04/2024	05.06.2024	05.08.2024	22.07.2024	0	0
25	जयपुर (सचिवालय)	07/2023 से 04/2024	04.06.2024	04.08.2024	10.09.2024	01	06
26	जयपुर (पेंशन)	06/2023 से 04/2024	07.06.2024	07.08.2024	03.10.2024	01	26
27	जयपुर (ग्रामीण)	09/2023 से 08/2024	17.10.2024	17.12.2024	01.01.2025	0	15
28	दूदू	प्रथम निरीक्षण माह 08/2023 से 04/2024	11.06.2024	11.08.2024	22.08.2024	0	11
29	कोटपूतली-बहरोड़	प्रारम्भिक अवधि 09/2023 से 2/2025	15.05.2025	15.07.2025	अप्राप्त	अप्राप्त	अप्राप्त
30	जालौर	01/2024 से 02/2025	15.05.2025	15.07.2025	अप्राप्त	अप्राप्त	अप्राप्त
31	सांचौर	प्रारम्भिक अवधि 09/2023 से 2/2025	15.05.2025	15.07.2025	अप्राप्त	अप्राप्त	अप्राप्त
32	जैसलमेर	06/2023 से 06/2024	14.08.2024	14.10.2024	03.12.2024	01	19
33	जोधपुर शहर	06/2023 से 06/2024	05.08.2024	05.10.2024	अप्राप्त	अप्राप्त	अप्राप्त
34	जोधपुर (ग्रामीण)	11/2023 से 02/2025	16.04.2025	16.06.2025	29.05.2025	0	0
35	फलोदी	प्रारम्भिक अवधि 09/2023 से 2/2025	15.05.2025	15.07.2025	अप्राप्त	अप्राप्त	अप्राप्त
36	झालावाड़	09/2023 से 07/2024	03.10.2024	03.12.2024	02.12.2024	0	0
37	कोटा	02/2024 से 02/2025	15.05.2025	15.07.2025	अप्राप्त	अप्राप्त	अप्राप्त
38	झुन्झुनू	02/2024 से 02/2025	15.05.2025	15.07.2025	अप्राप्त	अप्राप्त	अप्राप्त
39	करौली	12/2023 से 09/2024	04.11.2024	04.01.2025	14.05.2025	4	10
40	नागौर	05/2023 से 10/2024	12.03.2025	12.05.2025	27.05.2025	0	15
41	डीडवाना-कुचामन	प्रारम्भिक अवधि 09/2023 से 09/2024	26.11.2024	26.01.2025	07.02.2025 (बिना जिला कलक्टर)	0	12

क्र.सं.	कोषालय का नाम	निरीक्षण की लेखा अवधि	निरीक्षण प्रतिवेदन जारी करने की दिनांक	प्रथम अनुपालना प्राप्ति के लिये नियत दिनांक	प्रथम अनुपालना प्राप्ति की दिनांक	विलम्ब अवधि	
						माह	दिवस
42	पाली	02/2024 से 02/2025	15.05.2025	15.07.2025	12.06.2025	0	0
43	प्रतापगढ़	08/2023 से 04/2024	05.07.2024	05.09.2024	अप्राप्त	अप्राप्त	अप्राप्त
44	राजसमंद	01/2024 से 02/2025	15.05.2025	15.07.2025	अप्राप्त	अप्राप्त	अप्राप्त
45	सवाई माधोपुर	12/2023 से 02/2025	17.04.2025	17.06.2025	अप्राप्त	अप्राप्त	अप्राप्त
46	गंगापुरसिटी	08/2023 से 05/2024	18.07.2024	18.09.2024	अप्राप्त	अप्राप्त	अप्राप्त
47	सिरोही	01/2024 से 02/2025	15.05.2025	15.07.2025	23.06.2025	0	0
48	सीकर	05/2023 से 07/2024	10.10.2024	10.12.2024	अप्राप्त	अप्राप्त	अप्राप्त
49	नीमकाथाना	प्रारम्भिक अवधि 09/2023 से 07/2024	28.08.2024	28.10.2024	13.11.2024 (बिना जिला कलक्टर)	0	16
50	टोंक	02/2024 से 02/2025	15.05.2025	15.07.2025	अप्राप्त	अप्राप्त	अप्राप्त
51	उदयपुर (शहर)	04/2023 से 07/2024	28.08.2024	28.10.2024	10.12.2024	01	13
52	उदयपुर (ग्रामीण)	08/2023 से 06/2024	14.08.2024	14.10.2024	10.12.2024	01	26
53	सलूमबर	प्रारम्भिक अवधि 09/2023 से 2/2025	15.05.2025	15.07.2025	अप्राप्त	अप्राप्त	अप्राप्त
54	भुगतान एवं लेखाधिकारी, नई दिल्ली	09/2023 से 06/2024	14.08.2024	14.10.2024	अप्राप्त	अप्राप्त	अप्राप्त
55	निदेशालय, कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर	07/2023 से 04/2024	03.06.2024	03.08.2024	24.10.2024	02	21
प्रथम अनुपालना निर्धारित समय में प्रस्तुत करने वाले कोषालयों की संख्या						08	
प्रथम अनुपालना निर्धारित समय के बाद विलम्ब से प्रस्तुत करने वाले कोषालयों की संख्या						24	
प्रथम अनुपालना प्रस्तुत नहीं करने वाले कोषालयों की संख्या						23	

परिशिष्ट संख्या - 12

(संदर्भ पैरा संख्या - 3.3.1)

**उपदान भुगतान आदेशों / एलपीसी में दर्शायी गई वसूलियों की कटौती नहीं करने से अधिक
भुगतान का विवरण**

क्र.सं.	कोषालय	कोषालय / उप कोषालय का नाम	पेंशनर का नाम व पी.पी.ओ. संख्या	जी.पी.ओ. संख्या	वसूली योग्य राशि ₹	मुख्य लेखा शीर्ष
1	दौसा	महआ	श्री गंगा सहाय मीणा 1135082(आर)	3209753(आर)	66984.00	2053
		सिकराय	श्री जगदीष हरीजन 1130966(आर)	3203786(आर)	11318.00	2403
			हनुमान सहाय शर्मा 1148761(आर)	3227508(आर)	95627.00	2406
			भूरा मल मीणा 1152401(आर)	3232321(आर)	4368.00	8448
2	प्रतापगढ़	धरियावद	श्री विनोद कीर 2026825 (आर)	3338227 (आर)	4358	2700
			श्रीमती श्यामू बाई कीर 2026825 (आर)	3338226(आर)	4358	2700
			श्री राहुल कीर 2026825 (आर)	3338228(आर)	4358	2700
3	भरतपुर	बयाना	श्री लक्ष्मण सिंह 1153035(आर)	3233217(आर)	169729	2235
			श्री बाबूलाल मीणा 1152881(आर)	3232996(आर)	19738	2210
			श्रीमती उर्मिला 8102620(आर)एसएफ	8306792(आर)	14710	0071
			श्रीमती राजकुमारी 8102943(आर)एसएफ	8307336(आर)	64607	0071
			श्रीमती बत्तो 2027635(आर)	3343556(आर)	32748	0406
		रूपवास	श्रीमती रजनी 8101204(आर)एसएफ	8303204(आर)	16586	0071
4	नागौर	परबतसर	श्री श्रवण राम मेघवाल 1167419(आर)	3268105(आर)	12105	2406
योग ₹					5,21,594	

परिशिष्ट संख्या - 13

(संदर्भ पैरा संख्या - 3.3.3)

पारिवारिक पेंशनरों को बढ़ी हुई पेंशन दर से अनियमित अधिक भुगतान

क्र.सं	कोषालय / उप कोषालय का नाम	पारिवारिक पेंशनर का नाम व पी.पी.ओ. संख्या	मूल पेंशनर की मृत्यु की तिथि	आश्रित को घटी हुई दर से पारिवारिक पेंशन दिये जाने की तिथि	आश्रित को बढ़ी हुई दर से पारिवारिक पेंशनर को किये गये अनियमित अधिक भुगतान की अवधि	मासिक बढ़ी हुई पेंशन की दर एवं घटी हुई दर तथा उनके मध्य अन्तर का विवरण	अतिरिक्त पेंशन पेटे मय मंहगाई राहत अधिक अनियमित भुगतान की राशि ₹
1	दौसा	श्रीमती कृष्णा देवी शर्मा 2002978 (R)SF	01.01.2015	02.01.2022	02.01.2022 से 30.04.2024	16179-9707=6472	255445
2	प्रतापगढ़	श्रीमती निहाल कुवर 2000427 (R)SF	11.01.2015	12.01.2022	12.01.2022 से 31.05.2024	16140 -9690 =6450	262028
3	भरतपुर	अनीता देवी 2002045(आर) एसएफ	01.06.2015	02.06.2022	02.06.2022 से 31.05.2024	17245-10347=6898	236987
4	बांसवाड़ा	श्रीमती लाली 555812(आर)एस एफ	09.08.2012	10.08.2019	0.08.2019 से 31.05.2024	14058 -8867=5191	392066
5	उदयपुर (ग्रामीण)	श्रीमती मीनाक्षी झाला पत्नी स्व. श्री लक्ष्मण सिंह झाला 2007172	01.01.2017	02.01.2024	02.01.2024 से 30.06.2024)	14650-8850 =5800	51919
		श्रीमती हंजु देवी पत्नी स्व. श्री हरजीलाल अहरी 2003611	05.07.2015	06.07.2022	06.07.2022 से 30.06.2024	28605-17163=11442	392895
		श्रीमती धापू देवी पत्नी स्व. श्री भंवर लाल 2008096	25.01.2017	26.01.2024	26.01.2024 से 30.06.2024	31570-18942=12628	98376
		श्रीमती नर्मदा देवी पत्नी स्व. श्री देवी लाल मीना 2004830 (R)SF	07.12.2015	08.12.2022	08.12.2022 से 30.06.2024	21087-12653=8434	230656
6	चित्तौड़गढ़	श्रीमती संतोष देवी 2003575 / (R)SF	22-10-2015	23-10-2022	23-10-2022 से 30-06-2024	24865-14919=9946	292819
		श्रीमती शीला सिंह/ 2003855 (R)SF	29-05-2015	30-05-2022	30-05-2022 से 30-06-2024	35068-21041=14027	504779
		श्रीमती प्रतिभा भारद्वाज/ 2007353 (R)SF	27-12-2014	28-12-2021	28-12-2021 से 31-01-2022	32200-19320=12880	19436
		श्रीमती विमला देवी/ 562867 (R)SF	05-11-2016	06-11-2023	06-11-2023 से 30-06-2024	13914-9499=4415	51549
		श्री रमेश चंद / 564799 (R)SF	19-08-2017	17-04-2022	17-04-2022 से 30-06-2024	9003-8867=136	5155
		सुशीला देवी FPPO 2007355(R) (SF)	03.11.2016	04.11.2023	04.11.2023 से 30.06.2024	20959-12576=8383	98706

क्र.सं	कोषालय / उप कोषालय का नाम	पारिवारिक पेंशनर का नाम व पी.पी.ओ. संख्या	मूल पेंशनर की मृत्यु की तिथि	आश्रित को घटी हुई दर से पारिवारिक पेंशन दिये जाने की तिथि	आश्रित को बढ़ी हुई दर से पारिवारिक पेंशनर को किये गये अनियमित अधिक भुगतान की अवधि	मासिक बढ़ी हुई पेंशन की दर एवं घटी हुई दर तथा उनके मध्य अन्तर का विवरण	अतिरिक्त पेंशन पेटे मय मंहगाई राहत अधिक अनियमित भुगतान की राशि ₹
7	नीम का थाना	श्रीमती सोमा देवी 2004908	14.03.2016	15.03.2023	15.03.2023 से 31.7.2024	24650-14790=9860	239580
		श्रीमती संतोष देवी 2003699	16.04.2015	17.04.2022	17.04.2022 से 31.7.2024	17823-10694=7129	280635
8	डीग	श्रीमती महा देवी 1024918 (आर)	07.08.2019	03.12.2022	03.12.2022 से 30.09.2024	31650-18990=12660	406013
9	करौली	श्रीमती अल्पना शर्मा 2009619	02.06.2017	03.06.2017	03.06.2024 to 30.09.2024	32500-19500=13000	76700
10	शाहपुरा	श्रीमती पुष्पा त्रिपाठी पत्नी स्व. श्री चन्द्र प्रकाश ओझा /856983 R(SF)	09-12-2014	09-12-2021	10-12-2021 से 31-01-2022	39000-23400=15600	35407
11	डीडवाना कुचामन	श्रीमती बेबी देवी पत्नी स्व. श्री बूधा राम 2004598 R(SF)	12.12.2014	13.12.2021	13.12.2021 से 06/2022	13000-8850=4150	36698
		श्रीमती बलकेश बानो पत्नी स्व. श्री दिलीप खान 856765 R(SF)	24.06.2014	25.06.2021	25.06.2021 से 11/2022	25700-15420=10280	236782
12	धौलपुर	श्रीमती किशोरी सिंह 180582आर(SF)	26.11.2012	15.07.2016	15.07.2016 से 31.01.2018	9345-5607=3738	178864
				01.02.2018	01.02.2018 से 31.05.2024	24017-14430=9587	916983
13	डुंगरपुर	श्रीमती धोली (आर)एसफ 2002290	23.06.2015	24.06.2022	24.06.2022 से 31.10.2024	21010-8867=12143	4,97,770
		श्रीमती सुगना रावल (आर)एसफ 2003274	10.10.2015	11.10.2022	11.10.2022 से 31.10.2024	24,878-14927=9951	3,59,170
		गमीर कुवरं (आर)एसफ 584957	31.12.2014	18.12.2021	18.12.2021 से 31.05.2022	31,650-18990=12660	92310
14	भीलवाड़ा	श्रीमती सुशीला देवी पत्नी स्व. अजय सिंह/ 856446(SF)	30-08-2013	31-08-2020	31-08-2020 से 31-10-2024	20817-12491=8326	568812
		श्रीमती उषा देवी पत्नी स्व. गोपाल लाल वर्मा/ 2006777(SF)	17-08-2016	18-08-2023	18-08-2023 से 31-10-2024	12460-7476=4984	242176
15	अनूपगढ़	श्रीमती कमला पत्नी स्व. श्री सोहनलाल 2004207 एस एफ (आर)	06.01.2016	07-01-23	दिनांक 07.01.23 से दिनांक 31.12.24 तक	7730-4638 =3092	242687
16	जोधपुर, ग्रामीण	श्रीमती दुर्गा देवी, पत्नी स्व. श्री जगदीश प्रसाद	04.02.2015	05.02.2022	05.02.2022 से 31.05.2024	16140-9684=6456	255456

क्र.सं	कोषालय / उप कोषालय का नाम	पारिवारिक पेंशनर का नाम व पी.पी.ओ. संख्या	मूल पेंशनर की मृत्यु की तिथि	आश्रित को घटी हुई दर से पारिवारिक पेंशन दिये जाने की तिथि	आश्रित को बढ़ी हुई दर से पारिवारिक पेंशनर को किये गये अनियमित अधिक भुगतान की अवधि	मासिक बढ़ी हुई पेंशन की दर एवं घटी हुई दर तथा उनके मध्य अन्तर का विवरण	अतिरिक्त पेंशन पेटे मय मंहगाई राहत अधिक अनियमित भुगतान की राशि ₹
		2002156 एस एफ (आर)					
		श्रीमती उच्छव कंवर, पत्नी स्व. श्री नारायण सिंह सांधू 1038580 एस एफ (आर)	30.09.2016	14.09.2023	14.09.2023 से 28.02.2025	32500-19500=13000	343816
17	नागौर	श्रीमती कमला पत्नी स्व. श्री चूलाराम जाट 2000203 एस एफ (आर)	मृत्यु दिनांक 16.02.2015	17-02-22	दिनांक 17.02.22 से दिनांक 31.01.25 तक	24650-14790=9860	504864
		श्रीमती मुमताज बानो पत्नी स्व. श्री इब्राहीम खान 2002527 एस एफ (आर)	मृत्यु दिनांक 15.12.2014	16-12-21	दिनांक 16.12.21 से दिनांक 31.01.25 तक	12600-8850=3750	202444
		श्रीमती संतोष देवी पत्नी स्व. श्री राजेन्द्र कुमार नागौरा 2002741 एस एफ (आर)	मृत्यु दिनांक 04.03.2015	05-03-22	दिनांक 05.03.22 से दिनांक 31.12.22 तक	11700-8850=2850	32108
		श्रीमती विजय लक्ष्मी पत्नी स्व. श्री खेमराज 2006453 एस एफ (आर)	मृत्यु दिनांक 21.07.2015	22-07-22	दिनांक 22.07.22 से दिनांक 31.01.25 तक	10100-8850=1250	55415
		श्रीमती अजीजा बानो पत्नी स्व. श्री मकबूल अहमद 1000627(आर)	सेवानिवृत्ति दिनांक 31.03.2015	23-03-22	दिनांक 23.03.22 से दिनांक 31.01.25 तक	14950-8970=5980	297067
		श्रीमती सूवा कंवर पत्नी स्व. श्री सुरेन्द्र सिंह राजपुरोहित 1047727 (आर)	सेवानिवृत्ति दिनांक 31.03.2017	18-03-24	दिनांक 18.03.24 से दिनांक 31.01.25 तक	23250-13950=9300	147753
		श्रीमती सुमन देवी पत्नी स्व. श्री किशनलाल 2009412(आर)	मृत्यु दिनांक 21.01.2017	22-01-24	दिनांक 22.01.24 से दिनांक 31.01.25 तक	45200-27120=18080	337983
		श्रीमती केली देवी पत्नी स्व. श्री जोराराम 1055286 (आर)	सेवानिवृत्ति दिनांक 30.06.2017	15-06-24	दिनांक 15.06.24 से दिनांक 31.01.25 तक	33600-20160=13440	154693
		श्रीमती स्वरूप कंवर पत्नी स्व. श्री रतन सिंह 651640 (आर)	सेवानिवृत्ति दिनांक 31.07.2013	28-11-22	दिनांक 28.11.22 से दिनांक 31.01.25 तक	23350-14010=9340	359656

क्र.सं	कोषालय / उप कोषालय का नाम	पारिवारिक पेंशनर का नाम व पी.पी.ओ. संख्या	मूल पेंशनर की मृत्यु की तिथि	आश्रित को घटी हुई दर से पारिवारिक पेंशन दिये जाने की तिथि	आश्रित को बढ़ी हुई दर से पारिवारिक पेंशनर को किये गये अनियमित अधिक भुगतान की अवधि	मासिक बढ़ी हुई पेंशन की दर एवं घटी हुई दर तथा उनके मध्य अन्तर का विवरण	अतिरिक्त पेंशन पेटे मय मंहगाई राहत अधिक अनियमित भुगतान की राशि ₹
		श्रीमती सुशीला देवी पत्नी स्व. श्री सत्यनारायण प्रधान 1032530(आर)	सेवानिवृति दिनांक 30.06.2016	15-06-23	दिनांक 15.06.23 से दिनांक 31.01.25 तक	36700-22020=14680	429049
		श्रीमती शांती देवी पत्नी स्व. श्री मदन सिंह 2006652(आर)	मृत्यु दिनांक 07.04.2016	08-04-23	दिनांक 08.04.23 से दिनांक 31.01.25 तक	15400-9240=6160	199567
		श्रीमती आंघी देवी पत्नी स्व. श्री रामपाल 2007947(आर)	मृत्यु दिनांक 22.02.2017	23-02-24	दिनांक 23.02.24 से दिनांक 31.01.25 तक	17150-10290=6860	117116
		श्रीमती आसी देवी पत्नी स्व. श्री जेठाराम सासी 2005857(आर)	मृत्यु दिनांक 24.05.2016	25-05-23	दिनांक 25.05.23 से दिनांक 31.01.25 तक	32600-19560=13040	236158
		श्रीमती धापूडी पत्नी स्व. श्री बस्तीराम बिडीयासर 2005881(आर)	मृत्यु दिनांक 15.05.2016	16-05-23	दिनांक 16.05.23 से दिनांक 31.01.25 तक	19000-11400=7600	232734
		श्रीमती भवराई पत्नी स्व. श्री बिरमा राम चौधरी 1004666(आर)	सेवानिवृति दिनांक 31.05.2015	26-05-22	दिनांक 26.05.22 से दिनांक 31.01.25 तक	14100-8850=5250	246061
		श्रीमती रतन कंवर पत्नी स्व. श्री शिवभगवान सिंह 2003327 (आर)	मृत्यु दिनांक 26.03.2015	27-03-22	दिनांक 27.03.22 से दिनांक 31.01.25 तक	31550-18930=12620	624761
		श्रीमती बिमला देवी पत्नी स्व. श्री शंकर लाल 1003706 (आर)	सेवानिवृति दिनांक 31.07.2015	01-08-22	दिनांक 01.08.22 से दिनांक 31.01.25 तक	31750-19050=12700	557403
		श्रीमती राजू कंवर पत्नी स्व. श्री अमर सिंह 2006388 (आर)	मृत्यु दिनांक 02.07.2016	03-07-23	दिनांक 03.07.23 से दिनांक 31.01.25 तक	15850-9510=6340	103200
		श्रीमती सीता देवी पत्नी स्व. श्री जोधाराम 2009205(आर)	मृत्यु दिनांक 26.07.2017	27-07-24	दिनांक 27.07.24 से दिनांक 31.01.25 तक	15100-9060=6040	56936
		श्रीमती संतोष देवी पाराशर पत्नी स्व. श्री प्रकाश चंद	मृत्यु दिनांक 05.02.2016	06-02-23	दिनांक 06.02.23 से दिनांक 31.01.25 तक	15400-9240=6160	217539

क्र.सं	कोषालय / उप कोषालय का नाम	पारिवारिक पेंशनर का नाम व पी.पी.ओ. संख्या	मूल पेंशनर की मृत्यु की तिथि	आश्रित को घटी हुई दर से पारिवारिक पेंशन दिये जाने की तिथि	आश्रित को बड़ी हुई दर से पारिवारिक पेंशनर को किये गये अनियमित अधिक भुगतान की अवधि	मासिक बड़ी हुई पेंशन की दर एवं घटी हुई दर तथा उनके मध्य अन्तर का विवरण	अतिरिक्त पेंशन पेटे मय मंहगाई राहत अधिक अनियमित भुगतान की राशि ₹
		पाराशर 2005604(आर)					
		श्रीमती मुन्नी बानो पत्नी स्व. श्री तुफान अली 2006841(आर)	मृत्यु दिनांक 15.07.2016	16-07-23	दिनांक 16.07.23 से दिनांक 31.01.25 तक	33321- 19992=13329	370066
		श्रीमती मुन्नी देवी पत्नी स्व. श्री रामेश्वर प्रसाद शर्मा 2005784 (आर)	मृत्यु दिनांक 02.06.2016	03-06-23	दिनांक 03.06.23 से दिनांक 31.01.25 तक	26450- 15870=10580	187223
		श्री शंकर प्रसाद पति स्व. श्रीमती शिव कुमारी 2001071 (आर)	मृत्यु दिनांक 21.02.2015	22-02-22	दिनांक 22.02.22 से दिनांक 31.01.25 तक	26780- 16068=10712	545933
		श्रीमती कोशलया देवी पत्नी स्व. श्री रामेश्वर लाल शर्मा 643368 (आर)	सेवानिवृत्ति दिनांक 10.10.2009	01-02-22	दिनांक 01.02.22 से दिनांक 31.01.25 तक	19000- 11400=7600	394972
		श्रीमती सुगनी देवी पत्नी स्व. श्री सौदाना राम 867618(आर)	सेवानिवृत्ति दिनांक 01.09.2005 मृत्यु दिनांक 25.12.2014	26-12-21	दिनांक 26.12.21 से दिनांक 31.01.25 तक	16487- 11070=5417	156859
		श्री रतन लाल थानवी पति स्व. श्रीमती शोभा देवी 884116(आर)	सेवानिवृत्ति दिनांक 30.06.2014	01-07-21	दिनांक 01.07.21 से दिनांक 31.01.25 तक	22029- 15420=6609	406593
		श्रीमती तारा देवी पत्नी स्व. श्री उगमा राम 2005197(आर)	मृत्यु दिनांक 21.03.2016	22-03-23	दिनांक 22.03.23 से दिनांक 31.01.25 तक	14200- 8850=5350	177553
		श्रीमती कमला देवी पत्नी स्व. श्री धन्ना राम 1069008(आर)	सेवानिवृत्ति दिनांक 31.01.2018	20-01-25	दिनांक 20.01.25 से दिनांक 31.01.25 तक	34600- 20760=13840	8198
		श्रीमती सरजू देवी पत्नी स्व. श्री सीताराम 2005345(आर)	मृत्यु दिनांक 22.08.2015	23-08-22	दिनांक 23.08.22 से दिनांक 31.01.25 तक	20291- 12174=8117	348302

क्र.सं	कोषालय / उप कोषालय का नाम	पारिवारिक पेंशनर का नाम व पी.पी.ओ. संख्या	मूल पेंशनर की मृत्यु की तिथि	आश्रित को घटी हुई दर से पारिवारिक पेंशन दिये जाने की तिथि	आश्रित को बढ़ी हुई दर से पारिवारिक पेंशनर को किये गये अनियमित अधिक भुगतान की अवधि	मासिक बढ़ी हुई पेंशन की दर एवं घटी हुई दर तथा उनके मध्य अन्तर का विवरण	अतिरिक्त पेंशन पेटे मय मंहगाई राहत अधिक अनियमित भुगतान की राशि ₹
		श्रीमती सूरज कंवर पत्नी स्व. श्री वसुदेव नंदू 2002737(आर)	मृत्यु दिनांक 01.06.2015	02-06-22	दिनांक 02.06.22 से दिनांक 28.02.23 तक	33600-20160=13440	263216
		श्रीमती राम कंवर पत्नी स्व. श्री वेददान 632224(आर)	मृत्यु दिनांक 01.09.2007	02-09-14	दिनांक 02.09.14 से दिनांक 31.01.25 तक	4350-3450=900 एवं 11180-8867=2313	337495
		श्रीमती पप्पू देवी पत्नी स्व. श्री मंगल चंद 1074456(आर)	सेवानिवृत्ति दिनांक 30.11.2017	05-11-24	दिनांक 05.11.24 से दिनांक 31.01.25 तक	19300-11580=7720	21686
		श्रीमती कलावती देवी पत्नी स्व. श्री लक्ष्मी नारायण सोनी 1019879 (आर)	सेवानिवृत्ति दिनांक 31.10.2015	05-10-22	दिनांक 05.10.22 से दिनांक 31.01.25 तक	24750-14850=9900	405423
		श्रीमती छोटी देवी पत्नी स्व. श्री भंवर लाल 1035522 (आर)	सेवानिवृत्ति दिनांक 31.07.2016	01-08-23	दिनांक 01.08.23 से दिनांक 31.01.25 तक	14434-9150=5284	142726
		श्रीमती कांता देवी पत्नी स्व. श्री मानक चंद 2000026 (आर)	मृत्यु दिनांक 07.12.2014	08-12-21	दिनांक 08.12.21 से दिनांक 31.01.23 तक	16150-9690=6460	86948
		श्रीमती सजनी पत्नी स्व. श्री भंवर लाल ओलान 2000420 (आर)	मृत्यु दिनांक 25.03.2015	26-03-22	दिनांक 26.03.22 से दिनांक 31.05.24 तक	25456-15274=10182	380182
		श्रीमती पुष्पा कंवर पत्नी स्व. श्री ख्याली राम 2000353(आर)	मृत्यु दिनांक 20.03.2015	21-03-22	दिनांक 21.03.22 से दिनांक 28.02.23 तक	16650-9990=6660	71783
		श्रीमती काली देवी पत्नी स्व. श्री रतन 2000550 (आर)	मृत्यु दिनांक 13.03.2015	14-03-22	दिनांक 14.03.22 से दिनांक 31.12.22 तक	13107-8867=4240	48542
		श्रीमती छोटी देवी पत्नी स्व. श्री शिवलाल कुम्हार 2000552(आर)	मृत्यु दिनांक 26.02.2015	27-02-22	दिनांक 27.02.22 से दिनांक 31.05.24 तक	14100-8867=5233	201432

क्र.सं	कोषालय / उप कोषालय का नाम	पारिवारिक पेंशनर का नाम व पी.पी.ओ. संख्या	मूल पेंशनर की मृत्यु की तिथि	आश्रित को घटी हुई दर से पारिवारिक पेंशन दिये जाने की तिथि	आश्रित को बढ़ी हुई दर से पारिवारिक पेंशनर को किये गये अनियमित अधिक भुगतान की अवधि	मासिक बढ़ी हुई पेंशन की दर एवं घटी हुई दर तथा उनके मध्य अन्तर का विवरण	अतिरिक्त पेंशन पेटे मय मंहगाई राहत अधिक अनियमित भुगतान की राशि ₹
		श्रीमती हस्तु देवी पत्नी स्व. श्री रामचन्द्र माली 2007714(आर)	मृत्यु दिनांक 29.01.2017	30-01-24	दिनांक 30.01.24 से दिनांक 31.01.25 तक	28050-16830=11220	205405
योग ₹							1,77,75,719

परिशिष्ट संख्या - 14

(संदर्भ पैरा संख्या - 3.3.5.2)

सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों की पालना में पेंशन के पुनरीक्षण के लिए प्री-2016 की कार्यवाही बकाया होने का विवरण

क्र.सं.	कोषालय / उपकोषालय का नाम	पेंशनर	पी.पी.ओ. संख्या	मूल मासिक पेंशन राशि ₹	आहरित अंतिम मूल मासिक पेंशन राशि ₹
1	बीकानेर	श्री सुधीर कुमार राजवंशी	634098 (आर)	12149	31223
		श्री मनमोहन कपूर	1004070 (आर)	9350	24030
2	बाड़मेर	श्रीमती पारु देवी पत्नी स्व. श्री खेमा राम	425921(आर)	4887	12560
		श्रीमती बाली देवी पत्नी स्व. श्री कछाबाराम	425093(आर)	5337	13717
		श्री पूनामा राम विश्वाई	460269(आर)	10000	25700
		श्री लाभू राम	455701(आर)	7135	18337
		श्री उत्तमा राम	458334(आर)	5405	13891
3	डीडवाना कुचामन	श्री मूल चंद स्वामी	869475(आर)	-	3450
		श्री भगुताराम	633341(आर)	-	12511
4	धौलपुर	श्रीमति कमला गर्ग पत्नी स्व. श्री रमेश चन्द्र गर्ग	181294 (आर)	11991	30817
		श्रीमति मिथलेश पत्नी स्व. श्री. भरत सिंह	199992 (आर)	9960	25598
		श्रीमति मुन्नी बेगम पत्नी स्व. श्री सलीम खान	201087 (आर)	5155	13249
5	अनूपगढ़	श्रीमती तीजा देवी	646615(आर)	-	13249
		श्री अमनदीप कौर पत्नी स्व. श्री हकम सिंह	634499(आर) एस. एफ.	-	14989
		श्री तलविंदर कौर पत्नी स्व. श्री जसवंत सिंह	633260(आर) एस. एफ.	-	14079
		श्री रेशम सिंह	639175(आर)	-	11745
6	भरतपुर	श्रीमती सोभाग्यवती	10208(आर)एसएफ	-	3335
		सुश्री निर्मला शर्मा	2010632(आर)एसएफ	-	6306

परिशिष्ट संख्या – 15

(संदर्भ पैरा संख्या – 3.3.8.1)

पेंशन के रूपांतरित मूल्य के भुगतान की तिथि/रूपांतरण भुगतान आदेश जारी की तिथि के तीन माह बाद से घटी दर की बजाय मूल पेंशन दर से रूपांतरित पेंशन के रूप में सिविल पेंशनरों को अधिक भुगतान

क्र.सं.	कोषालय	कोषालय / उप कोषालय का नाम	पेंशनर का नाम व पी.पी.ओ. संख्या	सी.पी.ओ. संख्या एवं जारी की दिनांक	मासिक पेंशन की दर (रूपये)	रूपांतरित पेंशन का मूल्य राशि ₹ एवं भुगतान की दिनांक	पेंशन प्रारम्भ होने की तिथि	घटी दर से देय पेंशन की तिथि	भुगतान की अवधि	अधिक भुगतान राशि ₹
1.	दौसा	महुआ	श्री प्रभु दयाल मीना 1195814 (आर)	4223692 (आर) / 11.07.23	O.P. 36700 C.P. 12233 R.P. 24467	₹ 1202846/- 18.09.2023	01.06.2023	18.09.2023	18.09. 2023 से 30.11. 2023	29766
			श्री बद्री प्रसाद जांगिड़ 1196062 (आर)	4223988 (आर) / 13.07.23	O.P. 40150 C.P. 13383 R.P. 26767	₹ 1315924/- 18.09.2023	01.06.2023	18.09.2023	18.09. 2023 से 30.11. 2023	32565
2	भरतपुर	भुसावर	श्री महेन्द्र कुमार गुप्ता 1195497(आर)	4223355(आर) 30.06.2023	O.P. 62150 C.P. 20716 R.P. 41434	₹ 2036963 20.07.2023	01.06.2023	20.07.2023	20.07.2023 से 31.07.2023	8019
		वैर	श्री फजरू खां 1150811(आर)	4172583(आर) 18.08.2021	O.P. 35550 C.P. 11850 R.P. 23700	₹ 1165187 16.02.2022	01.04.2021	18.11.2021	18.11.2021 से 31.01.2022	28835
			श्री कृष्ण कुमार 1175047(आर)	4198859(आर)05.0 8.2022	O.P. 38950 C.P. 12983 R.P. 25967	₹ 1276592 16.03.2023	01.10.2022	05.11.2022	05.11.2022 से 31.03.2023	63184
		बयाना	श्री प्रेम शंकर 1148326(आर)	4170043(आर) 12.07.2021	O.P. 17850 C.P. 5950 R.P. 11900	₹ 585052 15.12.2021	01.08.2021	12.10.2021	12.10.2021 से 30.11.2021	9789
			श्री सीताराम 1144043(आर)	4165644(आर) 05.04.2021	O.P. 37800 C.P. 12600 R.P. 25200	₹ 1238933 21.12.2021	01.08.2021	01.08.2021	01.08.2021 से 30.11.2021	50400

क्र.सं.	कोषालय	कोषालय / उप कोषालय का नाम	पेंशनर का नाम व पी.पी.ओ. संख्या	सी.पी.ओ. संख्या एवं जारी की दिनांक	मासिक पेंशन की दर (रूपये)	रूपांतरित पेंशन का मूल्य राशि ₹ एवं भुगतान की दिनांक	पेंशन प्रारम्भ होने की तिथि	घटी दर से देय पेंशन की तिथि	भुगतान की अवधि	अधिक भुगतान राशि ₹
		नगर	श्री जीवनलाल 1159565(आर)	4181707(आर) 21.12.2021	O.P. 17350 C.P. 5783 R.P. 11567	₹ 568631 17.08.2022	01.06.2021	21.03.2022	21.03.2022 से 30.06.2022	19401
			श्रीमती शोभना एस 1154614(आर)	4176566(आर) 12.10.2021	O.P. 32500 C.P. 10833 R.P. 21667	₹ 1065187 20.05.2022	01.02.2021	12.01.2022	12.01.2022 से 30.04.2022	39488
			श्रीमती गीता देवी 1177564(आर)	4202397(आर) 30.09.2022	O.P. 32500 C.P. 10833 R.P. 21667	₹ 1065187 28.04.2023	01.05.2022	30.12.2022	30.12.2022 से 30.04.2023	44054
		कुम्हेर	श्री गंगाराम 1196874(आर)	4225011(आर) 08.08.2023	O.P. 20750 C.P. 6916 R.P. 13834	₹680036 10.10.2023	01.01.2023	10.10.2023	10.10.2023 से 30.11.2023	11601
			श्री यादराम सैनी 1196814(आर)	4224931(आर) 04.08.2023	O.P. 37950 C.P. 12650 R.P. 25300	₹1309579 14.12.2023	01.12.2022	04.11.2023	04.11.2023 से 31.01.2024	36695
3.	ब्यावर	ब्यावर	श्रीमति निर्मला पी.के. 1196620 (आर)	4224676(आर) 28.07.2023	O.P. 33500 C.P. 11166 R.P. 22334	₹.1097930/-19.12.23	01.06.2023	28.10.23	28.10.23 से 31.10.23 एवं 11/23 से 01/24	34938
			श्री गायत्री देवी चैहान 1196619 (आर)	4224675(आर) 28.07.2023	O.P. 33500 C.P. 11166 R.P. 22334	₹.1097930/-19.12.23	01.06.2023	28.10.23	28.10.23 से 31.10.23 एवं 11/23 से 01/24	34938
			श्री मनोहर लाल उडेनिया 1198052(आर)	4226509(आर) 18.09.2023	O.P. 35650 C.P. 11883 R.P. 23767	₹.1168432/-19.12.23	01.11.2022	18.12.23	18.12.23 से 31.12.23 एवं 01/24	17250
			श्री शांति लाल कुरडिया 1198242(आर)	4226736(आर) 03.10.2023	O.P. 37700 C.P. 12566	₹.1235590/-19.12.23	01.01.2023	19.12.23	19.12.23 से 31.12.23 एवं 01/24	17835

क्र.सं.	कोषालय	कोषालय / उप कोषालय का नाम	पेंशनर का नाम व पी.पी.ओ. संख्या	सी.पी.ओ. संख्या एवं जारी की दिनांक	मासिक पेंशन की दर (रूपये)	रूपांतरित पेंशन का मूल्य राशि ₹ एवं भुगतान की दिनांक	पेंशन प्रारम्भ होने की तिथि	घटी दर से देय पेंशन की तिथि	भुगतान की अवधि	अधिक भुगतान राशि ₹
					R.P. 25134					
			श्रीमति सीता देवी चौहान 1197672(आर)	4226022(आर) 04.09.2023	O.P. 32500 C.P. 10833 R.P. 21667	रू.1065187/- 06.02.24	01.06.2023	04.12.23	04.12.23 से 31.12.23 एवं 01/24	20617
		मसूदा	श्री विरदी चंद शर्मा 1197986 (आर)	4226446 (आर) 15 .09 .2023	O.P. 20150 C.P. 6716 R.P. 13434	रू.633614/- 13.12.23	01.02.2020	13.12 .23	13.12.2023 से 31.12 .23 एवं 01/24	10832
4.	सीकर	नीमकाथाना	श्री सत्येंद्र कुमार चतुर्वेदी 1193213 (आर)	4220913 (आर)/ 16.06.23	O.P. 41350/- C.P. 13783/- R.P. 27567/-	1355255/- 20.07.23	01.06.2023	20.07.23	20.07.23 से 30.11.23	60467
			श्रीमती विनिता कुमारी 1194464 (आर)	4222247 (आर)/ 21.06.23	O.P. 32500/- C.P. 10833/- R.P. 21667/-	1065187/- 10.08.23	01.02.2023	10.08.23	10.08.23 से 30.11.23	40186
			श्री रामवतार सिंह 1194973 (आर)	4222764 (आर)/ 29.06.23	O.P. 17532/- C.P. 5844/- R.P. 11688/-	574629/- 10.08.23	01.06.2023	10.08.23	10.08.23 से 30.11.23	21679
			श्री जगदीश प्रसाद यादव 1192994 (आर)	4220695 (आर)/ 20.06.23	O.P. 13367/- C.P. 4455/- R.P. 8912/-	438051/- 10.08.23	01.06.2023	10.08.23	10.08.23 से 30.11.23	16526
		उपकोष श्रीमाधोपुर	श्री हरि सिंह सामोता 1192971 (आर)	4220671 (आर)/ 01.06.23	O.P. 28050/- C.P. 9350/- R.P. 18700/-	978833/- 05.07.23	01.03.2023	05.07.23	05.07.23 से 30.11.23	45543
		उपकोष पेंशन (सीकर)	श्रीमती सुनिता शर्मा 1189156 (आर)	4216271 (आर)/ 05.04.23	O.P. 39100/- C.P. 13033/- R.P. 26067/-	1281509/- 08.11.23	01.02.2023	05.07.23	05.07.23 से 30.11.23	63483
5.	करौली	करौली	श्री ओमप्रकाश बैरवा /1120788 (R)	4141468 (R) 28 .05.20	O.P. 35650 C.P. 11883 R.P. 23767	रू1168432 16.04.2021	01.07.21	28.08.20	28.08.20 से 31.03.21	84714

क्र.सं.	कोषालय	कोषालय / उप कोषालय का नाम	पेंशनर का नाम व पी.पी.ओ. संख्या	सी.पी.ओ. संख्या एवं जारी की दिनांक	मासिक पेंशन की दर (रूपये)	रूपांतरित पेंशन का मूल्य राशि ₹ एवं भुगतान की दिनांक	पेंशन प्रारम्भ होने की तिथि	घटी दर से देय पेंशन की तिथि	भुगतान की अवधि	अधिक भुगतान राशि ₹
			श्री धर्मराज मीना /1141252 (R)	4162693 (R) 01.03 .21	O.P. 21350 C.P. 7116 R.P. 14234	रू.741032 10.08.2021	14.11.20	01.06.21	01.06.21 से 31.07.21	14232
6.	शाहपुरा	शाहपुरा	श्री उदय लाल बैरवा 1141001(R)	4225594 (R) 22.08.2023	O.P. 47700 C.P. 15900 R.P. 31800	₹ 126253/- 20.02.2024	01.02.2021	22.11.2023	22.11.2023 से 31.01.2024	2953
			श्री हरिश चन्द्र मिश्रा 1179647(R) DOR 28-02-2023	4204896 (R) 09.11.2022	O.P. 36600 C.P. 12200 R.P.24400	₹ 1199602/- 05.06.2023	01.03.2023	01.03.2023	01.03.2023 से 31.05.2023	36600
		जहाजपुर	श्री मोतीलाल मीणा 1169050(R) DOR 31.08.2022	4191622 (R) 20.05.2022	O.P. 40100 C.P.13366 R.P.26734	₹ 1314252/- 16.11.2022	01.09.2022	01.09.2022	01.09.2022 से 31.10.2022	26732
			श्री शिवचरण प्रकाश शर्मा 1165644(R) DOR 31.07.2022	4187988 (R) 28.03.2022	O.P. 35650 C.P. 11883 R.P 23767	₹ 1168432/- 11.10.2022	01.08.2022	01.08.2022	01.08.2022 से 30.09.2022	16132
			श्री दुर्गालाल गुर्जर 1163475 (R) DOR 30.04.2021	4185749 (R) 21.02.2022	O.P. 17850 C.P. 5950 R.P.11900	₹ 585052/- 29.06.2022	01.05.2022	21.05.2022	21.05.2022 से 30.06.2022	7665
		बनेडा	श्री पुष्पेन्द्र कुमार बलाई 1167092(R) DOR 31.07.2022	4189525 (R) 04.05.2022	O.P. 38850 C.P.12950 R.P.25900	₹ 1273348/- 04.10.2022	01.08.2022	04.08.2022	04.08.2022 से 30.09.2022	24647
7.	भीलवाड़ा	भीलवाड़ा	श्रीमती शौला देवी हरिजन 1201150(R) DOR 31.01.2024	4232006 (R) 10.06.2024	O.P. 18950 C.P. 6316 R.P. 12634	₹ 621040/-	01.02.2024	10.09.2024	10.09.2024 से 31.10.2024	10737
			श्री लाल मोहम्मद छीपा 1198469(R) DOR 31.08.2024	4227056(R) 11.10.2023	O.P. 22400 C.P. 7466 R.P. 14934	₹ 734117/-	01.09.2023	11.01.2024	11.01.2024 से 31.03.2024	19990

क्र.सं.	कोषालय	कोषालय / उप कोषालय का नाम	पेंशनर का नाम व पी.पी.ओ. संख्या	सी.पी.ओ. संख्या एवं जारी की दिनांक	मासिक पेंशन की दर (रूपये)	रूपांतरित पेंशन का मूल्य राशि ₹ एवं भुगतान की दिनांक	पेंशन प्रारम्भ होने की तिथि	घटी दर से देय पेंशन की तिथि	भुगतान की अवधि	अधिक भुगतान राशि ₹
			श्री भैरूलाल हरिजन 1197990(R) DOR 30.04.2023	4226449(R) 15.09.2023	O.P. 18950 C.P. 6316 R.P. 12634	₹ 621040/-	01.05.2023	15.12.2023	15.12.2023 से 31.03.2024	22412
			श्री देवीलाल हरिजन 1198278(R) DOR 28.02.2023	4226792(R) 04.10.2023	O.P. 18400 C.P. 6133 R.P. 12267	₹ 603046/-	01.03.2023	04.01.2024	04.01.2024 से 31.03.2024	17806
			श्री भंवर सिंह रानावत 1187683(R) DOR 30.06.2023	4214398(R) 08.03.2023	O.P. 18143 C.P. 6047 R.P. 12096	₹ 594589/-	01.07.2023	01.07.2023	01.07.2023 से 31.07.2023	6047
			श्री बंशीलाल कीर 1199488(R) DOR 30.06.2023	4228384(R) 27.12.2023	O.P. 55250 C.P. 18416 R.P. 36834	₹ 1810808/-	01.07.2023	27.03.2024	27.03.2024 से 31.07.2024	76635
			श्री अशोक कुमार सरोठिया 1198716(R) DOR 30.04.2023	4227402(R) 26.10.2023	O.P. 58600 C.P. 19533 R.P. 39067	₹ 1920641/-	01.05.2023	26.01.2024	26.01.2024 से 31.03.2024	42847
योग ₹										11,68,240

परिशिष्ट संख्या – 16

(संदर्भ पैरा संख्या – 3.3.8.2)

पेंशन के रूपान्तरण के बाद संबंधित पेंशनरों से निर्धारित अवधि तक मासिक कटौती नहीं करने/कम करने के कारण अधिक भुगतान

क्र.सं.	कोषालय	कोषालय / उप कोषालय का नाम	पेंशनर का नाम व पी.पी.ओ. संख्या	पेंशन रूपान्तरण पुनर्भरण प्रारम्भ होने की तिथि	पेंशन रूपान्तरण पुनर्भरण पूर्ण होने की तिथि	मासिक कटौती की दर राशि ₹	निरीक्षण दिनांक तक कम कटौती की गई राशि की अवधि	निरीक्षण दिनांक तक कम कटौती की गई राशि ₹
1	बांसवाडा	बांसवाडा	श्री धनेश्वर भट्ट 573976 (आर)	01.05.2010	01.05.2024	2203	12/2023 से 04/ 2024	11015
2	ब्यावर	ब्यावर	श्री विष्णु प्रसाद शर्मा 869839(आर)	14.11.2007	01.12.2021	1540	06/21 एवं 08/21 से 11/21	7700
3	चित्तोड़गढ़	चित्तोड़गढ़	श्री श्रीचंद नेभनानी 1051714(R)	01-11-2018	01-11-2032	3857	11/18 से 06/24	262276
			श्री चतुर बिहारी कोठारी 571478 (R)	26-03-2009	01-04-2023	5953	01/23 से 03/23	17859
4	नीम का थाना	नीम का थाना	श्री रामनिवास यादव 181923 (आर)	19.02.2010	01.03.2024	3811	01.08.2023 से 29.02.2024	26677
			श्री राधे श्याम सैनी 182960 (आर)	30.03.2010	01.04.2024	3926	01.01.2024 से 31.03.2024	11778
5	झालावाड	झालावाड	श्री बंशी लाल 778085 (R)	17.07.2013	01.08.2027	1743	01.08.2023 से 31.08.2024	22659
			श्री कृष्ण हरि शर्मा 1060577(R)	02.03.2019	01.04.2033	6155	02.03.2019 से 31.08.2024	406031
			श्री राम चरण 1116867(R)	02.08.2021	01.09.2035	5450	02.08.2021 से 30.04.2022	48874
6	बाड़मेर	बाड़मेर	श्री किशन परमार 444776 (आर)	10.12.2009	01.01.2024	4065	03/15 से 04/15	8130
7	अजमेर	अजमेर	श्रीमती सन्तोष माथुर 867168(आर) 869052(आर)	06.04.2005	01.05.2019	2025	02/2019 से 04/2019	6075
8	शाहपुरा	शाहपुरा	श्री लादुलाल शाह /872855(आर)	30.06.2009	01.07.2023	4673	04/2023 से 06/2023	14019

क्र.सं.	कोषालय	कोषालय / उप कोषालय का नाम	पेंशनर का नाम व पी.पी.ओ. संख्या	पेंशन रूपान्तरण पुनर्भरण प्रारम्भ होने की तिथि	पेंशन रूपान्तरण पुनर्भरण पूर्ण होने की तिथि	मासिक कटौती की दर राशि ₹	निरीक्षण दिनांक तक कम कटौती की गई राशि की अवधि	निरीक्षण दिनांक तक कम कटौती की गई राशि ₹
			श्रीमती सुशीला गांधी /870818(आर)	17.04.2008	01.05.2022	2963	05/2020 से 07/2020 एवं 04/2022	11852
			श्री गेसुलाल धोबी /1071979(आर)	01.03.2019	01.03.2033	3493	03/2019 से 04/2019	6986
			श्रीमती रतन देवी सेन /872511(आर)	01.07.2009	01.07.2023	1546	06/2023	1546
			श्री ओमप्रकाश राणावत/864210(आर)	05.02.2003	01.03.2017	1483	11/2016 से 02/2017	5932
			श्री शम्भु सिंह सोलंकी/568559(आर)	24.04.2007	01.05.2021	3645	02/2021 से 04/2021	10935
				31.10.2009	01.11.2023	1270	05/2021 से 10/2023	38100
9	डीडवाना कुचामन	डीडवाना कुचामन	श्री मेघराज/874419(आर)	17.09.2010	01.10 .2024	3270	02/2022 से 09/2024	104640
योग ₹								10,23,084

परिशिष्ट संख्या- 17

(संदर्भ पैरा संख्या -3.5.1)

निजी निक्षेप खाताधारकों से 31 मार्च को शेष रही राशि के सहमति प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं करने का विवरण

क्र.सं	कोषालय का नाम	क्र.सं	सहमति पत्र प्रस्तुत नहीं करने वाली खाता धारक संस्था का नाम	खाता संख्या
1	AJMER	1.	TREASURY OFFICE AJMER	479
2	ALWAR	2.	BANDI KALYAN FU	50
		3.	SR.DY.D.E.O CUM	81
		4.	SHIKSHA CO-OPER	165
		5.	DEV STHAN DEPTT	5036
		6.	LORDS UNIVERSIT	5752
		7.	ADH, ALWAR	18702
3	BANSWARA	8.	TREASURY OFFICE BANSWARA	471
		9.	TREASURY OFFICE BANSWARA	473
		10.	TREASURY OFFICE BANSWARA	474
		11.	TREASURY OFFICE BANSWARA	475
		12.	TREASURY OFFICE BANSWARA	479
		13.	DISTRICT .AYURVED OFFICER	480
		14.	HDJ.GOV.T.GIRLS	4996
		15.	GRAH RAKSHA PRA	4998
		16.	PRO.OFFR.T.A.D.	5222
		17.	SUPTD. I.T.I. B	5224
		18.	ASSTT.LABOUR CO	5225
		19.	DEPUTY DIRECTOR	5226
		20.	DEPUTY. DIR.AGR	5227
		21.	DEPUTY. DIR.AGR	5236
		22.	SEC.KRISHI UPAJ	5237
		23.	DY.SUPT.DIST.JA	5259
		24.	D.E.O.(EL. EDU.),BANSWARA	6106
		25.	D.E.O. ELEMENTRY EDUCATION BANSWARA	6110
		26.	GOVT. COLLEGE, SAJJANGARH, BANSWARA	6867
		27.	GOVERNMENT COLLEGE, CHOTI SARWAN, BANSWARA	18503
		28.	GOVERNMENT COLLEGE, GANGARTALAI, BANSWARA	18504
		29.	SUPERINTENDING ENGINEER, WATERSHED DEVELOPMENT AND SOIL CONSERVATION, BANSWARA	18642
		30.	ADH, BANSWARA	18703
		31.	GOVERNMENT INDUSTRIAL TRAINING INSTITUTE, SAJJANGARH (BANSWARA)	18814
		32.	GOVERNMENT INDUSTRIAL TRAINING INSTITUTE, CHOTI SARWAN (BANSWARA)	18818
		33.	SUPRINTENDENT ITI TALWARA (BANSWARA)	18833
		34.	SUPRINTENDENT WOMAN ITI BANSWARA	18845
		35.	GOVT. ITI GHATOL (BANSWARA)	18903
		36.	DEPUTY CONSERVATOR OF FORESTS, BANSWARA	19915
4	BARAN	37.	DY.DIR.(CHILD DEVELOPMENT)ICDS	1246
5	BARMER	38.	TREASURY OFFICE BARMER	471
		39.	TREASURY OFFICE BARMER	473
		40.	TREASURY OFFICE BARMER	475
		41.	TREASURY OFFICE BARMER	479
6	BEAWAR	42.	TREASURY OFFICE BEAWAR	471
		43.	TREASURY OFFICE BEAWAR	475
		44.	TREASURY OFFICE BEAWAR	479
7	BHARATPUR	45.	TREASURY OFFICE BHARATPUR	471
		46.	TREASURY OFFICE BHARATPUR	473
		47.	TREASURY OFFICE BHARATPUR	475
		48.	TREASURY OFFICE BHARATPUR	479
		49.	B.E.E.O DEEG	2224
		50.	B.E.E.O KAMAN	2226

क्र.सं	कोषालय का नाम	क्र.सं	सहमति पत्र प्रस्तुत नहीं करने वाली खाता धारक संस्था का नाम	खाता संख्या
		51.	B.E.E.O KUMHER	2228
		52.	B.E.E.O NAGAR	2231
		53.	K.U.M.S. DEEG	2235
		54.	K.U.M.S. KAMAN	2237
		55.	DISTRICT AYURVED OFFICER BHARATPUR	5588
		56.	INDUSTRIAL TRAINING CENTRE CENTRAL JAIL, BHARATPUR	6836
		57.	RGHS	18692
8	BHILWARA	58.	SR.DY.DEO CUM B.E.E.O. JAHAJPUR	825
		59.	SUPTT. I.T.I.UNCHA	876
		60.	I.T.I.BHILWARA	3196
		61.	I.T.I.GULABPURA	3197
		62.	I.T.I.MANDALGAR	3198
		63.	I.T.I.(WOMEN),BHILWARA	3199
		64.	F.F.D.A.BHILWARA	3201
		65.	SAGAN KHADYAN BHANDAR (D.D. AGRICULTURE) BHILWARA	3204
		66.	SUPT.DISTRICT JAIL BHILWARA	3206
		67.	SANGAM UNIVERSITY BHILWARA	4207
		68.	GOVERNMENT COLLEGE ASIND	5868
		69.	PRINCIPAL GOVT. COLLEGE RAIPUR	5900
		70.	COMMISSIONER EMPLOYEE COMPENSATION (RAJSAMAND),LABUR COURT & INDUSTRIAL TRIBUNAL BHILWARA	6161
		71.	राजकीय महाविद्यालय, बनेड़ा (भीलवाड़ा)	6375
		72.	DISTRICT PROJECT MANAGEMENT UNIT (RGAVP), BHILWARA	6688
		73.	PRINICPAL GOVT COLLEGE, BIJOLIYA, BHILWARA	6717
		74.	GOVT. COLLAGE JAHAJPUR, BHILWARA	6842
		75.	GOVT COLLEGE GANGAPUR,BHILWARA	18512
		76.	RGHS	18692
		77.	ADH BHILWARA	18713
		78.	GOVERNMENT INDUSTRIAL TRAINING INSTITUTE, ASIND (BHILWARA)	18761
		79.	GOVERNMENT INDUSTRIAL TRAINING INSTITUTE, BANERA (BHILWARA)	18762
		80.	GOVERNMENT INDUSTRIAL TRAINING INSTITUTE,KOTDI (BHILWARA)	18763
		81.	GOVERNMENT INDUSTRIAL TRAINING INSTITUTE, MANDAL CAMP(BHILWARA)	18764
		82.	GOVERNMENT INDUSTRIAL TRAINING INSTITUTE, RAIPUR (BHILWARA)	18766
		83.	GOVERNMENT INDUSTRIAL TRAINING INSTITUTE, SAHADA (BHILWARA)	18768
		84.	CBEO BADNOR	19020
		85.	ZILA SHIKSHA ADHIKARI (MUKHYALYA), PRARAMBHIK SHIKSHA,SHAHPURA	19673
9	BIKANER	86.	TREASURY OFFICE BIKANER	471
		87.	TREASURY OFFICE BIKANER	473
		88.	TREASURY OFFICE BIKANER	474
		89.	TREASURY OFFICE BIKANER	475
		90.	TREASURY OFFICE BIKANER	476
		91.	TREASURY OFFICE BIKANER	477
		92.	TREASURY OFFICE BIKANER	479
		93.	PRINCIPAL, ENGINEERING COLLEGE, BIKANER	640
		94.	SEC KUM SRI DUNGER GARH	717
		95.	A.DIST.EDU.OFF/BLOCK EDU.OFFICER BIKANER	762
		96.	RAJ.AGRICULTURE UNIVERSITY BIKANER	3281
		97.	D.F.O.BIKANER	3282
		98.	ITI NOKHA	3305
		99.	CIVIL DEFENCE BIKANER	3311
		100.	DEPUTY DIRECTOR, AAYURVED DEPARTMENT, DIST BIKANER	5585
		101.	BEEO KHAJUWALA	5635
		102.	C E T BIKANER	5801

क्र.सं	कोषालय का नाम	क्र.सं	सहमति पत्र प्रस्तुत नहीं करने वाली खाता धारक संस्था का नाम	खाता संख्या
		103.	PRINCIPAL GOVT	5828
		104.	PRINCIPAL GOVT	5833
		105.	PRINCIPAL GOVT COLLEGE KOLAYAT	5867
		106.	BEEO PANCHU	6312
		107.	SWAMI VIVEKANAND GOVT. MODEL SCHOOL,SHRIDUNGARGARH, BIKANER	6493
		108.	SUPERINTENDENT ITI,PANCHU (BIKANER)	6816
		109.	SUPERINTENDENT ITI,CHHATARGARH (BIKANER)	6819
		110.	SECRETARY, SIREMIK AND ELECTRICAL VIKAL SAMITI	18399
		111.	SUPERINTENDING ENGINEER, WATERSHED DEVELOPMENT AND SOIL CONSERVATION, BIKANER	18646
		112.	RGHS	18692
		113.	GOVERNMENT INDUSTRIAL TRAINING INSTITUTE, SHRIDUNGARGARH, BIKANER	18694
		114.	ADH BIKANER	18714
		115.	GOVERNMENT INDUSTRIAL TRAINING INSTITUTE, LUNAKSAR (BIKANER)	18813
		116.	CBE0 PUGAL	19022
		117.	PRINCIPAL GOVT.GIRLS COLLEGE BAJJU(KOLAYAT)BIKANER	19707
		118.	PRINCIPAL, GOVT. COLLEGE, GODU (BAJJU) BIKANER	19722
10	BUNDI	119.	DD AG ZP, BUNDI	18676
		120.	JEET PROFESSIONAL UNIVERSITY, BUNDI	19078
		121.	DCF & DY FD(CORE) RAMGARH VISHDHARI TIGER BUNDI	19169
		122.	PRINCIPAL GOVERNMENT COLLEGE HINDOLI	19444
11	CHITTORGARH	123.	TREASURY OFFICE CHITTORGARH	474
12	CHURU	124.	SUPTD.ITI CHURU 183	2866
		125.	VINAYAK UNIVERSITY, SIDHMAKH (CHURU	18748
		126.	EX.EN.PHED,CHURU	2894
		127.	DEPUTY DIRECTOR AGRICULTURE (EXT.)DAUSA	3019
13	DAUSA	128.	PRINCIPAL GOVT COLLEGE SIKARI	5905
		129.	GOVT GIRLS COLLAGE LALSOT (DAUSA)	5914
		130.	SHYAM NATIONAL UNIVERSITY DEHLAL LALSOT	5966
		131.	PRINCIPAL GOVT COLLEGE MAHUA DAUSA	6031
		132.	DISTRICT MINERAL FOUNDATION TRUST FUND (DMFT)	6237
		133.	अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (रामसा), DAUSA	6349
		134.	GOVT. ITI, SIKRAI	6650
		135.	GOVT. ITI, BASWA	6651
		136.	GOVT GIRLS COLLEGE, SIKANDARA, DAUSA	6857
		137.	SUPERINTENDING ENGINEER, WATERSHED DEVELOPMENT AND SOIL CONSERVATION, DAUSA	18651
		138.	SHRI MOHANJI UNIVERSITY, DAUSA	18791
		139.	CBE0 BASWA	19002
		140.	PRINCIPAL GOVERNMENT COLLEGE NANGAL RAJAWATAN	19446
14	DEEDWANA-KUCHAMAN	141.	L.I. C.OF INDIA	471
		142.	GOVT COLLAGE, PARBATSAR,NAGAU	6843
		143.	GOVT. COLLAGE NAVA, NAGAU	6844
		144.	PRINCIPAL, GOVERNMENT POLYTECHNIC COLLEGE, NAWA	19145
		145.	H.B.A.Loans	473
		146.	House Building Advance	474
		147.	H.B.A., H.D.F.C.	475
		148.	New Pension Contribution	479
15	DEEG	149.	TREASURY OFFICE DEEG	479
16	DHOLPUR	150.	SECY. KRISHI UPJAMANDI SAMITI DHOLPUR	4938
		151.	GOVT.COLLEGE , BARI	5847
		152.	GOVT. ITI, SAIPAU	6649

क्र.सं	कोषालय का नाम	क्र.सं	सहमति पत्र प्रस्तुत नहीं करने वाली खाता धारक संस्था का नाम	खाता संख्या
		153.	DISTRICT PROJECT MANAGEMENT UNIT (RGAVP), DHOLPUR	6694
		154.	SHUBHAM UNIVERSITY, DHOLPUR	19068
17	DUNGARPUR	155.	SUPERINTENDING ENGINEER, WATERSHED DEVELOPMENT AND SOIL CONSERVATION, DUNGARPUR	18652
18	GANGANAGAR	156.	CIVIL DEFENCE , SRIGANGANAGAR	1297
		157.	ZILA SHIKSHA ADHIKARI (MUKHYALYA), PRARAMBHIK SHIKSHA,ANUPGARH	19659
		158.	PARIYOJANA PRABANDHAK, WATERSHED CELL CUM DATA CENTRE, SRI GANGANAGAR	19923
19	HANUMANGARH	159.	TREASURY OFFICE HANUMANGARH	471
		160.	TREASURY OFFICE HANUMANGARH	473
		161.	TREASURY OFFICE HANUMANGARH	475
		162.	TREASURY OFFICE HANUMANGARH	479
		163.	COMNDENT HOME GAURD HANUMANGARH	2484
		164.	LAND EQUE.OFFICER&S.D.M. NOHAR	3133
		165.	GOVT. ITI BHADRA(HANUMANGARH)	19571
		166.	RGHS	18692
20	JAIPUR(CITY)	167.	DISTRICT .AYURVED OFFICER	480
		168.	ZILA GRAMIN VAY	559
		169.	COLLEGE OF NURS	3487
		170.	GOVERNMENT DENT	3542
		171.	MAHATMA JYOTIRA	3726
		172.	RITNAND BALDAV	3730
		173.	PRATAP UNIVERCI	4197
		174.	DEV UNIVERCITY	4201
		175.	RAJASTHAN STATE FLYING SCHOOL, JAIPUR	4886
		176.	CHIEF BLOCK EDUCATION OFFICER-AAMER	4899
		177.	CHIEF BLOCK EDUCATION OFFICER-SANGANER	4908
		178.	GOVT.MAHILA POL SANGANER	4927
		179.	REASONAL TECHNI	5517
		180.	ZILA AURVED ADI	5619
		181.	V I T UNIVERSI	5638
		182.	J E C RC UNIVER	5782
		183.	MAHILA BANDI SUDHAR GRAH	6074
		184.	D E O (ELM EDU) JAIPUR	6123
		185.	DISTRICT PROJECT MANAGEMENT UNIT (RGAVP), JAIPUR	6697
		186.	BANDI KALYAAN KOSH, JILA KARAGARH, JAIPUR	6943
		187.	RAJASTHAN POLICE VIKAS KOSH	18974
		188.	PRINCIPAL GOVT.AYURVED YOGA & PRAKARTIK CHIKITSA EKIKRIT MAHAVIDHYALAY PRATAP NAGAR JAIPUR	19071
		189.	RAJASTHAN REHABILITATION & RESEARCH INSTITUTE	19168
		190.	PRINCIPAL GOVERNMENT GIRLS COLLEGE SANGANER	19392
		191.	PRINCIPAL GOVERNMENT COLLEGE JAGATPURA	19515
		192.	PRINCIPAL GOVT.COLLEGE VIDHYADHAR NAGAR JAIPUR	19589
		193.	ZILA SHIKSHA ADHIKARI (MUKHYALYA), PRARAMBHIK SHIKSHA,JAIPUR(RURAL)	19674
21	JAIPUR(RURAL)	194.	INST OF ENG MAN	2075
		195.	NIMT UNI KOT	4205
		196.	GOVT COLLEGE, VIRAT NAGAR, JAIPUR	6858
22	JAIPUR(SECT)	197.	TREASURY OFFICE JAIPUR(SECT)	462
		198.	TREASURY OFFICE JAIPUR(SECT)	471
		199.	TREASURY OFFICE JAIPUR(SECT)	473
		200.	TREASURY OFFICE JAIPUR(SECT)	474
		201.	TREASURY OFFICE JAIPUR(SECT)	475
		202.	TREASURY OFFICE JAIPUR(SECT)	479
		203.	TREASURY OFFICE JAIPUR(SECT)	480
		204.	STATE COOPERATIVE RENEWAL FUND	3748
		205.	SAHKARI SUDRADIKARAN KOSH	3749

क्र.सं	कोषालय का नाम	क्र.सं	सहमति पत्र प्रस्तुत नहीं करने वाली खाता धारक संस्था का नाम	खाता संख्या
		206.	ADL.DIRECTOR F.W. MED.HEALTH	3759
		207.	ASSOCIATION FOR RURAL ADV.THUVOL.ACTION	3761
		208.	RAJ STATE VATENARY MEDICAL COUNCIL	3775
		209.	DIRECTOR WOMEN EMPOWERMENT DEPTT.	3779
		210.	INSTITUTE OF DEVELOPMENT STUDIES	3781
		211.	RAJ STATE SEED CERTIFICATION AUTHORITY	3787
		212.	RAJASTHAN UNIVERSITY	3794
		213.	RAJASTHAN HOUSING BOARD	3796
		214.	DY DIRECTOR AGRICULTURE(EXT)	3800
		215.	CIVIL DEFENCE AND HOME GARD (CENTRA WL	3803
		216.	CENTRAL DEFENCE AND HOME GAURD (CENTRAL)	3804
		217.	DY.DEV.COM.RURAL &PANCHAYATI RAJ DEPTT.	3820
		218.	RAJASTHAN SMALL INDUSTRIES CORP.	3825
		219.	RAJASTHAN STATE AGRO INDUSTRIES CORP.	3829
		220.	HUMAN DEV. RESEARCH & CO-ORDINATION UNIT	3982
		221.	RAJASTHAN RAJAYA PASHUPALAK KALYAN BOARD	3989
		222.	RAJASTHAN SWASTHYA VIGAYAN VISHVIDHALAYA	3998
		223.	RAJASTHAN STATE ENERGY CONSERVATION FUND	4022
		224.	RAJ STATE COM CHILD PROT. RIGHTS	4188
		225.	RAJ STATE GANGANAGAR SUGAR MILLS LTD.	4190
		226.	RAJASTHAN STATE FOOD & CIVIL SUPPLY CORP. LTD.	4209
		227.	RAJ. URBAN DRINKING WATER SEVERAGE & IFRASTRUCTURE CORP. LTD.	5303
		228.	MAHARAJ VINAYAK	5576
		229.	RAJ. RAJYA MELA	5689
		230.	POORNIMA UNIVER	5693
		231.	RAJ.AGRI. COMP.	5696
		232.	O.P.J.S. UNIVER	5750
		233.	SWECHIK KSHETRA VIKAS KENDRA	5779
		234.	I.I.H.M.R. UNIVERSITY	5797
		235.	VIMUKTI, GHUMANT	5818
		236.	NIRWAN VISWAVIDHYALAYA, JAIPUR	6007
		237.	RAJASTHAN STATE BUS TERMINAL DEV. AUTHORITY	6036
		238.	RAJ. STATE CO. OP. CONSUMER FED. LTD., JAIPUR	6063
		239.	CIVIL DEFENCE DEPARTMENT	6078
		240.	KESH KALA BOARD	6207
		241.	अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वय, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (रामसा) जयपुर	6354
		242.	JAIPUR SMART CITY LTD.	6625
		243.	VANSAVALI SANRAKSHAN AND SANVARDHAN ACADEMY	6635
		244.	GOVERNMENT ENTERPRISE DEPARTMENT (SRF)	6797
		245.	HARISHCHANDRA MATHUR RAJASTHAN STATE INSTITUTE OF PUBLIC ADMINISTRATION, JAIPUR	6805
		246.	DIRECTORATE HOMEOPATHY MEDICAL DEPARTMENT. RAJ. JAIPUR	6822
		247.	DIRECTORATE UNANI MEDICAL DEPARTMENT, RAJ. JAIPUR	6823
		248.	RAJASTHAN JHEEL VIKAS PRADIKARAN	6896
		249.	RAJASTHAN STATE MEDISINAL PLANTS BOARD	6994
		250.	NEHRU BAAL SANRAKSHAN KOSH	18544
		251.	RAJASTHAN BEGGARS AND POOR PERSON WELFARE FUND	18546
		252.	MAHATMA GANDHI INSTITUTE OF GOVERNANCE AND SOCIAL SCIENCES	18758
		253.	NATIONAL FOOD SECURITY MISSION-OILSEEDS	18786
		254.	NATIONAL FOOD SECURITY MISSION (PULSES)	18787
		255.	RASHTRIYA KRISHI VIKAS YOJNA (RKVY)	18788
		256.	DIRECTOR, SWACHH BHARAT MISSION (RURAL)	18794
		257.	COMMISSIONER HORTICULTURE, HORTICULTURE COMMISSIONERATE, JAIPUR	18805
		258.	RAJASTHAN RAJYA AARTHIK PICHDA VARG BOARD	18829

क्र.सं	कोषालय का नाम	क्र.सं	सहमति पत्र प्रस्तुत नहीं करने वाली खाता धारक संस्था का नाम	खाता संख्या
		259.	RAJASTHAN RAJYA VIPRA KALYAN BOARD	18830
		260.	STATE GRANT FOR RURAL EMPLOYEMENT	18972
		261.	APPROPRIATE AUTHORITY ASSISTED REPRODUCTIVE TECHNOLOGY AND SURROGACY (REGULATION) RAJASTHAN JAIPUR	19035
		262.	PANDIT JAWAHAR LAL NEHRU BAL SAHITYA ACADEMY, JAIPUR	19066
		263.	RAJASTHAN VYAPARI KALYAN BOARD	19069
		264.	AMRITA DEVI SOCIETY FOR FORESTRY AND WILDLIFE TRAINING	19070
		265.	SILICOSIS PREVENTION THROUGH TRAINING AWARENESS AND MEDICAL EXAMINATION OF SILICOSIS PRONE FACTORY W	19133
		266.	RAJASTHAN MAHILA NIDHI CREDIT CO- OPERATIVE FEDERATION LTD JAIPUR	19170
		267.	GEETANJALI GLOBAL UNIVERSITY, JAIPUR	19200
		268.	MEMBER SECRETARY, STATE LEVEL ENVIRONMENT IMPACT ASSESSMENT AUTHORITY	19236
		269.	MUKHYMANTRI CHIRANJIVI DURGHATANA BIMA YOJANA	19310
		270.	WILD LIFE CLEARANCE & OTHER DEPOSIT	19816
		271.	MEMBER SECRETARY, EXECUTIVE COMMITTEE, RAJASTHAN COLLEGE EDUCATION SOCIETY	19821
		272.	MLA LOCAL AREA DEVELOPMENT	19863
		273.	DANG AREA DEVELOPMENT SCHEME	19864
		274.	MEWAT AREA DEVELOPMENT SCHEME	19865
		275.	MAGRA AREA DEVELOPMENT SCHEME	19866
		276.	MAHATMA GANDHI JANBHAGIDARI VIKASH YOJNA	19867
		277.	INSTITUTE OF DIGITAL EDUCATION AND EMPLOYMENT DEVELOPMENT	19868
		278.	COMMISSIONER, INDUSTRIES AND COMMERECE DEPARTMENT.	19914
		279.	COMMISSIONER FOOD SAFETY AND DRUG CONTROL, JAIPUR	19924
23	JAISALMER	280.	DISTRICT MINERAL FOUNDATION TRUST FUND (DMFT)	6217
24	JALORE	281.	L.I. C.OF INDIA	471
		282.	H.B.A.LOANS	473
		283.	H.B.A.,H.D.F.C.	475
		284.	NEW PENSION CONTRIBUTION	479
		285.	KRISHI UPAJ MANDI SAMITI SANCHORE	1146
		286.	KRISHI UPAJ MANDI SAMITI JALORE	3014
		287.	WORKER COMP.AYU	3239
		288.	DIST.AYURVEDIC	3343
		289.	SUPRINTENDENT ITI JALORE	4410
		290.	SUPRINTENDENT ITI RANIWADA	4415
		291.	DY SUPRINTENDENT BANDI KALYAN KOSH JALOR	5296
		292.	GOVT.COLLEGE AHORE	6064
		293.	अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वय, राष्ट्रीय मधिम्यक शिक्षा अभियान (रामसा) JALORE	6356
		294.	DISTRICT PROJECT MANAGEMENT UNIT (RGAVP), JALOR	6699
		295.	GOVT, COLLEGE, SANCHOR, JALORE	6851
		296.	RGHS	18692
		297.	ADH JALORE	18725
		298.	CBEO SARNAU	19011
		299.	ITI JASWANTPURA (JALORE)	19360
		300.	GOVT. ITI BHINMAL (JALORE)	19541
		301.	ZILA SHIKSHA ADHIKARI (MUKHYALYA), PRARAMBHIK SHIKSHA,SANCHORE	19672
25	JHUNJHUNU	302.	TREASURY OFFICE JHUNJHUNU	471
		303.	TREASURY OFFICE JHUNJHUNU	473
		304.	TREASURY OFFICE JHUNJHUNU	474
		305.	TREASURY OFFICE JHUNJHUNU	475
		306.	TREASURY OFFICE JHUNJHUNU	479

क्र.सं	कोषालय का नाम	क्र.सं	सहमति पत्र प्रस्तुत नहीं करने वाली खाता धारक संस्था का नाम	खाता संख्या
		307.	TREASURY OFFICE JHUNJHUNU	480
		308.	GOVT. GIRLS COLLEGE JJN	1359
		309.	LABOUR WELFARE OFFICER JJN	1513
		310.	I.T.I. JHUNJHUNU	1552
		311.	SHRIDHAR UNIVERSITY , BIGODANA (JJN.)	2705
		312.	ITI KHETRI	4536
		313.	JAIL	4539
		314.	GOVT. COLLEGE KHETRI	4592
		315.	B.E.E.O KHETRI	4597
		316.	GOVT. ITI, NAWALGARH	6652
		317.	RAV BAHADUR SINGH UNIVERSITY, SOHALI (JHUNJHUNU)	18384
		318.	RGHS	18692
		319.	ADH JHUNJHUNU	18727
26	JODHPUR(CITY)	320.	PRINCIPAL, GOVT. GIRLS COLLEGE, MUKUNDGARH	19593
		321.	L.I. C.OF INDIA	471
		322.	H.B.A.LOANS	473
		323.	H.B.A.,H.D.F.C.	475
		324.	NEW PENSION CONTRIBUTION	479
		325.	JODHPUR PRIVATE UNIVERSIRY JODHPUR	2750
		326.	STATE PROJECT MANAGER EMPOWER, JODHPUR	2752
		327.	DIVISIONAL FOREST OFFICER, JODHPUR	4057
		328.	SUPTT. CENTRAL JAIL, JODHPUR	4077
		329.	DY. REGISTRAR COPERATIVE SOCIETY, JODHPUR	4124
		330.	PRINCIPAL WOMAN ITI JODHPUR	4127
		331.	SUPTT. CENTRAL JAIL, PRISIONERS WELFARE,JODHPUR	4132
		332.	RAJ. JAIL BAND, JODHPUR	4161
		333.	DISTRICT PROJECT MANAGEMENT UNIT (RGAVP), JHODPUR	6702
		334.	VYAS VIDHYAPEETH, JODHPUR	7003
		335.	GOVT. COLLEGE KUDI BHAGTASANI,JHODPUR	18528
		336.	RGHS	18692
		337.	DDH JODHPUR	18728
		338.	MARWAR REGIONAL TRIBAL DEVELOPMENT BOARD (MADA) JODHPUR	18846
		339.	PRINCIPAL RAJ.AYURVED NURS./COMP.TRN.CTR PUNJLA JODHPUR	19152
27	JODHPUR(RURAL)	340.	MAHATMA GANDHI DIVYANG VISHVIDHYALAY JODHPUR	19652
		341.	CHIEF ENGINEER, GROUND WATER DEPARTMENT, JODHPUR	19878
27	JODHPUR(RURAL)	342.	PRINCIPAL GOVERNMENT GIRLS COLLEGE LUNAWAS BHAKHAR (LUNI)	19520
28	KAROLI	343.	L.I. C.OF INDIA	471
		344.	H.B.A.LOANS	473
		345.	HOUSE BUILDING ADVANCE	474
		346.	H.B.A.,H.D.F.C.	475
		347.	MOTOR CONVANCE ADVANCE	476
		348.	MOTOR CONVANCE LOAN	477
		349.	NEW PENSION CONTRIBUTION	479
		350.	ZILA PARISHAD KARALI	4351
		351.	CHIEF BLOCK EDUCATION OFFICER-TODABHEEM	4375
		352.	SR.D.E.O.CUM BEEO SAPOTARA	4376
		353.	DISTRICT JAIL KARALI	4387
		354.	PRINCIPAL GOVT COLLEGE TODABHIM	4405
		355.	PARIYOJAN PRACH	5731
		356.	PRINCIPAL GOVT COLLEGE SAPOTARA	5861
		357.	D.E.O (ELEMENTARY) KARALI	6125
		358.	DISTRICT MINERAL FOUNDATION TRUST FUND (DMFT)	6243
		359.	SWAMI VIVEKANAND GOVT. MODEL SCHOOL SAPOTARA, KARUALI	6557
		360.	RAJASTHAN SCHEDULED CASTES FINANCE AND DEVELOPMENT CORPORATION, KARALI	6613

क्र.सं	कोषालय का नाम	क्र.सं	सहमति पत्र प्रस्तुत नहीं करने वाली खाता धारक संस्था का नाम	खाता संख्या
		361.	DISTRICT PROJECT MANAGEMENT UNIT (RGAVP), KARAULI	6703
		362.	GOVT. COLLEGE, MANDRAYAL, KARAULI	6875
		363.	LABOUR WELFARE OFFICER, KARAULI	18492
		364.	RGHS	18692
		365.	GOVERNMENT INDUSTRIAL TRAINING INSTITUTE, NADOTI, KARAULI	18695
		366.	ADH KARAULI	18729
		367.	DEPUTY CONSERVATOR OF FOREST & DEPUTY FIELD DIRECTOR RANTHAMBORE TIGER RESERVE II KARAULI	19067
		368.	GOVERNMENT NURSING COLLEGE, KARAULI	19111
		369.	PRINCIPAL AND CONTROLLER MEDICAL COLLEGE ,KARAULI	19157
		370.	PRINCIPAL, GOVERNMENT POLYTECHNIC COLLEGE, KARAULI	19813
29	KOTA	371.	TREASURY OFFICE KOTA	471
		372.	TREASURY OFFICE KOTA	473
		373.	TREASURY OFFICE KOTA	475
		374.	TREASURY OFFICE KOTA	479
		375.	TREASURY OFFICE KOTA	480
		376.	CAREER POINT UNIVERSITY	2066
		377.	CIVIL DEFERENCE	2440
		378.	SUPREDENT I.T.I	2441
		379.	DISTRICT EDUCATION OFFICER (ELEMENTARY EDUCATION)	6114
		380.	GOVT. COLLAGE, ITAWA, KOTA	6730
		381.	RGHS	18692
		382.	JAI MINESH ADIVASI UNIVERSITY, KOTA	18943
		383.	PRINCIPAL GOVT.AYURVED YOGA & PRAKARTIK CHIKITSA EKIKRIT MAHAVIDHYALAY TALWANDI, KOTA	19072
		384.	PRINCIPAL GOVT. GIRLS COLLEGE RAMPURA(KOTA)	19596
30	KOTPUTALI-BEHROR	385.	GOVT. ITI, BANSUR	6645
31	NAGOUR	386.	NATIONAL SOCIAL ASSISTANCE PROG., NAGOUR	2577
		387.	PRINCIPAL GOVT.COLLEGE, MERTACITY	2578
		388.	SETHI GANPATRAI TRUST LADNU	2584
		389.	EX.EN. PHED,NAGOUR	2596
		390.	E.E. PHED, DIVISION MERTACITY	2597
		391.	E.E. PHED, DIVISION DIDWANA	2598
		392.	BEEO, DIDWANA	2662
		393.	BEEO, LADNUN	2663
		394.	BEEO, PARBATSAR	2664
		395.	BEEO, KUCHAMAN	2665
		396.	BEEO, MUNDWA	2713
		397.	PRINCIPAL,GOVT.LAW COLLEGE, NAGOUR	2727
		398.	DISTT. AYURVED OFFICER NAGOUR	5597
		399.	B.E.E.O. NAWA	6306
		400.	अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वय, राष्ट्रीय मधिम्यक शिक्षा अभियान (रामसा) नागौर	6362
		401.	SWAMI VIVEKANAND GOVT. MODEL SCHOOL, DIDWANA, NAGOUR	6560
		402.	SWAMI VIVEKANAND GOVT. MODEL SCHOOL, PARBATSAR, NAGOUR	6561
		403.	SWAMI VIVEKANAND GOVT. MODEL SCHOOL, JAAYAL, NAGOUR	6563
		404.	UPVAN SANRAKSHAK, NAGOUR	18403
		405.	ADH NAGOUR	18731
		406.	Principal, Government Polytechnic College, Nawa	19145
		407.	Govt. ITI Nawa (Nagour)	19182
		408.	GOVT. MEDICAL COLLEGE, NAGOUR	19853
32	PALI	409.	MOTOR CONVANCE LOAN	477
		410.	PRI.GOVT.COLLAGE JAITARAN	1848

क्र.सं	कोषालय का नाम	क्र.सं	सहमति पत्र प्रस्तुत नहीं करने वाली खाता धारक संस्था का नाम	खाता संख्या
		411.	SWAMI VIVEKANAND GOVT. MODEL SCHOOL, JETAARAN, PALI	6569
		412.	PROJECT IMPLEMENTATION UNIT, RUIDP, PALI	6663
		413.	GOVT. COLLAGE, RAIPUR, PALI	6731
33	PHALODI	414.	TREASURY OFFICE PHALODI	471
		415.	H.B.A.Loans	473
		416.	House Building Advance	474
		417.	H.B.A.,H.D.F.C.	475
		418.	TREASURY OFFICE PHALODI	479
34	PRATAPGARH	419.	DISTRICT MINERAL FOUNDATION TRUST FUND	6238
		420.	GOVT COLLEGE, PIPALKHUNT, PRATAPGARH	6869
		421.	RGHS	18692
35	RAJSAMAND	422.	SR.DYDEO/BLOCK BHIM	5551
		423.	LABOUR COMP. & LABOUR WELFARE OFF. RSD.	5564
		424.	ZILA KARAGRAH "B" CATEGARY RAJSAMAND	5569
		425.	DISTRICT PROJECT MANAGEMENT UNIT (RGAVP), RAJSAMAND	6708
		426.	GOVT. ITI RELMAGARA (RAJSAMAND)	19846
		427.	GOVT. ITI BHIM (RAJSAMAND)	19881
36	SALUMBER	428.	TREASURY OFFICE SALUMBER	471
		429.	TREASURY OFFICE SALUMBER	473
		430.	TREASURY OFFICE SALUMBER	474
		431.	TREASURY OFFICE SALUMBER	475
		432.	TREASURY OFFICE SALUMBER	479
37	SAWAI MADHOPUR	433.	DY. DIR.TIGER PROJECT S.W.M	1637
38	SIKAR	434.	KUMS FATEHPUR	1312
		435.	SUPDT.I.T.I. KHOOR	1326
		436.	अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वय, राष्ट्रीय मधिम्यक शिक्षा अभियान (रामसा) SIKAR	6367
		437.	DISTRICT PROJECT MANAGEMENT UNIT (RGAVP), SIKAR	6710
		438.	WOMEN INDUSTRIAL TRAINING INSTITUTE	6826
		439.	ADH SIKAR	18736
		440.	ZILA SHIKSHA ADHIKARI (MUKHYALYA), PRARAMBHIK SHIKSHA,NEEM KA THANA	19669
39	SIROHI	441.	KAMGAR COMPENS.REG.ASST.LAB.COMM.SIROHI	4746
40	TONK	442.	TREASURY OFFICE TONK	479
41	UDAIPUR(CITY)	443.	DY. DIR. AGRICULTURE (EXT.) UDR	998
		444.	DY.DIR I.C.D.S.(CHILD DEV.) UDAIPUR	1002
		445.	SUPT. WOMAN I. T. I. UDR.	1006
		446.	M. L. SUKHADIA UNIVERSITY UDR.	1032
		447.	PACIFIC ACADEMY OF HIGHER EDU.\$ RES. UN.	1074
		448.	SUPTDD.D.R.C.T.E.D. UDAIPUR	1077
		449.	PACIFIC MEDICAL UNIVERSITY UDAIPUR	5793
		450.	DISTRICT EDUCATION OFFICER (ELEMENTRY EDUCATION) UDAIPUR	6127
		451.	INSTITUTE OF MANAGEMENT COMMITTEE OF ITI,UDAIPUR SOCIETY, UDAIPUR	6128
		452.	DIRECTOR ,MINES & GEOLOGY DEPT. UDAIPUR	6154
		453.	FOREST CONSERVATOR, UDAIPUR (NORTH)	6639
		454.	DISTRICT PROJECT MANAGEMENT UNIT (RGAVP), UDAIPUR	6714
		455.	DDH UDAIPUR	18739
		456.	GOVERNMENT INDUSTRIAL TRAINING INSTITUTE, KURABAD (UDAIPUR)	18816
		457.	UDAIPUR CITY TRANSPORT SERVICES LIMITED	19921
42	UDAIPUR(RURAL)	458.	S.D.D.E.O. CUM B.E.E.O. SALUMBER	976
		459.	S.D.D.E.O. CUM B.E.E.O. SARADA	977
		460.	ASST. COMM. DEV. DEPTT. RISHABDEV	984
		461.	SWAMI VIVEKANAND GOVT. MODEL SCHOOL, SARADA, UDAIPUR	6599
43	Khairthal	462.	ITI Bhiwadi	5026

परिशिष्ट संख्या- 18

(संदर्भ पैरा संख्या -3.5.2)

निजी निक्षेप खातों व संस्था की पासबुक के आंकड़ों के मध्य अन्तर का विवरण

क्र. सं.	Treasury	खाता संख्या	संस्था का नाम	कोषालय के आंकड़े राशि ₹	संस्था के आंकड़े राशि ₹	धनात्मक अंतर राशि ₹	ऋणात्मक अंतर राशि ₹
1.	AJMER	405	J.L.N. HOSPITAL AJMER	25617650.75	25617650.92	0	-0.170000002
		432	BLOCK ELE.EDU.OFFICER SILORA	25495978.00	25817578.00	0	-321600
		434	BLOCK ELE.EDU.OFFICER PISANGAN	32020141.18	33476941.18	0	-1459500
2.	ALWAR	6683	DISTRICT PROJECT MANAGEMENT UNIT(RGAVP) ALWAR	264733	174733	90000	0
3.	BARAN	6376	राजकीय महाविद्यालय, अंता(बारा)	1382064.00	490258.00	891806	0
4.	BARMER	3394	I.T.I.SHEO	512750.00	515750.00	0	-3000
5.	BHARATPUR	2221	B.E.E.O WEIR	18498447.37	5523413.37	12975034	0
6.	BHILWARA	6216	DISTRICT MINERAL FOUNDATION TRUST FUND	1162090674.00	936692090.00	225398584	0
7.	BHILWARA	6495	SWAMI VIVEKANAND GOVT. MODEL SCHOOL,JAHAJPUR, BHILWARA	28147525.00	27647525.00	500000	0
		6497	SWAMI VIVEKANAND GOVT. MODEL SCHOOL, SHAHPURA, BHILWARA	19693576.00	19193576.00	500000	0
		6499	SWAMI VIVEKANAND GOVT. MODEL SCHOOL, KOTADI, BHILWARA	12841775.00	12341775.00	500000	0
		6507	SWAMI VIVEKANAND GOVT. MODEL SCHOOL. BANEDA, BHILAWARA	16989341.00	16489341.00	500000	0
8.	BIKANER	745	I.T.I.(BOYS) BIKANER	3112948.00	3111948.00	1000	0
		3297	PRINCIPAL GOVT. LAW COLLEGE BIKANER	5505368.00	5546752.00	0	-41384
		3302	GRIHA RAXXA TRANNING CENTRE BIKANER	2223850.00	2283080.00	0	-59230
		7001	NIDESHAK, MADYAMIK SHIKSHYA RAJASTHAN, BIKANER (R.T.E.)	90972000.00	90954000.00	18000	0
9.	CHURU	471	L.I. C.OF INDIA	10261535.80	10273733.80	0	-12198
		2855	PRIN.GOVT.GIRLS	7957329.00	7965401.00	0	-8072
		2856	PRIN.LOHIA COLL	33926631.00	35739933.00	0	-1813302
		2857	PRIN.GOVT.COLLE	7329238.00	7319066.00	10172	0
		2903	PRIN.GOVT.COLLE	16658109.00	16663361.00	0	-5252
		2935	HOME GUARD T.C.,CHURU	1099217.00	1103217.00	0	-4000
10.	SRI GANGANAGAR	6533	SWAMI VIVEKANAND GOVT. MODEL SCHOOL, ANUPGARH, SHRIGANGANAGAR	30831589.00	30331589.00	500000	0
11.	JAIPUR(SECT)	3985	RAJ. STATE BACKWARD CLASSES COMMISSION	3203407.00	3219669.00	0	-16262
12.	JAISALMER	4436	SR.D.E.O.CUM B.E.E.O.,SANKARA	10190631.00	22092026.00	0	-11901395

		4490	PRINCIPAL,GOVT.COLLEGE, POKARAN	1019340.60	995340.60	24000	0
13.	KOTA	2306	DISTRICT JAIL K	8986222.50	8988979.50	0	-2757
		2328	2328 D.C.F.WILD ANIM	9314542.70	7712655.70	1601887	0
		2331	MEDICAL COLLEGE	168933906.00	168902128.00	31778	0
14.	KAROLI	4404	COMDNT.(S.P.)&D	454827.00	456807	0	-1980
		6558	SWAMI VIVEKANAND GOVT. MODEL SCHOOL, TODABHIM, KARUALI	21759888.00	21255388	504500	0
15.	JALORE	1209	S.D.D.E.O. CUM B.E.E.O.SANCHORE	21505935.00	21421675	84260	0
		6540	SWAMI VIVEKANAND GOVT. MODEL SCHOOL, RANIWAADA, JALOR	37583453.00	37083453	500000	0
		6541	SWAMI VIVEKANAND GOVT. MODEL SCHOOL, SAYLA, JALOR	26229731.60	26514573.60	0	-30284842
16.	JHALAWAR	4680	GOVT.BOYS COLLEGE JHALAWAR	51896471.00	51900941.00	0	-4470
		4683	FISHERIES DEV.AUTHORITY JHALAWAR	607211.25	507211.25	100000	0
		4685	DIST.JAIL JHALAWAR	116157.00	116292.00	0	-135
17.	NAGPUR	6985	DISTRICT MINORITY WELFARE OFFICER, NAGPUR	9080662.00	9068532.00	12130	0
18.	SAWAI MADHOPUR	6585	SWAMI VIVEKANAND GOVT. MODEL SCHOOL, BAMANVAS, SAWAI MADHOPUR	18539840.38	19039840.00	0	-499999.62
		6587	SWAMI VIVEKANAND GOVT. MODEL SCHOOL, GANGAPURCITY, SAWAI MADHOPUR	8632324.00	9132324.00	0	-500000
19.	HANUMANGARH	3132	LAND EQUI OFFICER HANUMANGARH	56784903.27	57306698.27	0	-521795
20.	JAIPUR (CITY)	543	Devasthan Deptt	512238.64	515744.64	0	-3506
		545	DY.MUKHYA VANY	14609220.00	13964917.00	644303	0
		3483	Raj.Police Priv	17131366.25	1725994.25	15405372	0
21.	JAIPUR(RURAL)	4888	PRIN.BGD.GOV.T.COLLEGE SHAHPURA	9664948.59	9661348.59	3600	0
		6536	SWAMI VIVEKANAND GOVT. MODEL SCHOOL, DUDU, JAIPUR.	18525028.00	19025028.00	0	-500000
22.	DUNGARPUR	6529	Swami Vivekanand Govt. Model School, Simalwara, Dungarpur	12645642.00	19893819.00	0	-7248177
		6975	District Minority Welfare Officer, Dhungarpur	1565014.00	1755514.00	0	-190500
23.	KHAITHAL-TIJARA	84	Chief Block Education Officer-Kotkasim	14881595.93	4059211.00	10822384.93	0

परिशिष्ट संख्या – 19

(संदर्भ पैरा संख्या -3.5.4.1)

न्यू पेंशन अंशदान की कटौतियों से प्राप्त व निजी निक्षेप खाता संख्या 479 में जमा राशियों

का विवरण

क्र.सं.	कोषालय का नाम	अंतिम शेष की दिनांक	राशि ₹ (पूर्णांक)
1.	अजमेर	31.03.2025	1263945.50
2.	अलवर	31.03.2025	635702.00
3.	बालोतरा	31.03.2025	137340.00
4.	ब्यावर	31.03.2025	49111.00
5.	बाड़मेर	31.03.2025	64301.00
6.	बारां	31.03.2025	99694.00
7.	बांसवाड़ा	31.03.2025	319119.00
8.	बीकानेर	31.03.2025	490328.00
9.	बूंदी	31.03.2025	105848.00
10.	भरतपुर	31.03.2025	125107833.00
11.	भीलवाड़ा	31.03.2025	191962.00
12.	चित्तौड़गढ़	31.03.2025	393024.00
13.	चूरू	31.03.2025	94078.00
14.	दौसा	31.03.2025	91862.00
15.	डीग	31.03.2025	21223.00
16.	डूंगरपुर	31.03.2025	140683.00
17.	धौलपुर	31.03.2025	-21332.80
18.	श्रीगंगानगर	31.03.2025	359450.00
19.	हनुमानगढ़	31.03.2025	79316.00
20.	जयपुर (शहर)	31.03.2025	1549080.00
21.	जयपुर (ग्रामीण)	31.03.2025	139558.10
22.	जयपुर (सचिवालय)	31.03.2025	5329749.00
23.	जालौर	31.03.2025	100417.80
24.	जैसलमेर	31.03.2025	129790.00
25.	जोधपुर (शहर)	31.03.2025	1437007.00
26.	झालावाड़	31.03.2025	295139.00
27.	झुन्झुनू	31.03.2025	34885.70
28.	करौली	31.03.2025	375238.00
29.	खैरतल तिजारा	31.03.2025	128548.00
30.	कोटा	31.03.2025	527709.00
31.	कोटपुतली बहरोड़	31.03.2025	51696.00
32.	नागौर	31.03.2025	173052.00
33.	प्रतापगढ़	31.03.2025	85233.00
34.	पाली	31.03.2025	27744.90
35.	फलोदी	31.03.2025	13270.00
36.	राजसमन्द	31.03.2025	25930.00
37.	सलूम्बर	31.03.2025	12495.00
38.	सवाई माधोपुर	31.03.2025	1263407.00
39.	सीकर	31.03.2025	163692.00

40.	सिरोही	31.03.2025	370312.00
41.	टोंक	31.03.2025	164418.00
42.	उदयपुर (शहर)	31.03.2025	866056.00
43.	उदयपुर (ग्रामीण)	31.03.2025	13004.00
44.	भुगतान एवं लेखाधिकारी, नई दिल्ली	31.03.2025	69657.00
योग ₹			14,29,70,575.2

परिशिष्ट संख्या – 20

(संदर्भ पैरा संख्या -3.5.4.2)

भारतीय जीवन बीमा निगम की कटौतियों से प्राप्त व निजी निक्षेप खाता संख्या 471 में जमा राशियों का विवरण

क्र.सं.	कोषालय का नाम	निजी निक्षेप खाता संख्या 471 में दर्शाये गये अंतिम शेष की दिनांक	अंतिम शेष राशि ₹ (पूर्णांक रुपये)
1.	अजमेर	31.03.2025	21255192.00
2.	अलवर	31.03.2025	8889684.00
3.	बालोतरा	31.03.2025	7381649.00
4.	ब्यावर	31.03.2025	6036957.00
5.	बाड़मेर	31.03.2025	37451357.00
6.	बारां	31.03.2025	15564471.83
7.	बांसवाड़ा	31.03.2025	46516682.54
8.	बीकानेर	31.03.2025	16320392.72
9.	बूंदी	31.03.2025	10310048.66
10.	भरतपुर	31.03.2025	8946059.58
11.	भीलवाड़ा	31.03.2025	15331157.66
12.	चित्तौड़गढ़	31.03.2025	16301913.80
13.	चूरू	31.03.2025	10261535.80
14.	दौसा	31.03.2025	19404669.37
15.	डीडवाना कुचामन	31.03.2025	7473040.00
16.	डीग	31.03.2025	2412231.00
17.	झुंजरपुर	31.03.2025	41659331.84
18.	धौलपुर	31.03.2025	4495401.98
19.	श्रीगंगानगर	31.03.2025	21899799.50
20.	हनुमानगढ़	31.03.2025	18091687.00
21.	जयपुर (शहर)	31.03.2025	48984028.00
22.	जयपुर पेंशन	31.03.2025	10856.00
23.	जयपुर (ग्रामीण)	31.03.2025	12745242.54
24.	जयपुर (सचिवालय)	31.03.2025	3347962.00
25.	जालौर	31.03.2025	10413610.00
26.	जैसलमेर	31.03.2025	11578925.40
27.	जोधपुर (शहर)	31.03.2025	21394174.00
28.	जोधपुर (ग्रामीण)	31.03.2025	6977786.00
29.	झालावाड़	31.03.2025	21808888.00
30.	झुन्झुनू	31.03.2025	13735765.00
31.	करौली	31.03.2025	2613374.00

क्र.सं.	कोषालय का नाम	निजी निक्षेप खाता संख्या 471 में दर्शाये गये अंतिम शेष की दिनांक	अंतिम शेष राशि ₹ (पूर्णांक रुपये)
32.	खैरतल तिजारा	31.03.2025	2875495.00
33.	कोटा	31.03.2025	23096600.00
34.	कोटपुतली बहरोड़	31.03.2025	3595778.00
35.	नागौर	31.03.2025	21620055.36
36.	प्रतापगढ़	31.03.2025	12577813.00
37.	पाली	31.03.2025	11240290.00
38.	फलोदी	31.03.2025	5504529.00
39.	राजसमन्द	31.03.2025	13071744.00
40.	सलूमबर	31.03.2025	9190144.00
41.	सवाई माधोपुर	31.03.2025	6009041.00
42.	सीकर	31.03.2025	15074925.00
43.	सिरोही	31.03.2025	6148371.00
44.	टोंक	31.03.2025	15232483.00
45.	उदयपुर (शहर)	31.03.2025	17564975.00
46.	उदयपुर (ग्रामीण)	31.03.2025	19457657.00
47.	भुगतान एवं लेखाधिकारी, नई दिल्ली	31.03.2025	1594612.00
योग ₹			67,34,68,385.58

परिशिष्ट संख्या - 21

(संदर्भ पैरा संख्या -3.7.1)

भवन निर्माण ऋण की कटौतियों से प्राप्त व निजी निक्षेप खाता सं. 473 जमा राशि का विवरण

क्र.सं.	कोषालय का नाम	अंतिम शेष की दिनांक	राशि ₹ (पूर्णांक)
1.	बांसवाड़ा	31.03.2025	30000.20
2.	बीकानेर	31.03.2025	602136.00
3.	बूंदी	31.03.2025	56300.00
4.	भरतपुर	31.03.2025	5000.00
5.	भीलवाड़ा	31.03.2025	428152.18
6.	चूरू	31.03.2025	0.30
7.	दौसा	31.03.2025	1425.00
8.	झुंजरपुर	31.03.2025	40429.07
9.	धौलपुर	31.03.2025	281539.62
10.	श्रीगंगानगर	31.03.2025	13848.00
11.	जयपुर (शहर)	31.03.2025	12000.80
12.	जयपुर पेंशन	31.03.2025	4350.00
13.	जयपुर (ग्रामीण)	31.03.2025	193454.00
14.	जयपुर (सचिवालय)	31.03.2025	1560897.00
15.	जोधपुर (शहर)	31.03.2025	202339.40
16.	झालावाड़	31.03.2025	121575.57
17.	करौली	31.03.2025	66114.00
18.	कोटा	31.03.2025	257946.92
19.	कोटपुतली बहरोड़	31.03.2025	70238.00
20.	नागौर	31.03.2025	0.78

21.	पाली	31.03.2025	15140.00
22.	राजसमन्द	31.03.2025	507165.00
23.	सलूमबर	31.03.2025	90000.00
24.	सीकर	31.03.2025	380500.00
25.	सिरोही	31.03.2025	1.00
26.	टोंक	31.03.2025	420323.00
27.	उदयपुर (शहर)	31.03.2025	124914.00
योग ₹			54,85,789.84

परिशिष्ट संख्या - 22

(संदर्भ पैरा संख्या -3.7.2)

सार्वजनिक क्षेत्र की बैंकों से राज्य कर्मचारियों को स्वीकृत कराये गये दीर्घकालिक ऋणों की मासिक कटौतियों से प्राप्त व निजी निक्षेप खाता संख्या 474 व 475 में दिनांक 31.03.2025 को जमा रही राशियों का विवरण

क्र.सं.	कोषालय का नाम	एच.डी.एफ.सी. बैंक के निजी निक्षेप खाता संख्या 475 में जमा राशि ₹	क्र.सं.	कोषालय का नाम	एस.बी.बी.जे. (वर्तमान में भारतीय स्टेट बैंक) के निजी निक्षेप खाता संख्या 474 में जमा राशि ₹
1.	अजमेर	358847.00	1.	अजमेर	0.00
2.	अलवर	79207.00	2.	अलवर	0.00
3.	बालोतरा	0.00	3.	बालोतरा	0.00
4.	ब्यावर	71148.00	4.	बांसवाड़ा	0.00
5.	बाड़मेर	155550.00	5.	बीकानेर	8255.00
6.	बारां	0.00	6.	भीलवाड़ा	0.00
7.	बांसवाड़ा	0.00	7.	चूरू	453425.00
8.	बीकानेर	91754.00	8.	चित्तौड़गढ़	0.00
9.	बूंदी	0.00	9.	दौसा	2920466.00
10.	भरतपुर	66217.00	10.	डीडवाना कुचामन	0.00
11.	भीलवाड़ा	126256.00	11.	डीग	0.00
12.	चित्तौड़गढ़	0.00	12.	जयपुर (शहर)	14406.00
13.	चूरू	174554.00	13.	जयपुर (सचिवालय)	3231713.00
14.	दौसा	454690.00	14.	झुन्झुनू	0.00
15.	डीडवाना कुचामन	0.00	15.	करौली	103035.46
16.	डीग	9944.00	16.	खैरतल तजारा	0.00
17.	धौलपुर	13253.00	17.	कोटपुतली बहरोड़	0.00
18.	श्रीगंगानगर	64767.00	18.	पाली	0.00
19.	हनुमानगढ़	31264.00	19.	फलोदी	0.00
20.	जयपुर (शहर)	263974.00	20.	सलूमबर	12414.00
21.	जयपुर (ग्रामीण)	481682.00	21.	सवाई माधोपुर	2526622.32
22.	जयपुर (सचिवालय)	29806.00	22.	टोंक	185670.00
23.	जयपुर (पेंशन)	409372.00	जमा राशि का योग ₹		9456006.78
24.	जैसलमेर	86017.00			
25.	जालौर	46352.00			
26.	जोधपुर (शहर)	18742.00			
27.	जोधपुर (ग्रामीण)	50734.00			
28.	झालावाड़	75533.00			
29.	झुन्झुनू	135654.00			

क्र.सं.	कोषालय का नाम	एच.डी.एफ.सी. बैंक के निजी निक्षेप खाता संख्या 475 में जमा राशि ₹	क्र.सं.	कोषालय का नाम	एस.बी.बी.जे. (वर्तमान में भारतीय स्टेट बैंक) के निजी निक्षेप खाता संख्या 474 में जमा राशि ₹
30.	करौली	358516.00			
31.	खैरतल तिलारा	10000.00			
32.	कोटा	341206.00			
33.	कोटपुतली बहरोड़	0.00			
34.	नागौर	170932.00			
35.	फलोदी	0.00			
36.	प्रतापगढ़	0.00			
37.	पाली	0.00			
38.	राजसमंद	4592918.00			
39.	सलूमबर	12414.00			
40.	सवाई माधोपुर	0.00			
41.	सीकर	1010895.00			
42.	सिरोही	46352.00			
43.	टोंक	84931.00			
44.	उदयपुर (शहर)	123668.00			
45.	उदयपुर (ग्रामीण)	1000104.00			
जमा राशि का योग ₹		11047253.00			

परिशिष्ट संख्या – 23

(संदर्भ पैरा संख्या -3.9.1)

नियमानुसार लेबर सेस, रॉयल्टी, DFMT इत्यादि की कटौती नहीं करने का विवरण

क्र.सं.	कोषालय	वाउचर संख्या	वाउचर की तिथि	मुख्य शीर्ष	मुख्य शीर्ष _ DSC_ E	खंड का प्रकार (DIVISION TYPE)	वाउचर की सकल राशि ₹	अनियमितताएं
1	ALWAR	15987	28-04-2023	5054	Capital Outlay on Roads and Bridges	PWD	14588790	Labour welfare cess deduction is not as per rule
		24797	10-05-2023	5054	Capital Outlay on Roads and Bridges	PWD	51769179	Royalty,DMFT and RSMET not deducted as STP not enclosed
		149922	14-03-2024	4215	Capital Outlay on Water Supply and Sanitation	PHED	13041447	Royalty,DMFT and RSMET not deducted as STP not enclosed
		63028	17-07-2023	5054	Capital Outlay on Roads and Bridges	PWD	412122	Royalty,DMFT and RSMET not deducted as STP not enclosed
		26163	11-05-2023	5054	Capital Outlay on Roads and Bridges	PWD	27653263	Labour welfare cess deduction is not as per rule AND Royalty,DMFT and RSMET not deducted as STP not enclosed
2	CHURU	28006	04-07-2023	5054	Capital Outlay on Roads and Bridges	PWD	3677202	Royalty,DMFT and RSMET not deducted as STP not enclosed
		52293	04-10-2023	5054	Capital Outlay on Roads and Bridges	PWD	2915542	Royalty,DMFT and RSMET not deducted as STP not enclosed
		15994	23-05-2023	5054	Capital Outlay on Roads and Bridges	PWD	5177044	Royalty,DMFT and RSMET not deducted as STP not enclosed
		91536	20-02-2024	4215	Capital Outlay on Water Supply and Sanitation	PHED	1765450	Royalty,DMFT and RSMET not deducted as STP not enclosed

क्र.सं.	कोषालय	वाउचर संख्या	वाउचर की तिथि	मुख्य शीर्ष	मुख्य शीर्ष _ DSC_ E	खंड का प्रकार (DIVISION TYPE)	वाउचर की सकल राशि ₹	अनियमितताएं
		105278	31-03-2024	5054	Capital Outlay on Roads and Bridges	PWD	12598460	Labour welfare cess deduction is not as per rule AND Royalty,DMFT and RSMET not deducted as STP not enclosed
3	KOTA	27417	23-06-2023	4700	Capital Outlay on Major Irrigation	IRR	15774550	Royalty,DMFT and RSMET not deducted as STP not enclosed
		106614	21-02-2024	5054	Capital Outlay on Roads and Bridges	PWD	14564389	Royalty,DMFT and RSMET not deducted as STP not enclosed
		36952	20-07-2023	4700	Capital Outlay on Major Irrigation	IRR	15283027	Royalty,DMFT and RSMET not deducted as STP not enclosed
		33613	06-07-2023	5054	Capital Outlay on Roads and Bridges	PWD	14180620	Royalty,DMFT and RSMET not deducted as STP not enclosed
		28115	28-06-2023	5054	Capital Outlay on Roads and Bridges	PWD	12419212	Royalty,DMFT and RSMET not deducted as STP not enclosed
4	PALI	22310	09-06-2023	5054	Capital Outlay on Roads and Bridges	PWD	2412561	Royalty,DMFT and RSMET not deducted as STP not enclosed
		29796	06-07-2023	5054	Capital Outlay on Roads and Bridges	PWD	4099410	Royalty,DMFT and RSMET not deducted as STP not enclosed
		27147	04-07-2023	5054	Capital Outlay on Roads and Bridges	PWD	3538946	Royalty,DMFT and RSMET not deducted as STP not enclosed
		97136	31-03-2024	4215	Capital Outlay on Water Supply and Sanitation	PWD	1289440	Royalty,DMFT and RSMET not deducted as STP not enclosed
		34340	26-07-2023	4215	Capital Outlay on Water Supply and Sanitation	PWD	65014565	Royalty,DMFT and RSMET not deducted as STP not enclosed
5	PHALODI	21828	30-03-2024	4700	Capital Outlay on Major Irrigation	IRR	21900923	ROYALTY,DMFT and RSMET not deducted as STP is not enclosed
		895	12-09-2023	5054	Capital Outlay on Roads and Bridges	PWD	2506466	ROYALTY,DMFT and RSMET not deducted as STP is not enclosed
		3257	11-10-2023	5054	Capital Outlay on Roads and Bridges	PWD	3845126	ROYALTY,DMFT and RSMET not deducted as STP is not enclosed
		6135	06-11-2023	5054	Capital Outlay on Roads and Bridges	PWD	2825000	ROYALTY,DMFT and RSMET not deducted as STP is not enclosed
		6136	06-11-2023	5054	Capital Outlay on Roads and Bridges	PWD	3410427	ROYALTY,DMFT and RSMET not deducted as STP is not enclosed
6	RAJSAMAND	31922	11-09-2023	5054	Capital Outlay on Roads and Bridges	PWD	3315084	ROYALTY,DMFT and RSMET not deducted as STP is not enclosed
		26267	16-08-2023	5054	Capital Outlay on Roads and Bridges	PWD	2832427	ROYALTY,DMFT and RSMET not deducted as STP is not enclosed
		42606	08-11-2023	5054	Capital Outlay on Roads and Bridges	PWD	41936152	ROYALTY,DMFT and RSMET not deducted as STP is not enclosed
		7400	02-05-2023	4702	Capital Outlay on Minor Irrigation	IRR	51484652	ROYALTY,DMFT and RSMET not deducted as STP is not enclosed
		21595	25-07-2023	4215	Capital Outlay on Water Supply and Sanitation	PHED	7079980	ROYALTY,DMFT and RSMET not deducted as STP is not enclosed

क्र.सं.	कोषालय	वाउचर संख्या	वाउचर की तिथि	मुख्य शीर्ष	मुख्य शीर्ष _ DSC_ E	खंड का प्रकार (DIVISION TYPE)	वाउचर की सकल राशि ₹	अनियमितताएं
7	BALOTRA	5182	10-12-2023	5054	Capital Outlay on Roads and Bridges	PWD	16950000	CHK-0117-Royalty deduction is not as per Rule
		4930	10-11-2023	4250	Capital Outlay on other Social Services	PWD	11695387	CHK-0117-Royalty deduction is not as per Rule
		30861	3/20/2024	5054	Capital Outlay on Roads and Bridges	PWD	11170350	CHK-0117-Royalty deduction is not as per Rule
		30755	3/19/2024	5054	Capital Outlay on Roads and Bridges	PWD	3406165	CHK-0117-Royalty deduction is not as per Rule
		30754	3/19/2024	5054	Capital Outlay on Roads and Bridges	PWD	7744724	CHK-0117-Royalty deduction is not as per Rule
8	BARAN	16997	07-03-2023	5054	CAPITAL OUTLAY ON ROAD AND BRIDGE	PWD	4114575	CHK-0117-Royalty deduction is not as per Rule
		19263	07-06-2023	5054	CAPITAL OUTLAY ON ROAD AND BRIDGE	PWD	4927380	CHK-0117-Royalty deduction is not as per Rule
		32659	09-12-2023	5054	CAPITAL OUTLAY ON ROAD AND BRIDGE	PWD	4267425	CHK-0117-Royalty deduction is not as per Rule
		5080	4/28/23	5054	CAPITAL OUTLAY ON ROAD AND BRIDGE	PWD	18807816	CHK-0117-Royalty deduction is not as per Rule
		3121	4/18/23	5054	CAPITAL OUTLAY ON ROAD AND BRIDGE	PWD	15928344	CHK-0117-Royalty deduction is not as per Rule
9	HANUMANGARH	2156	04-10-2023	5054	Capital Outlay on Roads and Bridges	PWD	584931	CHK-0117-Royalty deduction is not as per Rule
		16786	06-09-2023	5054	Capital Outlay on Roads and Bridges	PWD	2469555	CHK-0117-Royalty deduction is not as per Rule
		39081	9/26/2023	5054	Capital Outlay on Roads and Bridges	PWD	3241101	CHK-0117-Royalty deduction is not as per Rule
		41675	10-04-2023	5054	Capital Outlay on Roads and Bridges	PWD	4243310	CHK-0117-Royalty deduction is not as per Rule
		48948	11-06-2023	5054	Capital Outlay on Roads and Bridges	PWD	2189615	CHK-0117-Royalty deduction is not as per Rule
10	JALORE	25850	7/13/2023	5054	Capital Outlay on Roads and Bridges	PWD	8077368	CHK-0117-Royalty deduction is not as per Rule
		36987	09-04-2023	5054	Capital Outlay on Roads and Bridges	PWD	452606	CHK-0117-Royalty deduction is not as per Rule
		45338	11-07-2023	5054	Capital Outlay on Roads and Bridges	PWD	3226977	CHK-0117-Royalty deduction is not as per Rule
		4584	4/18/2023	5054	Capital Outlay on Roads and Bridges	PWD	7583357	CHK-0117-Royalty deduction is not as per Rule
		13407	5/23/2023	5054	Capital Outlay on Roads and Bridges	PWD	5383157	CHK-0117-Royalty deduction is not as per Rule
11	JHUNJHUNU	34207	7/25/2023	5054	Capital Outlay on Roads and Bridges	PWD	7768961	CHK-0117-Royalty deduction is not as per Rule
		31876	07-11-2023	5054	Capital Outlay on Roads and Bridges	PWD	381191	CHK-0117-Royalty deduction is not as per Rule

क्र.सं.	कोषालय	वाउचर संख्या	वाउचर की तिथि	मुख्य शीर्ष	मुख्य शीर्ष _ DSC_ E	खंड का प्रकार (DIVISION TYPE)	वाउचर की सकल राशि ₹	अनियमितताएं
		46116	09-11-2023	5054	Capital Outlay on Roads and Bridges	PWD	452691	CHK-0117-Royalty deduction is not as per Rule
		7818	4/28/2023	5054	Capital Outlay on Roads and Bridges	PWD	4722928	CHK-0117-Royalty deduction is not as per Rule
		4242	4/17/2023	5054	Capital Outlay on Roads and Bridges	PWD	18734157	CHK-0117-Royalty deduction is not as per Rule
12	TIJARA	22705	2/20/2024	5054	Capital Outlay on Roads and Bridges	PWD	2340368	CHK-0117-Royalty deduction is not as per Rule
		19456	29-01-2024	4215	Capital Outlay on Water Supply and Sanitation	PHE	12051219	CHK-OTH-DMFT not deducted
13	KOTHPUTLI	27555	02-09-2024	5054	Capital Outlay on Roads and Bridges	PWD	1802176	CHK-0117-Royalty deduction is not as per Rule
		27552	02-09-2024	5054	Capital Outlay on Roads and Bridges	PWD	1613641	CHK-0117-Royalty deduction is not as per Rule
		27651	02-12-2024	5054	Capital Outlay on Roads and Bridges	PWD	3028250	CHK-0117-Royalty deduction is not as per Rule
		22377	01-10-2024	4059	Capital Outlay on Public Works	PWD	6101850	CHK-0117-Royalty deduction is not as per Rule
		23200	1/18/2024	4059	Capital Outlay on Public Works	PWD	2869920	CHK-0117-Royalty deduction is not as per Rule
14	SALUMBAR	1010	9/13/2023	5054	Capital Outlay on Roads and Bridges	PWD	5408430	CHK-0117-Royalty deduction is not as per Rule
		5146	11-06-2023	5054	Capital Outlay on Roads and Bridges	PWD	2349254	CHK-0117-Royalty deduction is not as per Rule
		3021	10-11-2023	5054	Capital Outlay on Roads and Bridges	PWD	36217250	CHK-0117-Royalty deduction is not as per Rule
		5245	11-07-2023	5054	Capital Outlay on Roads and Bridges	PWD	5930149	CHK-0117-Royalty deduction is not as per Rule
		15823	2/20/2024	5054	Capital Outlay on Roads and Bridges	PWD	3303818	CHK-0117-Royalty deduction is not as per Rule
15	SANCHORE	5393	11-08-2023	5054	Capital Outlay on Roads and Bridges	PWD	6721408	CHK-0117-Royalty deduction is not as per Rule
		10533	12/22/2023	5054	Capital Outlay on Roads and Bridges	PWD	4323764	CHK-0117-Royalty deduction is not as per Rule
		13296	19-01-2024	4700	Capital Outlay on Major Irrigation	IRR	1280698	CHK-OTH-DMFT Rs 1700 was not deducted
16	SIROHI	2365	4/13/2023	5054	Capital Outlay on Roads and Bridges	PWD	7002495	CHK-0117-Royalty deduction is not as per Rule
		2388	4/13/2023	5054	Capital Outlay on Roads and Bridges	PWD	5650000	CHK-0117-Royalty deduction is not as per Rule
		14464	6/15/2023	5054	Capital Outlay on Roads and Bridges	PWD	11300000	CHK-0117-Royalty deduction is not as per Rule
		13206	06-02-2023	5054	Capital Outlay on Roads and Bridges	PWD	17508968	CHK-0117-Royalty deduction is not as per Rule

क्र.सं.	कोषालय	वाउचर संख्या	वाउचर की तिथि	मुख्य शीर्ष	मुख्य शीर्ष _ DSC_ E	खंड का प्रकार (DIVISION TYPE)	वाउचर की सकल राशि ₹	अनियमितताएं
		14465	6/15/2023	5054	Capital Outlay on Roads and Bridges	PWD	27006669	CHK-0117-Royalty deduction is not as per Rule
17	TONK	20316	6/23/2023	4700	Capital Outlay on Major Irrigation	IRR	2533770	CHK-0117-Royalty deduction is not as per Rule
		36042	8/21/2023	5054	Capital Outlay on Roads and Bridges	PWD	3158826	CHK-0117-Royalty deduction is not as per Rule
		40164	09-05-2023	5054	Capital Outlay on Roads and Bridges	PWD	3872647	CHK-0117-Royalty deduction is not as per Rule
		40165	09-05-2023	5054	Capital Outlay on Roads and Bridges	PWD	2927834	CHK-0117-Royalty deduction is not as per Rule
		54219	11-06-2023	4215	Capital Outlay on Water Supply and Sanitation	PHE	2553000	CHK-0117-Royalty deduction is not as per Rule
		8499	05-02-2023	5054	Capital Outlay on Roads and Bridges	PWD	5409155	CHK-0117-Royalty deduction is not as per Rule
		19513	6/19/2023	5054	Capital Outlay on Roads and Bridges	PWD	12113652	CHK-0117-Royalty deduction is not as per Rule
		17746	06-09-2023	5054	Capital Outlay on Roads and Bridges	PWD	8586159	CHK-0117-Royalty deduction is not as per Rule
योग ₹							79,68,00,897	

परिशिष्ट संख्या – 24

(संदर्भ पैरा संख्या -4.2)

IFMS 3.0 सिस्टम के विफल होने से कार्मिकों को 07 दिवस पूर्व वेतन के रूप अग्रिम भुगतान की राशि का विवरण

कोषालय जयपुर (शासन सचिवालय)								
क्र.सं.	डी.डी.ओ. का नाम एवं संख्या	टी.वी. न. एवं दिनांक	मुख्य शीर्ष	माह	कर्मचारियों की संख्या	कुल सकल राशि	भुगतान की गई राशि	
1	Chief Superintendent Raj. State Motor Garage, Jaipur/ 102617	7984/24.04.2024	2070	04/2024	16	828405	828120	
2	Chief Superintendent Raj. State Motor Garage, Jaipur/ 102617	7990/24.04.2024	2070	04/2024	2	98630	98630	
3	Chief Superintendent Raj. State Motor Garage, Jaipur/ 102617	7991/24.04.2024	2070	04/2024	27	1426491	1426301	
4	Chief Superintendent Raj. State Motor Garage, Jaipur/ 102617	7992/24.04.2024	2070	04/2024	3	52900	47330	
5	Chief Superintendent Raj. State Motor Garage, Jaipur/ 102617	7993/24.04.2024	2070	04/2024	3	304951	283951	
6	Chief Superintendent Raj. State Motor Garage, Jaipur/ 102617	8007/24.04.2024	2070	04/2024	9	607944	498461	
7	Chief Superintendent Raj. State Motor Garage, Jaipur/ 102617	8017/24.04.2024	2070	04/2024	28	1494844	1494844	
8	Chief Superintendent Raj. State Motor Garage, Jaipur/ 102617	8018/24.04.2024	2070	04/2024	1	105940	97940	
9	Chief Superintendent Raj. State Motor Garage, Jaipur/ 102617	8019/24.04.2024	2070	04/2024	4	382936	367936	

10	Chief Superintendent Raj. State Motor Garage, Jaipur/ 102617	8020/24.04.2024	2070	04/2024	1	85273	81273
11	Chief Superintendent Raj. State Motor Garage, Jaipur/ 102617	8027/24.04.2024	2070	04/2024	1	46111	35967
12	Chief Superintendent Raj. State Motor Garage, Jaipur/ 102617	8028/24.04.2024	2070	04/2024	1	45199	45199
13	Chief Superintendent Raj. State Motor Garage, Jaipur/ 102617	8029/24.04.2024	2070	04/2024	18	956370	956370
14	Chief Superintendent Raj. State Motor Garage, Jaipur/ 102617	8041/24.04.2024	2070	04/2024	29	1499889	1499821
15	O-SD Language & Library Department/ 140	8033/24.04.2024	2205	04/2024	16	1678753	1265298
योग					159	9614636	9027441
कोषालय नागौर							
S.N.	DDO Office/ DDO Code	Old Reference	TV No./ Date	New Reference	TV No./ Date	Gross Amount	
1	Principal Govt. Sr. Sec. School, Nagaur/12112	500575019	4414/24.04.24	500740710	10020/16.05.24	130677	
2	Principal Govt. Girls Sr. Sec. School, Nagaur/12243	500549340	4404/24.04.24	500974004	15862/10.06.24	75135	
3	R.C.H.O. Nagaur/20014	500575885	4417/24.04.24	500747942	10696/18.05.24	273294	
				500763453	11191/22.05.24	90250	
		500575847	4415/24.04.24	500735295	8689/08.05.24	630606	
				500747943	10703/18.05.24	78387	
		500575866	4410/24.04.24	500735298	8682/08.05.24	78885	
		500575868		500735226	8694/08.05.24	726333	
4	H.M. Govt. Sec. School Gangwana, Nagaur/30842	500638355	4405/24.04.24	500737286	8960/09.05.24	449549	
5	Principal Govt. Sr. Sec. School Tankla No. 2, Nagaur/32561	500537249	4407/24.04.24	500745518	10076/16.05.24	265689	
6	H.M. Govt. Sec. School Hanuman Nagar, Nagaur/33182	500577556	4413/24.04.24	500977589	17211/20.06.24	236380	
योग						3035185	
दोनों कोषालय जयपुर (शासन सचिवालय) एवं नागौर का योग (9614636 + 3035185)						1,26,49,821	

परिशिष्ट संख्या - 25

(संदर्भ पैरा संख्या - 4.3.2)

मरणोपरांत पेंशनरों को पेंशन का अनियमित अधिक भुगतान का विवरण

क्रम संख्या	कोषालय का नाम	पेंशनर का नाम / मृत्यु की तिथि	पी.पी.ओं संख्या	अधिक भुगतान की अवधि	पेंशन राशि का अनियमित भुगतान राशि ₹
1 .	बीकानेर	श्री नवरत्न जोशी 03.07.2016	654029(R)	04.07.2016 से 31.08.2016	21251
		श्री झवरदीन 14.05.2016	642224(R)	15.05.2016 से 30.09.2016	59538

क्रम संख्या	कोषालय का नाम	पेंशनर का नाम / मृत्यु की तिथि	पी.पी.ऑ संख्या	अधिक भुगतान की अवधि	पेंशन राशि का अनियमित भुगतान राशि ₹
		श्री जैसा राम सिद्ध 08.07.2019	608476(R)	09.07.2019 से 21.07.2019	19414
		श्री गुलाम फरीद 06.03.2018	601319(R)	07.03.2018 से 31.03.2018	21849
2	ब्यावर	रतन लाल पाराशर 28.03.2015	864779	04/2018	9311
		बजरंग लाल 20.06.2014	26201	04/2018	9311
		मोहन लाल 29.11.2016	854956	04/2018	9311
3	जैसलमेर	गोपाल सिंह 11/01/2018	431794	12.01.2018 से 30.09.2018	161932
		नारायण सिंह 27/03/2017	445000	28.03.2017 से 31.07.2017	73683
		सुख सिंह 12/02/2020	459135	13.02.2020 से 31.05.2020	75127
		जुगत सिंह 24/10/2020	420151	25.10.2020 से 30.11.2020	40014
		गायड सिंह 28/02/2018	430195	01.03.2018 से 30.04.2018	27446
		सूरते खान 27/05/2018	448490	28.05.2018 से 31.08.2018	26534
		अम्बा राम 03/01/2020	110236	04.01.2020 से 31.01.2020	16115
		गोपाल दास सेहवाग 01/03/2019	443728	02.03.2019 से 31.03.2019	14845
		भीम दान 09/11/2020	55294	10.11.2020 से 30.11.2020	9689
		तेज सिंह 10/01/2015	425041	11.01.2015 से 31.01.2015	8716
		स्व.श्रीमति किशन कंवर पत्नी स्व.श्री कंवरराज सिंह 10.03.2023	425846	11.03.23 से 31.03.23	10646
		स्व.श्री धन्ना राम 01.03.2023	423494	02.03.23 से 31.03.23	33228
		स्व.श्रीमति मोहनी देवी 11.01.2023	429649	12.01.23 से 02/23	20132
		स्व.श्रीमति मुन्ना कंवर 14.08.2023	13205	15.08.23 से 31.08.23	18981
		स्व.श्रीमति उसब कंवर 05.10.2023	442366	06.10.23 से 10/23	10561
		स्व.श्री रुपचंद सोनी 22.03.2023	402276	23.03.23 से 03/23	10153
4	चित्तौड़गढ़	श्रीमती कांता चतुर्वेदी 13-08-2018	16328	14.08.2018 से 30.09.2018	18330
5	केकडी	श्री गणपत सिंह 14.09.2018	37738(आर)	15.09.2018 से 30.09.2018	11687
		श्री मोहम्मद हुसैन 14.05.2021	851051 (आर)	15.05.2021 से 31.05.2021	18440

क्रम संख्या	कोषालय का नाम	पेंशनर का नाम / मृत्यु की तिथि	पी.पी.ऑ संख्या	अधिक भुगतान की अवधि	पेंशन राशि का अनियमित भुगतान राशि ₹
		श्री राधेश्याम शर्मा 05.09.2022	855082 (आर)	06.09.2022 से 30.09.2022	35038
6	बाड़मेर	मानीबाई खत्री 08.01.2019	459869(आर)	09.01.2019 से 28.02.2019	68560
		कोजाराम 16.10.2018	437015(आर)	17.10.2018 से 31.10.2018	13785
		चुतराराम विश्वाई 29.05.2013	445674(आर)	30.05.2013 से 31.08.2013	114240
		पूरा राम बालाच 19.09.2019	445336 (R)	20/09/19 से 30/11/2019	65175
		बीसा खान 20.03.2019	1066784 (R)	21/03/2019 से 30/11/2019	111019
		राणोंमल कल्ला 20.07.2016	455038 (R)	21/07/2016 से 31/07/2016	8954
7	करौली	सुमेर चंद जैन 08.10.2023	143214 (आर)	09.10.2023 से 31.10.2023	34072
8	शाहपुरा	श्रीमती नन्द कंवर 24-03-2018	854036 (R) (SF)	25.03.2018 to 30- 04-2018	12571
9	धौलपुर	श्री तेज सिंह 27.07.2024	157052(R)	28.07.2024 से 31.07.2024	3867
10	डुंगरपुर	रमेश चन्द्र मेहता 19.08.15	554922 (R/SF)	20.08.15 से 30.11.15 तक	69574
		कोदरा 24.01.2017	576083 (R)	25.01.17 से 31.10.2017	95300
		ललित चन्द्र भट्ट 25.07.2017	567742(R)	26.07.17 से 30.09.2017	46922
		रामशंकर जोशी 25.09.2020	566279 (R)	26.09.20 से 30.09.2020	5380
		भवानी शंकर सुरल 25.01.2020	557570 (R)	02/2020 से 05/2023	124744
		सुशील चन्द्र शर्मा 15.04.2021	1021331 (R)	16.04.21 से 31.05.2021	57365
		विजय प्रकाश रोत 24.07.2020	554889 (R)	25.07.20 से 30.09.2021	66147
11	भीलवाड़ा	श्री दयाशंकर शास्त्री 14.04.2016	64909 (R)	15.04.2016 से 31- 05-2016	30158
12	अनूपगढ	पारिवारिक पेंशनर श्रीमती विमला देवी 23.06.2024	644313 एस.एफ	24.06.2024 से 31.07.2024	21700
		पेंशनर श्री धर्मा राम 11.03.2021	635055 (आर)	12.03.2021 से 31.05.2021	31795
13	जोधपुर, ग्रामीण	श्रीमती सुवा कंवर 24.09.2020	101480 आर	25.09.2020 से 28.02.2021	64734
		श्रीमती जस कंवर 13.02.2021	21466 आर	14.02.2021 से 28.02.2021	6669
योग ₹					18,44,013

परिशिष्ट संख्या – 26

(संदर्भ पैरा संख्या -4.6)

जी.पी.एफ. खाता में न्यूनतम मासिक अंशदान कटौती की निर्धारित राशि से कम राशि जमा करने का विवरण

क्र. सं.	कोषालय का नाम	आहरण अधिकारी का नाम व कोड	कार्मिक का नाम/पद/आई.डी संख्या तथा कम कटौती की अवधि के दौरान प्रतिमाह आहरित मूल वेतन की राशि ₹	आहरित वेतन का माह	जीपीएफ मद में कटौती की न्यूनतम मासिक दर राशि ₹	कार्मिक के मासिक वेतन से काटी गई राशि ₹	प्रति माह कम काटी गई राशि ₹	कुल माह	कम कटौती राशि ₹
1.	जयपुर (शहर)	कार्यालय कॉलेज ऑफ नर्सिंग जयपुर (23798)	सलमा बानो, नर्सिंग ट्यूटर (आई.डी. संख्या RJJ201417020296) 52900/- से 54500/-	जुलाई 2022 से जनवरी 2024	3575	2850	725	19	13775
		कार्यालय प्राचार्य जी.जी.एस.एस.एस. झोटवाडा, जयपुर (8985)	विनीता जिन्दल, अध्यापक श्रेणी तृतीय (आई.डी. संख्या RJJ200518034196) 52300/-	जुलाई 2022 से जून 2023	3575	2850	725	12	8700
2	दौसा	कार्यालय जिला आयुर्वेद अधिकारी, दौसा (12235)	रामेश्वर प्रसाद मिश्रा, वरिष्ठ आयुर्वेद अधिकारी ग्रेड II (आई.डी. संख्या RJDA199113007055) 117900/- से 121400/-	जुलाई 2022 से जनवरी 2024	8900	6150	2750	19	52250
3	बीकानेर	आयुर्वेद विभाग बीकानेर	श्री दलपि सिंह कनिष्ठ नर्स/म्पाउण्डर (आई.डी. संख्या RJBI198109010247) 80200/-	जुलाई 2023 से जनवरी 2024	6150	4800	1350	07	9450
4	जोधपुर(शहर)	अतिरिक्त निदेशक स्कूल शिक्षा, जोधपुर (13124)	रोनक शांखला, वरिष्ठ सहायक (आई.डी.संख्या RJRA201131031537) 29600/-	जुलाई 2023 से दिसम्बर 2023	2100	2000	100	6	600
5	बांसवाडा	कार्यालय प्राचार्य राजकीय वरिष्ठ उपाध्याय संस्कृत विद्यालय गनोडा, बांसवाडा (19845)	विलय कुमार रितुआ, प्राचार्य उपाध्याय (आई.डी. संख्या RJBN200503003114) 82700/-	अगस्त 2023 से जनवरी 2024	6150	4800	1350	6	8100
6	व्यावर	SMO E.S.I HOSPITAL, BEAWAR (19284)	श्रीमती अमिता टंडन (Dr.Amita Tandon) चिकित्सा अधिकारी (RJA199906002246) 117200/- से 131800/-	जुलाई 2019 से जनवरी 2024	8900	6150	2750	55	151250
		Treasury Officer, BEAWAR (1096)	श्रीमती दीप्ति सावलानी (Deepti Sawlani) (RJA201706016906) 38900/- कनिष्ठ लेखाकार	जुला 2023 से जनवरी 2024	2850	2100	750	7	5250

क्र. सं.	कोषालय का नाम	आहरण संवितरण अधिकारी का नाम व कोड	कार्मिक का नाम/पद/आई.डी संख्या तथा कम कटौति की अवधि के दौरान प्रतिमाह आहरित मूल वेतन की राशि ₹	आहरित वेतन का माह	जीपीएफ मद में कटौति की न्यूनतम मासिक दर राशि ₹	कार्मिक के मासिक वेतन से काटी गई राशि ₹	प्रति माह कम काटी गई राशि ₹	कुल माह	कम कटौति राशि ₹
		Principal Govt.Sr.Sec.School,Balad (27252)	श्री बलवंत सिंह (Balwant Singh) (RJA200006000406) 62500/- अध्यापक श्रेणी तृतीय	जुलाई 2023से जनवरी2024	4200/-	3575	625	8	5000
		GSSS, ANDHERIDEVRI (15884) मसूदा	श्रीमती शाइस्ता सुल्ताना (SHAISTA SULTANA) व्याख्याता स्कूल (RJA201101012650) -/52900से 54500/-	जुलाई 2022 से जनवरी 2024	3575/-	2850/-	725/-	19	13775
		Community Health Center,Masuda (20641)	श्री अशोक कुमार शर्मा नर्स 1- श्रेणी 7 (RJA199306004013) -/83900से 86400/-	दिसम्बर 2022 से जनवरी 2024	6150/-	5000/-	1150/-	14	16100
7.	जैसलमेर	B.C.M.O.Block,jaisalmer (23227)	श्रीमती मोनिका भास्कर (Monika Bhaskar) स्वास्थ्य कार्यकर्ता महिला (RJJS20202009769) 27100/-	मार्च 2023 से जनवरी 2024	1625/-	1000/-	625/-	11	6875
		H.M.GOV.T.SEC.SC HOOL, DHAYSAR,JAISALMER (13156)	श्री मूला राम (MoolaRam) वरिष्ठ अध्यापक (RJA202001032059) 38900/-	जुलाई 2023 से जनवरी 2024	2850/-	2100/-	750/-	7	5250
8	भुगतान एवं लेखाधिकारी नई दिल्ली	कमान्डेंट, 8वी बटालियन, आर.ए.सी. गाजीपुर (104583)	श्री मोहरसिंह राठौड़, कान्स्टेबल (आई.डी.संख्या DLND 201138023989) 28700/-	मार्च 2023 से जनवरी 2024 एवं मार्च 2024 से जून 2024	2100	1625	475	15	7125
			श्री राजेश कुमार, कान्स्टेबल (आई.डी.संख्या DLND 201238002065) 28700/-	मार्च 2023 से जनवरी 2024 एवं मार्च 2024 से जून 2024	2100	1625	475	15	7125
			श्री गोविन्द सिंह शेखावत, कान्स्टेबल (आई.डी.संख्या DLND 201238002066) 28700/-	मार्च 2023 से जनवरी 2024 एवं मार्च 2024 से जून 2024	2100	1625	475	15	7125
			श्री मानसिंह, कान्स्टेबल (आई.डी.संख्या DLND 201138023988) 28700/-	मार्च 2023 से जनवरी 2024 एवं मार्च	2100	1625	475	15	7125

क्र. सं.	कोषालय का नाम	आहरण अधिकारी का नाम व कोड	कार्मिक का नाम/पद/आई.डी संख्या तथा कम कटौति की अवधि के दौरान प्रतिमाह आहरित मूल वेतन की राशि ₹	आहरित वेतन का माह	जीपीएफ मद में कटौति की न्यूनतम मासिक दर राशि ₹	कार्मिक के मासिक वेतन से काटी गई राशि ₹	प्रति माह कम काटी गई राशि ₹	कुल माह	कम कटौति राशि ₹
				2024 से जून 2024					
			श्री नन्दराम, कान्स्टेबल (आई.डी.संख्या DLND 201138024003) 28700/-	मार्च 2023 से जनवरी 2024 एवं मार्च 2024 से जून 2024	2100	1625	475	15	7125
			श्री हरेन्द्र, कान्स्टेबल (आई.डी.संख्या DLND 201138023998) 28700/-	मार्च 2023 से जनवरी 2024	2100	1625	475	11	5225
		चिकित्सा अधिकारी, राजकीय चिकित्सालय, दिल्ली (20593)	श्री कपिल शर्मा, नर्स ग्रेड-II (RJAL201102001549) 52900/-	जुलाई 2023 से जनवरी 2024 एवं मार्च 2024 से जून 2024	3575	2850	725	11	7975
09	केकड़ी	ब्लॉक मुख्य चिकित्सा अधिकारी, केकड़ी (309573)	राज कुमारी, महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता (आई.डी.संख्या) .RJAJ198601009576) 64400/-	सितंबर 2023 से जनवरी 2024, मार्च 2024 से जुलाई 2024	4200	3575	625	10	6250
		राजकीय महविद्यालय, केकड़ी (307765)	अनीता राय सिंघानी, व्याख्याता (आई.डी.संख्या) RJRA201131022909) 171400/-	जुलाई 2023 से जनवरी 2024, मार्च 2024 से जुलाई 2024	10500	8900	1600	12	19200
		राजकीय महविद्यालय, केकड़ी (307765)	सुनील वर्मा , सहायक आचार्य (आई.डी.संख्या) JAJ200601003854) 79900/-	जुलाई 2023 से जनवरी 2024, मार्च 2024 से जुलाई 2024	4800	4200	600	12	7200
		रा.उ.मा.वि. सावर (308856)	राज सिंह मीण, व्याख्याता, (स्कूल शिक्षा) (आई.डी.संख्या) RJBW199708017505) 73200/-	सितंबर 2023 से नवंबर 2023	4800	4200	600	3	1800
10	नीम का थाना	कार्यालय प्रधानाचार्य जी.एस.एस.एस. हरजनपुरा, नीम का थाना (310229)	बनवारी लाल, अध्यापक (आई.डी. संख्या) RJSK198833014386) 73400/- से 80000/-	जुलाई 2021 से जून 2024	4800	4200	600	36	21600

क्र. सं.	कोषालय का नाम	आहरण अधिकारी का नाम व कोड	कार्मिक का नाम/पद/आई.डी संख्या तथा कम कटौति की अवधि के दौरान प्रतिमाह आहरित मूल वेतन की राशि ₹	आहरित वेतन का माह	जीपीएफ मद में कटौति की न्यूनतम मासिक दर राशि ₹	कार्मिक के मासिक वेतन से काटी गई राशि ₹	प्रति माह कम काटी गई राशि ₹	कुल माह	कम कटौति राशि ₹
11	अजमेर	आई.टी.आई केकडी, अजमेर (307990)	महेंद्र सिंह रावत, च.श्रे.क. (ID No.- RJBW2004082001863) 26800/-	फरवरी, 2023 से सितम्बर, 2023	1625	1450	175	8	1400
		सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, सरवाड, अजमेर (20644)	जगदीश कुमार जेसवानी, वरि. लेब टेक्नीशियन (ID No.- RJAJ199501003191) 62500-64400/-	जुलाई, 2022 से अगस्त 2022 एवं मार्च 2023 से जनवरी, 2024	4200	3575	625	13	8125
		सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, सरवाड, अजमेर (20644)	रतन लाल मीणा, चिकित्सा अधिकारी (ID No.- RJAJ202001026468) 65000/-	जुलाई, 2022 से नवम्बर, 2023	4200	3575	625	17	10625
		सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, सरवाड, अजमेर (20644)	फिरोज खान, नर्स श्रेणी-II (ID No.- RJTO202036044810) 40100/-	फरवरी, 2023 से नवम्बर, 2023	2850	1100	1750	10	17500
		ब्लॉक मुख्य चिकित्सा अधिकारी, पीसांगन, अजमेर (20635)	उल्मा वकार सैयदा, चिकित्सा अधिकारी (ID No.- RJAJ201106014809) 82400/- से 87800/-	जुलाई, 2022 से जनवरी, 2024	6150	4800	1350	19	25650
		ब्लॉक मुख्य चिकित्सा अधिकारी, पीसांगन, अजमेर (20635)	जोगेन्द्र गुर्जर, नर्स श्रेणी-II (ID No.- RJAJ202001009996) 38900/- से 40100/-	जुलाई, 2022 से जनवरी, 2024	2850	2100	750	19	14250
		ब्लॉक मुख्य चिकित्सा अधिकारी, पीसांगन, अजमेर (20635)	स्नेहलता चौहान, स्वास्थ्य पर्यवेक्षक (ID No.- RJAJ198901006799) 62500/- से 66300/-	जुलाई, 2022 से जुलाई, 2024	4200	4000	200	25	5000
		ब्लॉक मुख्य चिकित्सा अधिकारी, पीसांगन, अजमेर (20635)	धीरज कुमार प्रजापत, प्रयोगशाला प्राविधिज्ञ (ID No.- RJAJ201801003325) 28900-30500	जुलाई, 2022 से फरवरी 2023 एवं अप्रैल 2023 से जुलाई, 2024	2100	1625	475	24	11400
		चिकित्सा अधिकारी, सामान्य अस्पताल, पुष्कर, अजमेर (20645)	चारु शर्मा, चिकित्सा अधिकारी (ID No.- RJTO201536027764) 75700/- से 78000/-	जून, 2023 से जनवरी, 2024 एवं मार्च 2024 से जुलाई 2024	4800	4200	600	13	7800
		चिकित्सा अधिकारी, सामान्य अस्पताल, पुष्कर, अजमेर (20645)	अंजु चौहान, नर्स श्रेणी-II (ID No.- RJAJ200906001337)	जुलाई, 2023 से जनवरी 2024 एवं मार्च	3575	2850	725	12	8700

क्र. सं.	कोषालय का नाम	आहरण संवितरण अधिकारी का नाम व कोड	कार्मिक का नाम/पद/आई.डी संख्या तथा कम कटौति की अवधि के दौरान प्रतिमाह आहरित मूल वेतन की राशि ₹	आहरित वेतन का माह	जीपीएफ मद में कटौति की न्यूनतम मासिक दर राशि ₹	कार्मिक के मासिक वेतन से काटी गई राशि ₹	प्रति माह कम काटी गई राशि ₹	कुल माह	कम कटौति राशि ₹
			52900/-	2024 से जुलाई, 2024					
		प्राचार्य, राजकीय महाविद्यालय, पुष्कर, अजमेर (31591)	विष्णु परमार, शारीरिक शिक्षक (ID No.- RJNA201128020807) 117200/-	जुलाई, 2023 से जनवरी 2024 एवं मार्च 2024 से अप्रैल, 2024	8900	6150	2750	9	24750
		प्राचार्य, एल.बी. राज. गर्ल्स सी.सै.स्कूल, रूपनगढ़, अजमेर (15828)	सरोज कंवर, व्याख्याता (स्कूल शिक्षा) (ID No.- RJNA201228023918) 54500/-	जुलाई, 2022 से जून, 2023	3575	2850	725	12	8700
12	डीग	GSSS, Saharai Deeg (307307)	श्री रमेश चंद (Ramesh chand) अध्यापक (RJBP199907018312) 65,000/- से 67,000/-	मार्च 2023 से फरवरी 2024	4200/-	4000/-	200/-	12	2,400
		Kishan Lal Joshi GSSS, Deeg (307342)	श्री गंगा सिंह (ganga singh) Physical Teacher Grade -I (RJBP199707014878) 80,200/- से 87,400/-	मार्च 2023 से सितम्बर 2024	6150/-	5000/-	1150/-	19	21,850
		Kishan Lal Joshi GSSS, Deeg (307342)	श्री गोपाल प्रसाद (Gopal prasad) principal (RJDA200513004003) 80,300/- से 82,700/-	मार्च 2023 से जून 2023 दिसम्बर 2023 से सितम्बर 2024	6150/-	4800/-	1350/-	14	18,900
		Tehsildar, Deeg (307782)	श्री कृष्ण बाल देव (Krishan Bal Dev) Inspector(Land-Records) (RJBP199307014288) 65,000/- से 69,000/-	मार्च 2023 से सितम्बर 2024	4200/-	3575/-	625	19	11,875
			श्री फूल चंद (Phool Chand) Inspector(Land-Records) (RJBP200407000009) 38,000/- से 40,300/-	मार्च 2023 से सितम्बर 2024	2100/-	1100/-	1000/-	4	4,000
					2850/-	1100/-	1750/-	15	26,250
13	करौली	पी एम. ओ. करौली (20379)	नरेन्द्र कुमार शर्मा, नर्स गैड द्वितीय (आई.डी. संख्या) RJBR200904002595) 52900/-	जुलाई 2023 से जनवरी 2024	3575	2850	725	07	5075
		पी एम. ओ. करौली (20379)	हेमंत कुमार शर्मा, नर्स गैड द्वितीय (आई.डी. संख्या) RJJW200922002121) 52900/-	जुलाई 2023 से जनवरी 2024	3575	2850	725	07	5075

क्र. सं.	कोषालय का नाम	आहरण संवितरण अधिकारी का नाम व कोड	कार्मिक का नाम/पद/आई.डी संख्या तथा कम कटौति की अवधि के दौरान प्रतिमाह आहरित मूल वेतन की राशि ₹	आहरित वेतन का माह	जीपीएफ मद में कटौति की न्यूनतम मासिक दर राशि ₹	कार्मिक के मासिक वेतन से काटी गई राशि ₹	प्रति माह कम काटी गई राशि ₹	कुल माह	कम कटौति राशि ₹
		पी एम. ओ. करौली (20379)	डॉ राम.कृपाल मीना, चिकित्सा अधिकारी (आई.डी. संख्या) RJUD201637005056) 78000/-	जुलाई 2023 से जनवरी 2024	4800	4200	600	07	4200
14	शाहपुरा	कार्यालय सी.एच.सी फुलियां कलां (309077)	ममता उजरपुरिया, नर्स श्रेणी-II (आई संख्या .डी. RJRA200931010451) 52900/-	सितंबर 2023 से जनवरी 2024 एवं मार्च 2024 से जून 2024	3575	2850	725	9	6525
15	धौलपुर	MEDICAL OFFICER, BASERI (23929)	श्री डा पवन कुमार. (RJKA201526021600) Junior Expert 78000/- एवं 80300/-	सितम्बर 2023, नवम्बर 2023 से जून 2024	4800	4200	600	9	5400
				जुलाई 2024 से सितम्बर 2024	6150	4200	1950	3	5850
		GOVT.SEC.SCHOO L,KHURDIYA (7415)	श्री शिव दयाल, प्रबोधक (RJDH200814038569) 52300/-	जुलाई 2024 से सितम्बर 2024	3575/-	2850	725	3	2175
		GOVT.SEC.SCHOO L,KHURDIYA (7415)	श्री चौथी लाल, व प्रबोधक. (RJDH200814041424) 52300/-	जुलाई 2024 से सितम्बर 2024	3575/-	2850	725	3	2175
		B.C.M.O,Rajakhera (22902)	श्रीमती दीपा सक्सेना (RJDH200914002648) Female Health Worker 39,800/-	मार्च 2023 से सितम्बर 2024	2850/-	2100/-	750/-	19	14,250
		GOVT.SEC.SCHOO L,SAMOR (7378)	श्री पप्पू राम प्रिंसिपल (RJDH200514012502) 71400/- एवं 75,700/-	मार्च 2023 से जून 2024	4200/-	3575	625/-	4	2500
				जुलाई 2023 से सितम्बर 2024	4800	3575	1225/-	15	18375
		EX.EN.PWD,RAJAK HERA (6916)	श्रीमती भावना राजपूत कनिष्ठ आभियन्ता (RJBP201207031835) 67,000/-	मार्च 2023 से सितम्बर 2024	4200/-	3575/-	625/-	19	11,875
		B.C.M.O,Rajakhera (22902)	श्रीमती सावत्री (RJUD202039034782) Female Health Worker 28,700/-	जुलाई 2024 से सितम्बर 2024	2100/-	1625/-	475/-	3	1,425
		B.C.M.O,Rajakhera (22902)	श्रीमती कृष्णा (RJDH 202014043861)	जुलाई	2100/-	1625/-	475/-	3	1,425

क्र. सं.	कोषालय का नाम	आहरण संवितरण अधिकारी का नाम व कोड	कार्मिक का नाम/पद/आई.डी संख्या तथा कम कटौति की अवधि के दौरान प्रतिमाह आहरित मूल वेतन की राशि ₹	आहरित वेतन का माह	जीपीएफ मद में कटौति की न्यूनतम मासिक दर राशि ₹	कार्मिक के मासिक वेतन से काटी गई राशि ₹	प्रति माह कम काटी गई राशि ₹	कुल माह	कम कटौति राशि ₹
			Female Health Worker 28,700/-	2024 से सितम्बर 2024					
		B.C.M.O,Rajakhera (22902)	श्रीमती सीमा पचोरी (RJBM200505014848) Female Health Worker 53,900/-	जून 2024 से सितम्बर 2024	3575/-	2850/-	725/-	4	2,900
		P.M.O,Dholpur (20370)	श्री केशव दयाल भृगु (RJDH201314039382) Medical Officer 82,700/-	जुलाई 2023 से अक्टूबर 2024	6150/-	4800/-	135/-	16	21,600
		P.M.O,Dholpur (20370)	श्री सुमीत मित्तल (RJDH201314034500) Medical Officer 82,700/-	जुलाई 2023 से अक्टूबर 2024	6150/-	5000/-	1150/-	16	18,400
		P.M.O,Dholpur (20370)	श्री राजेश अग्रवाल (RJDH200814011557) Medical Officer 95,500/-	मार्च 2023 से अक्टूबर 2024	6150/-	2100/-	4050/-	20	81,000
		B.C.M.O, Dholpur (22908)	श्रीमती सुधा (RJDH201114025717) Female Health Worker 38,600/-	जुलाई 2024 से अक्टूबर 2024	2850/-	2100/-	750/-	4	3,000
		GGSS,DANDOLI, Dholpur (34510)	श्री रणवीर सिंह रावत (RJL199821011848) Principal 85,200/-	मार्च 2023 से अक्टूबर 2024	6150/-	4800/-	1350/-	20	27,000
		GGSS,DANDOLI, Dholpur (34510)	श्रीमती ममता सिंह (RJDH199114023050) Sr. Teacher 73,200/-	जनवरी 2024 से अक्टूबर 2024	4800/-	4200/-	600/-	10	6,000
		Govt.Sec.School Bara Haidarshan, Dholpur (7500)	श्रीमती निशा (RJDH200514030994) Senior Teacher 75,400/-	जनवरी 2024 से अक्टूबर 2024	4800/-	4200/-	600/-	10	6,000
		Govt.Sec.School Bara Haidarshan, Dholpur (7500)	श्रीमती अनिता द्विवेदी (RJDH200214003177) Training Instructor 63,100/-	जुलाई 2024 से अक्टूबर 2024	4200/-	3575/-	625/-	4	2,500
16	भीलवाड़ा	मुख्य ब्लॉक चिकित्सा अधिकारी ,कोटडी (308844)	परवीन बानु ,नर्स श्रेणी-II (ID No.- RJBW200908009779) 52900 से 54500/-	जुलाई, 2023 से दिसम्बर 2023, फरवरी	3575	2850	725	14	10150

क्र. सं.	कोषालय का नाम	आहरण संवितरण अधिकारी का नाम व कोड	कार्मिक का नाम/पद/आई.डी संख्या तथा कम कटौति की अवधि के दौरान प्रतिमाह आहरित मूल वेतन की राशि ₹	आहरित वेतन का माह	जीपीएफ मद में कटौति की न्यूनतम मासिक दर राशि ₹	कार्मिक के मासिक वेतन से काटी गई राशि ₹	प्रति माह कम काटी गई राशि ₹	कुल माह	कम कटौति राशि ₹
				2024 से सितम्बर 2024					
		मुख्य ब्लॉक चिकित्सा अधिकारी, बनेडा (308418)	नागेन्द्र सिंह रानावत, नर्स श्रेणी-II (ID No.- RJBW200908003768) 54500/-	जुलाई, 2023 से सितम्बर, 2024	3575	2850	725	15	10875
		राज.बालिका सी.सै. स्कूल, सुवाना (38834)	ज्योति थादानी, प्रधानाचार्य (ID No.- RJBW200808014582) 80300/-	जुलाई, 2023 से अक्टूबर, 2024	6150	4800	1350	16	21600
17	डीडवाना- कुचामन	मुख्य चिकित्सा अधिकारी, डीडवाना (307255)	प्रवीण कुमार सैनी, फार्मसिस्ट .I.D. No RJNA 201628030913) 39100 /-	07/2023 से 01/2024 तथा 03/2024 से 06/2024	2850	2100	750	11	8250
		सहायक अभियंता जन स्वा. अभि. विभाग नावाँ सिटी (308848)	श्री संतोष कुमावत, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी (ID No.- RJNA200928011283) 23800/- से 26300/-	जुलाई 2022 से अक्टूबर 2024	1625	1450	175	28	4900
			श्री प्रकाश चंद, मीटर रीडर (ID No.- RJNA199028013051) 38600/- से 41000/-	जुलाई 2022 से अक्टूबर 2024	2850	2100	750	28	21000
			श्री रेखा देवी, सहायक (ID No.- RJNA201028000351) 23800/- से 25200/-	जुलाई 2022 से अक्टूबर 2024	1625	1450	175	28	4900
		खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी, कुचामन सिटी (309089)	गोपाल राम चौधरी (ID No.- RJNA201628031701) 39100/-	जुलाई 2023 से फरवरी 2024	2850	2100	750	8	6000
			कैलाश चंद रायल (ID No.- RJNA201628031702) 39100/-	जुलाई 2023 से फरवरी 2024	2850	2100	750	8	6000
		प्रभारी चिकित्सा अधिकारी, राजकीय अस्पताल लाडनू (307678)	डॉ. भरत कुमार कसेरा, कनिष्ठ विशेषज्ञ (ID No.- RJCR201528002086) 80300/-	जुलाई 2023 से जून 2024	6150	3575	2575	12	30900
योग ₹									10,09,725

परिशिष्ट संख्या - 27

(संदर्भ पैरा संख्या -4.7)

एस.आई.पी.एफ. खाता में न्यूनतम मासिक अंशदान कटौती की निर्धारित राशि को IFMS सिस्टम में कार्मिक के मासिक मूल वेतन से मैपिंग नहीं करने के कारण मासिक अंशदान पेटे कम कटौती का विवरण

क्र. सं.	कोषालय का नाम	आहरण संवितरण अधिकारी का नाम व कोड	कार्मिक का नाम/पद/आई.डी संख्या तथा कम कटौती की अवधि के दौरान प्रतिमाह आहरित मूल वेतन की राशि ₹	आहरित वेतन का माह	एस.आई. पी. मद में कटौती की न्यूनतम मासिक दर राशि ₹	कार्मिक के मासिक वेतन से काटी गई राशि ₹	प्रति माह कम काटी गई राशि ₹	कुल माह	कम कटौती राशि ₹
1	दौसा	कार्यालय प्रधानाध्यापक राजकीय सैकेण्डरी स्कूल जटवाडा, महवा। (8502)	राजेन्द्र प्रसाद शर्मा अध्यापक (आई.डी. संख्या RJDA198713005804) 73400/- से 80200/-	जुलाई 2020 से दिसम्बर 2023	5000	1800	3200	42	134400
		कार्यालय प्रधानाध्यापक राजकीय सीनियर सैकेण्डरी स्कूल कोट महवा। (8489)	कन्हैया लाल महावर, व्याख्याता स्कूल (पिक्षा) (आई.डी. संख्या RJDA199513006749) 75600/- से 85100/-	अप्रैल 2020 से दिसम्बर 2023	5000	4000	1000	45	45000
		कार्यालय प्रधानाध्यापक राजकीय सीनियर सैकेण्डरी स्कूल कोट महवा। (8489)	गोविन्द सहाय गुप्ता, व्याख्याता (आई.डी. संख्या RJDA198713005573) 73400/- से 80200/-	जुलाई 2020 से जनवरी 2024	5000	4000	1000	43	43000
		कार्यालय प्रचार्य राजकीय सीनियर सैकेण्डरी स्कूल कालाखो अम्बारी (8893)	कपूर चन्द सोनी, व्याख्याता स्कूल (शिक्षा) (आई.डी. संख्या RJKA198826017451) 73400/- से 77900/-	जुलाई 2021 से नवम्बर 2023	5000	3000	2000	29	58000
		कार्यालय प्राचार्य राजकीय सीनियर सैकेण्डरी स्कूल जसोता, दौसा (8647)	ओम प्रकाश शर्मा अध्यापक (आई.डी. संख्या RJDA198613006258) 73400/- से 82400/-	जुलाई 2020 से जनवरी 2024	5000	4000	1000	43	43000
		कार्यालय जिला आयुर्वेद अधिकारी दौसा (12235)	राजेन्द्र प्रसाद शर्मा, कनिष्ठ नर्स/कम्पाउन्डर (आई.डी. संख्या RJDA199813017125) 73200/- से 75400/-	जुलाई 2022 से जनवरी 2024	5000	3000	2000	19	38000
		कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी (सैकेण्डरी) दौसा (8914)	घनश्याम मीणा, जिला शिक्षा अधिकारी (आई.डी. संख्या RJDA199113021846)	अप्रैल 2020 से दिसम्बर 2023	5000	2650	2350	45	105750

क्र. सं.	कोषालय का नाम	आहरण संवितरण अधिकारी का नाम व कोड	कार्मिक नाम/पद/आई.डी संख्या तथा कम कटौति की अवधि के दौरान प्रतिमाह आहरित मूल वेतन की राशि ₹	आहरित वेतन का माह	एस.आई. पी. मद में कटौती की न्यूनतम मासिक दर राशि ₹	कार्मिक के मासिक वेतन से काटी गई राशि ₹	प्रति माह कम काटी गई राशि ₹	कुल माह	कम कटौति राशि ₹
			101200/- से 113800/-						
2	जोधपुर (शहर)	कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधिकारी, मण्डौर, जोधपुर (23311)	इन्दु, स्वास्थ्य कार्यकर्ता महिला (आई.डी.संख्या आरजेजेओ 202025025810) 27100/-	मार्च 2023 से फरवरी 2024	1200	0	1200	12	14400
3	बांसवाडा	कार्यालय वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी, सी.एच.सी. आनन्दपुरी (बांसवाडा) (22570)	सुमित्रा डामोर, नर्स श्रेणी II (आई.डी. संख्या RJB200903000933) 47900/-	जुलाई 2023 से जनवरी 2024	3000	2200	800	7	5600
		कार्यालय खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी इंगरा छोटा, बांसवाडा (22505)	मंजुला व्यास, धात्रियों (आई.डी. संख्या RJB198903003022) 57200/- से 64400/-	मार्च 2020 से अक्टूबर 2021, दिसम्बर 2021 से फरवरी 2022, अप्रैल 2022 से जनवरी 2024	3000	1550	1450	45	65250
4	जैसलमेर	Distt.Ext.officer, Mohangarh (105342), जैसलमेर	श्री राम खिलाडी मीना (Ram Khiladi Meena) सहायक कृषि अधिकारी (आई.डी.संख्या RJB199309018866) 73400/- से 75600/-	जुलाई 2022 से फरवरी 2024	5000	3000	2000	20	40000
		Executive Engineer, SMGS Division I, IGNP, Ramgarh (24883), जैसलमेर	श्री धन्ना राम पोटलिया (Dhanna Ram Potalia) सहायक अभियंता (सिविल) (RJJ201721015321) 59500/-	मई 2023 से दिसम्बर 2023	3000	2200	800	8	6400
5	केकड़ी	कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधिकारी, केकड़ी (308108)	छितर लाल मीणा (ID No. RJBW199808018382) 46700/-	जुलाई, 2023 से जनवरी 2024	3000	2200	800	7	5600
6	सीकर	कार्यालय सीकर तहसिलदार श्रीमाधोपुर (310538)	गिरवर कुमार बुनकर , पटवारी (आई.डी. संख्या RJJ201817043848) 22700/-	जुलाई 2023 से फरवरी 2024	1200	800	400	8	3200

क्र. सं.	कोषालय का नाम	आहरण संवितरण अधिकारी का नाम व कोड	कार्मिक का नाम/पद/आई.डी संख्या तथा कम कटौति की अवधि के दौरान प्रतिमाह आहरित मूल वेतन की राशि ₹	आहरित वेतन का माह	एस.आई. पी. मद में कटौती की न्यूनतम मासिक दर राशि ₹	कार्मिक के मासिक वेतन से काटी गई राशि ₹	प्रति माह कम काटी गई राशि ₹	कुल माह	कम कटौति राशि ₹
			विनोद कुमार मारोदिया, पटवारी (आई.डी. संख्या RJKO201827019780) 22700/-	जुलाई 2023 से फरवरी 2024	1200	800	400	8	3200
			ओमप्रकाश जांगिड़, पटवारी (आई.डी. संख्या RJB201910000243) 22700/-	जुलाई 2023 से फरवरी 2024	1200	800	400	8	3200
7	अजमेर	कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधिकारी, केकड़ी, अजमेर (36892)	कालु राम कुमावत (ID No.- RJSK201333005433) 82400/-	अगस्त, 2022 से फरवरी, 2023	5000	3000	2000	7	14000
		तहसीलदार, पीसांगन, अजमेर (4157)	दिनेश सिंह शेखावत, पटवारी (ID No.- RJKO201827032735) 22700/-	जुलाई 2023 से जनवरी 2024 एवं मार्च, 2024 से जुलाई, 2024	1200	800	400	12	4800
8	डीग	Tehsildar, Deeg (307782)	श्री देवेंद्र सिंह (Devendra singh) पटवारी (आई.डी.संख्या RJAL 201202010216) 34800/-	जुलाई 2023 से फरवरी 2024	2200	1200	1000	8	8000
9	करौली	एस.पी .ऑफिस अधिकारी, करौली (106992)	बिजेंद्र सिंह , सहायक उप निरीक्षक (आई संख्या.डी. RJKA199326021640) 44000/-	अगस्त 2021 से जनवरी 2024	2200	1800	400	30	12000
		एसपी .ऑफिस अधिकारी, करौली (106992)	गोपाल लाल , सहायक उप निरीक्षक (आई संख्या.डी. RJKA199226025797) 49300/-	अप्रैल 2023 से जनवरी 2024	3000	2200	800	10	8000
10	जोधपुर (ग्रामीण)	Division Forest Officer, Jodhpur (103457)	प्रेम कुमार, सहायक वनपाल (आई.डी.संख्या RJJ0199325017498) 46700/-	जुलाई 2024 से अक्टूबर 2024	3000	2200	800	4	3200
		Social Welfare, SJED, Jodhpur 23719	मुकेश चौधरी, कनिष्ठ सहायक	जुलाई 2024 से अक्टूबर 2024	1200	800	400	4	1600

क्र. सं.	कोषालय का नाम	आहरण संवितरण अधिकारी का नाम व कोड	कार्मिक नाम/पद/आई.डी संख्या तथा कम कटौति की अवधि के दौरान प्रतिमाह आहरित मूल वेतन की राशि ₹	आहरित वेतन का माह	एस.आई. पी. मद में कटौती की न्यूनतम मासिक दर राशि ₹	कार्मिक के मासिक वेतन से काटी गई राशि ₹	प्रति माह कम काटी गई राशि ₹	कुल माह	कम कटौति राशि ₹
			(आई.डी.संख्या RJPA20209033580 22700/-						
योग ₹									6,65,600

परिशिष्ट संख्या – 28

(संदर्भ पैरा संख्या -4.8)

राजस्थान सरकार स्वास्थ्य स्कीम निधि (RGHS) में न्यूनतम मासिक अंशदान कटौती की निर्धारित राशि को IFMS सिस्टम में कार्मिक के मासिक मूल वेतन से मैपिंग नहीं करने के कारण मासिक अंशदान पेटे कम कटौती का विवरण

क्र. सं.	कोषालय का नाम	आहरण-संवितरण अधिकारी का नाम व कोड संख्या	कार्मिक का नाम, पदनाम व आई.डी. संख्या तथा कम कटौती की अवधि के दौरान प्रतिमाह आहरित मूलवेतन की राशि रु.	आहरित वेतन का माह	आर.जी.एच. एस. मद में कटौति योग्य राशि रु.	आर.जी.ए च.एस. मद में काटी गई राशि रु.	अन्तर राशि	कम कटौती की राशि का विवरण	कम कटौति राशि रु.
1	बाँसवाड़ा	कार्यालय तहसील आनन्दपुरी (28161)	मोहन लाल यादव, नायब तहसीलदार (आई.डी. संख्या RJDU199315003906) 60700/- से 65000/-	अप्रैल 2022 से जुलाई 2023	875	658	217	217x16	3472
2	जैसलमेर	GSS,Kanoad,jaisalmer (27005)	श्री जालम सिंह, अध्यापक RJJS200520014413 55500/-	जुलाई 2022 से फरवरी 2024	875	658	217	217x20	4340
		B.C.M.O.Bloc k, Sam, jaisalmer (23226)	श्रीमती खाजानी देवी (khajani Devi) धात्रियाँ RJJS198920008551 58900/-	जुलाई 2021 से फरवरी 2024	875	658	217	217x32	6944
		GSSS,RUPA SI, JAISALMER (13219)	श्री अशोक कुमार गेंवा Ashok kumar Genwa व.अध्यापक RJJS200520014485 55500/-	जुलाई 2022 से फरवरी 2024	875	658	217	217x20	4340
		GSSS,RUPASI, JAISALMER (13219)	श्री अंबा राम अध्यापक RJJS200520014505 55500/-	जुलाई 2022 से फरवरी 2024	875	658	217	217x20	4340
3	नीम का थाना	कार्यालय जी.जी.एस.एस.एस., खेतडी मोड, नीम का थाना (310212)	किशन राज जाखड, व्याख्याता स्कूल (शिक्षा) (आई.डी. संख्या RJCR201112011237) 56100/- से 57800/-	अप्रैल 2023 से नवम्बर 2023	875	658	217	217x8	1736
4	अजमेर	प्राचार्य रा.उ.मा.वि. चापानेरी, भिनाय ,अजमेर (16237)	राम प्रसाद खरोल, अध्यापक (ID No.- RJAJ200501037802) 55500/- से 57200/-	जुलाई, 2022 से सितम्बर, 2023	875	658	217	217x15	3255
		ब्लॉक मुख्य चिकित्सा अधिकारी, पीसांगन, अजमेर (20635)	अशोक कुमार, च.श्रे.क./वार्ड व्वाँय (ID No.- RJAJ199601022815) 34000/- से 37900/-	जुलाई, 2022 से जुलाई, 2024	658	440	218	218x25	5450

क्र. सं.	कोषालय का नाम	आहरण-संवितरण अधिकारी का नाम व कोड संख्या	कार्मिक का नाम, पदनाम व आई.डी. संख्या तथा कम कटौती की अवधि के दौरान प्रतिमाह आहरित मूलवेतन की राशि रु.	आहरित वेतन का माह	आर.जी.एच. एस. मद में कटौति योग्य राशि रु.	आर.जी.ए च.एस. मद में काटी गई राशि रु.	अन्तर राशि	कम कटौती की राशि का विवरण	कम कटौति राशि रु.
		ब्लॉक मुख्य चिकित्सा अधिकारी, पीसांगन, अजमेर (20635)	कमलदीन, नर्स श्रेणी-II (ID No.- RJA202001027352) 37800/- से 41300/-	मार्च, 2023 से जुलाई, 2024	658	440	218	218x17	3706
		प्राचार्य, एल.बी. राज. गर्ल्स सी.सै.स्कूल, रूपनगढ़, अजमेर (15828)	सरोज कंवर, व्याख्याता (स्कूल शिक्षा) (ID No.- RJNA201228023918) 54500/-	जुलाई, 2023 से जनवरी, 2024	875	658	217	217x7	1519
5	करौली	पी एम. ओ. करौली (20379)	प्रमोद कुमार गर्ग ,लेब टेक. (ID No.- RJKA201326012982) 35800/-	नवम्बर 2022से जनवरी 2024	658	440	218	218x15	3270
6	डीडवाना कुचामन	मुख्य चिकित्सा अधिकारी डीडवाना (307255)	परमेश्वरलाल, नर्स ग्रेड द्वितिय (ID No.- RJNA201128031053) 54,500/-	07/ 2024 से 10/2024	875	658	217	217 x 04	868
7	धोलपुर	MEDICAL OFFICER, BASERI (23929)	श्री योगेंद्र प्रसाद शर्मा ,कनिष्ठ सहायक RJDH199414012669 55500/-	जुलाई, 2024 से सितम्बर 2024	875	658	217	217x3	651
		MEDICAL OFFICER (CHC), Rajakhhera (22913)	श्री मोहम्मद मोहसिन Lab Technician RJDH201314031059 36,900/-	मार्च 2023से सितम्बर 2024	658	440	218	218x19	4142
8	भीलवाड़ा	सामुदायिक चिकित्सा अधिकारी ,कोटडी (308847)	प्रकाश चन्द शर्मा, च.श्रे.क. (ID No.- RJBW199408006938) 35000/-	जुलाई, 2022 से सितम्बर, 2024	658	440	218	218x27	5886
		सामुदायिक चिकित्सा अधिकारी ,कोटडी (308847)	मुरली मनोहर व्यास, च.श्रे.क. (ID No.- RJBW199608010380) 35000/-	जुलाई, 2022 से सितम्बर, 2024	658	440	218	218x27	5886
		सामुदायिक चिकित्सा अधिकारी ,कोटडी (308847)	भंवर सिंह, च.श्रे.क. (ID No.- RJBW199608005166) 34000/- 37500/-	जुलाई, 2022 से सितम्बर, 2024	658	440	218	218x27	5886
		मुख्य ब्लॉक चिकित्सा अधिकारी ,कोटडी (308844)	परवीन बानु ,नर्स श्रेणी-II (ID No.- RJBW200908009779) 54500/-	जुलाई, 2024 से सितम्बर, 2024	875	658	217	217x 3	651

क्र. सं.	कोषालय का नाम	आहरण-संवितरण अधिकारी का नाम व कोड संख्या	कार्मिक का नाम, पदनाम व आई.डी. संख्या तथा कम कटौती की अवधि के दौरान प्रतिमाह आहरित मूलवेतन की राशि रु.	आहरित वेतन का माह	आर.जी.एच. एस. मद में कटौति योग्य राशि रु.	आर.जी.ए च.एस. मद में काटी गई राशि रु.	अन्तर राशि	कम कटौती की राशि का विवरण	कम कटौति राशि रु.
		मुख्य ब्लॉक चिकित्सा अधिकारी, बनेडा (308418)	नागेन्द्र सिंह रानावत, नर्स श्रेणी-II (ID No.- RJBW200908003768) 54500/-	जुलाई, 2024 से सितम्बर, 2024	875	658	217	217x 3	651
		सामुदायिक चिकित्सा अधिकारी, हमीरगढ़ (22644)	सत्यनारायण बैरवा, नर्स श्रेणी-II (ID No.- RJAJ200801013826) 54500/-	जुलाई, 2023 से अक्टूबर, 2024	875	658	217	217x 16	3472
		सामुदायिक चिकित्सा अधिकारी, हमीरगढ़ (22644)	महावीर पोरवाल, नर्स श्रेणी-II (ID No.- RJBW200808002506) 54500/-	जुलाई, 2023 से अक्टूबर, 2024	875	658	217	217x 16	3472
		मुख्य ब्लॉक चिकित्सा अधिकारी, हमीरगढ़ (22636)	जितेन्द्र कुमार जालदीप, चिकित्सा अधिकारी (ID No.- RJBW202008045696) 56100/-	अप्रैल, 2022 से अक्टूबर, 2024	875	658	217	217x 31	6727
		कार्यालय जिला कारागार, भीलवाड़ा (3573)	अब्दूल गन्नी, च.श्रे.क. (ID No.- RJUD200237004321) 34000/-	जुलाई, 2024 से अक्टूबर, 2024	658	440	218	218x 4	872
		कार्यालय जिला कारागार, भीलवाड़ा (3573)	ललीत कुमार चन्देल, नर्स श्रेणी-II (ID No.- RJBW200908005452) 54500/-	जुलाई, 2024 से अक्टूबर, 2024	875	658	217	217x 4	868
		कार्यालय जिला कारागार, भीलवाड़ा (3573)	बद्रीनारायण जीएम, मुख्य प्रहरी (ID No.- RJTO200336005391) 34800/-	नवम्बर, 2022 से अक्टूबर, 2024	658	440	218	218x 24	5232
9	जोधपुर (ग्रामीण)	Division Forest Officer, Jodhpur (103457)	मघ सिंह, पशु रक्षक (ID No.- RJJO199825005673) 34000/-	जुलाई 2024 से अक्टूबर 2024	658	440	218	218x 4	872
		Social Welfare, SJED, Jodhpur 23719	रज्जक खान, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी (ID No.- RJJO199724000667) 34300/-	जुलाई 2024 से अक्टूबर 2024	658	440	218	218x 4	872
10	नागौर	सहायक अभियंता जन स्वा. अभि.	माला राम जाट (ID No.- RJNA 200728005688) 23800/- से 27100 /-	मार्च 2022 से अक्टूबर 2024	440	220	220	220x 32	7040

क्र. सं.	कोषालय का नाम	आहरण-संवितरण अधिकारी का नाम व कोड संख्या	कार्मिक का नाम, पदनाम व आई.डी. संख्या तथा कम कटौती की अवधि के दौरान प्रतिमाह आहरित मूलवेतन की राशि रु.	आहरित वेतन का माह	आर.जी.एच. एस. मद में कटौति योग्य राशि रु.	आर.जी.ए च.एस. मद में काटी गई राशि रु.	अन्तर राशि	कम कटौती की राशि का विवरण	कम कटौति राशि रु.
		विभाग नावाँ सिटी (308848)	राजेंद्र सिंह, कनिष्ठ सहायक (ID No.- RJNA200728006881) 33800/- से 35800/-	मई 2023 से अक्टूबर 2024	658	440	218	218x 18	3924
			मुकेश माथुर, पम्प ऑपरेटर ग्रेड-II (ID No.- RJNA200328007655) 34300/-	जुलाई 2024 से अक्टूबर 2024	658	440	218	218x 4	872
	खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी, कुचामन सिटी (309089)	ओम प्रकाश कुमावत (ID No.- RJNA199628021256) 34000/- से 36800/-	जुलाई 2022 से फरवरी 2024	658	440	218	218x 20	4360	
		सारदा रनवा (ID No.-RJNA 201128015760) 35300/- से 36400/-	दिसम्बर 2022 से फरवरी 2024	658	440	218	218x 15	3270	
	प्रभारी चिकित्सा अधिकारी, राजकीय अस्पताल लाडनू (307678)	विजेंद्र झाझरियां (ID No.-RJNA 200828010090) 54500/-	जुलाई 2023 से फरवरी 2024	875	658	217	217x 8	1736	
		ओम प्रकाश यादव (ID No.-RJNA 200828010088) 54500/-	जुलाई 2023 से फरवरी 2024	875	658	217	217x 8	1736	
योग ₹									1,12,318

परिशिष्ट संख्या – 29

(संदर्भ पैरा संख्या -4.11)

**ऑटो सेलेरी सिस्टम सुदृढ़ नहीं होने के कारण कार्मिकों को मकान किराया भत्ता पेटे अनियमित
अधिक भुगतान का विवरण**

क्र. सं.	कोषालय / उप कोषालय का नाम	आहरण-संवितरण अधिकारी का नाम व कोड संख्या	कार्मिक का नाम	कोषालय की वाउचर संख्या व दिनांक	माह	वेतन	दिये गये मकान किराया भत्ते की दर	दिए गए मकान किराया भत्ते की राशि ₹	देय मकान किराया भत्ते की दर	देय मकान किराया भत्ता राशि ₹	अधिक भुगतान राशि ₹
1	बघाटोल, बांसवाडा	तहसीलदार घाटोल/ 16977	श्री शेर सिंह मीणा, पटवारी आई.डी. संख्या RJB20110 3019324	4195 12/04/21	03/2021	22700	10%	2270	8%	1816	454
				10490 03/05/21	04/2021	22700	10%	2270	8%	1816	454
				19215 04/06/21	05/2021	22700	10%	2270	8%	1816	454
				27916 08/07/21	06/2021	22700	10%	2270	8%	1816	454
				31162 02/08/21	07/2021	23400	10%	2340	9%	2106	234
				44340 01/09/21	08/2021	23400	10%	2340	9%	2106	234
				53062 06/10/21	09/2021	23400	10%	2340	9%	2106	234
				58800 01/11/21	10/2021	23400	10%	2340	9%	2106	234
				73394 06/12/21	11/2021	23400	10%	2340	9%	2106	234
				81473 01/01/222	12/2021	23400	10%	2340	9%	2106	234
				89747 02/02/22	01/2022	23400	10%	2340	9%	2106	234
				98336 03/03/22	02/2022	23400	10%	2340	9%	2106	234
				3599 02/04/222	03/2022	23400	10%	2340	9%	2106	234
				100430 04/05/22	04/2022	23400	10%	2340	9%	2106	234
				18935 03/06/22	05/2022	23400	10%	2340	9%	2106	234
				24448 01/07/22	06/2022	23400	10%	2340	9%	2106	234
				36024 03/08/22	07/2022	24100	10%	2410	9%	2169	241
				43378 01/09/22	08/2022	24100	10%	2410	9%	2169	241
				53200 01/10/22	09/2022	24100	10%	2410	9%	2169	241

क्र. सं.	कोषालय / उप कोषालय का नाम	आहरण-संवितरण अधिकारी का नाम व कोड संख्या	कार्मिक का नाम	कोषालय की वाउचर संख्या व दिनांक	माह	वेतन	दिये गये मकान किराया भत्ते की दर	दिए गए मकान किराया भत्ते की राशि ₹	देय मकान किराया भत्ते की दर	देय मकान किराया भत्ता राशि ₹	अधिक भुगतान राशि ₹
				65060 10/11/22	10/2022	24100	10%	2410	9%	2169	241
				70659 01/12/22	11/2022	24100	10%	2410	9%	2169	241
				77878 02/01/23	12/2022	24100	10%	2410	9%	2169	241
				89716 01/02/23	01/2023	24100	10%	2410	9%	2169	241
				102450 03/03/23	02/2023	24100	10%	2410	9%	2169	241
				4347 12/04/23	03/2023	24100	10%	2410	9%	2169	241
				12011 02/05/23	04/2023	24100	10%	2410	9%	2169	241
				20332 01/06/23	05/2023	24100	10%	2410	9%	2169	241
				38867 01/08/23	06/2023	24100	10%	2410	9%	2169	241
				38508 01/08/23	07/2023	24100	10%	2410	9%	2169	241
				46805 04/09/23	08/2023	24800	10%	2480	9%	2232	248
				54425 03/10/23	09/2023	24800	10%	2480	9%	2232	248
				61111 01/11/23	10/2023	24800	10%	2480	9%	2232	248
				75836 07/12/23	11/2023	24800	10%	2480	9%	2232	248
				83553 01/01/24	12/2023	24800	9%	2232	9%	2232	0
				91570 01/02/24	01/2024	24800	9%	2232	9%	2232	0
2	जयपुर (शहर)	उपवन संरक्षक, जयपुर (उत्तर) 19329	श्रीमती मोसमी यादव, सहायक वनपाल (आई.डी.संख्या RJSM20113 2027610)	143683/ 01-09-23	08/2023	26400	18%	4752	9%	2376	2376
				169374/ 03-10-23	09/2023	26400	18%	4752	9%	2376	2376
				192011/ 01-11-23	10/2023	26400	18%	4752	9%	2376	2376
				218588/ 01-12-23	11/2023	26400	18%	4752	9%	2376	2376
				242483/ 01-01-24	12/2023	26400	18%	4752	9%	2376	2376
				268829/ 01-02-24	01/2024	26400	18%	4752	9%	2376	2376

क्र. सं.	कोषालय / उप कोषालय का नाम	आहरण-संवितरण अधिकारी का नाम व कोड संख्या	कार्मिक का नाम	कोषालय की वाउचर संख्या व दिनांक	माह	वेतन	दिये गये मकान किराया भत्ते की दर	दिए गए मकान किराया भत्ते की राशि ₹	देय मकान किराया भत्ते की दर	देय मकान किराया भत्ता राशि ₹	अधिक भुगतान राशि ₹
3	शाहपुरा	जिला परिवहन अधिकारी, शाहपुरा, डी.डी.ओ. कोड - 309041	श्री राजीव शर्मा, जिला परिवहन अधिकारी RJRA1998 31020076	18712/ 04.03.2024	02/2024	61300	18%	11034	9%	5517	5517
				1555/ 08.04.2024	03/2024	61300	18%	11034	9%	5517	5517
				3813/ 02.05.2024	04/2024	61300	18%	11034	9%	5517	5517
				7822/ 11.06.2024	05/2024	61300	18%	11034	9%	5517	5517
4	धौलपुर	P.M.O ,Dholpur (20370)	श्री राजेश अग्रवाल, चिकित्सा अधिकारी RJDH2008 14011557	As per GA 55	03/2023 to 08/2023	90,000	10%	9000	9%	8100	5400
				As per GA 55	09/2023 to 06/2024	92,700	10%	9270	9%	8343	9270
				As per GA 55	07/2024 to 10/2024	95,500	10%	9550	9%	8595	3820
योग ₹											63,563

© कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) राजस्थान,
जयपुर

Website : agaerajasthan@cag.gov.in
